




भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन



संघ सरकार
वैज्ञानिक विभाग
2008-09 की संख्या सी.ए. 16

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2008

वेबसाइट : <http://www.cag.go.in>

मूल्य
अंतर्देशीय : रुपये 65.00
विदेश में : 5 अमरीकी डॉलर
(डाकखर्च/वायू मेल सहित)

Presented to Lok Sabha on: 11.11.2008
Presented to Rajya Sabha on: 11.11.2008

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
वैज्ञानिक विभाग
2008-09 की संख्या सी.ए. 16

विषय

	पैरा	पृष्ठ
प्रस्तावना		iv
विहंगावलोकन		v
अध्याय I: प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों का परोफाईल	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना और आचरण	1.4	3
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभागों का संगठनात्मक ढाँचा	1.5	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों	1.6	4
बजट और व्यय नियंत्रण	1.7	7
स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा	1.8	9
बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	1.9	10
विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफोर्मा लेखों की स्थिति	1.10	11
हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना	1.11	11
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर	1.12	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.13	12
अध्याय II: परमाणु ऊर्जा विभाग		
वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना टाटा मैमोरियल केन्द्र में डॉक्टरों के लिये उदासीकृत योजना को लागू करना	2.1	13
अनुबंध की समाप्ति/वार्ता न करने के कारण 1.84 करोड़ रुपये का नुकसान	2.2	16
सुरक्षा पर अधिक व्यय	2.3	17
विद्युत खपत पर परिहार्य व्यय	2.4	19
विश्वस्तरीय गामा रे प्रेक्षण की गैर स्थापना	2.5	20
बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलोजी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	2.6	26
अध्याय III: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
प्रौद्योगिकी के गैर-वाणिज्यीकरण के कारण निष्फल व्यय	3.1	38
ग्राम संचार के लिए ब्रॉडबैंड पहुंच प्रणाली का अवाणिज्यिकरण	3.2	39
भूमि अधिग्रहण पर पट्टा संधि को अंतिम रूप न देने के कारण निष्फल व्यय	3.3	41
अध्याय IV: वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विभाग		
परियोजना के जल्द समापन होने पर निजी कम्पनी से देय की वसूली न होना	4.1	43
लेखापरीक्षा के कहने पर देय की वसूली	4.2	45
स्टाफ क्वाटर्स हेतु बिजली पर परिहार्य व्यय	4.3	47
खनिज तथा सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर की गतिविधिया	4.4	48
सेन्द्रल एलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैराईकुडी द्वारा बैट्रीयों/सैलों	4.5	56

की प्रौद्योगिकी विकसित करना तथा उनका वाणिज्यकरण करना।		
केन्द्रीय कांच तथा सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के कार्यकलाप	4.6	65
अध्याय V: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
प्रौद्योगिकी विकास के बावजूद भी देय की वसूली न होना	5.1	76
वेतनमानों के चयनात्मक लागू करने से व्यय की वृद्धि	5.2	77
बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान की गतिविधियां	5.3	79
अध्याय VI: पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय		
ग्रामीण वृक्षारोपण परियोजना की विफलता	6.1	91
परिवहन भत्ते का अस्वीकार्य भुगतान	6.2	93
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली की कार्य प्रणाली	6.3	95
अध्याय VII: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
बिना मांग के आवासीय मकानों एवं छात्रावास ईकाईयों का निर्माण	7.1	111
उच्च लोड के अनुबंध के कारण परिहार्य व्यय	7.2	112
अध्याय VIII: भारतीय भू-सर्वेक्षण		
उपकरण का स्थापित नहीं होना	8.1	114
अध्याय IX: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान		
अधिक खरीद से परिहार्य व्यय	9.1	116
स्टॉफ क्वार्टरों के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेने में विफलता के कारण परिहार्य व्यय	9.2	117
अध्याय X: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद		
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में कार्यों का प्रबंधन	10.1	119
परिशिष्ट		
I	वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों का संक्षिप्त परोफाइल	139
Iए	वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा से निकली विषयवार विशिष्ट लेखापरीक्षा जाँच	142
I बी	योजनाओं की सूची जिनकी टिप्पणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई।	143
II	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवाशर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अर्न्तगत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान	145
III	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवाशर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अर्न्तगत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान	146
IV	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	149
V	विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	152
VI	वर्ष 2007-08 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण	153
VII	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से दिसम्बर 2008 तक की एक्शन टेकन नोट की वांछित संक्षिप्त स्थिति मार्च 2008 तक	154
VIII	नवी योजना की बी.आर.आई.टी. परियोजनाओं का विवरण, जिन्हें दसवीं योजना तक ले जाया गया	156

IX	31.03.2008 को आई.सी.एम.आर. के संस्थानों में पड़े हुये अग्रिम (2002 से 2008 के दौरान प्रदत्त)	158
X	आई.सी.एम.आर. द्वारा एजेन्सियों को अधिक प्रदत्त	159
XI	31मार्च 2008 को आई.सी.एम.आर. के संस्थानों द्वारा प्रदत्त असमायोजित अग्रिम	160

प्रस्तावना

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। यह संघ सरकार के वैज्ञानिक विभागों, इन विभागों द्वारा निधिबद्ध स्वायत्त निकायों तथा अनुसंधान विकास एवम् वैज्ञानिक कामकाज में लगे अन्य वैज्ञानिक संगठनों के लेनदेन की नमूना जांच से प्रोद्भूत मामले को सम्मिलित करता है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 28 पैराग्राफ सम्मिलित हैं जिसमें आठ दीर्घ पैराग्राफ भी शामिल हैं।

- विश्वस्तरीय गामा रे प्रेक्षण की गैर स्थापना
- बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलोजी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति न होना
- खनिज तथा सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर की गतिविधिया
- सेंट्रल एलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैराईकुडी द्वारा बैट्रीयों/सैलों की प्रौद्योगिकी विकसित करना तथा उनका वाणिज्यकरण करना।
- केन्द्रीय कांच तथा सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के कार्यकलाप
- बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान की गतिविधियां
- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली का निष्पादन
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में कार्यों का प्रबंधन

इस प्रतिवेदन में उन टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2007.08 में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये थे। पूर्णता की दृष्टि से विगत कुछ वर्षों के के मामले जिनको पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था, उनको जहां भी संगत हुआ, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से मार्च 2007 के बाद के लेन-देन के कुछ मामलों में लेखापरीक्षा के परिणामों को भी जहां सुसंगत हुआ, उल्लेख किया गया है।

विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक (सी एण्ड ए जी/कैंग) का यह प्रतिवेदन/रिपोर्ट भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों/मंत्रालयों के लेन देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सम्मुख आग्र मुद्दों/मसलों से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में 10 अध्याय सम्मिलित है। अध्याय 1 में, इस प्रतिवेदन को तैयार किये जाने के उद्देश्यों को विस्तार से समझाये जाने के साथ साथ लेखापरीक्ष प्रणाली एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं परिणामों की रूपरेखा भी प्रदान करता है। अध्याय ॥ से दस वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान विस्तृत निष्कर्षों/परिणामों को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रतिवेदन की मुख्य विशेषता यह है कि आठ वैज्ञानिक संस्थाओं/योजनाओं की गतिविधियों/कार्यकलापों की समीक्षा, परियोजना प्रबंधन में उनकी दक्षता एवं प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण एवं विकास में सफलता की सीमा/हद का पता लगाने के लिए की गई है।

इस प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में 51 विशिष्ट सिफारिशें/अनुशंसाएँ सम्मिलित हैं, जिनका अनुपालन देश में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों/कार्यकलापों की बेहतर तथा अच्छी शासन प्रणाली/व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

चालू प्रतिवेदन में संबंधित मुख्य अंश के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आते हैं।

- असंतुष्ट प्रबंधन परियोजना, उद्देश्य प्राप्ति करने में असफलता ओर विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण में कम सफलता दर
- कार्य और अनुमान प्रबंधन कार्यों में कमियां
- स्वायत्त संस्थाओं द्वारा किसी उचित अनुमोदन के बिना अपने कर्मचारियों की उच्च लाभ।
- रखरखाव प्रणाली में कमियां।

इस रिपोर्ट में विशेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विहंगावलोकन नीचे वर्णीत है:-

अप्रभावी प्रबंधन परियोजना उद्देश्य प्राप्ति करने में असफलता और विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण में कम असफलता दर।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली की कार्य प्रणाली

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण(सी.जेड.ए.)चिड़ियाघरों के जानवरों की संकटमय/विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एंजसी के स्थान पर अनुदान निर्मुक्त करने वाली एंजसी के रूप में कार्य कर रहा था। सी.जेड.ए. चिड़ियाघरों में प्रजनन कार्यक्रमों तथा जानवरों के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने में विफल रहा। विलुप्त हो रही प्रजातियों की पहचान का कार्य पूरा नहीं हुआ था और पहचानी गई 63 विलुप्त प्रजातियों में से केवल तीन के लिए प्रजनन संरक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया गया था। उच्च मृत्युदर के कारण समस्त देश के चिड़ियाघरों में विलुप्त हो रही प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई थी। चिड़ियाघरों में बहुत संख्या में तेदुंग, स्पॉटिड/सांभा हिरण इत्यादि जैसे जानवरों से अधिक भीड थी जोकि सी.जेड.ए. की मार्गर्दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित जानवरों की संख्या से अधिक थी। सी.जेड.ए. इस बात से अनजान था कि क्या चिड़ियाघरों रखरखाव इत्यादि से संबंधित दिए गए मानकों एवं नियमों का अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए चिड़ियाघरों के जानवरों के

उचित स्वास्थ्य को सुनिश्चितता हेतु चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली की कोई नियमित मॉनीटरिंग नहीं हो रही थी।

(पैरा 6.3)

बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलोजी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

नवीं एवं दसवी योजनाओं दोनों में बोर्ड आफ रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलोजी (ब्रिट/बी.आर.आई.टी.), परियोजना का समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप समय और धन की वृद्धि के साथ-साथ विविध आयामों जैसे: स्वास्थ्य रक्षा, उद्योग, कृषि, अनुसंधान इत्यादि से संबंधित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई/प्राप्ति में देरी हुई। परियोजनाओं की संवीक्षा में शिथिलता पाई गई, जिसके कारण परियोजनाओं के लिये सुनिश्चित किये गये मानकों/लक्ष्यों में भटकाव हुआ। जब 1988 में ब्रिट की स्थापना की गई थी तो वाणिज्यिक ग्राहाता पाना इसके उद्देश्यों में से एक तय किया गया था, जिसकी प्राप्ति हेतु अभी तक प्रयास नहीं हुये हैं।

(पैरा 2.6)

केन्द्रीय कांच तथा सैरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के कार्यकलाप

केन्द्रीय कांच तथा सैरेमिक अनुसंधान (सी.जी.सी.आर.आई.) सरकारी अनुदान पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सका जो अब भी 74 प्रतिशत बनी हुई है। 2003-08 की अवधि तक सी.जी.सी.आर.आई. ने छः तकनीक हस्तांतरित की। इन तकनीकों के हस्तांतरण द्वारा अर्जित प्रीमियम एवं रॉयलटी से इन तकनीकों को विकसित करने में आई लागत की भरपाई नहीं हुई। सी.जी.सी.आर.आई. अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका। सी.जी.सी.आर.आई. के कमजोर परियोजना प्रबंधन के परिणामस्वरूप बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्देश्य अधूरे रह गए।

(पैरा 4.6)

खनिज तथा सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर की गतिविधियां

यद्यपि आई.एम.एम.टी. ने 27 परियोजनाओं से 35 प्रौद्योगिकियां विकसित की लेकिन एक भी प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण तथा वाणिज्यकरण करने में विफल रही। पेटेंटस कराने तथा ई.सी.एफ पैदा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी रही। आन्तरिक परियोजनाओं का परियोजना प्रलेखन कमजोर था। स्मये 29.20 लाख की प्राज्ञ शुल्क फीस तथा सेवाकर कई परियोजनाओं में कम प्रभारित किया गया जो कि आन्तरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है। 26 आयतित उपकरणों के लगाने तथा चालू करने में 6 से 63 महीनों की देरी पाई गई। प्रबन्धन परिषद द्वारा बैठक आवश्यक संख्या की नहीं की गई तथा उच्चस्तर पर निगरानी अपर्याप्त थी।

(पैरा 4.4)

विश्वस्तरीय गामा रे प्रेक्षण की गैर स्थापना

टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीनों के व्यवस्थापन पर स्मये 16.18 करोड़ के खर्च के बावजूद गामा रे खगोल भौतिक के प्रयोगों हेतु विश्वस्तरीय गामा रे वैधशाला, उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित कर पाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया। हालांकि टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीनों की स्थापना, माउंट आबू, राजस्थान में महत्वपूर्ण लागत और अधिक समय लेते हुई की गई थी परन्तु बैस्ट टेलीस्कोप को मंजूरी नहीं दी गई थी

तथा मेस टेलीस्कोप को हेनल, लद्दाख में हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार एक ही स्थान पर चारों दूरबीनों को लगाये जाने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीनों का कम उपयोग किया गया तथा इस परियोजना से आशातीत वाणिज्यिक नतीजे प्रोद्भूत नहीं हो पाये।

(पैरा 2.5)

बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान की गतिविधियां

बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान (बी.एस.आई.पी.) पुरावनस्पति के मौलिक तथा प्रचलित तरीकों से अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित हुई तथा पूर्णतः उन विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम साबित हुई जिनके द्वारा प्रतिभू तथा घरेलू परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता था। दसवीं पंचवर्षीय योजना में उपस्कर क्रय करने की योजना, निधियां होने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाई जो कि सफलता के क्षेत्र में बाधक रही। परियोजनाएं बीच में ही समाप्त करनी पड़ी जो कि निष्फल व्यय का भी कारण बनी। वैज्ञानिक प्रकाशनों का योगदान बहुत ही तुल्य रहा। इसके इलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बी.एस.आई.पी. की विदेशी कम्पनियों से सहयोग की मंजूरी नहीं दी।

(पैरा 5.3)

ग्रामीण वृक्षारोपण परियोजना की विफलता

राष्ट्रीय वृक्षारोपण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की तरफ से अनुचित आयोजना एवं मानीटरिंग के अभाव में संपूर्ण देश में रूपये 5.87 करोड़ की लागत से लगाये जाने वाले पेड़ पौधों का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका जिसकी वजह से परियोजना को संस्वीकृति दिये जाने का उद्देश्य हल नहीं हुआ। मंत्रालय में प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार जनवरी 2009 तक राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा केवल 2.34 6 करोड़ रूपये ही व्यय हो सके थे।

(पैरा 6.1)

सेन्द्रल एलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैराईकुडी द्वारा बैट्टीयों/सैलों की प्रौद्योगिकी विकसित करना तथा उनका वाणिज्यकरण करना।

उद्योगों से मांग न आने तथा विकसित प्रौद्योगिकी में खामियां होने की वजह से शोध तथा विकास कार्यक्रम के नौ शाखाओं में विकसित प्रौद्योगिकी/विधियां उद्योगिकियों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका जिससे सेन्द्रल एलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रूपये 3.72 करोड़ व्यय का निष्फल गया।

(पैरा 4.5)

ग्राम संचार के लिए ब्रॉडबैंड पहुंच प्रणाली का अवाणिज्यिकरण

प्रभावी लागत के अध्ययन के बिना परियोजना को कार्यान्वित करने से ग्राम संचार के लिए कम लागत वाली ब्रॉडबैंड पहुंच प्रणाली देने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जिससे रूपये 1.31 करोड़ का व्यर्थ खर्च हुआ।

(पैरा 3.2)

कार्यों और अनुमान प्रबंधन में कमियां

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में कार्यों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) में वर्ष 2002-08 की अवधि के दौरान रूपये 160.48 करोड़ मूल्य के 20 पूंजीगत निष्पादित कार्यों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एम.आर ने अनियमित रूप से 9714 वर्ग मी. जमीन एक निजी गृह समिति को बहुत कम दर पर हस्तांतरित की, जिससे स्वार्थ का विवाद होने के अतिरिक्त गृह समिति के सदस्यों को रूपये 22.82 करोड़ का अदेय लाभ भी प्रदान किया। आई.सी.एम.आर द्वारा अनुमोदन में और निधियों के विमोचन में देरी के परिणामस्वरूप 13 वर्षों तक भी कार्य शुरू नहीं हुये और लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के अतिरिक्त 30.94 करोड़ रूपये की लागत में वृद्धि हुई। कार्यों में शुरू करने के निर्वर्यों में देरी और पेनल्टी के भुगतान के परिणामतः 9 कार्यों में 21.82 करोड़ रूप का निरुद्ध और बेकार व्यय पाया गया। आई.सी.एम.आर में अपने संस्थानों द्वारा किये गये व्यय की आवधिक समीक्षा करने के लिये पर्याप्त बजट और वित्तीय नियंत्रण तंत्र प्रणाली नहीं थी। आई.सी.एम. आर में कार्यों की प्रगति और अपने संस्थानों को दिये गये अग्रिमों के समायोजन और इस तरह निर्धारित मूल्य के भीतर कार्यों का समयपूर्वक समापन-सुनिश्चित करने के लिये तंत्र प्रणाली नहीं थी।

(पैरा 10.1)

अनुबंध की समाप्ति/वार्ता न करने के कारण 1.84 करोड़ रूपये का नुकसान

डी.ए.ई. का, भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सुसंगत खंड के अंतर्गत किए गए अनुबंध लीज को बातचीत/समाप्त करने में विफलता के कारण रूपए 1.84 करोड़ की राजस्व हानि।

(पैरा 2.2)

भूमि अधिग्रहण पर पट्टा संधि को अंतिम रूप न देने के कारण निष्फल व्यय

प्रगतिशील संगणना विकास केन्द्र द्वारा वैद्यता अवधि के दौरान पट्टा संधि का अंतिम रूप निश्चित करने में असफलता और पट्टा संधि पर हस्ताक्षर किए बिना पूणे नगर निगम परिषद (पी.एम.सी.) को भुगतान करने के परिणामस्वरूप जमीन के प्रीमियम के रूप में भुगतान किये गये 72.06 लाख रूपये और प्रतिभूति पर व्यय हुये 16.18 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ। निर्माण गतिविधियों के शुरू न होने के कारण सी-डेक को रू.45.64 लाख की राशि के ब्याज की हानि भी हुई क्योंकि पी.एम.सी. को दिया गया प्रीमियम बेकार रहा।

(पैरा 3.3)

लेखापरीक्षा के कहने पर देय की वसूली

राष्ट्रीय महासागर संस्थान, गोआ में किराया एवं विद्युत प्रभारों इत्यादि की वसूली में निष्क्रियता के परिणामतः 17 सालों से अधिक के लिए रूपये 47.71 लाख की राशि का संचय हुआ जिसमें से लेखापरीक्षा के कहने पर रूपये 31.53 लाख की वसूली की गई थी।

(पैरा 4.2)

बिना मांग के आवासीय मकानों एवं छात्रावास ईकाईयों का निर्माण

9.32 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय मकानों एवं छात्रावास का निर्माण कराने के बावजूद भी, इनकी मांग न होने के कारण मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान हेतु राष्ट्रीय केन्द्र इन मकानों का आबंटन नहीं कर सका

(पैरा 7.1)

स्वायत्त संस्थानों द्वारा किसी उचित अनुमोदन के बिना अपने कर्मचारियों को उच्च लाभ।

वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना टाटा मैमोरियल केन्द्र में डॉक्टरों के लिये उदारीकृत योजना को लागू करना

टाटा मैमोरियल सैन्टर, परमाणु ऊर्जा विभाग के अर्न्तगत एक स्वायत्त निकाय है जो सरकार से अपने व्यय के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुदान प्राप्त कर रहा है? सैन्टर ने एक निजी प्रैक्टिस योजना लागू की, जिसमें डॉक्टरों को गैर प्रैक्टिस भत्ते के एवज में अस्पताल की आय में से 40 से 45 प्रतिशत तक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति दी गई। यह योजना अन्य विभागों की सहमति लिये बिना या मंत्रिमंडल/वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक अनुमोदनों के बिना टी.एम.सी. द्वारा डॉक्टरों को 27.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार की कोई भी योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणधीन किसी भी स्वायत्त निकायों/उत्कृष्ट केन्द्रों जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इत्यादि में लागू नहीं की गई थी।

(पैरा 2.1)

वेतनमानों के चयनात्मक लागू करने से व्यय की वृद्धि

बोस संस्थान में शैक्षिक स्टाफ के लिए वेतनमान तथा भत्तों के चयनात्मक लागू करने से वित्त मंत्रालय की सलाह के बिना 30 शैक्षिक स्टाफ पर रुपये 51.01 लाख की व्यय में वृद्धि

(पैरा 5.2)

परिवहन भत्ते का अस्वीकार्य भुगतान

वित्त मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृति परिवहन भत्ते से रुपये 67.66 लाख का अस्वीकार्य परिवहन भत्ते का भुगतान हुआ

(पैरा 6.2)

क्रय प्रणाली में कमियां

उपकरण का स्थापित नहीं होना

उसी उपकरण को स्थापित करने के लिए सर्विस इंजीनियर द्वारा किए गए प्रयत्नों की असफलता के बाद भी जी.एस.आई./सी.सी.एल. द्वारा उपकरण को नहीं बदलने के परिणामस्वरूप उस पर रुपये 41.12 लाख का भुगतान करने के बावजूद वह उपकरण तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निष्प्रयोज्य रहा।

(पैरा 8.1)

अधिक खरीद से परिहार्य व्यय

आई.ए.आर.आई. ने केवल एक गैस तरल क्रोमेटोग्राफ (जी.सी.) के बदले तीन खरीदे। इस प्रकार, दो अतिरिक्त जी.सी. की खरीद पर 25.92 लाख रुपये का व्यय परिहार्य था।

(पैरा 9.1)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत सरकार के वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.), अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ओ.एस.टी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग(डी.आई.टी.), भू-विज्ञान मंत्रालय(एम.ओ.ई.एस.) इत्यादि के सव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाई के व्यय, प्राप्तियों, संपत्तियों और देनदारियों से संबंधित सव्यवहारों की जाँच के संदर्भ में यह सुनिश्चित करती है कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को संसद के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार रिपोर्टिंग का सामग्री स्तर सव्यवहारों की प्रकृति, मात्रा और महत्व के अनुरूप होगा। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी सुधार कार्यों के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को लागू करने में समर्थ हो जो कि संगठनों के सुधरे हुये वित्तीय प्रबंधन को पेश करें, इस प्रकार अच्छे शासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अलावा, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के व्यय का संक्षेप विश्लेषण, स्वायत्त निकायों के लेखों में महत्वपूर्ण कमियाँ, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति, विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति, न वसूल होने वाली देयतायें, जिन्हें अपलिखित/व्यक्त किया गया हो और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की एक रूपरेखा है। अध्याय 2 से 10 वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न जाँचें/टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रणों इत्यादि की वर्तमान प्रणाली में कमियों को लम्बे पैराग्राफों के माध्यम से इस प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों का परोफाईल

भारत सरकार के वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों और उनके नियंत्रणधीन कुछ मुख्य यूनिटों/स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान निदेशक, वैज्ञानिक विभागों द्वारा की जाती है, के एक संक्षिप्त परोफाईल की चर्चा **परिशिष्ट-1** में की गई है।

वर्ष 2007-08 और इससे पिछले दो वर्षों के दौरान मुख्य वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है।

(रूपये करोड़ों में)

तालिका-1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	2005-06	2006-07	2007-08
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग	5544.93	8057.96	6010.98
2.	अंतरिक्ष विभाग	2667.60	2988.67	3278.00

3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन)	1446.74	1924.25	2209.88
4.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1254.52	1371.31	1583.24
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1414.91	1158.22	1514.93
6.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1470.10	1486.43	1892.55
7.	नवी एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	303.89	385.59	485.15
8.	भारतीय भू सवेक्षण (खनन मंत्रालय के अधीन)	311.26	268.71	308.91
9.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	916.13	1091.70	1295.26
10.	जीव विज्ञान तकनीकी विभाग	400.91	507.10	636.62
11.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन)	365.00	445.44	311.65
12.	भू विज्ञान मंत्रालय	270.77	510.85	562.84
13.	टेलिमेटिक्स विकास केन्द्र (दूरसंचार विभाग के अधीन)	75.12	82.00	131.89
योग		16441.88	20278.23	20221.90
प्रतिशत बढ़त/घटत		3.66¹	23.33	(-)0.28

वर्ष 2007-08 के दौरान भारत सरकार के ऊपर वर्णित वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय 20,221.90 करोड़ रुपये था। कुल व्यय में से, 6010.98 करोड़ रुपये (29.73 प्रतिशत) आणविक ऊर्जा विभाग से और 3278 करोड़ रुपये (16.21 प्रतिशत) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित थे।

यद्यपि 2005-06 की अपेक्षा 2006-07 के दौरान वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के व्यय में 23.33 प्रतिशत की एक महत्वपूर्ण बढ़त थी, 2006-07 की अपेक्षा 2007-08 के दौरान व्यय में 0.28 प्रतिशत की एक मामूली कमी देखी गई। ऐसा मुख्यतः आणविक ऊर्जा विभाग के व्यय में 25.40 प्रतिशत की भारी कमी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के व्यय में 30.04 प्रतिशत की भारी कमी के कारण हुआ।

1.3 लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 से और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम, 1971 (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) से लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि. एवं म.ले.प.) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 13² के अर्न्तगत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि. एवं म.ले.प.) वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के अधीन 9 स्वायत्त निकायों जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि. एवं म.ले.प.) (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19 (2)³ एवं 20 (1)⁴ के अर्न्तगत की जाती है, का एकमात्र लेखापरीक्षक है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि. एवं म.ले.प.) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि. एवं म.ले.प.) (डी.पी.सी.- अधिनियम की

¹ प्रतिशतता वृद्धि 2004-05 के रूपए 15860.84 करोड़ के खर्च के आधार पर निकाली गई है।

² (i) भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय (ii) आकस्मिक निधि तथा जन लेखों से संबंधित सभी लेन देन (iii) सभी व्यापारिक उत्पादिक, लाभ तथा हानि लेखे, बेलेंस शीट्स तथा अन्य प्रारम्भिक लेखों की लेखापरीक्षा करना

³ निगमों (जो कि कम्पनियां नहीं हैं) के लेखों जो कि संसद के, कानून द्वारा या सम्बंधित विधान के प्रावधानों द्वारा स्थापित किये गये हो कि लेखापरीक्षा करना।

⁴ राष्ट्रपति की प्रार्थना पर किसी प्राधिकरण अथवा निजा ईकाई की लेखा परीक्षा उन शर्तों पर करना जो सरकार तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा तय की गई हो,

धाराएं 14⁵ एवं 15⁶ के अर्न्तगत 62 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी करता है, जिन्हें पर्याप्त रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त प्राप्त होता है और जिनकी प्रथम लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिये सिद्धांत और पद्धतियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि.एवं म.ल.प.) द्वारा 2007 में जारी, लेखापरीक्षा और लेखों के नियमनों में निर्धारित है।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना और आचरण

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया मंत्रालय/विभाग/संगठन के जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर जो कि किये गये व्यय, क्रियाकलापों की करीटकलटी, जटिलता, प्रत्योजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन और सटेकहोल्डरज की रूची से शुरू होती है। पिछली लेखा परीक्षा जाँचों को भी इस कार्यवाही में शामिल किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और विस्तार का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिये एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को रूप दिया जाता है।

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा के पश्चात, लेखापरीक्षा जाँचों को सम्मिलित करते हुये निरीक्षण प्रतिवेदनों को ईकाई के मुखिया को जारी किया जाता है। ईकाईयों को एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा जाँचों के उत्तर देने के लिये निवेदन किया जाता है। जिनके उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, लेखापरीक्षा जाँचों को या तो तय कर दिया जाता है या अनुपालन के लिये आगे की कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से निकली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अर्न्तगत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है।

2007-08 के दौरान, वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की 536 ईकाईयों में से 265 ईकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिये 3672 लेखापरीक्षा पार्टी दिन प्रयोग किये गये। हमारी लेखापरीक्षा योजना में उन ईकाईयों/एनटीटीज को लिया गया था, जो हमारे मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिम से सुभेद्य थी।

1.5 कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभागों का संगठनात्मक ढाँचा

नि.एवं म.ल.प. के निर्देशों के अर्न्तगत कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन स्वायत्त संस्थानों की लेखापरीक्षा करता है। वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के अधीन 536 ईकाईयों हैं, जो संपूर्ण भारत में फैली हुई हैं। तीन शाखा कार्यालय जो कि मुम्बई, कोलकता और बेंगलौर और एक उप-कार्यालय जो कि चैन्नई में स्थित है, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली को क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा करने में सहायता करते हैं।

वैज्ञानिक लेखापरीक्षा कार्यालयों की स्थिति



⁵ (i) भारत की संचित निधियों से जारी की गई सहायता राशि या कर्जों से फिनानसड किसी ईकाई/प्राधिकरण के प्राप्ति तथा खर्च के लेखों की. (ii) भारत की संचित निधि से एक वित्त वर्ष में किसी ईकाई/प्राधिकरण को जारी किए एक करोड़ से अधिक राशि के कर्ज अथवा सहायता राशि के लेखों की प्राप्ति एवं खर्च की लेखापरीक्षा करना।

⁶ भारत की संचित निधि से किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी प्राधिकरण या ईकाई को जारी की गई कर्ज अथवा सहायता राशि की लेखापरीक्षा करना, उस प्रणाली की जांच करना जिसके तहत मंजूर करने वाली प्राधिकारी अपने आप को उन शर्तों की पालन के संबन्ध में सन्तुष्ट करती है जिसके अंतर्गत सहायता राशि या कर्ज मंजूर किए थे।

1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने समीक्षात्मक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जो कि वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्यों की प्रभावकारिता पर असर डालती है। सुधार कार्य की आवश्यकता वाले संबद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं:

- अकुशल परियोजना प्रबंधन, उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता और विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यकरण की कम सफलता दर;
- क्रय प्रणाली में कमियाँ;
- कार्यों के निष्पादन और संपत्ति प्रबंधन में कमियाँ; और
- स्वायत्त संगठनों द्वारा आवश्यक अनुमोदनों के बिना अपने कर्मचारियों को उच्च लाभ के लिये प्रधिकृत करना।

1.6.1 अकुशल परियोजना प्रबंधन, उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफलता और विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण की कम सफलता दर

अधिकांश महत्वपूर्ण कमियों में से एक, जो कि लेखापरीक्षा इंगित कर रहा है, वह वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा परियोजना प्रस्तावों में स्वयं तय किये गये परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफलता है। यह विषय विशेषतया महत्वपूर्ण है, क्योंकि परियोजनायें स्पष्ट रूप से तय किये गये सौंपने योग्य दोनों शुद्ध के साथ-साथ एप्लाइड वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में ली जाती है। जब कि हम तथ्य को स्वीकार करते हैं कि वैज्ञानिक प्रयत्नों की सफलता को प्रतिपाद्य नहीं किया जा सकता, इंगित की गई कमियाँ मुख्य रूप से बुरे परियोजना प्रबंधन का परिणाम है, जो कि इन संस्थानों के पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक संस्थान उनके द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिकरण के लिए पर्याप्त रूप से वाणिज्यिकृत कराने में समर्थ नहीं है यह इंगित करता है कि या तो वाणिज्यिकरण के लिये प्रौद्योगिकी का चयन बाजार मूल्यांकन पर आधारित नहीं था या विकसित प्रौद्योगिकी पिछड़ी हुई है। ऐसा मानने का महत्व है क्योंकि इन संस्थानों में स्वयं सामर्थ्य और आन्तरिक राजस्व उत्पन्न करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक संस्थानों में पाई गई दूसरी समस्या कमजोर परियोजना प्रणाली एवं कमजोर अनुसंधान कार्यवाहियां हैं। 2007 और 2008 में संसद में प्रस्तुत की गई सी.एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदनों में टेलिमेटिक्स के विकास केन्द्र⁷ (सी-डॉट) और राष्ट्रीय ऐरोस्पेस प्रयोगशालाओं⁸ (एन.ए.एल) द्वारा अकुशल परियोजना प्रबंधन और प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण करने और वाणिज्यिकरण की कम सफलता जैसे गंभीर विषयों को प्रस्तुत किया था। सी-डॉट की प्रौद्योगिकियों के विकास, हस्तांतरण और वाणिज्यिकरण की उल्लेखनीय सफलता के आभाव में, यह अनुशंसा की गई थी कि सी-डॉट की संबद्धता को आज की वैश्विक प्रतियोगी स्पर्धा में दूरसंचार विभाग द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता है। देश की मुख्य ऐरोस्पेस प्रयोगशाला, एन.ए.एल. की प्रौद्योगिकियों के विकास, हस्तांतरण और वाणिज्यिकरण में सफलता कम थी।

वर्तमान प्रतिवेदन में भी दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों के कार्यों की समीक्षा की गई है और नोट किया कि इन संस्थानों में भी कई समरूप विषयों और समस्याओं का सामना किया गया, जिनमें सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन संस्थानों से कुछ जिनका उद्देश्यों की प्राप्ति में बुरा ट्रैक रिकार्ड/प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण में कम सफलता है, वे रेडियेशन और आइसोटोप टेक्नोलोजी बोर्ड (पैराग्राफ 2.6), बीरबल साहनी पेलियोबेटेनी संस्थान (पैराग्राफ 5.3), केन्द्रीय वन्य प्राणी प्राधिकरण (पैराग्राफ 6.3) मिनरलस एवं मैटिरीयल टेक्नोलोजी संस्थान (पैराग्राफ 4.4), केन्द्रीय ग्लास एवं

⁷ 2007 की रिपोर्ट सं.2 - पी.ए. का पैरा नं.1

⁸ 2008 की रिपोर्ट सं.2 पी.ए. का पैरा नं.1

सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (पैराग्राफ 4.6), केन्द्रीय इलैक्ट्रो रसायन अनुसंधान संस्थान (पैराग्राफ 4.5), उन्नत संगणना विकास केन्द्र (पैराग्राफ 3.1 और 3.2) इत्यादि हैं।

1.6.2 क्रय प्रणालियों में कमियाँ

वैज्ञानिक मंत्रालय/विभाग/संगठन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता के लिये अपने बजट का एक महत्वपूर्ण भाग स्टोर्स और उपस्कर के क्रय में खर्च करते हैं। इन विभागों में से कुछ जैसे परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के दूसरे मंत्रालयों/विभागों की तुलना में स्टोर्स और उपस्कर के क्रय में विस्तृत वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हैं।

अक्टूबर 2008 में संसद में प्रस्तुत किये गये सी.एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदन⁹ में अंतरिक्ष विभाग में स्टोर्स के क्रय पर एक विस्तृत समीक्षा को सम्मिलित किया गया, जिसमें क्रय योजना और संविदा प्रबंधन जैसे आवश्यकता का ठीक मूल्यांकन न करना, पारदर्शिता और प्रतियोगिता की कमी, क्रय प्रक्रिया में अधिक समय, संविदाओं का चयन और अवार्ड करने में वास्तुनिष्ठता की कमी, उपस्कर को लगाने में देरी, रद्द वस्तुओं को न बदलना इत्यादि गंभीर कमियों को विशेष रूप से दर्शाया गया है। इसी प्रकार की कमियाँ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिये उपस्कर के क्रय में भी पाई गई थी, जैसा कि सी.एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदन¹⁰ में प्रस्तुत किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन भी विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों¹¹ में क्रय प्रणालियों में कमियों के उदाहरणों को इंगित करती है।

संबद्ध मंत्रालयों को वैज्ञानिक मंत्रालयों/संगठनों में क्रय पद्धतियों/व्यवहारों की समीक्षा और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता (i) वैज्ञानिक उपस्कर एवं स्टोर्स की आवश्यकता के शुद्ध मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिये (ii) ज्यादा पारदर्शिता और क्रय में पैसे के लिये मूल्य प्राप्त करने के लिये प्रभावी प्रतियोगिता लाने के लिये (iii) निविदा प्रक्रिया में कम से कम देरी (iv) वांछित क्वालिटी के स्टोर्स/उपस्कर का समयपूर्वक वितरण और उनके तुरन्त संस्थापन/प्राप्त करने के लिये कुशल संविदा के बाद के प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।

1.6.3 कार्यों के निष्पादन में और संपत्ति प्रबंधन में कमियाँ

वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में से कई जैसे कि डी.ए.ई., डी.ओ.एस., एम.ओ.ई.एफ., आई.सी.एम.आर., सी.एस.आई.आर. इत्यादि का उनकी आवश्यकताओं के अनुसूचित कार्य परियोजनाओं के निष्पादन के लिये अपनी समर्पित कार्य स्थापना है। हाल ही के वर्षों में हमारे प्रतिवेदनों में बार-बार कार्यों के दोषपूर्ण निष्पादन के मामलों को और अनुचित संपत्ति प्रबंधन, विशेषतया भूमि एवं भवन से संबंधित मामलों को इंगित किया गया है। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता द्वारा निर्मित भारी संख्या फ्लैट कब्जा रहित¹² रहें, उष्णीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में भी बिना पर्याप्त मांग¹³ के एक स्कॉलर ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण किया। सौर ऊर्जा केन्द्र, गुडगांव¹⁴ के प्रशासनिक और तकनीकी खंड में 20 से भी ज्यादा कमरे 1991 से खाली पड़े थे। यह उदाहरण स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में, समर्पित

⁹ 2008 की रिपोर्ट सं.2 पी.ए. का पैरा नं.2

¹⁰ 2007 की रिपोर्ट सं. 2 पी.ए. का पैरा नं.3

¹¹ पैरा नं. 4.4.2.5, 4.4.2.6, 4.4.2.7, 5.3.2.1, 8.1 और 9.1

¹² 2008 की रिपोर्ट सं. सी.ए.3 का पैरा 2.4

¹³ 2008 की रिपोर्ट सं. सी.ए.3 का पैरा 6.1

¹⁴ 2008 की रिपोर्ट सं. सी.ए.3 का पैरा 8.10

कार्य स्थापना होने के बावजूद, कार्यालय स्थान और निवास स्थान की आवश्यकता का सही मूल्यांकन नहीं किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद¹⁵ में कार्यों के प्रबंधन की जाँचों में कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियों जिसमें अनुचित योजना, भवनों का निर्माण न होना/देरी से होने के परिणामतः समय और लागत अधिक होना, बेकार व्यय और बहुत कम दर पर एक निजी गृह समिति को सरकारी भूमि को हस्तांतरित करने के परिणामस्वरूप दावों पर विवाद के अतिरिक्त गृह समिति के सदस्यों को अनुचित लाभ को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा, वर्तमान प्रतिवेदन में वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा अनुचित संपत्ति प्रबन्धन के कई उदाहरण भी शामिल¹⁶ है।

1.6.4 स्वायत्त संस्थानों द्वारा आवश्यक अनुमोदनों के बिना अपने कर्मचारियों को उच्च लाभ प्राधिकृत करना।

वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के अर्न्तगत अधिकांश स्वायत्त निकाय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों से मुख्यतः वित्त पोषित है। उनके आंतरिक राजस्व उत्पन्न करने के प्रयत्नों में वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुये है और कई मामलों में, उनकी सरकारी वित्तों पर निर्भरता वर्षों से बढ़ती जा रही है। वित्तीय सहायता के लिये सरकार पर ऐसी निर्भरता के बावजूद, इन संस्थानों में समरूप स्थित व्यवसायों की तुलना में, ज्यादा उच्च लाभ प्रदान करने के उदाहरण बढ़ रहे है। ये लाभ अनियमित रूप से, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना, दिए गए जिसके कारण केन्द्रीय राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाला जा रहा है।

2008 में संसद में प्रस्तुत की गई सी.एण्ड ए.जी. के प्रतिवेदन में भारतीय खेती विज्ञान संघ, जादवपुर¹⁷ द्वारा शैक्षिक स्टाफ को ज्यादा वेतन/भत्ते और सेवानिवृत्त लाभ, उनकी सेवा को अनियमित रूप से 65 वर्षों तक बढ़ाते हुये, प्रदान करने को टिप्पण किया गया था। वर्तमान प्रतिवेदन में भी तीन ऐसे मामलों¹⁸, स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को, सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक अनुमोदनों के बिना, वित्तीय लाभ देने के बारे में विवरण किये गये हैं।

टाटा मैमोरियल केन्द्र, मुम्बई ने वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, निजी प्रैक्टिस योजना के अर्न्तगत, चिकित्सा अधिकारियों को उनके सामान्य वेतन एवं भत्ते के अतिरिक्त अस्पताल की आय में से 45 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करते हुये, पर्याप्त रूप से लाभों को बढ़ा दिया (पैराग्राफ 2.1)। ऐसी कोई योजना भारत के दूसरे मुख्य सरकारी संस्थानों में लागू नहीं है। दूसरे मामलों में, बोस संस्थान, कोलकत्ता ने यू.जी.सी. मार्गदर्शिताओं का उल्लंघन करते हुये और वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, अपने शैक्षिक स्टाफ को जल्दी तरक्की प्रदान करते हुये अदेय वित्तीय लाभ विस्तृत किया। (पैराग्राफ 5.2)

स्वायत्त संस्थानों द्वारा उच्च लाभ प्रदान करने के ऐसे उदाहरणों की संबद्ध मंत्रालयों की समीक्षा असुनिश्चित करते हुये कि इसके अनुमोदन के बिना सरकारी राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा, करनी चाहिये।

पाँच वर्षों में वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा से ली गई ब्यौरेबार विशिष्ट लेखापरीक्षा जाँचे **परिशिष्ट-1 ए** में तालिकाबद्ध की गई है। वर्तमान प्रतिवेदन में 47 परियोजनाओं/योजनाओं जिन पर लेखापरीक्षा में टिप्पणियाँ की है, को **परिशिष्ट-1** में

¹⁵ पैरा 10.1

¹⁶ पैरा 2.2, 3.3, 4.2 और 7.1

¹⁷ 2008 की सी.ए. नं. 3 का पैरा 5.2

¹⁸ पैरा 2.1, 5.2 और 6.2

शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में 51 विशिष्ट अनुशंसायें भी हैं, जिनकी अनुपालना देश में अच्छे शासन को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान क्रियाकलापों पर अच्छे पर्यवेक्षण के बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। हम मंत्रालयों/विभागों पर इन अनुशंसाओं की जानकारी लेने और उन्हें एक समयबद्ध तरीके से प्रेषित करने का दबाव डालते हैं।

1.7 बजट और व्यय नियंत्रण

वैज्ञानिक विभागों/मुख्य वैज्ञानिक संगठनों के संबंध में 2007-08 के विनियोजन लेखों को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

तालिका II

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	अनुदान/विनियोजन (पूरक को सम्मिलित करते हुये)	व्यय	(-) अव्यचित प्रावधान/ (+) अधिक	अव्यचित प्रावधान का प्रतिशत
1.	आणविक ऊर्जा विभाग	8492.32	6010.98	(-) 2481.34	29.22
2.	अंतरिक्ष विभाग	3858.80	3278.00	(-) 580.80	15.05
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन)	2230.43	2209.88	(-) 20.55	0.92
4.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1639.28	1583.24	(-) 56.04	3.42
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1789.26	1514.93	(-) 274.33	15.33
6.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1902.22	1892.55	(-) 9.67	0.51
7.	नवी एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	632.92	485.15	(-) 147.77	23.33
8.	भारतीय भू-सर्वेक्षण (खनन मंत्रालय के अधीन)	341.77	308.91	(-) 32.86	9.61
9.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1536.02	1295.26	(-) 240.76	15.67
10.	बायोटेक्नोलीजी विभाग	703.00	636.62	(-) 66.38	9.44
11.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन)	311.65	311.65	Nil	Nil
12.	भू विभाग मंत्रालय	888.14	562.84	(-) 325.30	36.63
13.	टैलीमेटिक्स विकास केन्द्र (दूरसंचार विभाग के अधीन)	96.00	131.89	(+) 35.89	
	कुल योग	24421.81	20221.90	4199.91	17.20

24,421,81 करोड़ रुपये के बजट आबंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक विभागों का संपूर्ण अव्यचित शेष 4199.91 करोड़ रुपये था, जो कि कुल अनुदान/विनियोजन का 17.20 प्रतिशत बनता है। आणविक ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और भू विज्ञान मंत्रालय की बचत क्रमशः 2481.34 करोड़ रुपये (29.22 प्रतिशत), 580.30 करोड़ रुपये (15.05) प्रतिशत और 325.30 करोड़ रुपये (36.63 प्रतिशत) थी।

वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों में बजट एवं व्यय नियंत्रण हमेशा ही एक चिन्ता का क्षेत्र रहे हैं, जिन्हें ध्यान देने और नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2007-08 की सी.एण्ड ए.जी. प्रतिवेदन संख्या सी.ए.-13 के

अध्याय-7 एवं 8 में इन क्षेत्रों में से कुछ का वर्णन है, जिनको संक्षिप्त रूप से नीचे दोहराया गया है।

1.7.1 व्यय की तीव्रता

ऐसा देखा गया है कि विभिन्न मुख्य शीर्षों के अर्न्तगत सहायता अनुदानों वितरण का एक मुख्य भाग एम.ओ.ई.एस एण्ड डी.एस.टी (प्रत्येक 3 मुख्य शीर्षों) एम.एन.आर.ई., डी.ए.ई., और डी.ओ.एस. (प्रत्येक 2 मुख्य शीर्ष) और एम.ओ.ई.एफ. (एक मुख्य शीर्ष) वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही/मार्च 2008 के महीने में किया गया। इन मुख्य शीर्षों की अन्तिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता 34 से 100 प्रतिशत के बीच और मार्च के महीने में, यह 17 से 100 प्रतिशत थी।

एम.ओ.ई.एस. और डी.एस.टी. ने सारी निधियों वित्तीय वर्ष 2007-08 की अन्तिम तिमाही के दौरान मुख्य शीर्षों 5425 "अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजी व्यय" और 3601 "राज्य सरकारों को सहायता अनुदान" के अर्न्तगत निर्मुक्त की। यद्यपि मार्च में विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त की गई निधियाँ निर्मित रूप से वर्ष के दौरान, जो कि मार्च के अन्तिम दिन को खत्म हो जाता है, खर्च नहीं किया जा सकता। इस निष्कर्ष पर पहुँचना मुश्किल है कि क्या इन निधियों को उस उद्देश्य के लिये लागू किया गया, जिसके लिये वे प्राधिकृत थी।

1.7.2 उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

वेतन एवं लेखा अधिकारी किसी उप-शीर्ष या प्राथमिक ईकाई के अर्न्तगत बजट आंबटन से अधिक भुगतान, अनुदान नियंत्रण करने वाले विभाग के प्रमुख से यह आश्वासन प्राप्त होने पर कि आवश्यक निधियों को वितरण के अनुकूल करने के लिये पुनर्विनियोजन आदेश इत्यादि जारी करके किया जाएगा, ही किया जा सकता है। वर्ष 2007-08 के शीर्ष वार विनियोजन लेखों में यह देखा गया कि एम.ओ.ई.एस, एम.ओ.ई.एफ. और डी.बी.टी. (एक करोड़ रुपये और ज्यादा) में संबंधित उप शीर्ष के अर्न्तगत उपलब्ध प्रावधानों में व्यय अधिक हो गया था, संबंधित अनुदान/विनियोजन प्रशासित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अन्तिम अधिक व्यय को अनुकूल करने के लिये पुनर्विनियोजन आदेश जारी नहीं किये गये, जो बजट नियंत्रण में कमी को इंगित करता है।

1.7.3 रुपये 100 करोड़ या ज्यादा का अव्यचित प्रावधान

एक अनुदान या विनियोजन में अव्यचित प्रावधान या तो निकृष्ट बजट या निष्पादन में कमी या दोनों की ओर इंगित करते हैं। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का अव्यचित प्रावधान, जिसमें लोक लेखा समिति को एक विस्तृत टिप्पणी की आवश्यकता है वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व शीर्षों के अर्न्तगत डी.ए.ई., डी.आई.टी., एम.एन.आर.ई. और डी.एस.टी. में और पूँजी शीर्षों के अर्न्तगत डी.ए.ई., एम.ओ.ई.एस. और डी.ओ.एस. में पाये गये। अव्यचित प्रावधान 139.67 करोड़ रुपये से 1241.01 करोड़ रुपये के बीच थे।

पिछले तीन वर्षों (2005-08) के दौरान राजस्व शीर्ष के अर्न्तगत डी.ए.ई., एम.एन.आर.ई., डी.एस.टी. और डी.ओ.एस. में और पूँजी शीर्ष के अर्न्तगत डी.ए.ई. में 100 करोड़ रुपये और ज्यादा की लगातार हो रही बचतें देखी गईं। 2005-06 की तुलना में, बचतें डी.एस.टी. और डी.ए.ई. के मामलों में 2007-08 में बढ़ गईं। दो करोड़ रुपये और ज्यादा की बचतें, जो कि बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से भी ज्यादा बनती हैं डी.ए.ई., एम.ओ.ई.एस., एम.एन.आर.ई. और डी.ओ.एस. के विभिन्न उप-शीर्षों में देखी गईं, अव्यचित प्रावधान 100 प्रतिशत तक रहा। यह बजट में कमी की ओर इंगित करता है और लक्ष्यों के पूरा न होने का संकेत भी हो सकता है।

1.7.4 अनावश्यक पूरक अनुदान

डी.बी.टी. (राजस्व-भारित) और डी.एस.टी. (पूजी-भारित) में देखा गया कि 8.30 करोड़ रुपये और 1.95 करोड़ रुपये की पूरक अनुदान लेने के बावजूद, ये दो विभाग क्रमशः 694.70 करोड़ रुपये और 73.90 करोड़ रुपये का मूल प्रावधान खर्च करने में असमर्थ रहे। 66.38 करोड़ (डी.बी.टी.) और 3.26 करोड़ रुपये (डी.एस.टी.) का अव्यचित प्रावधान इंगित करता है कि पूरक प्रावधान की सारी राशि अनावश्यक थी।

1.8 स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा

सी.एण्ड ए.जी. 9 स्वायत्त निकायों (परिशिष्ट-II में वर्णित) का एकमात्र लेखापरीक्षक है, जिनकी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अर्न्तगत उनके लेखों के आधार पर तैयार की जाती है। 2007-08 में इन स्वायत्त निकायों को कुल अनुदान 4678.39 करोड़ रुपये जारी की गई। उसके अतिरिक्त, सी.एण्ड ए.जी. सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व धारा 15 के अर्न्तगत 62 अन्य स्वायत्त निकायों की पूरक/अध्यारोपित लेखापरीक्षा भी करता है। 2007-08 के दौरान इन स्वायत्त निकायों को कुल अनुदान 1774.72 करोड़ रुपये जारी की गई, जिनका वर्णन **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

1.8.1 लेखों की प्रस्तुति में देरी

हाऊस की टेबल पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर समिति ने अपनी 1975-76 की पहली रिपोर्ट (पांचवी लोक सभा) में अनुशंसा की थी कि लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को तीन महीने की अवधि के भीतर अपने लेखे पूरे कर लेने चाहिये और उन्हें लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध करना चाहिये और लेखा वर्ष के समापन पर नौ महीनों के अन्दर संसद के समक्ष रिपोर्टें और लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने चाहिये।

जबकि 2005-06 वर्ष के लिये, केवल दो स्वायत्त निकायों ने अपने लेखे निर्धारित समयविधि के तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत किये, वर्ष 2006-07 के लिये, 9 में से 5 स्वायत्त निकायों ने लेखों वर्ष की समाप्ति पर तीन महीनों की निर्धारित समयविधि में लेखापरीक्षा के लिये अपने लेखे उपलब्ध कराये। वर्ष 2006-07 के लेखों की प्रस्तुति की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

तालिका III

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्ताव करने की तिथि	एक महीने से ज्यादा लेखे प्रस्तुत करने में देरी (महीनों में)
1.	भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून	06.11.2007	चार महीनों से ज्यादा
2.	केन्द्रीय वन्य प्राणी प्राधिकरण, नई दिल्ली	03.07.2007	शून्य
3.	श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तिरुवनथापुरम	17.10.2007	तीन महाने से ज्यादा
4.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	17.08.2007	एक महीने से ज्यादा
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	02.07.2007	शून्य
6.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	18.07.2007	शून्य
7.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	03.07.2007	शून्य
8.	राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण चैन्नई	08.08.2007	एक महीने से ज्यादा

तालिका III

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्ताव करने की तिथि	एक महीने से ज्यादा लेखे प्रस्तुत करने में देरी (महीनों में)
9.	चाय बोर्ड, कोलकत्ता	27.06.2007	शून्य

ऊपर दर्शाई तालिका से देखा जा सकता है कि चार स्वायत्त निकायों ने अपने लेखे एक से चार से अधिक महीनों के बीच की देरी के पश्चात प्रस्तुत किये।

1.8.2 लेखों में महत्वपूर्ण कमियाँ

वर्ष 2006-07 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अतिदीप्त किये महत्वपूर्ण मूद्दों में से कुछ नीचे वर्णित किये गये हैं:

- प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समरूप प्रारूप को अपनाने में असफल रहे।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ने लेखों के समरूप प्रारूप को बनाने से संबंधित विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं किया।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने लेखों के घटा शेषों को दर्शाया।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी महत्वपूर्ण लेखा नियमों में दर्शाये गयी दरों के अनुसार ह्रास नहीं काटा।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने परियोजना अनुदानों से ली गई संपत्तियों को अलग नहीं दिखाया।
- संपत्ति रजिस्ट्रों का अनुचित रख-रखाव/न बनाना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में पाया गया।

1.9 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालय और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने जरूरी है, जो इंगित करते हैं कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिये इन्हें स्वीकृत किया गया था, उन्ही के लिये इनका उपयोग किया गया और जहाँ अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। संबंधित विभागों के वेतन एवं लेखा अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2395.08 करोड़ रुपये के लगभग अनुदानों के 11,371 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) बकाया थे, जिन्हें **परिशिष्ट-IV** में दिया गया है। मुख्य चूक वाले मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जिसके बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि 42.33 प्रतिशत थी, फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (36.38 प्रतिशत) और भू विज्ञान मंत्रालय (16.89 प्रतिशत) थे।

भू विज्ञान मंत्रालय ने बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों के केवल प्रावधानिक आंकड़ें दिये, जो यह दर्शाता है कि मंत्रालय में सूचना एकत्र करने और उसे अपडेट करने की केन्द्रीय वांगिक व्यवस्था नहीं थी।

1.9.1 31 मार्च 2008 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समयवार विश्लेषण

2395.08 करोड़ रुपये की राशि के कुल 11371 यू.सी. में से मार्च 2008 के अन्त तक आठ बड़े मंत्रालयों/विभागों से प्रवीक्षित थे, 950.70 करोड़ रुपये के 8323 प्रमाण पत्र दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक लम्बित थे। इसी प्रकार, 516.10 करोड़ रुपये के 5813 प्रमाण पत्र पाँच वर्ष के बीत जाने के बाद भी लम्बित थे। बकाया यू.सी. की विभागवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

(रुपये लाखों में)

तालिका IV

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	दो वर्षों से ज्यादा लम्बित यू.सी.		पाँच वर्षों से ज्यादा लम्बित यू.सी.	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	आणविक ऊर्जा विभाग	70	284.89	31	51.78
2.	अंतरिक्ष विभाग	189	1566.24	58	533.05
3.	नवी एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	5	1210.87	Nil	Nil
4.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	6983	51643.72	5094	45771.92
5.	जीव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	67	23.27	43	14.05
6.	भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण	5	0.90	Nil	Nil
7.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	207	23308.00	2	11.00
8.	भू विज्ञान मंत्रालय	797	17032.60	585	5227.88
कुल योग		8323	95070.49	5813	51609.68

पाँच वर्षों से अधिक लम्बित कुल यू.सी. में से, केवल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कुल संख्या का 87.27 प्रतिशत और लम्बित यू.सी. के मूल्य के आधार पर 88.64 प्रतिशत का योगदान था।

1.10 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफोर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित है कि वणिज्यिक या अर्द्ध वणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफोर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित किये गये हो। मार्च 2007 तक वणिज्यिक या अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के तीन विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे, जो इस कार्यालय की लेखापरीक्षा के नियंत्रणधीन थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम प्रोफोर्मा लेखे जिसमें ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखे और तुलना पत्र शामिल हो, वार्षिक रूप से बनाये जाते हैं। विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति उनके नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर परिशिष्ट-V में दी गई है। यह देखा गया कि नाभिकीय ईंधन काम्प्लेक्स के मामलों में, आँकड़े प्रकृति में प्रावधानिक थे, जबकि प्रोफोर्मा लेखे का प्रारूप भारी जल बोर्ड द्वारा अभी अनमोदित होना था।

1.11 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2007-08 के दौरान में प्रस्तुत अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं, ड्यूटीज अग्रिमों को इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-VI में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 1.89 करोड़ रुपये के 18 मामलों की राशियों के अन्य कारणों के लिए, 0.56 लाख रुपए के दो मामले वयक्तिक सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा/धोखा से संबंधित थे, जिन्हें 2007-08 के दौरान अपलिखित किया गया। इसके अतिरिक्त 1.81 करोड़ रुपये की मर्दे

आई.सी.एम.आर. द्वारा एन्टरोवायरस अनुसंधान केन्द्र, परेल में एक आग दुर्घटना के कारण अपलिखित की गई।

1.12 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर 6 सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किये थे। ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिये प्रेषित किया जाता है और उन्हें निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर 6 सप्ताह के भीतर भेजे। ऐसा उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है सम्मिलित किये जाने की संभावना है: मामले में उनकी टिप्पणियाँ सम्मिलित करना वांछनीय होगा।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को जून 2008 और जनवरी 2009 के बीच उनको वैयक्तिक रूप से संबोधित करके पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था। संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय-॥ से IX में दर्शाये गये 27 पैराग्राफों में से 8 के उत्तर नहीं भेजे। 19 पैराग्राफों के संबंध संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में सही रूप से सम्मिलित किये गये हैं।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (11 वीं लोक सभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पनुरीक्षित अनुवर्ती कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में रिपोर्टें प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। दिसम्बर 2008 तक वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पाया गया कि दिसम्बर 2008 तक 8 मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों से कुल 15 ए.टी.एन. लम्बित थे, जो कि ए.टी.एन. प्रस्तुत करने में 6 से 49 महीनों की देरी दर्शाते हैं। वर्णन (परिशिष्ट VII) में है।

अध्याय II: परमाणु ऊर्जा विभाग

2.1 वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना टाटा मैमोरियल केन्द्र में डॉक्टरों के लिये उदारीकृत योजना को लागू करना

टाटा मैमोरियल सैन्टर, परमाणु ऊर्जा विभाग के अर्न्तगत एक स्वायत्त निकाय है जो सरकार से अपने व्यय के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुदान प्राप्त कर रहा है। सैन्टर ने एक निजी प्रैक्टिस योजना लागू की, जिसमें डॉक्टरों को गैर प्रैक्टिस भत्ते के एवज में अस्पताल की आय में से 40 से 45 प्रतिशत तक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति दी गई। यह योजना अन्य विभागों की सहमति लिये बिना या मंत्रिमंडल/वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना लागू की गई। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक अनुमोदनों के बिना टी.एम.सी. द्वारा डॉक्टरों को 27.22 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार की कोई भी योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणधीन किसी भी स्वायत्त निकायों/उत्कृष्ट केन्द्रों जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इत्यादि में लागू नहीं की गई थी।

मुम्बई में स्थित टाटा मैमोरियल सैन्टर (टी.एम.सी.) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त संस्थानों में से एक है। टी.एम.सी. में टाटा मैमोरियल अस्पताल (टी.एम.एच.) और कैंसर रोगियों पर शोध, शिक्षण और उनके विस्तृत इलाज के कार्यरत ए.सी.टी. शामिल हैं। टी.एम.एच. के स्टॉफ डॉक्टर आर.ई.सी. अपनी श्रेणी और डी.ए.ई. स्थापना में उसी प्रकार के, अपने ग्रेड में लागू क्षातिपूर्ति के पात्र हैं। उनके पारिश्रमिक के अलावा, नियमों के अधीन स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ते (एन.पी.ए.) के पात्र हैं।



टाटा मैमोरियल अस्पताल

सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2005 के नियम 209 (6) (iv) के अनुसार, सभी अनुदान ग्राही संस्थान जो अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुदान के रूप में प्राप्त कर रहे हो, को साधारणतः अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एवं नियम, जो कि सामान्यतः केन्द्र सरकार के उसी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू हो, से ज्यादा नहीं

हो और छूट, यदि कोई है, वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के परामर्श से होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, जी.एफ.आर. 2005 के नियम 3 के अनुसार, जब विषय एक से अधिक विभाग से संबंधित हो, तो कोई निर्णय ऐसे सभी विभागों की सहमति के बिना नहीं लेना चाहिये या ऐसी सहमति लेने में विफल होने पर, निर्णय या केबिनेट के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा लिया जाना था। टी.एम.एच. ने जनवरी 2000 में एक संशोधित निजी प्रैक्टिस योजना (पी.पी.एस.) प्रस्तावित की जिसमें सभी योग्य चिकित्सा अधिकारियों (एम.ओ.) को समन्तत प्रोत्साहन और मौद्रिक लाभ दिये गये थे। इस योजना से, टी.एम.सी. की शासी परिषद द्वारा निर्धारित, कुछ योग्यता मानकों को पूरा करने पर डॉक्टरों को अस्पताल में निजी रोगियों के इलाज से अर्जित अस्पताल की आय में

हिस्सा" (एस.एच.आई.) रखने की इजाजत दी थी। दिसम्बर 2001 में, टी.एम.सी. की शासी परिषद ने 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी घरेलू निजी अभ्यास योजना सहित निजी अभ्यास योजना को संशोधित किया। टी.एम.सी. द्वारा घोषित संशोधित अभ्यास प्रैक्टिस योजना के अनुसार:

- टी.एम.एच. के सभी एम.ओ. जिनकी कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा हो और रुपये 12000-16,500 से कम वेतन मान में न हो, वे उस ग्रेड में जिसमें वे नियुक्त हुये थे, और उनके विकल्प के आधार पर, वेतन और भत्ते प्राप्त करने के पात्र थे वह या तो निर्धारित दर पर (एन.पी.ए.) प्राप्त कर सकते हैं अथवा एन.पी.ए. के एवज में योजना के अधीन एस.एच.आई. प्राप्त कर सकते हैं।
- समस्त व्यवसायिक आय, जिसमें सभी परामर्श शुल्क, सभी रिपोर्टिंग एवं सेवाओं देने के शुल्क, सभी प्रक्रियाओं के शुल्क, जॉच एवं इलाज और अन्य कोई व्यवसायिक शुल्क, जो कि एम.ओ. द्वारा टी.एम.एच./ ए.सी.टी.आर.ई.सी में सामान्य (ओ.पी.डी.) बाह्य रोगी विभाग के अलावा रोगियों के परामर्श से अर्जित हो, उसे समग्र तौर पर 'सामूहिक आय' माना गया था, जिसे अस्पताल, (एम.ओ.) चिकित्साधिकारियों और शैक्षिक निधियों के हिस्से में क्रमशः 50 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के अनुपात में बाँटा जाना था। इस प्रकार से निकाली गई व्यावसायिक आय को, वेतनमान की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर संबंधित ईकाईयों के योग्य चिकित्साधिकारियों में बाँटा जाना था।

जनवरी 2004 में, योजना को अस्पताल को भाग कम करके 45 प्रतिशत तक करने के अनुरूप, (एम.ओ.) चिकित्साधिकारियों का भाग 40 से 45 प्रतिशत बढ़ाकर, उदारीकृत किया गया। विभिन्न ग्रेडों में नियुक्ति के लिये न्यूनतम सेवा के मानक को भी छूट दी गई थी। 2002 से 2008 की अवधि के दौरान, टी.एम.सी. ने 27.22 करोड़ रुपये का भुगतान एस.एच.आई. को किया था। क्या चिकित्साधिकारियों को एन.पी.ए. दिए होते, तो टी.एम.सी. द्वारा 2.72 करोड़ रुपये व्यय किया जाता वास्तविक भुगतान और चिकित्साधिकारियों को 2002-08 की अवधि के दौरान स्वीकार्य किया गया एन.पी.ए. के बीच का अंतर रूपे 24.50 करोड़ था। इस प्रकार, एम.ओ. को (एन.पी.ए.) प्रैक्टिसबन्दी भत्ता (मूल वेतन के 44 प्रतिशत तक केवल) की तुलना में एस.एच.आई. (मूल वेतन का 539 प्रतिशत तक) का वित्तीय रूप से लाभकारी थी।

एम.ओ. को, एस.एच.आई. ने 2000-01 में 1.99 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2007-08 में 6.14 करोड़ रुपये कर दी गई, जोकि 208.54 प्रतिशत की भारी बढ़त थी। इसी अवधि के दौरान, सरकारी अनुदान पर टी.एम.सी. की निर्भरता कम नहीं हुई थी। सरकार द्वारा टी.एम.सी. को अनुदान 2000-01 में रुपये 66.13 करोड़ से 2006-07 में रुपये 144.24 करोड़ बढ़ा दी गई अतः यह 218.11 प्रतिशत की बढ़त है। इस प्रकार, उदारीकृत एस.एच.आई. योजना टी.एम.सी. की सरकारी अनुदानों पर निर्भरता को कम करने में सहायता नहीं कर पाई।

चूंकि टी.एम.सी., एक अनुदान संस्था थी जो अपने आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान के रूप में सरकार से प्राप्त करता है तो टी.एम.सी. के कर्मचारियों की सेवा शर्तें उन्हीं के अनुरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों से ज्यादा नहीं होनी चाहिये और छूट यदि कोई हो, जी.एफ.आर. के नियम 209(6)(iv) के अनुसार एम.ओ.एफ. के परामर्श से करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, जी.एफ.आर. 2005 के नियम 3 के अनुसार चूंकि विषय एक से अधिक विभागों से संबंधित है, अन्य विभागों से सहमति या कैबिनेट का अनुमोदन लिया जाना चाहिये था। इस प्रकार, 27.22 करोड़ रुपये के एस.एच.आई. का भुगतान आवश्यक अनुमोदन लिये बिना किया गया।

टी.एम.सी. ने मई/जून 2006 में बताया कि क्योंकि चिकित्साधिकारियों को स्वीकार्य एन.पी.ए., एम.ओ. की शैक्षिक योग्यताओं के अनुरूप नहीं थी और व्यवसायिक प्रतिभा

को रोके रखने और केन्द्र से उनके जाने को रोकने के लिये (एम.ओ.) चिकित्साधीकारी को एस.एच.आई. देने की योजना, टी.एम.सी. शासी परिषद और डी.ए.ई. के अनुमोदन के बिना लागू की गई थी। टी.एम.सी. ने फिर तर्क दिया कि निर्णय जी.एफ.आर. 2005 के नियम 208 (vi) में निहित प्रावधान के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि संस्था जिसका कार्य उत्कृष्ट पाया गया हो और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता हो, उसे अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिये और नियुक्ति और वित्तीय नियमों के संबंध में लचीलापन बढ़ा दिया जाना चाहिए। यद्यपि, टी.एम.सी. ने जी.एफ.आर. के नियम 208 (vi) के अन्तर्गत निहित प्रावधान को नजर अंदाज किया, जिसमें कहा गया था कि केवल वही संगठन जिनका कार्य उत्कृष्ट पाया गया हो और जिसे एक बाह्य/ सूक्ष्म समीक्षा के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता हो, को ज्यादा स्वायत्तता और लचीलापन देना चाहिये। डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया कि ऐसी कोई बाह्य /सूक्ष्म समीक्षा¹ की गई थी। इस तरह, टी.एम.सी. अन्य विभागों/एम.ओ.एफ. केबिनेट की सहमति के बिना अपने वेतन ढाँचे को लागू करने में लचीलेपन के योग्य नहीं थी।

डी.ए.ई. ने नवम्बर 2007 में कहा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ही टी.एम.सी. द्वारा संचालित एस.एच.आई. के प्रक्रियात्मक कमियों को सुधारने के लिये, डी.ए.ई. ने नवम्बर 2007 में हुई परमाणु ऊर्जा आयोग (ए.ई.सी.) की 183 वीं बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, ए.ई.सी. ने वर्तमान में लागू एस.एच.आई. के डी.ए.ई. के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। डी.ए.ई. ने आगे बताया कि ए.ई.सी. ने स्वीकार किया कि एस.एच.आई. योजना कई वर्षों से चल रही है और प्रोत्साहन योजना 1962 में डी.ए.ई. द्वारा संस्थान अधिग्रहण से पूर्वघटित है और चिकित्सा व्यवसायों की प्रतिमा को बनाए रखने और अन्य अनुरूप संस्थानों को आकर्षित करने के लिये योजना को एक मॉडल के रूप में माना जा सकता है।

टी.एम.सी. ने दिसम्बर 2008 में यह भी बताया कि इसका निष्पादन उत्कृष्ट था तथा कैंसर/स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे पुरस्कार भी प्रदान किया है। हालांकि लेखापरीक्षा, पिछले 50 वर्षों के दौरान टी.एम.सी. की उपलब्धियों की प्रशंसा करता है फिर भी एस.एच.आई. के भुगतान पर इसकी अवधारणों को निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:-

- (i) टी.एम.सी. अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से ज्यादा भारत सरकार से अनुदानों के रूप में प्राप्त करती है। अपने कार्मिकों की सेवा शर्तों में आवश्यक छूट यदि कोई हो, उसे एम.ओ.एफ. के परामर्श से विशेषतः इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस उदारी योजना का पर्याप्त वित्तीय भार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन करना होगा।
- (ii) इस तरह की कोई समरूप योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन दूसरे स्थापित स्वायत्त निकायों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लागू नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्वायत्त निकायों में एम.ओ. को एस.एच.आई. देने का मामला, विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों के अधीन काम कर रहे चिकित्सा संस्थाओं में एक जैसा है। जी.एफ.आर. 2005 के नियम 3 के अनुसार इसे अन्तर्विभागीय/केबिनेट के अनुमोदन की आवश्यकता है।
- (iii) ए.ई.सी. में व्यापार के लेन देन के नियमों में अधिदेश है कि सभी डी.ए.ई. के कार्मिकों की सेवा की शर्तों से संबंधित सभी प्रस्ताव जिसमें सामान्य सरकारी नियमों से भारी छूट शामिल हो, को ए.ई.सी. के सामने लाना चाहिये। इस मामले में ए.ई.सी. का अनुमोदन केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर किया गया। इसके, अलावा,

¹ जी.एफ.आर.2005 के नियम 208(v) के अंतर्गत

सदस्य (वित्त) ने एस.एच.आई. पर डी.ए.ई. की टिप्पणी पर अक्टूबर 2007 में पाया गया कि जी.एफ.आर. के नियम 208 के अर्न्तगत टी.एम.सी. के स्टॉफ के लिये क्षतिपूर्ति ढाँचे में लचीलापन लाने में सक्षम करने की शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिये। उसने यह भी पाया कि एस.एच.आई. को चालू रखने की आवश्यकता को सामाजिक लाभ और उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त रूप से न्यायसंगत ठहराना चाहिये।

(iv) टी.एम.सी. द्वारा बताये गये अर्न्तराष्ट्रीय मेल मिलाप को जी.एफ.आर. 2005 के नियम 208 (V) के प्रावधानों के अनुसार ब्राह्म्य/सूक्ष्म समीक्षा किसी भी रूप में नहीं मानी जा सकती।

सिफारिशें

1. डी.ए.ई. को योजना को चालू रखने के लिये अर्न्तविभागीय सहमति और एम.ओ.एफ. से अनुमोदन लेना चाहिये।
2. सरकार को ख्याति प्राप्त संस्थानों/उत्कृष्ट केन्द्रों में काम कर रहे चिकित्सा व्यवसायिकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लागू की गई ऐसी योजनाओं की समीक्षा भी करनी चाहिये।

2.2 अनुबंध की समाप्ति/वार्ता न करने के कारण 1.84 करोड़ रुपये का नुकसान

डी.ए.ई. का, भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सुसंगत खंड के अंतर्गत किए गए अनुबंध लीज को बातचीत/समाप्त करने में विफलता के कारण रूपए 1.84 करोड़ की राजस्व हानि।

निर्माण सेवार्यें और संपदा प्रबंधन निदेशालय (डी.सी.एस. एवं ई.एम.) ने जुलाई 1969 में पेट्रोल निकालने/उच्च गति डीजल पम्प और स्टेशन की सर्विसिंग/लुब्रीकेटिंग के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की संस्वीकृति से 1908.89 वर्ग मी. का एक भूखण्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) को देओनार, मुंबई में पट्टे पर दिया। पट्टा अनुबंध मार्च 1972 को 30 वर्षों के लिये 1500 रुपये प्रति माह पट्टा किराया के भुगतान पर दिसम्बर 1970 से प्रभावी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति और 10 वर्षों की आगामी अवधि के लिये स्वतः ही नवीनीकरण होनी थी हालांकि संविदा के खण्ड III (ए) के अनुसार, पट्टाधारी या पट्टाकर्ता, छः महीने के पूर्व सूचना पर, दूसरी पार्टी से लिखित रूप से अनुबंध की पुनः बातचीत के हकदार थे।

एक दूसरे मामले में, डी.सी.एस. और ई.एम. ने इसी उद्देश्य के लिये 836.13 वर्ग मीटर का एक प्लॉट आई.ओ.सी.एल. को प्रभादेवी, मुम्बई में पट्टे पर दिया था। पट्टा, मई 1979 में, 30 वर्षों के लिये, जुलाई 1973 की प्रभावी तिथि से और 3600 रुपये प्रति माह पट्टा किराये के भुगतान पर जिसे जुलाई 2003 में समाप्त होने के साथ कार्यान्वित किया गया। डी.ए.ई. ने डी.सी.एस. और ई.एम. के इस पट्टा संविदा को 6 जुलाई 2003 के बाद (अपने 30 वर्षों के लिये) नवीकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये, डी.सी.एस. और ई.एम. को निर्देश दिया कि वह जमीन मूल्यांकन के व्यावसायिक दर पर पूंजीगत लागत का 12 प्रतिशत पर लीज किराया नियत कर दे, जिसे 5 वर्षों के बाद संशोधित होना था। इसके अलावा, डी.ए.ई. ने डी.सी.एस. और ई.एम. को प्रभादेवी पट्टा संविदा की तर्ज पर देओनार की संपत्ति के पट्टा किराया को

बढ़ाने से संबंधित मामले को आई.ओ.सी.एल. के साथ बातचीत करने के लिये भी



पेट्रोल पम्प, देवनार

निर्देश दिया। तदनुसार, डी.सी.एस. और ई.एम. ने प्रभादेवी और देओनार प्लॉटों के लिये पट्टा किराया 1.89 लाख रुपये और 1.87 लाख रुपये प्रतिमाह क्रमशः की गणना की। यद्यपि, जनवरी 2005 में, आई.ओ.सी.एल. ने प्रभादेवी प्लॉट के लिये 1.89 लाख रुपये का संशोधित मासिक किराया स्वीकार कर लिया

परन्तु देओनार प्लॉट का संशोधित किराया 1.87 लाख रुपये इस आधार पर कि मार्च 1972 के अनुबंध में यह संशोधन सम्मिलित नहीं था आई.ओ.सी.एल. ने देओनार प्लॉट के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह मासिक पट्टा किराये का भुगतान जारी रखा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डी.ए.ई. देओनार प्लॉट के लिये दिसम्बर 2000 में पट्टा संविदा समाप्त कर सकता था और संविदा की अवधारणा खंड III (ए) के अनुसार एक नई संविदा के लिये बातचीत कर सकता था। इससे सरकार के वित्तीय हित की अवश्य सुरक्षा होगी। जबकि, डी.ए.ई. ने इस प्रावधान के लागू नहीं किया और 1500 रुपये प्रति माह किराया लेना जारी रखा, जिससे 1.84 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

डी.ए.ई., ने अपने जुलाई 2008 के उत्तर में और फिर नवम्बर 2008 में डी.ए.ई. को दिसम्बर 2000 से हो रही राजस्व हानि की पुष्टि की। आगे बताया कि आई.ओ.सी.एल. को नोटिस अगस्त 2008 में जारी किया गया था जिससे कथित भूमि के शांतिपूर्ण कब्जा देने और लीज अनुबंध को समाप्त करने के लिए छः महीने का नोटिस देने के लिए लीज अनुबंध के खंड III (क) को लागू करने का प्रावधान है। नोटिस की अवधि फरवरी 2009 में समाप्त होनी थी।

दिसम्बर 2000 से फरवरी 2009 की अवधि हेतु रूपए 1.84 करोड़ की राजस्व हानि के कारण को सुनिश्चित करने वाले लीज अनुबंध के खंड को बातचीत/समाप्त करने में विफल रही। आगे, डी.ए.ई. नवम्बर 2010 तक के रूपए 1.86 लाख के प्रति माह हानि को, समय पर कार्यवाही द्वारा टाल सकती थी।

सिफारिश

3. डी.ए.ई. ऐसी सभी दीर्घ अवधि अनुबंध की समीक्षा करे, जहाँ सरकारी जमीन दीर्घ अवधियों के लिये रियायती दरों पर पट्टे पर दी गई है, ताकि सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके।

2.3 सुरक्षा पर अधिक व्यय

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की प्रत्येक सुविधा पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों की वास्तविक तैनाती के आधार पर सुरक्षा हेतु व्यय के अंश में विफलता के कारण रूपए 3.38 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1995 में (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.), तारापुर तथा (ii) तारापुर परमाणु पॉवर स्टेशन (टी.ए. पी.एस.)¹ और 2, जो न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) डी.ए.ई. के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की एक इकाई है, को सुरक्षा सुविधा देने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को नियोजित करने का निर्णय लिया। तदनुसार बी.ए.आर.सी.

परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तारापुर



तथा टी.ए.पी. एस 1 और 2, तारापुर को सुरक्षा सुविधा के लिए दिसम्बर 1999 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगा दिया गया था। टी.ए.पी.एस. द्वारा खर्चा किया जाना था तथा 2002-03 तक 2: 1 के अनुपात (बी.ए.आर.सी.:टी.ए.पी.एस.) के वार्षिक आधार पर बी.ए.आर.सी. से दावों की प्रतिपूर्ति होगी। 2002-03 में टी.ए.पी.एस 3 और 4 के शुरू होने पर यह अनुपात

2003-04 से बी.ए.आर.सी., टी.ए.पी. एस. 1 और 2 तथा टी.ए.पी. एस 3 और 4 के बीच 2: 1: 1 के अनुपात में परिवर्तित किया गया था।

1999-2000 से 2007-08 की अवधि के दौरान में बी.ए.आर.सी. द्वारा व्यय के अंश केन्द्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल के तैनात कार्मिकों की वास्तविक संख्या के आधार पर साझा व्यय की समीक्षा करने पर पता चला कि बी.ए.आर.सी. द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि से बहुत अधिक थी।

यह पाया गया कि बी.ए.आर.सी. ने 1999-2000 से 2007-08 की अवधि में के.औ.सु.ब. के कार्मिकों की वास्तविक तैनाती के आधार पर परिकल्पित स्तरों 21.93 करोड़ के बजाए स्तरों 25.31 करोड़ जारी किए गए थे। बी.ए.आर.सी. पर के.औ.सु.ब. की नियोजन के विरुद्ध टी.ए.पी.एस. सुविधाओं पर के.औ.सु.ब. के नियोजन में 72 (1999-2000) से 191 (2007-08) की वृद्धि हुई। जो कि तदनुप अवधि में 124 से 147 के मध्य रही। क्योंकि 2002-03 से बी.ए.आर.सी. में के.औ.सु.ब. को नियोजन टी.ए.पी.एस. सुविधाओं पर के.औ.सु.ब. के नियोजन से बहुत कम रह गया इस लिए निश्चित अनुपात के आधार पर व्यय की सहभागिता न्यायोचित नहीं है। अतः बी.ए.आर.सी. द्वारा के.औ.सु.ब. के कार्मिकों की वास्तविक तैनाती के आधार पर इनकी परिकल्पित देयता के बजाए निश्चित अनुपात पर व्यय की सहभागिता के कारण 1999-2000 से 2007-08 की अवधि में स्तर 3.38 करोड़ अधिक व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा के कहने पर, अगस्त 2008 में परमाणु ऊर्जा विभाग 2008-09 से वास्तविक तैनाती के आधार पर के.औ.सु.ब. के सुरक्षा व्यय की सहभागिता के लिए सहमत हुआ। अगस्त 2008 में बी.ए.आर.सी. ने यह भी बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने निर्देश दिया था कि यदि एन.पी.सी.आई.एल. को 2007-08 का भुगतान नहीं किया गया हो तो सुरक्षा संबंधी व्यय वास्तविक तैनाती के आधार पर निपटाया जाएगा। आगे 1999-2007 में हुए अधिक व्यय के निपटान के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग ने बताया कि बी.ए.आर.सी. को यह मामला तारापुर प्रबंधन समिति तथा एन.पी.सी.आई.एल. के अनुमोदन के लिए उनके पास ले जाना चाहिए था।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिसम्बर 2008 में यह भी बताया कि मामला लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर तुरंत बी.एस.आर.सी. तथा एन.पी.सी.आई.एल. की प्रत्येक स्थापनाओं

में के.ओ.सु.ब. की वास्तविक तैनाती के आधार पर सहभागिता में सुधार के प्रयास किए गए तथा व्यय की सहभागिता के संशोधित तरीके का 2008-09 से ही अनुपालन किया जा रहा था। 1999-2000 से 2007-08 की अवधि में की गई अधिक अदायगी की प्रतिपूर्ति के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया कि इससे इस मामले पर किसी की समस्या का पूर्वानुमान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, प्रत्येक सुविधा पर कार्मिक तैनाती की वास्तविक संख्या के आधार पर व्यय की बी.ए.आर.सी. की सहभागिता की विफलता के परिणामस्वरूप रूपरेखा 3.38 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसकी वसूली एन.पी.सी.आई.एल. से अभी की जानी थी। एन.पी.सी.आई.एल. से इस राशि की वसूली न होना, डी.ए.ई. के बजट से एन.पी.सी.आई.एल. को अनियमित वित्तीय सहायता मानी जाएगी।

2.4 विद्युत खपत पर परिहार्य व्यय

वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता की आवधिक विद्युत माँग का मूल्यांकन कर पाने में विफलता के परिणाम स्वरूप जुलाई 2004 से दिसम्बर 2007 के दौरान निविदागत माँग के विरुद्ध उपभोग में कमी के तौर पर 59.75 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (वी.ई.सी.सी.) कोलकाता अपने सॉल्ट लेक परिसर हेतु विद्युत आपूर्ति पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू. बी.एस.ई.बी.) से प्राप्त करता है।

वी.ई.सी.सी. ने जनवरी 2004 में डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी. से अपने विद्यमान संविदा मांग में बढ़ोत्तरी करने का अनुरोध इस आशय के साथ किया कि ये दो परियोजनाओं नामतः सुपरकन्डक्टिंग

वैरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र

साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट एवं रेडियो एक्टिव ऑयन बीम प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तथा इसी पर जनवरी 2004 में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। संशोधित अनुबंध के अनुसार संविदा मांग, पहले दो वर्षों के लिए 6000



के.वी.ए. तक तथा अगले तीन वर्षों में यह 7000 के.वी.ए. बढ़ाई गई थी। संशोधित मांग मई 2004 से प्रभावी थी। जुलाई 2004 से दिसम्बर 2007 तक न्यूनतम प्रभार योग्य मांग, वास्तविक मांग अथवा संविदा मांग का 75 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, थी। लेखापरीक्षा द्वारा अधिक संविदा मांग इंगित करने के पश्चात सितम्बर 2006 में, संविदा में 7000 के.वी.ए. से कम करके 6000 के.वी.ए. मांग की गई थी।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2004 से दिसम्बर 2007 की अवधि के लिए विद्युत की वास्तविक खपत पैटर्न जांच की और यह भी पाया कि वास्तविक खपत, संविदा मांग से बहुत कम थी। 42 महीनों में से 38 में संविदा मांग के 75 प्रतिशत के न्यूनतम प्रभारित मांग की भी प्राप्ति नहीं हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप 32,668 विद्युत ईकाईयाँ जिसकी वास्तविक में खपत नहीं हुई थी, के लिए रुपये 59.75 लाख का परिहार्य

भुगतान हुआ। 6000 के.वी.ए. की संविदागत मांग के एवज में वास्तविक खपत, 2660 के.वी.ए. से 4700 के.वी.ए. की विभिन्नता पाई गई।

वी.ई.सी.सी. ने मार्च 2008 में बताया कि चूंकि इनकी संस्थापना समान जोड़े गये भार वाले अन्य वैज्ञानिक संगठनों/उद्योगों से कई मायनों में भिन्न हैं अतः पूरे वर्ष के लिये वास्तविक मांग एवं ऊर्जा खपत का पूर्वानुमान लगाना काफी मुश्किल है। यह जवाब अस्वीकार्य है क्योंकि विद्युत की संविदागत मांग को भविष्य की आवश्यकताओं के आवधिक आंकलन के आधार पर संशोधित किये जाने की आवश्यकता है और वास्तव में, जुलाई 2004 एवं दिसम्बर 2007 के दौरान 42 महीनों में से 38 में, वी.ई.सी.सी., संविदागत मांग के 75 प्रतिशत के स्तर को भी छू नहीं सका।

नवम्बर 2008 में वी.ई.सी.सी. ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि सुपर कन्डक्टिंग साईक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरूआती चरण में है परन्तु रेडियो एक्टिव आयन बीम प्रोजेक्ट को शुरू करने में अभी कुछ और समय लगेगा। हालाँकि, वी.ई.सी.सी. विद्यमान संविदा मांग की समीक्षा करने पर सहमत था तथा बताया कि केन्द्र पर सभी प्रणालियों की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी. के साथ संविदा मांग में संशोधन करने की कार्यवाही की गई थी।

इस प्रकार, आवधिक विद्युत हेतु अपनी मांग का वास्तविक आंकलन न करने में वी.ई.सी.सी. विफल रहा परिणामतः जुलाई 2004 से दिसम्बर 2007 के दौरान संविदागत मांग के एवज में खपत में कमी के फलस्वरूप रुपये 59.75 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

सिफारिशें

4. वी.ई.सी.सी. को यह सुनिश्चित करने के लिए कि खपत न हुई विद्युत के भुगतान में कमी हो, तथा इसके वास्तविक खपत पर समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।
5. वी.ई.सी.सी. को किसी अतिरिक्त मांग का अनुबंध देने के पूर्व भविष्य की आवश्यकताओं का वास्तविक आंकलन करना चाहिए एवम् अधिक उपभोग तथा न्यूनतम प्रभारित योग्य मांग से कम खपत में कमी दोनों के लिये लागू प्रभारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2.5 विश्वस्तरीय गामा रे प्रेक्षण की गैर स्थापना

टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीनों के व्यवस्थापन पर रूपये 16.18 करोड़ के खर्च के बावजूद गामा रे खगोल भौतिक के प्रयोगों हेतु विश्वस्तरीय गामा रे वैधशाला, उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित कर पाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया। हालांकि टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीनों की स्थापना, माउंट आबू, राजस्थान में महत्वपूर्ण लागत और अधिक समय लेते हुई की गई थी परन्तु बैस्ट टेलीस्कोप को मंजूरी नहीं दी गई थी तथा मेस टेलीस्कोप को हेनले, लद्दाख में हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार एक ही स्थान पर चारों दूरबीनों को लगाये जाने का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीनों का कम उपयोग किया गया तथा इस परियोजना से आशातीत वाणिज्यिक नतीजे प्रोद्भूत नहीं हो पाये।

2.5.1 परिचय

भारतीय वैज्ञानिक 1960 में विश्व पटल पर प्रेक्षणी गामा रे खगोल विज्ञान की शुरूआत से ही इसकी खोज में सक्रिय रूप से जुटे हुये हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) ने जून

1993, में ही प्रेक्षणी गामा-रे खगोल विज्ञान हेतु विश्व स्तरीय सुविधाओं के गठन को मंजूरी दी थी जिससे कि भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों हेतु तदनुसूक्त भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना के उद्देश्य थे:

- एकल भौगोलिक स्थान से चार विश्वस्तरीय दूरबीन प्रणालियों के माध्यम से गामा-रे स्पैक्ट्रल विडों में व्यापक अध्ययन हेतु एक वैश्विक खगोल विज्ञानी सुविधा स्थापित करना।
- भारतीय खगोल वैज्ञानिकों को बुनियादी विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में आधारभूत अंशदान देने के लिए एक अद्वितीय सुविधा उपलब्ध कराना।

इस परियोजना की एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी यह थी कि भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) अपने देश तथा विदेशों में इलैक्ट्रॉनिक्स के अन्य उपयोगकर्ताओं को स्वदेश में विकसित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता ईकाईयों मोड्यूल्स की मार्केटिंग करने में सक्षम होगा।


इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की एक घटक ईकाई है, ने चार दूरबीन स्थापित करने की योजना बनाई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

टेक्टिक



- 2 स्वदेशी उच्च संवेदनशील गामा-रे दूरबीन नामतः टेक्टिक² एवं मिस्टिक³ की स्थापना परियोजना शीर्षक "गामा एस्ट्रोफिजिक्स सेरेकोव" एक्सपैरीमेंटस (ग्रेस)⁴ के अंतर्गत की जानी थी। इस प्रस्तावित, प्रेक्षण परिसर का निर्माण गुरुशिखर, माउंट आबू, राजस्थान में पहले से विद्यमान भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद की इन्फ्रा रेड प्रेक्षक के निकट ही किया जाना था हालांकि टेक्टिक में 4 पूर्ण रूप से परिचालन योग्य दूरबीन ईकाईयां सम्मिलित होनी चाहिए थी जो कि 2 हैक्टेयर के क्षेत्र में स्थित था, मिस्टिक में लगभग 225 डिटेक्टर तत्वों का समावेश जो कि लगभग 40 हैक्टेयर तक फैला था के दूरी कम में होना था।

टेक्टिक वरटैक्स एलीमेंट



- दो अन्य दूरबीनों नामतः मेस⁵ एवं बेस्ट⁶ की स्थापना "सब टी.ई.बी. लाईट एक्सपैरीमेंटस (सबटल)" नामक परियोजना के अंतर्गत की जानी थी।

परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य कलापों की जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आये:

² टेरा इलैक्ट्रॉन बॉल्टस (टी.ई.वी.) इमेजिंग कैमरे के साथ वातावरणीय सेरेकोव दूरबीन

³ अल्ट्रा हाई एनर्जी के क्वांश हेतु मल्टी एलीमोन्ट अल्ट्रा सैन्सिटिव दूरबीन

⁴ बाद में इसका नाम कोओरडिनेटेड रख दिया गया।

⁵ मुख्य वातावरणीय शेरेंकाव प्रयोग

⁶ सेन्सुअलेशन तकनीक के माध्यम से बस्ट खनन (एक्सप्लोरेशन)

2.5.2 लेखापरीक्षा जाँचें

2.5.2.1 ग्रेस परियोजना: टैक्टिक एवं मिस्टिक दूरबीनें

परियोजना 2 चरणों में रूप्यें 12.20 करोड़⁷ की अनुमानित लागत से कार्यान्वित होनी थी और दिसंबर 1998 तक पूर्ण होनी थी।

प्रथम चरण के लिए रूप्यें 2.99 करोड़ की वित्तीय संस्वीकृति जून 1993 में मार्च 1997 में पूर्ण होने की प्रत्याशा के साथ दे दी गई थी। द्वितीय चरण के लिए वित्तीय सहायता रूप्यें 13.32 करोड़ की संशोधित लागत पर फरवरी 1999 में दी गई। परियोजना के दूसरे चरण हेतु मंजूरी लेते वक्त इस परियोजना के द्वितीय चरण की समापन तिथि मार्च 2002 दर्शायी गई थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दोनों टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीन की स्थापना, जो कि ग्रेस परियोजना के अंतर्गत आते हैं, में विचारीणी देरी थी। इसके अतिरिक्त, इस दूरबीनों को, मिस्टिक के कार्यक्षेत्र के कम करके छोटे वैकल्पिक स्थान पर लगाया जाना था जिसका प्रभाव इसके निष्पादन और प्रभावकारिता पर पड़ा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(ए) टैक्टिक और मिस्टिक दूरबीनों हेतु भू अधिग्रहण में समस्याएं



टैक्टिक प्रतिबिम्ब

ग्रेस प्रेक्षवस्थान हेतु आवश्यक पूर्व आवश्यकताएं एक ऐसा समतल स्थान था जहां पर बेहतरीन दर्शित प्रदर्शन स्थितियों जैसे आकाश पादर्शिता, न्यूनतम आकाशीय चमक, हल्का मौसम, आप्टिकल एवं मानव निर्मित विद्युत ध्वनियों के शोर से स्वतंत्रता इत्यादि होनी चाहिए थी। तदनुसार, अतः गुरुशिखर, माउंट आबू का देश के छः विभिन्न राज्यों में कुल 10 सदस्य जगहों को लेते हुए एक विस्तृत जगह चुनाव कार्यक्रम के बाद चुनाव किया गया था। अंततः चुनी

हुई 42 हैक्टेयर भूमि राजस्थान सरकार से अधिग्रहण करनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि बी.ए. आर.सी. ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की। जून 1993 में परियोजना को मंजूरी मिलने के पश्चात्, भूअधिग्रहण प्रस्ताव को राज्य सरकार ने केवल मार्च 1999 में ही संस्वीकृत किया। हालांकि, जुलाई 1999 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बी.ए.आर.सी. द्वारा लगभग रूप्यें 3.00 करोड़ की वृक्षारोपण लागत अदा करने से इंकार करने पर डी.ए.ई. को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने से मना कर दिया, अगस्त 2000 में इस प्रस्ताव को बी.ए.आर.सी. ने फिर से सक्रिय किया तथा एम.ओ.ई.एफ.की एक उच्च स्तरीय समिति ने अप्रैल 2002 में प्रस्तावित जगह का मुआयना किया। बी.ए.आर.सी. की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, माउंट आबू में जगह का अधिग्रहण अप्रैल 2003 में रोक दिया गया।

भू अधिग्रहण से संबंधित लंबी बातचीत के मद्देनजर फरवरी 1995 में बी.ए.आर.सी. को परियोजना को राजस्थान सरकार से केवल 0.5 हैक्टेयर भूमि। किराया मुक्त आधार पर ली गई।

⁷ चरण-I रूप्यें 2.99 करोड़ एवं चरण-II रूप्यें 9.21 करोड़

फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने कहा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों से परियोजना तैयार करते समय ही परियोजना हेतु 42 हैक्टेयर भूमि के आबंटन हेतु विस्तृत चर्चा कर ली गई थी।

सिफारिश

6. भू अधिग्रहण में आई परेशानियों एवं परियोजना पर इनके घातक परिणाम को देखते हुए यह अनुशंसा की जाती है कि भविष्य में बी.ए.आर.सी. किसी भी परियोजना की वास्तविक शुरुआत से पहले ही भू अधिग्रहण हेतु एक निश्चित वचन बद्धता प्राप्त करले ताकि वांछित भूमि की अनुपलब्धता का उद्देश्यों की पूर्ति पर कोई प्रभाव न पड़े।

(बी) टैक्टिक एवं मिस्टिक दूरबीनों की लागत में वृद्धि

प्रथम चरण में हालांकि यह बताया गया था कि परियोजना टैक्टिक और मिस्टिक की स्थापना के साथ, दिसम्बर 1997 तक संपन्न हो जायेगी फिर भी टैक्टिक केवल मई 2000 के ही क्रियान्वित हो पाई। इसी प्रकार से, परियोजना का द्वितीय चरण जिसमें टैक्टिक और मिस्टिक का उच्च श्रेणीकरण दिसम्बर 1998 में पूरा होना था, केवल मार्च 2005 तक पूरा जमा हुआ। इसी प्रकार से, इन दो दूरबीनों के चालू किये जाने में देरी की वजह से जिस परियोजना का समापन रूप्यें 12.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर होना था वह उस परियोजना पर रूप्यें 16.18 करोड़ के व्यय पर पूरी हुई। लागत में रूप्यें 3.98 करोड़ की वृद्धि इस तथ्य के बावजूद थी कि मिस्टिक का उन्नयन जो कि रूप्यें 3.10 करोड़ की अनुमानित लागत से होना था, अभी तक नहीं हो पाया था।

फरवरी 2009 में, डी.ए.ई. ने बताया कि चूंकि परियोजना की शुरुआत 1992 में की जानी थी तथा यह परियोजना 1999 में ही चालू हो पाई अतः मूल्य में वृद्धि हुई। डी.ए.ई. के उत्तर इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि चरण-I, 1993 में संस्वीकृत होते ही चालू हो गया था तथा बी.ए.आर.सी. भूमि अधिग्रहण समय पर सुनिश्चित नहीं कर पाया। दोनों दूरबीनों के लिए 42 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता के विपरित, बी.ए.आर.सी., राजस्थान सरकार से केवल 0.5 हैक्टेयर भूमि का ही कब्जा ले पाई।

(सी) मिस्टिक दूरबीन का कोटि उन्नयन न हो पाना

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मिस्टिक की स्थापना 225 डिटैक्टर ऐलिमेंट के बजाय केवल 30 डिटैक्टर ऐलिमेंट के साथ ही की गई। इसके अतिरिक्त, चरण-II के अर्न्तगत मिस्टिक का उच्च उन्नयन उच्च शक्ति गामा रे खगोल विज्ञान (एस्ट्रानोमी) के क्षेत्र में उन्नति की वजह से नहीं हो पाया। इस प्रकार, गामा रे खगोल विज्ञान प्रयोगों हेतु उच्च श्रेणी की विश्वस्तरीय गामा रे वैधशाला की स्थापना नहीं हो पायी तथा वैज्ञानिक समुदाय को रूप्यें 16.18 करोड़ का व्यय करके 10 वर्षों की देरी के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं करा पाये।

बी.ए.आर.सी. द्वारा जैसा कहा गया कि इस उद्देश्य की पूर्ति में विफलता के कारण, उच्च ऊर्जा गामा रे एस्ट्रानोमी में वैश्विक विकास था जो यह दर्शाता था कि एक्स्ट्रागैलेक्टिक स्पेस अनिवार्य तौर पर >30 टी.ई.वी. गामा रे एनर्जी पर ही अपारदर्शी था इस प्रकार से मिस्टिक जैसे वाईड एंगल शेरेन काव दूरबीनों द्वारा एक्स्ट्रागैलेक्टिक गामा रे स्रोतों का पता लगाना लगभग असंभव था। बी.ए.आर.सी./डी.ए.ई. ने अक्टूबर

2008/फरवरी 2009 में यह भी बताया कि सी.ए.एस.ए.⁸ एवं ए.आई.आर.ओ.बी.आई.सी.सी.⁹ जो कि मिस्टिक की तरह दो अंतर्राष्ट्रीय उच्च बजटीय सर्वेक्षण प्रयोग थे तथा क्रमशः 1998 एवं 2000 में कुछ खोज के बाद ही बंद कर दिये गये थे क्योंकि क्षेत्र में प्रगति काफी धीमी थी।

इसीलिए, यह निर्णय लिया गया कि टैक्टिक दूरबीन की संवेदनशीलता क्षमता में सुधार लाये जायें तथा मिस्टिक प्रोटोटाईप एरें का संचालन केवल रचनात्मक ढंग से किया जाये ताकि अधिकतम वैज्ञानिक नतीजे सामने आयें।

इस जवाब को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि डी.ए.ई. को 1989 से ही गामा रे एस्ट्रानामी (खगोल विज्ञान) में विकास एवं 1997 से मिस्टिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगों के खराब नतीजों की जानकारी थी। इसी प्रकार डी.ए.ई. को फरवरी 1999 में परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 225 डिटेक्टर तत्वों वाले मिस्टिक दूरबीन के उन्नयन को मंजूरी प्रदान नहीं करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, मूल उद्देश्यों से परित्यक्त उन्नयन मिस्टिक की शुरुआत बी.ए.आर.सी. में विभागीय स्तर पर की गई थी, जो कि डी.ए.ई. की संस्वीकृति के बगैर ही किया गया था।

(डी) टैक्टिक एवं मिस्टिक दूरबीनों का कम उपयोग

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार औसत प्रभावी प्रेक्षण समय 1100 घंटे प्रतिवर्ष के लगभग की आशा थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया कि 2003-04 से 2007-08 के दौरान, टैक्टिक दूरबीन का औसत वार्षिक उपयोग केवल 54 प्रतिशत¹⁰ ही था। मिस्टिक का प्रचालन 1994-1999 की अवधि के दौरान विभिन्न समीकरणों में सर्वेक्षण उपकरण के तौर पर अर्थात् लगभग 100 घंटे प्रतिवर्ष ही किया गया। इन दूरबीनों का अधिकांश उपयोग केवल बी.ए.आर.सी. वैज्ञानिकों द्वारा ही किया जाता था, सिवाय इसके कि दिसम्बर 2007 में तीन रूसी वैज्ञानिकों के दल ने टैक्टिक का प्रयोग करने में सहकारी कार्यक्रम के भाग के तौर पर किया था।

इस प्रकार टैक्टिक और मिस्टिक दोनों दूरबीनों का बहुत ही कम उपयोग हुआ।

डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में तथ्यों को स्वीकारा माउंट आबू और आस पास के क्षेत्रों में परिवर्तित मौसम के कारण, प्रयोग लगभग 600 घंटे प्रति वर्ष की औसत से ही किये जा सके। डी.ए.ई. ने यह भी बताया कि टैक्टिक दूरबीन में अनुमानित ग्लैक्सीस संख्या एवं अतिरिक्त ग्लैक्सीय गामा रे, स्रोतों की संख्या पाई गई तथा इनमें से कुछ में गामा विकिरण उत्सर्जित होती पाई गई। ये परिणाम उच्च प्रभाव वाले अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेस परियोजना से संबंधित एम.एस.सी./पी.एच.डी. शोधपत्र भी संपूर्ण हो चुके हैं और विविध वैज्ञानिक संगोष्ठीयों में इन पर बहुत से व्याख्यान दिये जा चुके हैं। मिस्टिक के संवर्धन में, डी.ए.ई. ने कहा कि 1999 तक की वातावरणीय शरणावृत्त घटनाओं की ध्रुवण विशेषताओं के उपयोगी आंकड़ों को इकठ्ठा कर लिया। यह टैक्टिक दूरबीन में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों को जांचने में प्रभावी पटल के तौर पर कार्य करता है।

डी.ए.ई. के इस जवाब को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि रूपये 16.18 करोड़ के निवेश के बावजूद न तो टैक्टिक का प्रयोग फरवरी 2009 तक लक्षित घंटों की संख्या तक बाद परिचालित हो पाया न ही 1999 के बाद तक मिस्टिक संचालित हो पाई। इस प्रकार से परियोजना के कथित उद्देश्यों की प्राप्ति सीमित रह गई।

⁸ सी.ए.एस.ए.:शिकागो एअर शॉवर एरें

⁹ ए.आई.आर.ओ.बी.आई.सी.सी.:एअर शावर आबजरवेशन बॉव एन्गल इन्टिग्रेटिंग शेरेनाव काउंटरर्स

¹⁰ 2003-04 से 2007-08 के दौरान 543 घंटे से 678 घंटों तक के बीच

(ई) टैक्टिक एवं मिस्टिक हेतु विकसित प्रौद्योगिकी का गैर वाणिज्यीकरण

परियोजना के द्वितीय चरण की परियोजना रिपोर्ट में दर्शाया गया कि परियोजना में एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में बदलाव यह था कि ई.सी.आई.एल., देश तथा विदेश में त्वरित इलैक्ट्रॉनिक्स के अन्य उपयोगकर्ताओं को स्वदेशी तौर पर विकसित किये गये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाले नये टैलिस्कोपों को विक्रय कराने में सक्षम होगा। हांलाकि लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि ग्रेस परियोजना के क्रियान्वयन में कमियों के कारण, ई.सी.आई.एल. इन दूरबीनों को देश तथा विदेश में विक्रय नहीं कर पाया।

फरवरी में डी.ए.ई. ने बताया कि बी.ए.आर.सी. एवं ई.सी.आई.एल., द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित इलैक्ट्रॉनिक मोड्यूल, इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित मोड्यूलों के समरूप ही थे तथा ग्रेस परियोजना में व्यापक स्तर पर प्रयुक्त किये जा रहे थे।

इस प्रकार, परियोजना में वाणिज्यिक बदलाव प्रोद्भूत नहीं हो पाये तथा रूप्यें 16.10 करोड़ व्यय करने पर भी विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण नहीं हो पाया।

2.5.2.2 सबटल परियोजना: मेस एवं बैस्ट दूरबीन

बी.ए.आर.सी. ने दसवीं योजना परियोजना के तौर पर माउंट आबू में 'सब.टी.ई.वी. हल्के प्रयोग(सबटल)' नामक परियोजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया जिसमें 2 दूरबीन नामतः वैस्ट एवं मेस को लगाना भी शामिल था। इस परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा अप्रैल 2003 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की जानी थी, जिसने अनुशंसा की कि माउंट आबू के स्थान पर वृहद परिधि की मेस दूरबीन, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के हेनल पर लगायी जाये क्योंकि वहां पर आकाशीय दशायें स्पष्ट रहती हैं अर्थात् आसमान साफ रहता है। वेस्ट की ग्राहता पता लगाते हुए यह पाया गया कि चूंकि सेटेलॉइट प्रयोगों का प्रयोग करते हुए गामा किरणों का पता लगाने की बेहतर विधियों का विकास हो चुका है अतः ऐसी खोजों हेतु जमीनी सुविधाओं का प्रयोग हितकर नहीं हैं। तथा तदनुसार बैस्ट को मंजूरी प्रदान नहीं की गई। डी.ए.ई. ने जनवरी 2005 में रूप्यें 38.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर मेस दूरबीन को स्थापित करने की मंजूरी इस उद्देश्य के साथ प्रदान की कि जमीनी दूरबीन प्रणाली के द्वारा बहु-तरंग लेंथ नतीजे सैटेलॉइट जनित प्रयोगों में सहायक होंगे।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान पता चला कि परियोजना निर्धारण स्तर पर यह प्रस्ताव रखा गया था कि परियोजना कार्यान्वयन घटकों उप प्रणाली (उप संयंत्र घटकों) के प्रापण पश्चात् बी.ए.आर.सी. में उपलब्ध इन हाऊस सुविधाओं के साथ ही जोड़ लिया जायेगा। हालांकि, परियोजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध सीमित जनशक्ति के मद्देनजर, जुलाई 2007 डी.ए.ई. ने यह कार्य ई.सी.आई.एल. को टर्न कि के आधार पर सौंपने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप फरवरी 2008 में परियोजना की लागत रूप्यें 49.43 करोड़ संशोधित कर दी गई। मार्च 2008 में हेनल में मेस दूरबीन का व्यापक डिजाईन, आपूर्ति, संस्थापन एवं चालू किये जाने की कार्य आदेश ई.सी.आई.एल. को रूप्यें 38.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर दे दिया गया। अक्टूबर 2008 तक यह दूरबीन, डिजाईन चरण स्तर पर ही पड़ा था।

इस प्रकार से, सबटल परियोजना, जो कि मार्च 2007 तक मेस दूरबीन का प्रस्तावित समापन दर्शाती थी, में विलंब हुआ तथा अक्टूबर 2008 में भी डिजाईन स्टेज पर ही थी।

फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने कहा कि दूरबीन का विस्तृत यांत्रिक प्रारूप उन्नत चरण में था तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना थी।

2.5.3 टैक्टिक, मिस्टिक, बैस्ट एवं मेस चारो दूरबीनों की एक ही स्थान पर स्थापना न हो पाना

ग्रेस और सबटल, दोनो के लिये परियोजना प्रस्ताव दर्शाते हैं कि सफलतापूर्वक समापन होने पर यह परियोजनाएं भारत में एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर खगोलविज्ञान सुविधा उपलब्ध करायगी, जहां पर माउंट आबू राजस्थान स्थित एकल स्थल से समय समन्वयक तरीके से एक विस्तृत गामा-रे विन्डो का व्यापक अध्ययन हो पायेगा। इससे एक अलग तरह के परिणाम मिलेंगे, जिससे कि नयी गामा किरण स्रोतों एवं उत्सर्जन क्षेत्रों की खोज में मदद मिलेगी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह पता चला कि चूंकि टैक्टिक एवं मिस्टिक दूरबीनें माउंट आबू राजस्थान में स्थापित हैं अतः डी.ए.ई. ने बैस्ट दूरबीन की स्थापना को मंजूरी नहीं दी तथा माउंट आबू राजस्थान की बजाय मेस दूरबीन को हेनल, लद्दाख में स्थापित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, भारतीय खगोल वैज्ञानिकों को एक ही स्थल से एक समयबद्ध तरीके में समग्र गामा रे विन्डों का अध्ययन करने का अवसर नहीं दिया जा रहा था।

फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने बताया कि गामा रे का पता लगाने के बेहतर तरीके विकसित होने के कारण बैस्ट की मंजूरी नहीं दी गई थी तथा हेनल पर मौजूदा साफ आसमान एवं उच्च आवृत्ति सारे वर्ष एक सी रहने के कारण मेस की स्थिति में परिवर्तन करना महत्वपूर्ण था।

2.5.4 निष्कर्ष

गामा रे खगोल विज्ञान में विश्वव्यापी विकास एवं भूमि की उपलब्धता तय किये बिना एक परियोजना पर आश्रित रहने के फलस्वरूप टैक्टिक दूरबीन को वांछित 42 हैक्टेयर भूमि के बजाय केवल 0.5 हैक्टेयर भूमि पर प्रति स्थापित किया गया। इस क्षेत्र में विश्वस्तरीय विकास के कारण मिस्टिक का श्रेणी उन्नयन रोक कर इसे सुसंगत नहीं माना गया। इसके परिणामस्वरूप, उच्च श्रेणी गामा किरणें खगोल भौतिकीय प्रयोग हेतु अपनी तरह की अलग प्रौद्योगिकी सहित विश्वस्तरीय गामा रे प्रेक्षण की स्थापना नहीं हो पायी तथा दस वर्षों की देरी एवं रूपयें 16.18 करोड़ के व्यय के बावजूद यह वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध नहीं हो सकी। रूपयें 49.43 करोड़ की लागत में बैस्ट दूरबीन का संवृद्धित उद्देश्य आरम्भ करने के लिए एक नई सबटल परियोजना संस्वीकृत की गई थी जो कि फरवरी 2009 तक डिजाईन स्टेज (अभिकल्पन चरण) में ही थी। इसके अतिरिक्त जैसा कि परियोजना प्रस्ताव में प्रदर्शित किया गया था, परियोजना से संभावित वाणिज्यिक दोहन भी (प्रोद्भूत) नहीं हो पाया।

2.6 बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलोजी द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

नवीं एवं दसवीं योजनाओं दोनों में बोर्ड आफ रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलोजी (ब्रिट/बी.आर.आई.टी.), परियोजना का समय से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप समय और धन की वृद्धि के साथ-साथ विविध आयामों जैसे: स्वास्थ्य रक्षा, उद्योग, कृषि, अनुसंधान इत्यादि से संबंधित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई/प्राप्ति में देरी हुई। परियोजनाओं की संवीक्षा में शिथिलता पाई गई, जिसके कारण परियोजनाओं के लिये सुनिश्चित किये गये मानकों/लक्ष्यों में भटकाव हुआ। जब 1988 में ब्रिट की स्थापना की गई थी तो वाणिज्यिक ग्राहता पाना इसके उद्देश्यों में से एक तय किया गया था, जिसकी प्राप्ति हेतु अभी तक प्रयास नहीं हुये हैं।

2.6.1 प्रस्तावना

बोर्ड आफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टैक्नालोजी (ब्रिट), मुम्बई जो कि आण्विक ऊर्जा विभाग(डी.ए.ई.) के अंतर्गत आता है, की स्थापना मार्च 1988, में रेडियो आइसोटोप¹¹ के प्रयोग का वाणिज्यिक दोहन तथा स्वास्थ्य रक्षा, उद्योग, कृषि एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में विकिरण हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये की गई थी:

- देश में आइसोटोप प्रौद्योगिकी के प्रयोग में वृद्धि में बढ़ावा देने हेतु।
- नाभिकीय औषधि, टेलिथैरपी¹², खाद्य-इरेडिएशन एवं उद्योग के क्षेत्रों में नए व्यवहारों को समर्थन
- शीघ्रातिशीघ्र वाणिज्यिक तौर पर ग्राह बनने के लिये।

बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टैक्नालोजी



ब्रिट की अध्यक्षता एक मुख्य कार्यकारी द्वारा की जाती है तथा इसके कार्यकलापों का समन्वय प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें डी.ए.ई. में ब्रिट का प्रभारित संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव, (वित्त)/डी.ए.ई. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र(बी.ए.आर.सी.) के नामित व्यक्ति भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एन.पी.सी. आई.एल.)एवं उद्योग, जन स्वास्थ्य, खाद्य एवं कृषि के परिपेक्ष्य में प्रमुख

उपभोगकर्ताओं के दो प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

मार्च 2008, तक ब्रिट ने 507 पदों को संस्वीकृति दी थी, जिनमें से 374 तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकृति के हैं तथा शेष 133 पद प्रशासनिक एवं सहायक कार्य के लिये थे। इसके विरुद्ध 359 पद वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों के थे, जबकि प्रशासनिक एवं सहयोगी कार्यों में 131 कार्मिक थे। 2002-08 के दौरान ब्रिट का कुल वार्षिक व्यय 26.87 करोड़ से 36.73 करोड़ रु. के बीच था।

लेखापरीक्षा ने 2002-03 से 2007-08 की अवधि के दौरान ब्रिट की गतिविधियों की जांच ब्रिट की उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आर एंड डी गतिविधियों के प्रबंधन और निष्पादन के संदर्भ में की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की जा रही है:

2.6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.2.1 वित्तीय प्रबंधन

2002-07 (दसवीं योजना) एवं 2007-08 के दौरान वास्तविक वहन किये गये व्यय एवं बजटीय निधियों के ब्यौरे इस प्रकार से हैं

	(रूपये फरोड़ों में)								
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
2002-03	25.01	8.01	33.02	24.49	2.69	27.18	0.52	5.32	5.84
2003-04	27.80	8.00	35.80	21.72	5.15	26.87	6.08	2.85	8.93
2004-05	25.70	17.06	42.76	22.65	4.83	27.48	3.05	12.23	15.28

¹¹ रेडियो आइसोटोप ऐसे आइसोटोप होते हैं जो कि विकिरण छोड़ते हैं तथा अस्थिर प्रकृति के होते हैं। आइसोटोपस ऐसे अणु होते हैं जिनमें समान सं. के प्रोटोन्स होते हैं परन्तु न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है।

¹² ऐसा उपचार जिसमें चिकित्सीय एजेंट के स्रोत उदाहरणतः विकिरण, शरीर से कुछ दूरी पर होते हैं।

2005-06	24.91	15.64	40.55	23.42	5.61	29.03	1.49	10.03	11.52
2006-07	26.00	19.25	45.25	22.09	14.64	36.73	3.91	4.61	8.52
दसवीं योजना कुल योग	129.42	67.96	197.38	114.37	32.92	147.29	15.05	35.04	50.09
2007-08	23.85	21.84	45.69	23.44	5.10	28.54	0.41	16.74	17.15

उपरोक्त तालिका एवं बजट के विश्लेषण से पता चला कि:

- दसवीं योजना (2002-07) में ब्रिट 197.38 करोड़ रुपये को बजट प्रावधान के विपरीत केवल 147.29 करोड़ ही खर्च कर पाया।
- राजस्व शीर्ष में 15.05 करोड़ रुपये का अव्ययित प्रावधान, आपूर्ति, सामग्री एवं उपस्कर की प्राप्ति में देशी के कारण था। पूंजी शीर्ष में, 35.04 करोड़ रुपये का अव्ययित प्रावधान, दसवीं योजना के दौरान आरंभ किये गये आयोजना परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण था जो कि रुपये 67.96 करोड़ पूंजी बजट प्रावधान का 51.56 प्रतिशत था।
- बहुत से अव्ययित प्रावधानों की प्रवृत्ति की रोकथाम करने में कोई सुधार नहीं हुआ था क्योंकि ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष में भी ब्रिट 45.69 करोड़ रुपयों के बजट प्रावधानों के विरुद्ध केवल रुपयें 28.54 करोड़ ही खर्च कर पाया था। 21.84 करोड़ रुपयें के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल 5.10 करोड़ रुपयें ही खर्च हो पाये थे जो कि बजट अनुमानों का 76.65 प्रतिशत बचत दर्शाते हैं।

विशेषतः पूंजी शीर्ष के अंतर्गत अधिक मात्रा में अव्ययित राशि वित्तीय प्रबंधन में कमी को दर्शाता है, जिसका निराकरण डी.ए.ई. द्वारा किये जाने की आवश्यकता है।

ब्रिट ने जुलाई 2008 में बताया कि परियोजनाओं की पूर्ण करने का अनुसूची, कार्यक्षेत्र में वृद्धि, सिविल निविदाओं के अंतिम चरण में होने के कारण, कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण ठेकेदारों के कार्यों की धीमी गति, आयातित उपस्करों की आपूर्ति में देर इत्यादि के कारण संशोधित किया गया था। यह भी बताया गया कि सभी परियोजनाओं को संशोधित तालिका के अनुसार पूर्ण कर लिया जायेगा।

डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में बताया कि अव्ययित राशि संशोधित अनुमानों की तुलना में न्यूनतम थी। पूंजी शीर्ष के अंतर्गत अव्ययित प्रावधान इस कारण था कि बजट प्रावधानों का एक बड़ा भाग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कार्यों तथा ऐसे अन्य महंगे उपस्करों के प्रापण पर खर्च किया गया था जिनका कार्यान्वयन परियोजनाओं के अंतिम चरण में किया जाना था। डी.ए.ई. ने यह भी बताया कि ब्रिट परियोजनाओं का समापन विशेषतः सुरक्षा नियामक मामले, विशिष्ट यांत्रिक अभिकल्पन एवं सिविल निर्माण कार्य पर आश्रित था तथा इसने यह भी कहा कि यह भी प्रयास किये जा रहे थे कि दसवीं एवं ग्यारहवीं योजनाओं की समस्त बकाया परियोजनाएं शैड्यूल के अनुरूप पूर्ण हो सकें। इसके अतिरिक्त डी.ए.ई. ने यह भी बताया कि ब्रिट में एक सुदृढ़ आंतरिक तंत्र स्थापित था जो कि आयोजना परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति जाँच हेतु संवीक्षा करती है।

उत्तर को इन तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि:

- डी.ए.ई. ने अपनी निर्माण ईकाई, खरीद खंड, नियामक बोर्ड का गठन, संबंधित कार्यों की त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिये किया है।
- आयोजना परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की संवीक्षा हेतु समुचित आंतरिक तंत्र मौजूद होने के बावजूद परियोजनाओं के समापन में महत्वपूर्ण चूक हुई थी।

- सचिव डी.ए.ई. ने अगस्त 2002/मार्च 2003 में महसूस किया कि चूँकि डी.ए.ई. करदाताओं की धनराशि में से काफी राशि का उपयोग करती है अतः परियोजनाओं के कार्यान्वयन और आयोजना तैयार करने में डी.ए.ई. की सक्षमता की विश्वसनीयता के स्तर को बनाये रखने की मानीटरिंग प्रभावी करने की आवश्यकता है अतः दसवीं योजना के अंतर्गत संस्वीकृति परियोजनाओं की मानीटरिंग करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि इन्हें समय पर पूरा किया जा सके तथा वित्तीय व्यवस्थाओं का सदुपयोग हो सके।

2.6.2.2 परियोजनाओं का निष्पादन

जनवरी 2003 में बी.आर.आई.टी. (ब्रिट) के कार्य संपादन की समीक्षा के दौरान सचिव (डी.ए.ई.) ने पाया कि ब्रिट में परियोजना कार्यान्वयन तंत्र में आयोजना परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिये सुधार किये जाने की आवश्यकता है। हालांकि अप्रैल/मई 2008 में लेखापरीक्षा विश्लेषण के दौरान पता चला कि ब्रिट के परियोजना प्रशासन/कार्यान्वयन में कोई सुधार नहीं हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:

ए) परियोजनाओं को दसवीं योजना तक विस्तार दिया गया

लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि जिन तीन परियोजनाओं को नौवीं योजना अवधि के दौरान मंजूरी दी गई थी उन्हें दसवीं योजना तक बढ़ा दिया गया था जैसे कि नीचे वर्णित है

- डी.ए.ई. ने जून 1999 में 8.50 करोड़ रुपये की लागत से नवीं योजना परियोजना " डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडिएशन इन्क्विपमेंट एंड टैस्ट फैसिलिटी " को मंजूरी दी थी, जिसकी मार्च 2002 तक संपन्न होने की आशा थी। इस परियोजना में 2 घटक मौजूद हैं:- (i) चार नये विकिरण प्रौद्योगिकी उपकरणों का विकास एवं डिजाइन (ii) रेडियो आइसोटोप पैकेज हेतु आवश्यक जाँच करने हेतु जाँच सुविधा का निर्माण एवं डिजाइन। प्रथम उप परियोजना मई 2006 में ही संपन्न हो चुकी थी तथा दूसरी जनवरी 2006 में पूर्ण हुई थी। पहली उप परियोजना में चार वर्षों से अधिक अतिरिक्त समय लगने के बावजूद चार परिकल्पित उपकरणों में से केवल एक ही तैयार हो पाया था तथा दूसरी परियोजना में जाँच सुविधा का बहुत कम उपयोग हो पाया था।
- जून 1998 में डी.ए.ई. ने " कोबाल्ट हैंडलिंग फैसिलिटी में वृद्धि " नामक परियोजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य कोटा सुविधा में संवर्द्धन करना था जो कि ब्रिट के कोबाल्ट पर आधारित कार्यक्रम का मुख्य स्रोत है। यह परियोजना पांच वर्षों का अतिरिक्त समय लगाकर मार्च 2006 में पूरी हुई और "कोबाल्ट 60" के निर्यात से 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के प्रत्याशित राजस्व को प्राप्त नहीं कर पायी।
- डी.ए.ई. ने जून 1999 में 4.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर "ब्रिट द्वारा बी.ए.आर.सी. परिसर में रेडियो कैमिकल प्रयोगशालाओं में संवर्द्धन " नामक एक परियोजना को मंजूरी दी जिसे मार्च 2002 तक पूरा किया जाना था। संवर्द्धन उप परियोजना पांच वर्षों के अधिक समय बीत जाने पर पूर्ण हो पाई तथा नये आइसोटोप के उत्पादन के लिये उप परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी थी क्योंकि तीन आइसोटोप के उत्पादन में बमुश्किल ही कोई वृद्धि हो पाई थी तथा चार नये आइसोटोप का उत्पादन अभी आरंभ ही नहीं हो पाया था।

इस प्रकार से, संबंधित अधिक समय सीमा एवं अधिक लागत के बावजूद ये परियोजनाएं पहचाने गये उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकी। इस परियोजनाओं के ब्यौरे **परिशिष्ट-VIII** में संलग्न है।

(बी) दसवीं योजना में नई योजनाएं/परियोजनाएं

(i) मेडिकल साइक्लोट्रॉन¹³ सुविधा की स्थापना

डी.ए.ई. ने जनवरी 2004 में कोलकाता में "डी.ए.ई.मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना" को 78.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की थी जिसे जनवरी 2007 तक पूरा किया जाना था। इसका निष्पादन ब्रिट तथा वेरिएनट एनर्जी साइक्लोट्रॉन सैन्टर (बी.ई.सी. सी.) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था। 58.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से साइक्लोट्रॉन सिस्टम की स्थापना की जिम्मेदारी, 42.30 करोड़ रुपये की विदेशी विनियम तत्व की सहायता से, बी.ई.सी.सी. को सौंपी गई तथा रेडिया आइसोटोप्स¹⁴ हेतु प्रोसेसिंग सुविधा के गठन की जिम्मेदारी, बी.आर.आई.टी. को सौंपी गई जिसमें 14.60 करोड़ रुपये के विदेशी विनियम तत्व के साथ रेडियोफार्मा/औषधि के साथ-साथ खरीद एवं वितरण को इन तथ्यों पर न्यायाचित ठहराया गया कि मेडिकल साइक्लोट्रॉन अपने तरह की पहली विधि है जो कि चिकित्सीय ईलाजों में प्रयोग किये जाने वाले रेडियो आइसोटोप उत्पन्न करने में सक्षम हैं। वर्तमान में इसका आयात किया जाता है।

डी.ए.ई. ने मई 2006 में इस परियोजना की संशोधित लागत रूपमें 98.05 करोड़¹⁵ मानी तथा इस परियोजना की समापन अवधि जनवरी 2007 से बढ़ाकर मार्च 2008 कर दी। हालांकि परियोजना जुलाई 2008 तक की पूर्ण नहीं हो पाई थी जैसे कि नीचे वर्णित है

- खरीद एवं भंडार निदेशालय (डी.पी.एस.) ने इन प्रस्तावों को पूर्ण करने में लगभग 20 महीनें (दिसम्बर 2005) का समय लिया जो कि मई 2004 में साइक्लोट्रॉन, बीमा लाईन, लक्ष्यों एवं संबद्ध मर्दों इत्यादि हेतु मांगपत्र में वृद्धि से हुआ। इसके अतिरिक्त परियोजना, समस्त तकनीकी तंत्रों की संरचना को अंतिम रूप दिये बिना ही शुरू कर दी गयी थी। समस्त सुविधाओं की अंतिम संरचना इस अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ गहन बातचीत पर आधारित थी जिसके परिणामस्वरूप केवल मशीनें और उपस्कर शीर्ष के अंतर्गत ही रूपये 18.53 करोड़ की वृद्धि हो गई, जो कि कुल लागत रूपमें 20.15 करोड़ का 91.96 प्रतिशत थी। सामग्री और आपूर्ति शीर्ष के अंतर्गत लागत में संशोधन के कारण 2.35 करोड़ रूपये से घटकर 0.70 करोड़ रूपये ही रह गई, जो कि परियोजना संस्वीकृति के अनुक्रम थी। आर्थिक कारणों से यह निर्णय लिया गया कि हॉट सैल को संयोजित करने के बजाय संयोजित हॉट सैल ही खरीद लिया जाये।
- हालांकि परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) द्वारा परियोजना में निश्चित साईट पर सुविधा के प्रचालन हेतु अनापत्ति पाना ही एक बड़ी उपलब्धि थी, परन्तु यह अनापत्ति परियोजना टीम/दल द्वारा प्रचालन आंकड़ों को संकलन में देशी के कारण केवल फरवरी 2005 में ही मिल पाई।
- दिसम्बर 2007 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना में 12 से 18 माह की देशी के साथ केवल 10 प्रतिशत ही भौतिक प्रगति हो पाई थी, जो कि खरीद आदेश एवं सिविल निर्माण कार्य में विलंब के कारण हुआ। डी.ए.ई. ने बी.ई.सी.सी. में मेडिकल साइक्लोट्रॉन एवं उसकी सहायक बिल्डिंग में निर्माण हेतु निर्माण कार्य निविदा को मंजूरी 18.33 करोड़ रूपये की लागत पर केवल जनवरी 2008 में ही प्रदान की। भवन निर्माण में देशी के कारण, ब्रिट मार्च 2008 तक

¹³ साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का गति बढ़ाने वाला यंत्र (त्वरित यंत्र) होता है जो कि प्रोटोन, ड्यूटीलरियम, अलफा पार्टिकलस इत्यादि जैसे चार्जड अवयवों को ऊर्जा/शक्ति विसर्जित करने के लिये गति प्रदान करता है।

¹⁴ गैलियम-67, थेलियम-201, इंडियम-111, आयोडीन-123 इत्यादि जैसे रेडियो आइसोटोप्स।

¹⁵ बी.ई.सी.सी.-रूपमें 73.10 करोड़ एवं ब्रिट रूपमें 25.15 करोड़।

25.15 करोड़ रुपये के अनुमान के विरुद्ध केवल 10.55 करोड़ रुपये की राशि ही खर्च कर पाई, यह योजना निर्धारण एवं निष्पादन में कमियाँ दर्शाती है।

ब्रिट ने मई 2008/जुलाई 2008 में इन विलंबों का कारण आंशिक तौर पर विक्रेताओं की सुविधाओं का दौरा करने में नष्ट समय तथा डी.ए.ई. द्वारा वित्तीय मंजूरी में संशोधन प्राप्त होने में देरी को बताया। इसने यह भी कहा कि उत्पादन शैड्यूल को सितंबर 2009 तक हस्तांतरित कर दिया गया है।

फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने बताया कि संशोधित तालिका के अनुसार परियोजनाओं का समापन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी संवीक्षा एवं समन्वय प्रणाली तैयार कर ली गयी है।

(ii) विकिरण प्रौद्योगिकी हेतु एकीकृत सुविधा:

ब्रिट ने मार्च 2003 में दसवी योजना के दौरान "विकिरण प्रौद्योगिकी हेतु एकीकृत सुविधा" (आई.एफ.आर.टी.) नामक एक परियोजना 9.10 करोड़ रुपये की अनुमानित



आई.एफ.आर.टी. में सिविल कार्य प्रगति पर

लागत से शुरू की। परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाया गया कि एकीकृत सुविधा, ब्रिट को एक ही बिन्दु के लोडिंग, अन लोडिंग, एसेबली एवं ईकाई की आपूर्ति के समस्त प्रचालन में सक्षम बना देगी। इस प्रकार से इसके सारे कार्यकलापों में समग्र सुधार हो सकता है। इससे बी.ए.आर.सी. के उच्च सुरक्षा क्षेत्र

वाले इलाके में आवागमन बंद होने होने के साथ-साथ भविष्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति में सफलता मिलेगी।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान पता चला कि हालांकि यह परियोजना अक्टूबर 2007 तक संपन्न होनी थी, फिर भी यह फरवरी 2009 तक पूरी नहीं हो पाई। परियोजना की समापन तिथि आगे दिसम्बर 2009 तक बढ़ा दी गई। जुलाई 2006 एवं मार्च 2007 में दो अवसरों पर लागत में भी संशोधन किये गये जिनमें परियोजना की लागत बढ़ाकर 15.19 करोड़ रुपये कर दी गई। यह मुख्यतः सिविल, इलेक्ट्रिकल, बेन्टीलेशन एवं क्रैन् इत्यादि जैसे मुख्य कार्यों की लागत में वृद्धि के कारण था जिनमें विद्यमान टैकडाक 348¹⁶ से टैकडॉक 1347¹⁷ से लेकर सिविल संरचना का वर्गीकरण में परिवर्तन सम्मिलित हैं, जैसा कि प्राथमिक सुरक्षा समीक्षा समिति (पी.एस.आर.सी.) की सितम्बर 2004 में आयोजित बैठक में अनुशंसा की गई थी। हालांकि पी.एस.आर.सी. ने आई.एफ.आर.टी. के निर्माण कार्य हेतु सहमति की अनुशंसा करने का निर्णय जुलाई 2005 में ही लिया था तथा सिविल अभियांत्रिकी के पहलुओं पर संशोधित रिपोर्ट, अक्टूबर 2006 में ही स्पष्ट कर दी गई थी।

इस प्रकार से, परियोजना के समापन में देरी की प्राथमिक जिम्मेवारी तथा संबंधित समय एवं लागत में अधिकता का दायित्व, ब्रिट का था क्योंकि टैकडॉक 1347, 2003 के मध्य में ही जारी किया गया था जबकि इसकी प्राप्ति हेतु अनापत्ति केवल अक्टूबर

¹⁶ टैकडॉक 348 एक आई.ए.डू.ए. का तकनीकी दस्तावेज (सीरीज सं. 348) हैं जिसका प्रयोग^{*} सीमित रेडियो एक्टिव मांगपत्र के साथ परमाणु सुविधाओं के भूकंप रोधी डिजाइन में किया जाता है।

¹⁷ टैकडॉक 1347, एक प्रकार का आई.ए.ई.ए. का तकनीकी दस्तावेज हैं (सीरीज नं 1347) जिसका प्रयोग^{*} परमाणु सुविधाओं के अभिकल्पन में बाह्य घटनाओं पर विचार करने के लिये किया जाता है जिनमें परमाणु पावज प्लांटस्ट के अतिरिक्त भूकंप पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

2006 में ही मिली थी। मार्च 2008 तक परियोजना पर कुल व्यय परियोजना की संशोधित परियोजना लागत का 35.16 प्रतिशत था, जिसपर, ब्रिट की मानीटरिंग एवं परियोजना प्रबंधन में और सुधार लाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में कहा कि इन सुविधाओं के प्रचालन हेतु सुरक्षा के उच्च मानकों की आवश्यकता है। अतः ए.ई.आर.बी. द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का सिविल निर्माण कार्य शुरू होने के पहले ही अनुपालन किया जाना चाहिए। इसने यह भी कहा कि परियोजना का समापन संशोधित शैड्यूल के अनुसार सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(iii) ढाँचागत सुविधाओं का संवर्धन एवं रिवैम्पिंग

नवम्बर 2003 में डी.ए.ई. ने दसवी योजना के दौरान "रिवैम्पिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीस(आर.ए.आई.ई.एफ.) नामक परियोजना 12.12 करोड़ रुपये की लागत से संस्वीकृत की जो कि अक्टूबर 2007 तक पूर्ण होनी थी। इस परियोजना



आर.ए.आई.एफ. में निर्मित क्लीन रूप फैसिलिटी

का मुख्य उद्देश्य ब्रिट में आधारभूत समर्थन में वृद्धि करना था। डी.ए.ई. ने परियोजना का कार्य क्षेत्र जुलाई 2007 के ब्रिट के प्रस्ताव के आधार पर लागत में संशोधन करते हुए 12.12 करोड़ रुपये से 15.92 करोड़ रु. कर दिया तथा समापन की तिथि अक्टूबर 2007 से मार्च

2010 कर दी। लागत में बढ़ा हुआ संशोधन, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुआ था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि परियोजना की प्रगति, भौतिक तथा वित्तीय आधार पर धीमी थी। 2005-06 के दौरान, 04.04 करोड़ रुपये के बी.ई.के. विरुद्ध वास्तविक व्यय केवल 2.35 करोड़ रुपये था। वर्ष 2006-07 के दौरान, अव्ययित प्रावधान, बजट प्राक्कलनों का 52 प्रतिशत था। परियोजना की मंद गति, आपूर्ति एवं सामग्री के प्रापण, मशीनें एवं उपकरण तथा सिविल कार्यों में देरी के कारण थी।

मई 2008 में ब्रिट ने इस विलंब का कारण विदेशी एवं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कुछ मर्दों की आपूर्ति में देरी बताया गया था और विविध कारणों से सिविल ठेकेदारों द्वारा काम में बाधा एवं विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के अंतिम निर्णय में देरी के कारण पुनः निविदा खोलना भी देरी का कारण था। ब्रिट ने, जुलाई 2008, में यह भी बताया कि यह परियोजना मार्च 2010 तक पूरी कर ली जायेगी। डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में बताया कि परियोजना की संवीक्षा आंतरिक संवीक्षा तंत्र एवं ब्रिट के मुख्य कार्यकारी द्वारा नियमित तौर पर की जा रही है। इसने यह भी बताया कि संशोधित तालिका के अनुसार परियोजना का समापन सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जा रहे थे।

2.6.2.3 प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण

ब्रिट का एक प्रमुख उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण एवं रेडियों फार्मा के क्षेत्रों में नये प्रयोगों को बढ़ावा देना है। ब्रिट द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान पता चला कि:-

ए) मसालों के प्रसंस्करण हेतु प्रदर्शन संयंत्र

ब्रिट ने, मार्च का 1999 में 3.13 करोड़ रुपये की लागत से मसाला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने निर्णय लिया, जो कि नवंबर 1996 तक संपन्न किया जाना प्रस्तावित था। इस संयंत्र को मसालों की साफ सफाई हेतु स्वीकार्य प्रसंस्करण सेवा उपलब्ध करानी थी तथा निर्यात के मानकों पर खरा उतरना था। इस संयंत्र की संस्थापित क्षमता 12000 टन मसाले प्रति वर्ष तैयार करने की थी तथा यह अपने प्रचालन से पांच वर्षों के भीतर लगभग 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित राजस्व अर्जित करने में समक्ष था, इसने केवल 9947 टन के विभिन्न उत्पादन तैयार किये तथा इसके प्रचालन के आठ वर्ष तीन माह अर्थात् जनवरी 2000 से मार्च 2008 तक केवल 5.00 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

मसाला प्रसंस्करण के प्रदर्शन संयंत्र के निष्पादन की लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आये:

- 12000 टन प्रति वर्ष की प्रतिस्थापित क्षमता के विरुद्ध, मसाला प्रसंस्करण संयंत्र में प्रतिवर्ष अपने प्रचालन के आठ वर्षों के भीतर केवल 437 से 2348 टन ही प्रसंस्कृत हो पाई। इस प्रकार से, संयंत्र की क्षमता का उपयोग केवल 3.64 प्रतिशत से 19.57 प्रतिशत के बीच ही रहा।
- 2000-01 से 2007-08 तक कुल 53,970 संयंत्र घंटों की उपलब्धता के बावजूद, ब्रिट ने संयंत्र को इस अवधि में केवल 39,091 घंटे ही प्रचालित किया।
- जनवरी 2003 में ब्रिट की निष्पादन समीक्षा के दौरान, डी.ए.ई. सचिव ने पाया कि ब्रिट को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करना चाहिये तथा संयंत्र की उपयोगिता क्षमता में सुधार किया जाना चाहिये। इसने यह भी महसूस किया कि नवीं मुम्बई में प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करने का विचार, जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह के माध्यम से आयात होने वाले मर्दों के प्रसंस्करण के उद्देश्य से था। इस प्रकार, से उसने ब्रिट को निर्देश दिये कि विकिरण प्रक्रिया विसंक्रमण हेतु अधिकाधिक मर्दों को सूची बद्ध करने के प्रयास किये जाने चाहिये तथा समुचित विपणन कार्यनीति भी तैयार की जानी चाहिए। यद्यपि, यह पता चला कि 2004-05 के दौरान 1453 टन से बढ़कर कुल तैयार सामग्री 2005-06 के दौरान 2347 टन हो गई। तत्पश्चात इसमें धीरे धीरे 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान क्रमशः 1812 टन एवं 1434 टन की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से, राजस्व प्राप्ति की 200-06 में 1.29 करोड़ रुपये से घटकर 2007-08 में 0.88 करोड़ रुपये ही रह गई।
- संयंत्र में मसालों के प्रदीपन में 2007-08 में एक जोरदार कमी दर्ज की गई, क्योंकि केवल 547 टन ही वर्ष के दौरान प्रदीप्त हो पाया जबकि 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान क्रमशः 1190 एवं 1033 टन प्रदीपन हो पाया था। 2007-08 के दौरान, पालतू जानवरों का भोजन (831 टन) प्रदीप्त कुल मात्रा 1434 टन का 50 प्रतिशत ही वर्ष के दौरान पाया गया।

उपरोक्त विश्लेषण दर्शाता है कि ब्रिट ने संयंत्र में क्षमता उपभोग में वृद्धि हेतु गंभीर प्रयास नहीं किये तथा मसालों के प्रदीपन के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनियमन अर्जन में भी वृद्धि नहीं की।

ब्रिट ने जुलाई 2008 में बताया कि विदेशों के प्रदीप्त उत्पादों की घटती आवश्यकताएँ, तैयार किये गये उत्पादों की मात्रा में कमी के घटकों में से एक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाने के लिये सेमिनार में भाग ले रहे थे तथा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाये जा रहे थे।

फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने बताया कि क्योंकि खाना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिये नये प्रौद्योगिक उत्पाद स्वीकारने में लोग जागरूकता नहीं दर्शाते हैं तथा और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इसने यह भी बताया कि संयंत्र के लगाये जाने के पश्चात् 5 करोड़ रुपये की संचित प्रगति हुई है, जो कि संयंत्र पर वहन किये गये कुल पूंजी व्यय से कही अधिक थी।

यद्यपि तथ्य यह है कि 8 वर्ष के प्रचालन के बावजूद 2001-01 से 2007-08 के दौरान संयंत्र का उत्पादन 3.64 प्रतिशत और 19.57 प्रतिशत के बीच ही रहा, जो कि आशातीत राजस्व उत्पादन से बहुत कम था। संयंत्र क्षमता उपयोग में कमी आई है तथा अब तक ब्रिट के पास मसालों के प्रदीपन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा विनियमन का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से आशातीत अधिक्तम आर्थिक लाभ फली भूत नहीं हो पाये।

बी) रेडियोफार्मा नाभिकीय औषधि सुविधाओं का विस्तार

जून 1992 में डी.ए.ई. ने 8.90 करोड़ रुपये की लागत से "एक्सटेंशन आफ न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटिज" नामक परियोजना को मंजूरी दी, जो कि ब्रिट द्वारा 1996-1997 तक छोटे कस्बों एवं अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के ईलाज के लिये बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंजूर की गई थी। परियोजना में 20 व्यापक नाभिकीय चिकित्सा केन्द्रों (एन.एम.सी.) समेत सरकारी अस्पतालों में गामा कैमरों के साथ साथ चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में 50 आर.आई.ए.¹⁸ लगाये जाने का प्रावधान किया गया। लेखापरीक्षा में यह पता चला कि केवल 16 एन.एम.सी. एवं आठ आर.आई.ए. केन्द्र ही ब्रिट द्वारा स्थापित किये गये थे। यह भी पाया गया कि:-

- मेडिकल कॉलेज, कालीकट में लगाया गया एक गामा कैमरा जुलाई 2008 तक चालू नहीं किया जा सकता था, जबकि ब्रिट ने जुलाई 1993 में ही 0.37 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये थे। इलैक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) की कैमरा चालू करने में विफलता के कारण, ब्रिट ने एक निजी पार्टी को कार्य निष्पादन के आदेश दिये थे। परन्तु उक्त पार्टी द्वारा भी जुलाई 2008 तक न उपलब्ध कराने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना एवं अरिहंनर अन्ना सरकारी कैंसर चिकित्सा अस्पताल, काँचीपुरम स्थित तीन एन.एम.सी., जो कि 0.30 करोड़ रुपये एवं 0.35 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से स्थापित किये गये थे, जुलाई 2008 तक कार्यान्वित नहीं हो पाये। ई.सी.आई.एल. छः से दस वर्षों की देश के पश्चात् भी इन कमियों को नहीं सुधार सका।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि ई.सी.आई.एल. द्वारा गामा कैमरों की समुचित सेवा की व्यवस्था नहीं हो पाई, अतः इन केन्द्रों पर गामा कैमरों की मरम्मत की आवश्यकता के कारण मरीजों को सेवाओं से वंचित रखा गया।

ब्रिट ने जुलाई 2008 में बताया कि क्योंकि तकनीकी सक्षमता केवल ई.सी.आई.एल. के पास ही थी, अतः इन गामा कैमरों के सेवा एवं चालू करने के लिये ये ई.सी.आई.एल. से लगातार संपर्क में है। फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने कहा कि चूंकि विकसित देशों में प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं तथा इन उपकरणों की विभिन्न मॉड्यूल, इसमें कही अच्छी विशिष्टताओं के साथ बाजार में मौजूद हैं, अतः ई.सी.आई.एल. ने इस प्रौद्योगिकी को परिवर्तित करते हुए ऐसे कैमरों का बनाना बंद कर दिया तथा इनकी मरम्मत का कार्य भी रोक दिया गया।

¹⁸ रेडियो इम्यूनो एसे

डी.ए.ई. के इस जवाब को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि ई.सी.आई.एल. एक पब्लिक सैक्टर की ईकाई है, जो कि डी.ए.ई. के अंतर्गत आती है तथा इनके द्वारा आपूर्ति किये गये कैमरों की अबाधित सेवा एवं सटीक रखरखाव का दायित्व डी.ए.ई. पर है।

इस प्रकार से, ब्रिट का खाद्य प्रसंस्करण एवं रेडियों फार्मा के क्षेत्रों में नये प्रयोगों के समर्थन के मुख्य उद्देश्य को वांछित परिणाम नहीं मिल पाये है।

2.6.2.4 वाणिज्यिक ग्राहता की प्राप्ति

जब 1988 में ब्रिट की स्थापना की गई थी, तो वाणिज्यिक ग्राहता शीघ्रताशीघ्र प्राप्त करना ब्रिट के उद्देश्यों में से एक था। रेडिएशन और आइसोटोप के उपयोगपर समीक्षा समिति ने, 1998 की अपनी रिपोर्ट में पाया कि ब्रिट के प्रचालन कही भी वाणिज्यिक ग्राहता के आस पास नहीं थे तथा ब्रिट को अगले 10 वर्षों में अपने वाणिज्यिक प्रचालन के बढ़ाने हेतु एक लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए समीक्षा समिति के अनुसार, दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ग्राहता की परिभाषा की समीक्षा, न्यूनतम बिक्री क्रय राजस्व जो कि पानी का एक तत्व है, की ग्राहता की जांच के लिए कम से कम पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में कुल स्थिर परिसंपत्तियों के 10 प्रतिशत पर करनी चाहिए।

जनवरी 2003 में जब सचिव/डी.ए.ई. ब्रिट की निष्पादन क्षमता की समीक्षा कर रहा था, तो पाया कि ब्रिट की स्थापना के समय यह दर्शाया गया था कि वह वाणिज्यिक रेखाओं पर कार्य करेगा। इसने यह भी महसूस किया कि ब्रिट का प्राथमिक उद्देश्य रेडिएशन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को जहां तक संभव हो ग्राहता बनाना था, जबकि त्वरित उद्देश्य नकद नुकसानों को रोकना तथा लंबी अवधि के लिये, कुल लाभ अर्जित करने की संभावना होनी चाहिये। इसके लिये कार्यनीतियां तैयार करना भी अनिवार्य था। सचिव ने यह कहा कि सरकार की आशाएं बहुत ज्यादा है तथा योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोग द्वारा समाज को लाभ पहुंचाने की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं।

नीचे दर्शायी गई तालिका 2002-03 से 2007-08 के दौरान कुल बिक्री की तुलना में गैर आयोजना राजस्व व्यय को दर्शाती है:

(रूपयें करोड़ों में)

तालिका VI

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजी व्यय	लक्ष्य	कुल बिक्री
2002-03	24.49	2.69	20.00	21.67
2003-04	21.72	5.15	19.00	24.45
2004-05	22.65	4.83	23.50	31.85
2005-06	23.42	5.61	33.00	33.37
2006-07	22.09	14.64	40.00	39.95
2007-08	23.44	5.10	50.00	44.22

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि ब्रिट की बिक्री 2007-08के अतिरिक्त सभी वर्षों में लक्ष्य से अधिक रही है। यद्यपि यह किसी भी प्रकार से वाणिज्यिक ग्राहता को लेखाकरण के आवश्यक मानदंड के तौर पर स्थिर परिसम्पत्तियों के कम से कम 10 प्रतिशत रिटर्न को दर्शाती है, जैसा कि डी.ए.ई. की अपनी समिति द्वारा देखा गया, जो कि अब तक ब्रिट द्वारा शुरू नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ब्रिट केवल दो परियोजनाओं नामत कोबाल्ट हैन्डलिंग सुविधा एवं मसालों के प्रसंस्करण हेतु निरूपण संयंत्र से केवल 13 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष

ही अर्जित कर पाया। यद्यपि, इन परियोजनाओं के समय से पूरा न हो पाने के कारण प्रत्याशित राजस्व उत्पादन के लक्ष्य समय से प्राप्त नहीं हो पाये। दक्षतापूर्ण परियोजना निष्पादन से ब्रिट और अधिक राजस्व अर्जित कर सकता था तथा वाणिज्यिक ग्राहता भी पाई जा सकती थी।

फरवरी 2009 में, डी.ए.ई. ने बताया कि ब्रिट ने 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान प्रशंसनीय संवृद्धि दर्ज की है, जिसके कारण राजस्व व्यय कुल बिक्री से कहीं अधिक कम रहा। डी.ए.ई. के इस जवाब को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि दसवी योजना के बाद से ब्रिट की वाणिज्यिक ग्राहता का मूल्यांकन करने के लिये, इसे अपनी बिक्री को न केवल राजस्व व्यय के विरुद्ध आंकना चाहिये था, बल्कि कुल स्थिर परिसंपत्तियों के 10 प्रतिशत निवेश पर स्थिर रिटर्न के विरुद्ध भी देखा जाना चाहिए।

2.6.2.5 प्रोफार्मा लेखों का गैर रखरखाव

ब्रिट परमाणु ईंधन परिसर (एन.एफ.सी.) एवं गुरुजल बोर्ड (भारी पानी बोर्ड) की तरह डी.ए.ई. की औद्योगिक ईकाईयों में से एक है। यद्यपि यह एन.एफ.सी एवं एच.डब्ल्यू.बी. जैसे प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं करता। ब्रिट ने पीयर रिव्यू कमेटी द्वारा अनुशंसित चालू परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रोफार्मा लेखों की तरफ अभिमुख न हो जाने के कारण नहीं लगा पाया।

चूंकि ब्रिट का एक मुख्य उद्देश्य शीघ्रतिशीघ्र वाणिज्यिक ग्राहता प्राप्त करना था, प्रोफार्मा लेखा का रखरखाव अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार, जब किसी विभाग के प्रचालन में एक वाणिज्यिक अथवा अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के उपक्रम सम्मिलित होते हैं तथा उपक्रम की गतिविधियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति इस प्रकार की होती है कि वे सरकारी लेखों के सामान्य तंत्र के अनुरूप न बनाये जा सके तो उपक्रम के मुखिया को ऐसे सहायक एवं प्रोफार्मा लेखों को इस प्रकार के वाणिज्यिक रूप में रखना चाहिए, जिस पर कि सरकार एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक दोनों सहमत हो।

फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकारते हुए बताया कि शीघ्र अनुपालन हेतु प्रयास पहले ही शुरू किये जा चुके हैं।

2.6.3 अनुवीक्षण

बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (प्रबंधन बोर्ड) ब्रिट की शीर्ष संस्था होती है जो कि सरकार की मंजूरी हेतु पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, स्कीमों के लिए व्यक्तिगत योजनाएं तथा अपनी गतिविधियों की समय समय पर समीक्षा हेतु अनुशंसाएं करती है। डी.ए.ई. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप, प्रबंधन बोर्ड को तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करनी पड़ती है। यद्यपि, यह पाया गया कि 2003-04 से 2004-08 के दौरान, ये केवल 10 बार ही बैठे जबकि इस अवधि के दौरान कम से कम 20 अनिवार्य बैठकें आयोजित की जानी चाहिए थी।

जुलाई 2008 में ब्रिट ने कहा कि संवृद्धि के मार्गदर्शन हेतु तथा तकनीकी एवं वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए बोर्ड की बैठकों की संख्या में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 2009 में डी.ए.ई. ने यह भी कहा कि अब बोर्ड मीटिंग नियमित तौर पर आयोजित की जा रही है।

सिफारिशें

7. प्लान फंडिंग की दक्षता एवं जवाबदेही के सुदृढ़ बनाने के लिये व्यक्तिगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन तंत्र एवं अधिकल्पन की ओर ब्रिट को विशेष ध्यान देना

चाहिए।

8. मानीटरिंग को अर्थपूर्ण एवं एकाग्र बनाने के लिये, स्पष्ट वर्णित सूचकों की (इन्पुट एवं आउटपुट इंडीकेटरों) पहचान, परियोजनाओं के निर्धारण स्तर पर विशिष्ट समयसीमा के साथ किये जाने की आवश्यकता है ताकि परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित समय सीमा में ही हो सकें तथा अधिक लागत को भी रोका जा सके।
9. बी.आर.आई.टी. (ब्रिट) द्वारा 1988 में तय किये गये वाणिज्यिक ग्राहता के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यथासंभव शीघ्रतिशीघ्र प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

2.6.4 निष्कर्ष

ब्रिट के वित्तीय प्रबंधन के तंत्र में सुधार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष में ही ब्रिट के बहुत से अव्ययित प्रावधान थे। नौवीं और दसवीं योजना में भी ब्रिट द्वारा शुरु की गयी परियोजनाओं के भौतिक समापन में बहुत सी कमियां पाई गईं। फलस्वरूप, परियोजनाओं से प्रत्याशित लाभ अभी तक प्रोद्भूत नहीं हो पाये। विकिरण प्रौद्योगिकी हेतु एकीकृत सुविधा एवं आधारभूत सुविधाओं में संवर्धन जैसी परियोजनाओं की गति काफी धीमी थी तथा ये परियोजनाएं न तो वित्तीय और न ही भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर पाईं। ब्रिट के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रेडियो फार्मा एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में नये प्रयोगों को समर्थन देना था, जो कि पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाया। रेडियो फार्मा के क्षेत्र में, ब्रिट विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण एवं प्रभावी बाजारीकरण करने में सफल नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त, ब्रिट देश में आईसोटोप प्रौद्योगिकी परमाणु औषधि, टेलिथैरेपी एवं खाद्य प्रसंस्करण के प्रयोगों की वृद्धि से काफी दूर रहा। ब्रिट ने वाणिज्यिक ग्राहता प्राप्त करने के लिए भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये है, क्योंकि बी.आर.आई.टी., डी.ए.ई. की समीक्षा समिति (रिव्यू कमेटी) के सुझावों का कार्यान्वयन नहीं कर पाया था जो कि 1988 में बी.आर.आई.टी. की स्थापना के समय इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना गया था। ब्रिट, प्रोफार्मा लेखे तैयार करने में भी विफल रहा, जो कि वाणिज्यिक ग्राहता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक थे।

अध्याय III: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

3.1 प्रौद्योगिकी के गैर-वाणिज्यीकरण के कारण निष्फल व्यय

उन्नत संगणक विकास केन्द्र द्वारा सशर्त एक्सेस प्रणाली सहित सैट टॉप बॉक्स के विकास में विफलता के परिणामस्वरूप 1.18 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी) की वित्तीय सहायता से उन्नत संगणक विकास केन्द्र, सी. डेक. नोएडा ने "दूरदर्शन पर इंटरनेट एक्सेस के लिये सैट टॉप बॉक्स (एस.टी.बी.) का स्थापन एवं कार्यान्वयन" नामक परियोजना मार्च 2005 में शुरू की। यह परियोजना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये ली गई थी कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या इंटरनेट एक्सेस टर्मिनल जैसे कि पी.सी. इत्यादि की उच्च लागत के कारण इंटरनेट सुविधा नहीं ले सकती। परियोजना के अर्न्तगत विकसित एस.टी.बी. कम कीमत के इंटरनेट एक्सेस टर्मिनल होने थे (लगभग 3500 रुपये) जो कि टीवी के लिये अंकीय उपकरण गति प्राप्त करने और टीवी पर इंटरनेट पहुँच का उद्देश्य पूर्ति कर सकें और इस प्रकार, इसकी बाजार में भारी माँग होगी। उन्नत संगणक विकास केन्द्र ने अपनी परियोजना में इंगित किया कि अंकीय एस.टी.बी. के विभिन्न स्तरों को विकसित करने में लगी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुये आदिस्त्र विकसित करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे और परियोजना के अर्न्तगत विकसित तकनीक को हस्तांतरित करेंगे। भारतीय दूरसंचार उद्योग (आई.टी.आई.) बेंगलूर और भारतीय इलैक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड (ई.सी.आई.एल) हैदराबाद को प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिये प्रक्षेपित किये गये थे।

एक करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से 0.56 करोड़ रुपये डी.एस.टी. द्वारा दिये जाने थे और शेष 0.44 करोड़ रुपये उन्नत संगणक विकास केन्द्र द्वारा वहन किये जाने थे। परियोजना की अवधि छः महीने अर्थात् सितम्बर 2005 तक थी। डी.एस.टी. ने अक्टूबर 2004 में जोर देकर कहा कि उन्नत संगणक विकास केन्द्र को इसके स्थापन स्तर से ही टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर जेनरिक रिक्वायरमेंट (टी.ई.सी.जी.आर) को मद्देनजर रखें। डी.एस.टी. की परियोजना मूल्यांकन समिति ने, दिसम्बर 2004 में परियोजना को मंजूरी देते हुये पाया कि एस.टी.बी. को केवल टीवी वास्तुकला पर ब्रॉडबैंड एक्सेस पर टी.ई.सी.जी.आर. की पूर्ति करनी चाहिये। इस जेनेरिक आवश्यकता में विशेषतः निर्धारित किया गया कि एस.टी.बी. द्वारा सशर्त पहुँच प्रणाली (सी.ए.एस./कैस) कार्यान्वित की जानी चाहिये।

यद्यपि उन्नत संगणक विकास केन्द्र ने परियोजना की निर्धारित अवधि में एस.टी.बी. के आदिस्त्र (प्रोटोटाईप) बना लिये थे परन्तु केन्द्र ने एस.टी.बी. में कैस को सम्मिलित नहीं किया था। केन्द्र कथित आदि स्त्र (प्रोटोटाईप) के क्षेत्रीय परीक्षण भी पूरे नहीं कर पाया था। अक्टूबर 2005 में हुई परियोजना समीक्षा स्टीयरिंग समिति (पी.आर.एस.जी.) की बैठक में, उन्नत संगणक विकास केन्द्र ने सूचित किया कि ई.सी.आई.एल., जो कि पहले ही अन्य एस.टी.बी. का निर्माण कर रहा था, ने एस.टी.बी. के आगामी स्थापनों में रुचि दिखाई और उसे निर्माण करने का आश्वासन दिया। तदनुसार, पी.आर.एस.जी. ने एस.टी.बी. आदि स्तरों के क्षेत्रीय परीक्षणों के लिये परियोजना की अवधि को छः महीने और बढ़ा दिया। (अर्थात् मार्च 2006 तक), पी.आर.एस.जी. ने उन्नत संगणक विकास केन्द्र को ई.सी.आई.एल. के अतिरिक्त दो और विक्रेता ढूढने को कहा जो प्रौद्योगिक का प्रयोग कर सकें। फिर भी, यह पाया गया कि उन्नत संगणक विकास केन्द्र

आई.टी.आई. और ई.सी.आई.एल. के अलावा और कोई उत्पादन एजेन्सी नहीं ढूँढ पाया जैसाकि परियोजना प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी लेने के लिए प्रक्षेपित थे।

परियोजना 1.18 करोड़ रुपये की कुल व्यय के साथ मार्च 2006 में संपूर्ण हुई थी (0.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय उन्नत संगणक विकास केन्द्र के फण्ड से लिया गया था) और उन्नत संगणक विकास केन्द्र ने अप्रैल 2006 में डी.एस.टी. को परियोजना समापन रिपोर्ट सौंप दी थी। समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् उन्नत संगणक विकास केन्द्र ने दस और क्षेत्रीय परीक्षण किये और एस.टी.बी. को संशोधित किया। फिर भी, केन्द्र ने कैस सहित एस.टी.बी. की वर्तमान बाजार में मांग होने के बावजूद भी दो प्रेक्षित प्रौद्योगिकी लेने वालों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं की थी। उन्नत संगणक विकास केन्द्र ने अक्टूबर 2006 में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें तकनीक के वाणिज्यीकरण के लिये संभावित पार्टियों को आमंत्रित किया, परन्तु इसे कोई लेने वाला नहीं मिला।

डी.आई.टी. ने अपने नवम्बर 2008 के उत्तर में, एक दस्तावेज जिसका शीर्षक था "आई.पी. नेटवर्क में अंश सेवाओं के लिये एस.टी.बी." जिसको टी.ई.सी. द्वारा जून 2005 में जारी किया था और बताया कि दस्तावेजों में कैस के बारे में कुछ नहीं बताया था। डी.आई.टी. ने यह भी कहा कि एस.टी.बी. सहित कैस लगाने की करने का लागत विदिशा लगभग एक करोड़ रुपये या अधिक थी, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत लाईसेंसिंग शुल्क था और लाईसेंसिंग इस लागत को निर्माण करने वाली फर्म द्वारा वहन किया जाना था। उन्नत संगणक विकास केन्द्र की अतिरिक्त जनशक्ति लागत केवल 5-10 लाख रुपये होगी, परन्तु निवेश तब तक व्यवहार्य नहीं था, जब तक कि निर्माण करने वाली फर्म से लाइसेंस के लिये भुगतान करने की पुष्टि नहीं हो जाती।

डी.आई.टी. का उत्तर सही स्थिति को नहीं दर्शाता क्योंकि डी.एस.टी. द्वारा परियोजना केवल टीवी आर्किटेक्चर की ब्रॉडबैंड पहुंच पर टी.ई.सी.-जी.आर.के आधार पर अनुमोदित की गई थी, जिसमें यह निर्धारित किया था कि एस.टी.बी. में कैस अवश्य होना चाहिए और डी.आई.टी. का संदर्भ जेनेरिक आवश्यकताओं का एक अलग समूह होना था। जहाँ तक एस.टी.बी. में कैस को सम्मिलित करने में लागत का संबंध है, उत्तर को अक्टूबर 2005 में हुई पी.आर.एस.जी. की उन्नत संगणक विकास केन्द्र को दिए विदिश आश्वासन के तौर पर देखा जाना चाहिए कि ई.सी.आई.एल. ने एस.टी.बी. के भविष्य में आने वाले रूपों में रुचि दिखाई थी और उनके निर्माण का आश्वासन दिया था।

इस प्रकार, एस.टी.बी. के विकास में कैस को लागू करने से संबंधित टेलिकॉम इंजीनियरिंग सेंटर की जेनेरिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण दो वर्ष बीत जाने पर भी इसका वाणिज्यीकरण नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

3.2 ग्राम संचार के लिए ब्रॉडबैंड पहुंच प्रणाली का अवाणिज्यिकरण

प्रभावी लागत के अध्ययन के बिना परियोजना को कार्यान्वित करने से ग्राम संचार के लिए कम लागत वाली ब्राडबैंड पहुंच प्रणाली देने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जिससे रुपये 1.31 करोड़ का व्यर्थ खर्च हुआ।

उन्नत संगणक विकास केन्द्र (सी.डैक नोएडा) ने अप्रैल 2004 में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की वित्तीय सहायता से ग्राम संचार के लिए ब्राडबैंड

पहुंच प्रणाली पर आधारित "आर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीपलैक्सिंग" (ओ.एफ.डी.एम) का विकास नामक परियोजना शुरू की। इस परियोजना की संस्वीकृत लागत रुपये 1.06 करोड़ थी जिसमें से डी.एस.टी. को रुपये 52 लाख का योगदान देना था और परियोजना की अवधि एक वर्ष थी। इस परियोजना का उद्देश्य ब्रॉडबैंड आधारित उपकरण का विकास करना था जिससे प्रत्येक ग्रामीण घर को उच्च गति आंकड़ें तथा सेवाओं हेतु कम लागत बेतार सम्पर्क में उपलब्ध करायी जा सके। इस परियोजना में यह भी प्रेक्षित था कि उपकरण सामूहिक शिक्षा तथा दूर-शिक्षा कार्यक्रमों में अत्यंत लाभदायक होगा।

लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि यद्यपि परियोजना उत्पादन सम्भाव्य क्षमता के साथ-साथ प्रयोग आधारित भी थी, सी डैक ने परियोजना शुरू करने से पहले भविष्य के उत्पाद की कोई लागत समीक्षा नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भारतीय दूर संचार उद्योग (आई.टी.आई) बंगलौर, जिसकी पहचान उत्पादन एजेंसी के रूप में की गई थी, ने (दिसम्बर 2004 तथा फरवरी 2005 के बीच) सी डैक से बारबार अनुरोध किया कि प्रस्तावित उपकरण के थोक उत्पादन की अनुमानित लागत का अभिकलन करें ताकि इसकी तुलना वर्तमान बाजार दर से तुलना की जा सकें। फिर भी, सी डैक ने कोई ऐसा लागत आंकलन नहीं किया था और परियोजना जारी रखी।

परियोजना रुपये 1.06 करोड़ की संस्वीकृत लागत के स्थान पर रुपये 1.31 करोड़ के व्यय से दिसम्बर 2005 में पूरी हुई। सी-डैक द्वारा रुपये 25.25 लाख का अधिक्त व्यय वहन किया गया था।

फरवरी 2006 में हुई परियोजना समापन बैठक में आई.टी.आई. उत्पादन के लिये सहमति हुई यदि सी डैक, आई.टी.आई. को सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाए। सी डैक को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रॉयल्टी के लिये ली राशि को अन्तिम रूप देने के लिये भी कहा गया। सी डैक ने जुलाई 2006 में तकनीकी विशिष्टताएं, परीक्षण परिणाम, सामग्री की लागत के विवरण सहित अंतिम परियोजना रिपोर्ट आई.टी.आई. को भेजी। हाँलाकि भेजे गये विवरण काफी नहीं थे और आई.टी.आई. ने अगस्त 2006 में सी डैक को 100 इकाई, 50000 इकाईयों की आरम्भिक उत्पादन और एक लाख इकाईयों के थोक उत्पादन के लिये सामग्री लागत सूचित करने के लिये अनुरोध किया। सी डैक ने अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराया क्योंकि इसने ऐसा कोई लागत अनुमान तैयार नहीं किया था और इसलिए उत्पाद की समर्थता का पता नहीं लगाया जा सका। आगे, आई.टी.आई., बंगलौर ने तकनीकी उन्नयन के कारण उपकरण का उत्पादन नहीं किया। सी डैक ने किसी अन्य एजेंसी के द्वारा उत्पाद के वाणिज्यिकरण के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया था।

अतः ग्रामीण संचार के लिये कम लागत पर ब्रॉडबैंड पहुंच प्रणाली उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका जिससे रुपये 1.31 करोड़ का व्यय व्यर्थ हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.) ने नवम्बर 2008 के उत्तर में न तो उत्पाद में लागत आंकलन और न करने के कारण बताये और ना ही उत्पाद के वाणिज्यिकरण न करने के कोई कारण बताया और बताया कि उत्पाद अभी भी परिचालित है और प्रयोगशाला में उपलब्ध है जिसे देखा और जांचा जा सकता है। डी.आई.टी. का उत्तर इस संदर्भ में देखा जाना चाहिये कि उत्पाद के प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर बढ़ने के कारण भविष्य में इसके वाणिज्यिकरण की कोई सम्भावना नहीं है।

¹ ओ.एफ.डी.एम. अधिक डिजिटल डाटा रेडियो तरंग पर भेजने के लिये एक नियमित तकनीक है। ओ.एफ.डी.एम. रेडियो सिगनलों को छोटे छोटे बहुत सिगनलों में विभाजित कर पाने वालों को एक साथ अलग अलग आवृत्तियों में भेजता है।

3.3 भूमि अधिग्रहण पर पट्टा संधि को अंतिम रूप न देने के कारण निष्फल व्यय

प्रगतिशील संगणना विकास केन्द्र द्वारा वैद्यता अवधि के दौरान पट्टा संधि का अंतिम रूप निश्चित करने में असफलता और पट्टा संधि पर हस्ताक्षर किये बिना पूणे नगर निगम परिषद (पी.एम.सी.) को भुगतान करने के परिणामस्वरूप जमीन के प्रीमियम के रूप में भुगतान किये गये 72.06 लाख रुपये और प्रतिभूति पर व्यय हुये 16.18 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। निर्माण गतिविधियों के शुरू न होने के कारण सी-डेक को रु.45.64 लाख की राशि के ब्याज की हानि भी हुई क्योंकि पी.एम.सी. को दिया गया प्रीमियम बेकार रहा।

प्रगतिशील संगणना विकास केन्द्र (सी-डेक), भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अर्न्तगत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। यह सुपर कम्प्यूटर और सुपर कम्प्यूटिंग के डिजाईन और विकास के लिए भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है।



पूणे की भूमि

सी-डेक ने, शिक्षा के उद्देश्य हेतु मई 1997 में, पूणे नगर निगम (पी.एम.सी.) द्वारा विशरान्तवाड़ी, पूणे में 2 एकड़ भूमि के पट्टे के लिये सार्वजनिक निविदा सूचना जारी की गई थी। पी.एम.सी. ने इस भूमि का अधिग्रहण अक्टूबर 1992 में महाराष्ट्र सरकार से अक्टूबर 2007 तक 15 वर्षों की अवधि के लिये पट्टे के

लिये किया। सी-डेक ने जून 1997 में एक प्रगतिशील कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूल के साथ इसका अनुसंधान और विकास खण्ड (आर.एण्ड डी.), छात्रावास, स्टॉफ क्वाटर्स इत्यदि के लिये 5 वर्षों की समय अवधि के भीतर यानि जून 2002 तक निर्माण के लिये प्रस्ताव दिया।

पी.एम.सी. ने सितम्बर/अक्टूबर 1998 में 72.06 लाख रुपये के प्रीमियम पर 9 वर्षों के पट्टे के आधार पर सी-डेक को भूमि का प्रस्ताव, यह कहते हुये दिया कि पट्टे की अवधि को आगे बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। सी-डेक ने प्रारंभ में पट्टा अनुबंध के निष्पादन के समय 36.06 लाख रुपये और शेष राशि एक लाख रुपये की मासिक किश्तों में देने को सहमत हुआ था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी-डेक ने पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किये बिना ही, मार्च और अगस्त 2000 में क्रमशः 36.06 लाख रुपये और 36.00 लाख रुपये की दो किश्तों में पूरा भुगतान कर दिया था। सी-डेक ने अप्रैल 2000 में भूमि का अधिग्रहण कर लिया।

तथापि, भूमि अधिग्रहण की तिथि से 8 वर्ष से ज्यादा बीत जाने पर भी, सी-डेक ने न तो निर्माण कार्य शुरू किया, औ न ही अब तक (सितम्बर 2008) पट्टा अनुबंध को अंतिम रूप दिया था। पट्टा अनुबंध को अंतिम रूप न देने का मुख्य कारण यह था कि सी-डेक, पी.एम.सी. कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण/रियायती शुल्क पर प्रशिक्षण देने के अक्टूबर 1998 में दिये गये पी.एम.सी. के सुझाव से सहमत नहीं था। मार्च/अगस्त 2000 में अदा किये गये 72.06 लाख रुपये के भुगतान से पहले इस मुद्दे

को हल न करने के कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। इसी बीच, पी.एम.सी. का भूमि पर अधिकार खत्म हो गया क्योंकि अक्टूबर 2007 में पट्टा अवधि समाप्त हो गई थी। फिर भी, सी-डेक ने सितम्बर 2008 तक पी.एम.सी. को भूमि नहीं सौंपी थी। सी-डेक ने जनवरी 2008 में विशरान्तवाड़ी, पुणे में तैनात अपने सुरक्षा स्टॉफ को भी 16.18 लाख रुपये व्यय का वहन करने के बाद वापिस बुला लिया।

इस प्रकार, पट्टे की वैधता अवधि के अन्दर पट्टा अनुबंध रूप न देने और पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किये बिना भुगतान करने के परिणामस्वरूप 7 वर्षों से भी ज्यादा समय तक 72.06 लाख रुपये के अलावा भूमि की सुरक्षा के लिये 16.18 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। आगे, सी-डेक ने निर्माण क्रिया गतिविधि शुरू न होने के कारण पी.एम.सी. को प्रीमियम के रूप में दिये 45.64 लाख रुपये पर ब्याज का नुकसान भी हुआ। इसके अतिरिक्त, सी-डेक का प्रगतिशील कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूल और प्रशिक्षण देने से जुड़ी अवसंरचना और इस कैम्पस से आर. एण्ड डी. गतिविधियों शुरू करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

डी.आई.टी. ने सितम्बर 2008 में बताया कि 36 लाख रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान शेष राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज के भुगतान से बचने के लिये किया गया और यह माना कि उस भूमि के निर्माण के लिये इतनी बड़ी राशि को निवेश करना ठीक नहीं था, जो कुछ वर्षों के लिये अधिकृत रहेगी। यह भी बताया कि सी-डेक, पी.एम.सी. के साथ पट्टा अवधि को बढ़ाने और पट्टा अनुबंध पर औपचारिक हस्ताक्षर करने के लिये प्रयत्नशील है। यह भी दावा किया कि भूमि सी-डेक के पास ही होगी और निहित अभ्यर्ण नहीं हुआ।

उत्तर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये विचार करने की आवश्यकता है कि सी-डेक वर्ष 2000 में इसी तरह से किये गये भुगतान के बावजूद पी.एम.सी. से पट्टा अनुबंध को निष्पादित कराने में समर्थ नहीं हुआ और इसके अतिरिक्त, पट्टा अवधि अक्टूबर 2007 में ही समाप्त हो गई।

अध्याय IV: वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विभाग

4.1 परियोजना के जल्द समापन होने पर निजी कम्पनी से देय की वसूली न होना

अनुबन्ध के प्रावधानों की अनुपालना में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप निजी फर्म से रूपये 27 लाख की वसूली नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण था, प्राप्त होना बाकी था

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) ने मार्च 2004 में 32 चैनल डिजिटल वॉयस लॉगर¹ नामक परियोजना मैसर्स अबैक्स सॉफ्टवेयर, नई दिल्ली को संस्वीकृति दी। परियोजना की कुल लागत रूपये 2.15 करोड़ थी जिसमें से डी.एस.आई.आर. का अंश रूपये 75 लाख था। परियोजना का उद्देश्य डिजिटल वॉयस लॉगर की उच्च कोटि जिसमें अतिरिक्त विशेषताएं जैसे कि 32 चैनल को एक साथ रिकार्ड करना विन्डोस 2000 की अनुकूलता, फैक्स अनुकूलता आदि का विकास करना था। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) को डी.एस.आई.आर. और मैसर्स अबैक्स सॉफ्टवेयर की ओर से तीसरी पार्टियों के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का लाइसेंस देना था। परियोजना को मार्च 2005 में पूरा होना था।

मार्च 2004 में हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार

- डी.एस.आई.आर. के पास परियोजना समीक्षा समिति (पी.आर.सी.) की सिफारिश पर अनुबंध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार था यदि वो इस बात से सन्तुष्ट हो कि दिये गये पैसे का उचित उपयोग नहीं हुआ, यदि उपयुक्त प्रगति न हुई हो और यदि परियोजना का नियम और शर्तों के अनुसार नहीं चला। (खंड 13 ए)
- डी.एस.आई.आर. के पास समस्त अनुदान की कुल राशि को 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित मैसर्स अबैक्स सॉफ्टवेयर से वसूलने का अधिकार था यदि वह, डी.एस.आई.आर. की अनुमति के बिना अपनी इच्छा से परियोजना को छोड़ती है अथवा परियोजना उपरोक्त अनुसार बीच में छोड़ी गई हो (खंड 13 बी)
- यदि उपरोक्त दिये गये कारणों के अतिरिक्त किसी तकनीकी-आर्थिक कारणों से, पी.आर.सी. की सिफारिश पर तथा डी.एस.आई.आर. के निर्देश पर परियोजना छोड़ी गई हो, तो मैसर्स अबैक्स सॉफ्टवेयर को अव्ययित हुई राशि प्रोद्भवन ब्याज सहित या डी.एस.आई.आर. निधि से प्राप्त की हुई परिसम्पत्तियों के निपटान के द्वारा प्राप्त की गई राशि लौटानी थी। (खंड 13 सी)

डी.एस.आई.आर. ने मार्च 2004 में रूपये 30 लाख जारी किए और जुलाई 2004, फरवरी 2006 और अप्रैल 2006, में डी.एस.आई.आर. के साथ परियोजना समीक्षा समिति (पी.आर.सी.) द्वारा परियोजना की समीक्षा की गई तथा मई 2007 में परियोजना को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया। यह पाया गया कि:

- मैसर्स अबैक्स सॉफ्टवेयर ने डी.एस.आई.आर. द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद भी परियोजना गतिविधियों की कोई मासिक रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की थी।

¹ दूरभाष केन्द्र में समान्तर लाइन पर बातचीत रिकार्ड करने के लिए डिजिटल वॉयस रिकार्डर पर आधारित सामान्तर पोर्ट

- मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक ने फरवरी 2006 में डी.एस.आई.आर. को सूचित किया कि परियोजना को 31 अगस्त 2006 तक पूरा होने की संभावना थी। यद्यपि उसने परियोजना के पूरा होने की संशोधित सारिणी के अलावा कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।
- डी.एस.आई.आर. ने अगस्त 2006 में मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक का आकस्मिक दौरा करके बताया कि परियोजना 10 सितम्बर 2006 तक पूरी हो जाएगी। हालांकि मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक ने न तो परियोजना पूरी की और न ही व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र (एस.ओ.ई./यू.सी) प्रस्तुत किए।
- डी.एस.आई.आर. ने फरवरी 2007 में आकस्मिक दौरा पुनः आयोजित किया और मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक द्वारा परियोजना को 20 अप्रैल 2007 तक पूरा करने तथा एस.ओ.ई./यू.सी 23 फरवरी 2007 तक दिए जाने का आश्वासन दिया। यद्यपि परियोजना पूरी नहीं हो सकी।

मई 2007 में मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक ने बताया कि कर्मचारियों की आवर्त के कारण इसे हानि हुई और वह परियोजना को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। उसने ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया और डी.एस.आई.आर. को रूपये 30 लाख का पूरा अनुदान लौटाने पर सहमति दी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि हालांकि वचनबद्धता में कम्पनी परियोजना को समय पर पूरी करने में विफल रही। पूरे सरकारी अनुदान रूपये 30 लाख के साथ 12 प्रतिशत ब्याज पर अदायगी पर जोर देने की बजाए। पी.आर.सी. ने सिफारिश की कि एन.आर.डी.सी. ने मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक से 15 जून 2007 तक लेखापरीक्षित व्यय विवरणी (एस.ओ.ई./यू.सी.) अनुदान का 50 प्रतिशत अर्थात् रूपये 15 लाख इकट्ठा करेगा। आगे, मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक लिमिटेड को अनुबंध के खंड (13) सी के अनुसार उपरोक्त सारिणी का अनुपालन करने पर परियोजना को बंद करने की स्वीकृति दी।

यह देखा गया कि मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक ने 26 जून 2007 को रूपये 15 लाख का एक चैक एन.आर.डी.सी. को भेजा और अनुरोध किया कि धन की कमी के कारण वो इसे 4 जुलाई 2007 के बाद जमा करे। एन.आर.डी.सी. ने मार्च 2008 में रूपये 15 लाख सरकारी खाते में जमा करवाए। हालांकि मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक से सितम्बर 2008 तक शेष राशि के एस.ओ.ई./यू.सी प्राप्त नहीं हुए थे। डी.एस. आई.आर. ने मार्च 2008 में उत्तर दिया कि पी.आर.सी. ने केवल बकाया शेष अनुदान ब्याज सहित वसूली की सिफारिश की न कि डी.एस.आई.आर. द्वारा दी गई ब्याज सहित पूरी अनुदान राशि की क्योंकि मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक ने जानबूझ कर चूक नहीं की। डी.एस.आई.आर. ने अक्टूबर 2008 में आगे बताया कि आर एंड डी परियोजनाओं में असफलताएं सामान्य हैं और पी.आर.सी. ने मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक लिमिटेड को रूपये 15 लाख लौटाने के लिए सहमत करवा के सरकार के हित सुरक्षित किए क्योंकि अनुभव से यह देखा गया है कि विवादित दावों का अन्त मध्यस्थता में होता है जिसके परिणाम के विषय में कुछ भी कहना नामुमकिन है। डी.एस.आर.आई ने यह राय दी कि सरकार ने कुछ धनराशि खोई परन्तु छोटी कम्पनी को बहुत अधिक नुकसान हुआ।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक रूपये 30 लाख की पूरी राशि लौटाने को सहमत हुआ था जबकि डी.एस.आई.आर. ने केवल आधी राशि लौटाने का ही दावा किया। डी.एस.आई.आर. और पी.आर.सी. को यह भी मालूम नहीं था कि उनके द्वारा दी गई राशि का उचित प्रयोग हुआ है या नहीं क्योंकि मैसर्स अबैक्स सोफ्टैक लिमिटेड ने अभी तक यू.सीज्/एसओईस् नहीं दिए। शुरु से ही कम्पनी ने भुगतान की समय सारिणी का अनुपालन नहीं किया, जिसकी परियोजना बंद करते समय सिफारिश

की गई थी। परियोजना खंड 13 (बी) के अन्तर्गत बन्द करना और समस्त अनुदान की ब्याज सहित वसूलना ही उचित कार्यवाही होती।

अतः डी.एस.आई.आर द्वारा बकायादार कम्पनी के विरुद्ध की गई कार्यवाही अनुबन्ध के अनुसार नहीं थी परिणामतः रुपये 15 लाख की मूल राशि और रुपये 12 लाख ब्याज की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, परियोजना के उद्देश्यों की जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, की प्राप्ति नहीं हो सकी।

4.2 लेखापरीक्षा के कहने पर देय की वसूली

राष्ट्रीय महासागर संस्थान, गोआ में किराया एवं विद्युत प्रभारों इत्यादि की वसूली में निष्क्रियता के परिणामतः 17 सालों से अधिक के लिए रुपये 47.71 लाख की राशि का संचय हुआ जिसमें से लेखापरीक्षा के कहने पर रुपये 31.53 लाख की वसूली की गई थी।

राष्ट्रीय महासागर संस्थान गोआ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद् की एक संवैधानिक इकाई है जिसने अपना परिसर विभिन्न संगठनों जैसे भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई. एम.डी.) और अन्य इकाई जैसे अपना बाजार को पट्टे पर दिया था। राष्ट्रीय महासागर संस्थान इन इकाईयों से पट्टा किराया और पानी एवं विद्युत शुल्क इकट्ठा करता रहा था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने न तो लीज अनुबंध को संशोधित किया और न ही रुपये 47.71 लाख के देय का संग्रह किया जैसे निम्न वर्णित है।

- **भारतीय स्टेट बैंक:-** अगस्त 1994 में भारतीय स्टेट बैंक ने राष्ट्रीय महासागर संस्थान के साथ तीन वर्ष के लिए जो कि दिसम्बर 1993 से प्रभावी थी राष्ट्रीय महासागर संस्थान

भारतीय स्टेट बैंक



गोआ परिसर में अपना बैंक व्यापार चलाने के लिए लिए रुपये 2990 की मासिक लाइसेंस फीस की दर से एक लीज अनुबंध का निष्पादन किया। दिसम्बर 1996 में समय समाप्त होने के बावजूद भी जुलाई 2008 तक समझौते में संशोधन नहीं किया गया था। मई 1999 में लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण में पाया गया कि राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने अप्रैल 1984² में विज्ञान एवं

औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् के निर्देश के अंतर्गत एक किराया नियंत्रण समिति का गठन किया। तदनुसार, राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने अक्टूबर 2000 और अप्रैल 2001 में रुपये 7100 और 20,476 प्रति माह से किराया प्राप्त किया था। परन्तु इसकी सूचना भारतीय स्टेट बैंक को फरवरी 2002 में दी गई। जबकि भारतीय स्टेट बैंक लगातार रुपये 2990 प्रतिमाह की पुराने दर पर अदा कर रहा था कि यह मामला बैंक के उच्च अधिकारियों

² विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं को बैंक से बाजार दर/मानक लाइसेंस फी प्रभार के बारे में निर्देश

के ध्यान में लाया गया था। केवल पिछले पांच सालों के बाद जनवरी 2007 में राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने भारतीय स्टेट बैंक को संशोधित किराया अदा करने के लिए कहा।

आगे, अप्रैल 2008, में किराया रूपये 25,595 और रूपये 59,300 प्रतिमाह की दर से क्रमशः अप्रैल 2006 और अप्रैल 2008 से तय किया गया था।

राष्ट्रीय महासागर संस्थान की संशोधित दरों पर किराया वसूली करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप मार्च 2008 तक लाइसेंस फीस के लिए रूपये 16.46 लाख की किराए का बकाया संचित वसूली थी। इसके अलावा, पट्टा समझौता के प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज उद्ग्रहीत करना था। इस प्रकार, मार्च 2008 तक रूपये 11.47 लाख का ब्याज भुगतान योग्य था। राष्ट्रीय महासागर संस्थान बिजली और पानी के बिल जो कि बैंक द्वारा इसके आने के बाद परिसर में दिए जाने थे, वह भी वसूल नहीं किए। राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने जुलाई 2008 और अक्टूबर 2008 में, 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए किराया और दिसम्बर 1993 से जून 2008 की अवधि तक विद्युत एवं पानी शुल्क क्रमशः रूपये 12.88 लाख और रूपये 16.46 लाख की वसूली की पुष्टि की।

आगे यह भी बताया गया कि अप्रैल 2008 के बाद की अवधि के लिए किराए को पुनरीक्षण के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। यद्यपि यह तथ्य बाकी है कि राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने केवल लेखापरीक्षा के कहने पर किराया वसूली की, और अक्टूबर से 2008 तक रूपये 11.47 लाख ब्याज की वसूली की जानी बाकी थी।

- **बी.एस.एन.एल.-** राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने अगस्त 1994 से रूपये 1802 प्रतिमाह की दर से और अप्रैल 2001 से रूपये 4373 प्रतिमाह की दर से किराया नियत किया था। बी.एस.एन.एल. ने अगस्त 1994 से मार्च 2001 तक की अवधि का रूपये 2.92 लाख की किराया राशि का भुगतान किए बिना जनवरी 2004 में परिसर को खाली कर दिया था। राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने अक्टूबर 2008 में बताया कि मामला उच्च प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाएगा।
- **आई.एम.डी.-** राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने मई 1978 से रूपये 2050 और अप्रैल 2001 से रूपये 4996 प्रतिमाह की दर से किराए की राशि नियत किया था। मई 2004 में आई.एम.डी. ने परिसर खाली कर दिया था। आई.एम.डी. द्वारा अप्रैल 1991 से मार्च 1992 और अप्रैल 2002 से मई 2004 की अवधि का विद्युत एवं जल शुल्क और किराया रूपये 1.62 लाख की बकाया राशि को भुगतान किया जाना अभी बाकी था। राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने अक्टूबर 2008 में बताया कि मामलों को संबोधित प्राधिकारियों के साथ साथ प्रेषण हेतु उठाया गया था।
- **अपना बाजार:-** राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने अपना बाजार को अगस्त 1994 में 102.40

अपना बाजार



वर्ग मीटर का क्षेत्र पट्टे पर दिया था। राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने जनवरी 2007 में अगस्त 1994 से रूपये 500 प्रतिमाह पर किराया जमा 5 प्रतिशत प्रतिमाह जमा विद्युत शुल्क लाभ जोड़कर निश्चित किया और अक्टूबर 2000 रूपए 2445 और अप्रैल 2001 से रूपए 9193 किराया नियत करने का फैसला किया। अपना बाजार के अनुरोध पर अप्रैल 2001 से रूपये 3050 की दर से

परिवर्तन किया। यह भी निर्णय लिया गया कि अप्रैल 2001 से दिसम्बर 2006 तक की बकाया राशि 30 किशतों में देय होगी।

जुलाई 2008 में लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि अपना बाजार ने अप्रैल 2001 में मार्च 2007 तक की अवधि का बकाया राशि रूपये 2.20 लाख अदा नहीं किए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर राष्ट्रीय महासागर संस्थान ने अक्टूबर 2008 में रूपये 2.20 लाख की बकाया देय राशि की वसूली कर ली।

अतः पट्टा समझौते के तुरन्त नवीनीकरण, विद्युत शुल्क और परिवर्तित भाड़े को लागू करना एवं वसूली करना इत्यादि के लिए राष्ट्रीय महासागर संस्थान का व्यवहार निष्क्रिय था जिससे 17 सालों से अधिक समय के लिए रूपये 47.71 लाख का संचय किया गया जिसमें से केवल रूपये 31.53 लाख की वसूली लेखापरीक्षा द्वारा सूचित करने के बाद की गई। इससे अतिरिक्त, राष्ट्रीय महासागर संस्थान की निष्क्रियता सामान्य साधारण वित्त नियमों के नियम 9 और 15 (1) का उल्लंघन था जिसमें अनुबंध था कि संबंधित विभाग का प्रशासक, उचित/तुरंत आंकलन, सरकारी प्राप्तियां, किराया एवं देय को इकट्ठा करना अर उन्हें भारत की समेकित निधि या जन लेखा जैसी स्थिति हो, में डालने के लिए उत्तरदायी था।

सिफारिशें:

10. विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अन्य उपभोक्ताओं को परिसर देने से संबंधित समझौते का आवधिक संशोधन और पट्टा किराया, विद्युत और पानी शुल्क इत्यादि के उचित प्रभारों को उनसे जल्द वसूलने के लिए सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
11. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान संबंधित कर्मचारियों जो कि इसके भले का ध्यान नहीं रख सके, की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान में एक तंत्र भी स्थापित करना चाहिए।

4.3 स्टाफ क्वार्टरों हेतु बिजली पर परिहार्य व्यय

सी.एस.आई.आर. द्वारा जुलाई 2003 में दिए गए आश्वासन के बावजूद केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा स्टाफ क्वार्टरों के लिए बिजली का कनेक्शन अलग लेने में विफलता के परिणामस्वरूप अगस्त 2003 से मार्च 2008 तक बिजली पर रूपये 32.70 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। क्योंकि आवासीय स्टाफ क्वार्टरों के लिए बिजली शुल्क का भुगतान व्यवसायिक दर से किया गया था।

केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.आई.एम.एफ.आर.) धनबाद (पूर्वत केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई. आर.) की एक संघटक ईकाई को झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी) द्वारा कार्यालय के साथ प्रयोगशाला भवन और स्टाफ क्वार्टरों में प्रयोग के लिए थोक में हाई टेन्शन बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली की खपत के लिए सी.आई.एम.एफ.आर. ने जे.एस.ई.बी. को अप्रैल 2004 से रूपये 4.22 प्रति के.डब्ल्यू. एच. की दर से और मई 2004 के बाद रूपये 4 प्रति किलोवॉट की दर से बिजली शुल्क का भुगतान किया। बिजली शुल्क के भुगतान को उच्च दर से अर्थात् हाईटेन्शन थोक आपूर्ति की दर से करने के बावजूद सी.आई.एम.एफ.आर. ने स्टाफ

क्वाटरों में रहने वालों से बिजली आपूर्ति के शुल्क रुपये 1.12 से रुपये 1.37 प्रति यूनिट पर न्यूनतम घरेलू दर से वसूली की।

इससे पहले, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (2003 की न. 5) पर की गई कार्यवाही नोट के पैरा 4.1 में सी.एस.आई.आर. ने जुलाई 2003 में यह बताया था कि सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों को आवासीय मकानों के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के लिए आदेश दे दिए गए थे। परन्तु इन आदेशों का कड़ाई से पालन नहीं हुआ।

172 स्टाफ क्वाटरों में अगस्त 2003 से मार्च 2008 तक बिजली खपत के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सी.आई.एम.एफ.आर. ने जी.एस.ई.बी को उच्चदर पर दिए गए रुपये 47.31 लाख विद्युत शुल्क के विरुद्ध स्टाफ क्वाटरों में रहने वालों से रुपये 14.61 लाख वसूल किए। इससे जी.एस.ई.बी को रुपये 32.70 लाख का अधिक भुगतान किया गया जो कि परिहार्य था।

यह पाया गया कि सी.आई.एम.एफ.आर ने जे.एस.ई.बी. को स्टाफ क्वाटरों में अलग कनेक्शन लेने के लिए अक्टूबर 2003, मार्च 2004, सितम्बर 2007 तथा अप्रैल 2008 में अनुरोध किया। हांलांकि यह देखा गया कि जे.एस.ई.बी. में केवल महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर ही मामला लिया गया चूंकि उपयुक्त उच्च स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया। सी.एम.एफ.आई.आर.ने भी मामले को अत्यावश्यक तौर पर आगे नहीं बढ़ाया।

सी.एम.आई.एम.एफ.आर. ने अप्रैल 2008 में बताया कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद जी.एस.ई.बी से कोई ठोस उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सी.आई.एम.एफ.आर. का उत्तर इस संदर्भ में देखा जाए कि जी.एस.ई.बी ने सी.आई.एम.एफ.आर को यह परामर्श दिया था कि आवासीय उपयोग के प्वाइंटों को अन्य उपयोग के प्वाइंटों से अलग किया जाए ताकि पृथक हाई टेन्शन आवासीय आपूर्ति (एच.टी-डी.एस) कनेक्शन सी.आई.एम.एफ.आर को उपयुक्त आवेदन पर आवासीय कालोनी के लिए उपलब्ध कराए जा सकें। यदि सी.आई.एम.एफ.आर ने मामले को गंभीरता से प्रभावी तौर पर जारी रखा होता तो बहुत पहले ही यह मामला सुलझाया जा सकता था।

अतः सी.एस.आई.आर. द्वारा जुलाई 2003 में दिए गए आदेशों के बावजूद सी.आई.एम.एफ.आर. स्टाफ क्वाटरों के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप अगस्त 2003 से मार्च 2008 तक आवासीय स्टाफ क्वाटरों के लिए व्यवसायिक दरों पर विद्युत शुल्क भुगतान करने के कारण रुपये 32.70 लाख का परिहार्य व्यय हुआ

4.4 खनिज तथा सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर की गतिविधियां

यद्यपि आई.एम.एम.टी. ने 27 परियोजनाओं से 35 प्रौद्योगिकियां विकसित की लेकिन एक भी प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण तथा वाणिज्यकरण करने में विफल रही। पेटेंट्स कराने तथा ई.सी.एफ पैदा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी रही। आन्तरिक परियोजनाओं का परियोजना प्रलेखन कमजोर था। रुपये 29.20 लाख की प्राज्ञ शुल्क फीस तथा सेवाकर कई परियोजनाओं में कम प्रभारित किया गया जो कि आन्तरिक नियंत्रण की कमी दर्शाता है। 26 आयतित उपकरणों के लगाने तथा चालू करने में 6 से 63 महीनों की देरी पाई गई। प्रबन्धन परिषद द्वारा बैठक आवश्यक संख्या की नहीं की गई तथा उच्चस्तर पर निगरानी अपर्याप्त थी।

4.4.1 प्रस्तावना

खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एम.एम.टी.) पूर्ववर्ती क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर.आर.एल) की स्थापना भुवनेश्वर, उड़ीसा में 1964 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान के रूप में हुई। यह संस्थान पूर्वी भारत में प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण और वहनीय इस्तेमाल पर खास जोर के साथ प्रक्रिया और उत्पाद विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में सहायता उपलब्ध कराता है।

आई.एम.एम.टी. में शीर्ष स्थान पर निदेशक है जिसकी सहायता अनुसंधान परिषद (आर.सी) और प्रबन्धन परिषद (एम.सी) करती है। आई.एम.एम.टी. के 13 विभाग हैं जो विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान गतिविधियां करते हैं। आर.सी. अनुसंधान प्रगति की समीक्षा करती है और एम.सी. आई.एम.एम.टी के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करती है।

आई.एम.एम.टी. को 2003-08 में सी.एस.आई.आर. से योजना के अन्तर्गत रूपये 57.17 करोड़ और गैर-योजना के अन्तर्गत रूपये 36.86 करोड़ मिले। इसके अतिरिक्त इन वर्षों में आई.एम.एम.टी को सरकारी विभागों/अन्य एजेंसियों से विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए रूपये 18.88 करोड़ मिले।

लेखापरीक्षा ने 2003-04 से 2007-08 के दौरान आई.एम.एम.टी. के वित्तीय प्रबन्धन, अनुसंधान एवं विकास, भंडार, खरीद तथा अन्य गतिविधियों का परीक्षण किया। लेखापरीक्षा की टिप्पणियां आगे के पैरों में दी गई हैं।

4.4.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

4.4.2.1 बाहरी धन प्रवाह पैदा करना

सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाएं/संस्थान सरकारी/गैर सरकारी संगठनों की निधिबद्ध परियोजनाओं को चलाकर तथा स्थानांतरित प्रौद्योगिकी की जांच, अंशशोधन और लाइसेंस से एकत्रित प्रभारी द्वारा बाहरी धन (ई.सी.एफ) इकट्ठा करती हैं। सी.एस.आई.आर. के कार्यमूल्यांकन बोर्ड (पी.ए.बी.) ने जनवरी 2002 में सिफारिश की थी कि आई.एम.एम.टी. का ई.सी.एफ. दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सरकारी अनुदान का 40 प्रतिशत तक होना चाहिए।

जांच से मालूम हुआ कि यद्यपि 2003-08 के दौरान आई.एम.एम.टी को रूपये 12.74 करोड़ से रूपये 25.10 करोड़ के बीच का सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ, इसका ई.सी.एफ. केवल रूपये 2.15 करोड़ से रूपये 7.29 करोड़ के बीच ही रहा, जिससे 26 प्रतिशत से 63 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई जिससे सरकारी अनुदान पर निर्भरता जारी रही।

आई.एम.एम.टी. ने अगस्त 2008 में बताया कि ई.सी.एफ को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जा रहे हैं। सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि पीएबी के सुझाव जो कि बाहरी धन प्रवाह के लक्ष्य से सम्बंधित थे इस संस्थान में 2005 में प्राप्त हुए और इसके तथ्य भविष्य के वास्ते लिए गए। सी.एस.आई.आर. के उत्तर को इस तरह दर्शाया जाता है कि इतने महत्वपूर्ण सुझाव को संस्थान के दो वर्ष बाद बताया गया।

यद्यपि हम मानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में ई.सी.एफ. निर्माण में सुधार हुआ है फिर भी आई.एम.एम.टी. को निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

4.4.2.2 उपस्करों का फाईल करना

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 3.6.1.3 के संलग्नक डी में पी.ए.बी. द्वारा 2001-02 में निर्धारित विदेशी पेटेंट फाइल करने के लक्ष्य प्राप्त करने में आई.एम.एम.टी की असफलता का उल्लेख किया गया था।

जांच से मालूम हुआ कि 2006-08 के दौरान 20 पेटेंट के लक्ष्य के विरुद्ध आई.एम.एम.टी. ने केवल 3 विदेशी पेटेंट फाइल किए। अतः आई.एम.एम.टी. ने पी.ए.बी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध विदेशी पेटेंट फाइल करने में 85 प्रतिशत की कमी दर्ज की। इसके अलावा आई.एम.एम.टी ने भारत में 16 पेटेंट फाइल किए यद्यपि इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। फाइल किए गए 19 पेटेंटों (3 विदेशी 16 भारतीय) में से कोई भी प्रदान नहीं किया गया है हालांकि 2003-08 की अवधि में 3 पेटेंट प्राप्त हुए जिनका आवेदन अप्रैल 2003 से पहले किया गया था।

आई.एम.एम.टी. ने अगस्त 2008 के उत्तर में विदेशी पेटेंट के लिए पी.ए.बी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आवेदन किए हुए पेटेंटों की प्राप्ति के सम्बंध में इसने बताया कि भारतीय पेटेंट कार्यालय पेटेंट देने में लगभग 6 वर्ष लेता है। सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि संस्थान आर एंड डी में अपने लक्ष्य जो कि उपस्कर फाईल करने हेतु है के बारे में प्रयत्नशील है।

सिफारिश

12. अतः आई.एम.एम.टी. को पेटेंट फाइल करने और प्राप्त करने के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

4.4.2.3 प्रौद्योगिकियों का गैर वाणिज्यिकरण

2003-08 की अवधि में आई.एम.एम.टी. ने 27 परियोजनाओं से 35 प्रौद्योगिकियों का विकास किया परन्तु आज तक एक भी प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण नहीं किया क्योंकि ये किसी भी उपभोक्ता उद्योग को आकर्षित नहीं कर सकी।

आई.एम.एम.टी. ने अगस्त 2008 में बताया कि विकसित प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि संस्थान उद्योग, अभियांत्रिकी सलाहकारों और प्रौद्योगिकी को पायलट एवं उच्चस्तर पर उठाने की बात कर रहा है क्योंकि यह क्षमता आन्तरिक परियोजनाओं में उपलब्ध नहीं है। इसने आगे बताया कि यह अभियांत्रिकी फर्म से पूर्ण प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित करने के नये प्रयास कर रहा है।

सिफारिश

13. आई.एम.एम.टी. को प्रौद्योगिकी के विकास के समय उचित स्तर पर उद्योगों से सहयोग लेना चाहिए ताकि विकसित प्रौद्योगिकी का सफल वाणिज्यिकरण हो सके।

4.4.2.4 परियोजना प्रबंधन

आई.एम.एम.टी. द्वारा चलाई गई आंतरिक, अनुदान सहायता, प्रायोजित, सहयोगी और परामर्श परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन का उनकी योजना, परिचालन और निगरानी

के परिपेक्ष में अध्ययन किया गया। 2003.08 के दौरान आई.एम.एम.टी. ने 190³ परियोजनाएं पूरी की। पूर्ण परियोजनाओं में से 50 प्रतिशत का चयन लेखापरीक्षा में विस्तृत समीक्षा के लिए किया गया।

(ए) आन्तरिक परियोजनाएं

2003-08 के दौरान आई.एम.एम.टी. ने 15 परियोजनाएं पूरी की। आई.एम.एम.टी. ने इन 15 परियोजनाओं⁴ में से 13 पर रुपये 2.59 करोड़ व्यय किए। परन्तु आई.एम.एम.टी. इन 15 पूर्ण परियोजनाओं में से 12 के दस्तावेज जैसे कि परियोजना प्रस्ताव, प्रगति रिपोर्ट और अन्तिम रिपोर्ट देने में असमर्थ रही। यद्यपि शेष 3 परियोजनाओं की अन्तिम रिपोर्ट आई.एम.एम.टी. ने उपलब्ध कराई परन्तु दो परियोजनाओं से सम्बंधित परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध नहीं करा सकी। अतः आंतरिक परियोजनाओं के दस्तावेजों का रखरखाव न होने के कारण 14 पूर्ण परियोजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच लेखापरीक्षा नहीं कर सका।

आई.एम.एम.टी. ने अगस्त 2008/मार्च 2009 में बताया कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी जो कि परियोजना के दस्तावेज की कमजोरी से सम्बंधित थी, भविष्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। आन्तरिक परियोजनाओं के दस्तावेजों के रखरखाव की प्रणाली को ठीक करने के लिए गंभीर कदम लिए जा रहे हैं।

सिफारिश

14. आई.एम.एम.टी. को परियोजना के दस्तावेजों में सुधार की आवश्यकता है ताकि किए जा रहे कार्य में सहायता में और आन्तरिक तथा बाह्य समीक्षा में मदद मिल सके।

(बी) सहायता अनुदान परियोजनाएं

आई.एम.एम.टी. ने 2003-08 में 49 परियोजनाएं पूरी की और एक परियोजना छोड़ दी। इन परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में पाया गया कि

- 49 पूर्ण परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं को पूरा करने में 3 महीने से 25 महीने तक की देरी पाई गई।
- 16 पूर्ण परियोजनाओं की अंतिम रिपोर्ट नहीं बनी और
- अप्रभावी परियोजना प्रबंधन के कारण परियोजना उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई और ग्राहकों द्वारा दिए गए धन के उपयोग में असफलता मिली।

सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि 16 स.अ. परियोजनाओं की पूरक रिपोर्ट को उपलब्ध करवाने को देखा जाएगा।

रुपये 3.69 करोड़ लागत के 4 मामलों में प्रौद्योगिकियों का स्थानान्तरण नहीं हुआ क्योंकि आई.एम.एम.टी. औद्योगिक साझेदार नहीं चुन सकी या प्रायोगिक संयंत्र में निर्धारित अध्ययन के परिणामों की जांच करने में असफल रही जिससे व्यय निष्फल हो गया। 19 लाख लागत की एक परियोजना में आई.एम.एम.टी. परियोजना के लिए आवश्यक जनशक्ति समय पर उपलब्ध नहीं करा पाई और मंत्रालय द्वारा उठाई गई शंकाओं का सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई जिसके फलस्वरूप मंत्रालय ने आगे

³ 15 आंतरिक, 49 अनुदान सहायता, 71 प्रायोजित, 25 परामर्शी, 16 सहभागी और 14 नेटवर्क परियोजनाएं

⁴ शेष दो परियोजनाओं पर हुआ व्यय नहीं उपलब्ध कराया गया

धन उपलब्ध नहीं कराया और समय सीमा नहीं बढ़ाई गई। रूपये 12.80 लाख की एक और परियोजना आई.एम.एम.टी. ने धन की कमी के कारण परियोजना पूर्ण होने से पहले ही बन्द कर दी है।

उन चार परियोजनाओं जिनकी प्रौद्योगिकी स्थानान्तरित नहीं हुई की मुख्य लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

(i) अप्रैल 2002 में रूपये 3 करोड़ लागत की फ़ैरो क्रोम/चार्ज क्रोम बनाने के लिए क्रोमाइट में स्मैलटिंग कमी नामक एक वर्षीय परियोजना शुरू की गई। इस्यात मंत्रालय (एम.ओ.एस.) ने इस परियोजना की लागत के रूपये 23.31 लाख देने थे। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार परियोजना के प्रथम चरण में लैबोरटरी स्केल जांच के पूरा होने के बाद दूसरे चरण में अनुसंधान के परिणामों की जांच प्रायोगिक संयंत्र में होनी थी। परियोजना के प्रथम चरण के कार्य में देरी के कारण परियोजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।

मार्च 2004 (जुलाई 2004 तक बढ़ा दी गई) में लेबोरटरी स्केल अध्ययन के बाद सितम्बर 2005 में अन्योनय क्रिया सम्बंधी एक गोष्ठी की गई जिसमें इंडियन मैटल और फ़ैरोएलॉय कारपोरेशन (आई.एम.एफ.ए.सी.) ने प्रस्तावित प्रायोगिक संयंत्र के कार्य में भाग लेना स्वीकार किया और आई.एम.एम.टी. को आई.एम.एफ.ए.सी. तथा अन्य फ़ैरोक्रोम उद्योगों के साथ प्रस्तावित प्रायोगिक संयंत्र के काम में भाग लेने के लिए सम्पर्क करने के लिए अनुरोध किया गया था। इस बीच परियोजना प्रमुख सेवानिवृत्त हो गए और आई.एम.एम.टी. ने न तो आई.एम.एफ.सी. के साथ सम्पर्क करने के लिए कोई पहल की तथा न ही एम.ओ.एस. को परियोजना के दूसरे चरण के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए सम्पर्क किया।

अतः आई.एम.एम.टी. द्वारा आगे कार्य के लिए पहल न करने के कारण प्रायोगिक संयंत्र में बैचस्केल अध्ययन की जांच नहीं हो सकी।

आई.एम.एम.टी. ने अगस्त 2008/मार्च 2009 में बताया कि आई.एम.एफ.ए.सी. द्वारा प्राथमिकता में बदलाव के कारण एम.ओ.एस. को धन उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। परन्तु वास्तविकता यह है कि आई.एम.एम.टी. ने भी उस क्षेत्र में आगे कार्य की संभावना तलाशने के लिए आई.एम.एफ.ए.सी. को सम्पर्क नहीं किया। इस कारण रूपये 23.31 लाख के व्यय के बावजूद प्रथम चरण में किए गए कार्य का तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकल सका।

(ii) आई.एम.एम.टी. ने रूपये 30.13 लाख की लागत की निकल कैडमियम और निकल मैटल हाइड्राइड बैटरियों के लिए उपयुक्त निकल हाइड्रोक्साइड बनाना नामक परियोजना चलाने का प्रस्ताव किया तथा गैरपम्परागत उर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.एन.ई.एस.) नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित किया। इस परियोजना का उद्देश्य था चयनित एडिटिवस/रसायनों से एजेंटों का संकर कर हाइड्रोथर्मल उपचार से निकल हाइड्रोक्साइड बनाना। एम.एन. ई.एस. के विशेषज्ञों ने परियोजना प्रस्ताव की जांच करने के बाद दिसम्बर 2002 में सुझाव दिया कि ये परियोजना बैटरी उद्योग के सहयोग से की जा सकती है। आई.एम.एम.टी. ने जनवरी 2003 में सूचित किया कि वास्तविक उपभोगता मैसर्स एच.बी.एल. नाइफ पावर सिस्टम लिमिटेड, हैदराबाद इस परियोजना में सम्मिलित की जाएगी। आई.एम.एम.टी. ने मई 2003 में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ किया तथा रूपये 24.57 लाख व्यय करके नवम्बर 2005 में इसे पूरा किया। जांच से प्रतीत हुआ कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप रूपये 24.57 लाख का व्यय निष्फल गया।

आई.एम.एम.टी. ने अगस्त 2008 में बताया कि प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण केवल तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता रिपोर्ट आने पर तथा परिणामों के सफल प्रदर्शन के बाद ही संभव है। आई.एम.एम.टी. के उत्तर से यह मालूम होता है कि इसने तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता रिपोर्ट लगभग 3 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बनाई। सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि संस्थान स्पलायरस जो कि बैटरी उद्योग से सम्बंधित है, को देख रहा है और जो प्रौद्योगिकी इसने उपस्कर की है।

अतः आई.एम.एम.टी. द्वारा बैटरी उद्योग के सहयोग से प्रयोगिक संयंत्र अध्ययन न कर पाने के कारण रूपये 24.57 लाख लागत में विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण नहीं हो पाया जिससे यह लागत निष्फल रही।

(iii) आई.एम.एम.टी. द्वारा केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान (सी.ई.सी.आर.आई.), करायकुडि के साथ संयुक्त रूप से बायर तरल से इओन एक्सचेंज/चिलेटिंग रेसिन (भाग 2) द्वारा गैलियम की प्राप्ति नामक रूपये 65.94 लाख की लागत की परियोजना अगस्त 1999 में शुरू की। परियोजना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) द्वारा पोषित होनी थी। इसमें से डी.एस.टी. द्वारा आई.एम.एम.टी. तथा सी.ई.सी.आर.आई. को क्रमशः रूपये 13.62 लाख तथा रूपये 31.30 लाख देने थे और रूपये 8.47 लाख तथा रूपये 12.55 लाख क्रमशः उन्हे स्वयं देने थे। इस परियोजना की अवधि 3 वर्ष थी। परियोजना में आई.एम.एम.टी. को वायर तरल लिकर से 50-100 ग्राम/दिन/सैल गैलियम प्राप्ति का स्तर पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों की स्थापना करनी थी। आई.एम.एम.टी. ने यह परियोजना 9 माह के विस्तार के बाद अप्रैल 2003 में पूरी की। यह पाया गया कि क्योंकि अल्मूनियम उद्योग से प्रायोजित परियोजना के रूप में धन नहीं आया अतः सम्भावित वाणिज्यिकरण के लिए इसको प्रायोगिक संयंत्र स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सका।

आई.एम.एम.टी. ने मार्च 2009 में बताया कि निगम का बाजार पूरी तरह भरा हुआ और उद्योग में कम सूची होने के कारण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं हुआ, आगे बताया कि भविष्य में इसका ध्यान रखेगी।

अतः परियोजना के पूरा होने के 5 वर्षों के बाद भी विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण होना बाकी है क्योंकि कोई भी उद्योग प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक संयंत्र अध्ययन और आगे वाणिज्यिकरण के लिए धन लगाने के लिए इच्छुक नहीं है।

(iv) अप्रैल 2004 में आई.एम.एम.टी. ने प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टाइफक) नई दिल्ली के साथ राख के 80 प्रतिशत भाग के साथ 'कोल्ड सैटिंग फलाई ऐश ब्रिक्स के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास/स्तर बढ़ाने' नामक परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया।

समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना की कुल लागत रूपये 17 लाख थी जिसमें से टाइफक को रूपये 8.50 लाख देने थे। समझौता ज्ञापन में यह भी दर्शाया गया था कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी का बड़े स्तर पर उपयोगिता के लिए स्थानान्तरण करना था।

परियोजना अप्रैल 2004 में एक वर्ष के लिए शुरू हुई। आई.एम.एम.टी. ने उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना में देरी के कारण तीन बार विस्तार की मांग की जो टाइफक द्वारा जून 2006 तक स्वीकृत की गई। आई.एम.एम.टी. ने प्रयोगशाला स्तर पर प्रति पारी 4000 ईटों के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की। इस प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड आदि उद्योगों को प्रदर्शन किया गया। परन्तु लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस प्रौद्योगिकी को बड़े स्तर पर उपयोगिता के

लिए औद्योगिक भागीदारों को स्थानान्तरण नहीं किया जा सका क्योंकि उद्योग प्रयोगिक संयंत्र स्तर पर प्रति पारी 8000 से 10,000 ईटों की क्षमता वाली सिद्ध प्रौद्योगिकी चाहते थे।

सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि टाईफैक ने पायलट प्लांट स्थापित करने हेतु रूपये 2.19 करोड़ संस्थान को संस्वीकृत किए हैं। फिर भी तथ्य यह है कि प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण एवं उच्चस्तर पर उपयोग अभी प्राप्त करना है।

(सी) प्रायोजित परियोजनाएं

2003-08 में आई.एम.एम.टी. ने 71 प्रायोजित परियोजनाएं पूरी की। पूर्ण परियोजनाओं की जांच से मालूम हुआ कि आई.एम.एम.टी. ने 10 परियोजनाओं की अन्तिम रिपोर्ट तैयार नहीं की और 11 परियोजनाओं को पूरा करने में 3 माह से 15 माह तक की देरी हुई। सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा परिवर्तित टिप्पणी को संस्थान के कार्यकलापों को सुधारने हेतु देखा जाएगा।

(डी) परामर्शी परियोजनाएं

2003-08 में आई.एम.एम.टी. ने 25 परामर्शी परियोजनाएं पूरी की। जांच की गई परियोजनाओं से मालूम हुआ कि परियोजनाओं से रूपये 29.20 लाख का प्राज्ञ शुल्क और सेवा कर कम उगाया गया। आगे, आई.एम.एम.टी. ने 8 परियोजनाओं की अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी और 6 परियोजनाओं की रिपोर्ट तीन मास से 7 मास की देरी से दी गई। मुख्य टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है

(i) प्राज्ञ शुल्क का कम लगाना

अगस्त 1989 में सी.एस.आई.आर. द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया कि प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण तथा ज्ञान भंडार उपयोगिता के लिए सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाएं/संस्थान प्रायोजित और सहयोगी परियोजनाओं की लागत निकालते समय ग्राहकों से लिए जाने वाले प्राज्ञ शुल्क का भी अनुमान लगाएंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राज्ञ शुल्क की दर संविदा परियोजना के प्रत्यक्ष व्यय का 33.3 प्रतिशत होगी। परन्तु प्राज्ञ शुल्क की दर जून 2005 से 40 प्रतिशत संशोधित कर दी गई। आगे परामर्शी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्राज्ञ शुल्क कम से कम जनशक्ति प्रभार, जो कि परियोजना के प्रत्यक्ष व्यय का एक भाग है, के बराबर होगा।

जांच से मालूम हुआ कि आई.एम.एम.टी. ने 13 परामर्शी परियोजनाओं, जो मार्च 2003 से नवम्बर 2008 तक पूरी करनी थी, में से 11 परियोजनाओं में कोई प्राज्ञ शुल्क नहीं लिया और 2 परियोजनाओं में ग्राहक से प्राज्ञ शुल्क कम लिया जिसके फलस्वरूप रूपये 24.53 लाख का प्राज्ञ शुल्क कम प्राप्त हुआ।

बताए जाने पर आई.एम.एम.टी. सी.एस.आई.आर. ने अगस्त 2008/मार्च 2009 में बताया कि वर्तमान में वो प्राज्ञ शुल्क दिशा निर्देशों के अनुसार वसूल कर रहे हैं।

(ii) सेवाकर न लेना/कम लेना

वित्तीय अधिनियम 2001 के अनुसार किसी भी वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ या वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ग्राहक को विज्ञान या तकनीक की एक या अधिक शाखाओं में दी गई वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श, सलाह या किसी भी रूप में सहायता को वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श माना गया है और ऐसी सेवाओं के लिए सेवा कर लगता है।

सी.एस.आई.आर. ने नवम्बर 2004 में अपनी प्रयोगशालाओं/संस्थानों को निर्देश दिया कि वे ग्राहकों को दी गई सभी प्रकार की वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं के लिए सेवा शुल्क लें। जांच से मालूम हुआ कि आई.एम.एम.टी. ने 15 परामर्शी परियोजनाओं में से 13 पार्टियों से सेवाकर नहीं लिया और दो पार्टियों से कम प्राप्त किया जिसके फलस्वरूप कुल रूपये 4.67 लाख का सेवाकर नहीं/कम प्राप्त हुआ।

आई.एम.एम.टी./ सी.एस.आई.आर. ने अगस्त 2008/मार्च 2009 में बताया कि वो वर्तमान में निर्देशों के अनुसार सेवाकर लगा रहे हैं।

4.4.2.5 भंडार तथा खरीद

2003-08 में आई.एम.एम.टी. ने रूपये 25.33 करोड़ के 127 उपकरण आयात किए। यह पाया गया कि आयात किए गए उपकरणों में से 48 उपकरणों जिनकी लागत रूपये 15.05 करोड़ थी, की स्थापना में देरी हुई। देरी की अवधि 6 माह से 36 माह तक की थी तथा एक मामले में यह 63 माह थी जैसा कि नीचे दी गई सारिणी में देखा जा सकता है:

तालिका VII

स्थापना में देरी	उपकरणों की संख्या
6 से 12 माह	18
12 से 24 माह	4
24 से 36 माह	3
36 माह से अधिक	1
	(63 महीनें)
कुल	26

सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया

सिफारिश

15. आई.एम.एम.टी. उपकरणों की समय पर स्थापना सुनिश्चित करे ताकि उपकरणों की अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हो।

4.4.2.6 प्रयोगशाला भवन का पूरा न होना

मार्च 2005 में आई.एम.एम.टी. ने 'कस्टम टेलर्ड स्पेशल मैटीरियल्स' नामक परियोजना के अन्तर्गत नौ महीने के अन्दर प्रयोगशाला भवन निर्माण समझौता रूपये 23.06 लाख की लागत में करने के एक ठेकेदार के साथ किया। प्रयोगशाला भवन का उद्देश्य उच्चतापमान सामग्री का, सश्लेषण उन्नत सामग्री की यांत्रिकी जांच तथा स्लेग लक्षणवर्णन जैसी गतिविधियों जो कि परियोजना का हिस्सा थी के लिए स्थान उपलब्ध कराना था।

आई.एम.एम.टी. ने उसी महीने यानि मार्च 2005 में भवन निर्माण का समझौता किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि भवन निर्माण दो वर्ष की देरी के बाद रूपये 27.49 लाख की लागत में केवल दिसम्बर 2007 में ही पूरा हो पाया। इस देरी का कारण मुख्यतः अतिरिक्त मर्दों का प्रावधान करना, कार्य का क्षेत्र बढ़ाना और दांचागत डिजाइन को सौंपने में देरी करना था। चूंकि परियोजना मार्च 2007 में पूरी हुई अतः प्रयोगशाला का इस्तेमाल उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं हो सका जिससे रूपये 27.49 लाख का व्यय निष्फल हो गया। अतः आई.एम.एम.टी. द्वारा भवन ढांचे के डिजाइन को समय पर अन्तिम रूप देने में असफल रहने के कारण तथा काम के क्षेत्र को बढ़ाने के

फलस्वरूप भवन का उपयोग परियोजना जिसके लिए यह भवन बनाया जा रहा था की पूर्ण अवधि में नहीं किया जा सका। जिससे व्यय निष्फल रहा।

सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि कार्य का क्षेत्र बढ़ाने और अतिरिक्त कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाने के कारण और समय लगा।

4.4.2.7 निगरानी तथा मूल्यांकन

सी.एस.आई.आर. के उपनियमों के अनुसार प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगशाला के प्रशासन और मामलों के प्रबन्धन के लिए एक प्रबन्धन परिषद (एम.सी.) होगी। एम.सी. के कार्यों में आर एंड डी तथा प्रयोगशाला की अन्य गतिविधियों की प्रगति की निगरानी सम्मिलित है। उपनियमों में यह भी बताया गया है कि प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रभावी प्रबन्धन के लिए जब जब आवश्यकता होगी, परन्तु एक वित्तीय वर्ष में 3 बार से कम एम.सी. की बैठक नहीं होगी।

2003-08 की जांच से मालूम हुआ कि 2003-04 तथा 2005-06 में एम.सी. की एक भी बैठक नहीं हुई और 2004-05, 2006-07 और 2007-08 में तय 9 बैठकों की जगह केवल 4 बैठकें हुईं। यद्यपि एम.सी. की बैठकों में कमी के कारण नहीं बताए गए परन्तु आई.एम.एम.टी. ने अगस्त 2008 में बताया कि निर्धारित आवृत्ति के अनुसार बैठकें आयोजित करने के प्रयत्न किए जाएंगे। सी.एस.आई.आर. ने तथ्यों को स्वीकारते हुए मार्च 2009 में बताया कि बाहरी सदस्य और स्थायी निदेशक के न होने के कारण एम.सी. की बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका।

4.4.3 निष्कर्ष

यह देखा गया कि यद्यपि आई.एम.एम.टी. ने 2003-08 की अवधि में 35 प्रौद्योगिकियों का विकास किया परन्तु एक भी प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण और वाणिज्यिकरण करने में असफल रही। पेटेन्ट्स के आवेदन करने के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। आवेदित पेटेंट्स में से भी समीक्षा की अवधि में एक भी स्वीकार नहीं हुआ। बहुत सी सहायता अनुदान तथा प्रायोजित परियोजनाओं में यह पाया गया कि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई तथा विकसित प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण तथा आन्तरिक परियोजनाओं के दस्तावेजों के रखरखाव में कमी थी। परामर्शी परियोजनाओं में रुपये 29.20 लाख का प्राज्ञ शुल्क तथा सेवाकर में कम लिया गया। उपकरणों की स्थापना में 6 माह से अधिक देरी के मामले भी पाए गए। परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन अपर्याप्त था तथा परियोजनाओं के उद्देश्यों की समय पर प्राप्ति के लिए इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

4.5 सेन्द्रल एलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैराईकुडी द्वारा बैट्रीयों/सैलों की प्रौद्योगिकी विकसित करना तथा उनका वाणिज्यिकरण करना।

उद्योगों से मांग न आने तथा विकसित प्रौद्योगिकी में खामियां होने की वजह से शोध तथा विकास कार्यक्रम के नौ शाखाओं में विकसित प्रौद्योगिकी/विधियां उद्योगिकियों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका जिससे सेन्द्रल एलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रुपये 3.72 करोड़ व्यय का निष्फल गया।

4.5.1 प्रस्तावना

विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक ईकाई सेन्द्रल एलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.ई.सी.आर.आई.) कैराकुडी एलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तथा संबद्ध शाखाओं में, विशेषीकरण के लिये विधियां तथा उत्पाद विकसित करती है।

सी.ई.सी.आर.आई. ने 10 शाखाओं में शोध तथा विकास के कार्यक्रम शुरू किये, जैसे



कि (i) बैटरियां तथा पावर साधन, (ii) संक्षरण विज्ञान तथा इंजीनियरिंग (iii) एलेक्ट्रोकेमिकल्स (iv) एलेक्ट्रोकेमिकल मैटीरियल विज्ञान (v) एलैक्ट्रो हाईड्रोमैटालर्जी (vi) एलेक्ट्रोकेमिकल पाईरोमैटालर्जी (vii) एलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रुमेंटेशन (viii) एलेक्ट्रॉनिक्स (ix) एलेक्ट्रो बायोलोजी तथा (x) इंडस्ट्रीयल मेटल फिनिशिंग।

2002-07 अवधि के दौरान 9⁵ में से 10 शाखाओं में पूर्ण हुई परियोजनाओं की इन क्षेत्रों में शोध एवं विकास गतिविधियों की वाणिज्यिक सफलता का अध्ययन करने के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा की गई। इन नौ शाखाओं में शुरू की गई 17 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं पूरी हुई। लेखापरीक्षा ने सभी पूरी हुई 11 परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनपर रूपये 4.04 करोड़ का खर्च हुआ तथा जिनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी/विधि का वाणिज्यकरण करना था।

4.5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.5.2.1 प्रौद्योगिकी का वाणिज्यकरण न होना

(i) विद्युत वाहनों के लिए बैटरियों का विकास

सी.ई.सी.आर.आई. ने दिसम्बर 1995 में, डिफेंस मैटालर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी (डी.एम.आर.एल.) तथा बनारस हिंदु विश्वविद्यालय (बी.एच.यू.) वाराणसी के सहयोग से, एम.एन.ई.एस.⁶ को एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। परियोजना का उद्देश्य निकिल मेटल हाईड्राइड (नी. एम.एच.) बैटरी सिस्टम का विकास तथा विद्युत वाहन में इस्तेमाल के लिए 1-2वी./50 ए.एच. एक आदर्श को प्रोटोटाइप उपलब्ध कराना था। विकसित उत्पाद एक मरम्मत मुक्त तथा सील्ड वर्जन होता।

मार्च 1998 में, एम.एन.ई.एस. ने रूपये 1.13 करोड़ लागत की एक योजना "डेवलपमेंट आफ हाई एनर्जी डेंसिटी निकल मेटल हाईड्राइड बैट्रीज फार ईलेक्ट्रिक वैहीकल्स" स्वीकृत की जिसकी अवधि 30 महीने थी। योजना सितम्बर 2001 में रूपये 1.13 करोड़ के खर्च पर पूरी हुई जिसमें सी.ई.सी. आर.आई. ने 1.2 वी/50 ए.एच.⁷ क्षमता के 60 सैलों की परख/तथा संयोजन किया। हालांकि लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना चालू रहते, भी हिस्सेदारी के लिये कोई भी इंडस्ट्री का चयन नहीं हो पाया, हालांकि मार्च 1999 में हुई आन्तरिक परियोजना बैठक में यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक हिस्सेदारी, उचित चरणों में शुरू की जायेगी।

सी.ई.सी.आर.आई. ने सितम्बर 2002 में एम.एन.ई.एस. को दूसरे चरण की योजना का एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य घरेलू एम.एच. मिश्र धातु का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक साईकिलों के लिये, उन्नत नी-एम.एच. बैटरियों को डिजाइन और रचना करना था। दूसरे चरण की परियोजना को एम.एन.ई.एस. द्वारा रूपये 24.96 लाख के खर्च पर दो वर्ष के लिये दिसम्बर 2003 में मंजूरी दी गई।

5 संक्षरण विज्ञान और इंजीनियरिंग

6 गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

7 एमपीयर घंटा

इसी दौरान सी.ई.सी.आर.आई. की शोध समिति ने, सी.ई.सी.आर.आई. की आर. एंड डी. गतिविधियों की समीक्षा हेतु, विशेषज्ञों की एक कोर कमेटी गठित की। कोर कमेटी ने अगस्त 2005 में निष्कर्ष किया कि नी. एम.एच., नी.कैडमियम यहां तक कि लीथियम आईन से भी महंगा था तथा उसकी जिन्दगी भी कम थी। कोर कमेटी के निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि सी.ई.सी.आर.आई. द्वारा विकसित बैटरी निम्न स्तर की थी तथा वास्तविक उद्देश्य के अनुकूल नहीं थी।

जून 2006 में सी.ई.सी.आर.आई. ने दूसरे चरण की योजना पूरी की जिस पर रूपये 24.57 लाख का खर्चा हुआ। अंतिम रिपोर्ट ने दर्शाया कि सी.ई.सी.आर.आई. ने 1.2 वी./15 ए.एच. के 100 सैल का संयोजन तथा परख किया गया तथा संयोजित बैटरी पैक, पूर्व परीक्षण संतोषजनक पूरा हुआ। परन्तु सी.ई.सी.आर.आई. कथिक तकनीक को किसी भी सृजित विद्युत साइकिल का उद्योग को प्रदान नहीं कर सकी क्योंकि कोई भी उद्योग कारखाना तकनीक को अपनाने में रूचि नहीं दिखा रहा था।

सी.ई.सी.आर.आई. ने जुलाई 2007 में उत्तर दिया कि, वर्तमान औद्योगिक मंदी की वजह से कोई भी निर्माता योजना के शुरू होने से पहले, सहयोग के लिये तैयार नहीं था। यह भी बताया गया कि इस समय कोई बाजार तैयार नहीं था अतः तकनीक समावेश के लिये सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं पैदा कर पा रही थी। सी.ई.सी.आर.आई. ने यह तर्क दिया कि कोर समिति द्वारा चाहा गया रख रखाव रहित मुहरबंद रूप तभी बनाया जा सकता था जब उचित धन और मदद उपलब्ध कराई जाती। सी.ई.सी.आर.आई. ने यह भी उत्तर दिया कि योजना के लिये जारी धन अपर्याप्त थे। तथा तथ्य जोर कि वांछित नतीजा प्राप्त करने के लिये कारखानों का सम्मिलित होना तथा वित्तीय निवेश आवश्यक है। वह यह भी उम्मीद कर रहा है कि जैसे ही एक बार बाजार उभरे तो बैटरी को वाणिज्यता मिल जाएगी।

सी.ई.सी.आर.आई. के उत्तर को इस परिपेक्ष में देखने की आवश्यकता कि इन्होंने एम.एन.ई.एस. को सलाहकार समिति द्वारा वाहन निर्माताओं को इस परियोजना में सम्मिलित करने की जरूरत पर जोर दिये जाने के उपरान्त भी, परियोजना के शुरू होने से लेकर जुलाई 2007 तक किसी भी उद्योग से सम्पर्क नहीं किया। दिसम्बर 1996 में एम.एन.ई.एस. को यह स्पष्टीकरण दिये जाने के, बाद भी कि विकसित बैटरी मरम्मत मुक्त सीलड स्तर की होगी, सी.ई.सी.आई. ने छिद्रित रूप ही विकसित किया।

सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में बताया कि नि.एम.एच. बैटरी के विकास में रूचि धीरे-धीरे कम हो गई है तथा वर्तमान में विश्व में तकनीक में रूचि बिल्कुल नीचे स्तर पर है। सी.एस.आई.आर. ने यह भी बताया कि रिचार्जबल लिथियम बैटरियां इस समय बाजार में छाई हैं। इसीलिये नि.एम.एच. बैटरियों का वाणिज्यकरण नहीं हो सका।

उत्तर से साबित होता है कि नि.एम.एच. बैटरी तकनीक पुरानी हो चुकी है तथा पहले ही खत्म कर दी गई थी। इस प्रकार नि.एम.एच. बैटरियों का विकास गलत था एम.एन.ई.एस. ने दिसम्बर 1997 में संकेत दिया था। ऐसे प्रथम और द्वितीय चरण की परियोजना पर हुए रूपये 1.38 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(ii) इलेक्ट्रोकेमिकल सैल का विकास तथा वाणिज्यिकरण

सूचना तकनीकी विभाग ने एक परियोजना, "इलेक्ट्रोलाइटिक रिजेनेरेशन आफ असिडिक एंड अमोनिकल क्यूपरिक क्लोराईड एटचेंट्स विद साईमलटेनियस रिकवरी आफ कापर" को रूपये 39.89 लाख खर्च की मंजूरी दी, जो दो वर्ष में पूरी होनी थी तथा जिसमें सूचना तकनीकी विभाग का योगदान रूपये 24.49 लाख था। योजना के शुरू में दो प्रणाली, यानि एसीडिक तथा अमोनिकल क्यूपरिक क्लोराईड एटचेंट्स, विकसित की

जानी थी, अमोनिकल क्यूपरिक सल्फेट का विकास भी एक अतिरिक्त मद के रूप में जोड़ दिया गया, जो कि प्रोजेक्ट मानिट्रिंग कमेटी के आदेश से हुआ, क्योंकि बहुत सी पी.सी.बी. उद्योग अमोनिकल क्यूपरिक क्लोराईड प्रणाली को छोड़कर, सल्फेट प्रणाली को अपना रहे थे। सी.ई.सी.आर.आई. ने मार्च 2002 में परियोजना के अंत तक तीन प्रोटोटाईप विकसित कर लिये थे। सूचना तकनीकी विभाग ने 6.35 लाख रूपए अतिरिक्त जारी करके अपना योगदान कुल 30.84 लाख रूपए कर दिया।

सी.ई.सी.आर.आई. मैसर्स एन.एस.पी. एलेक्ट्रोनिक्स में केवल एक ही प्रदर्शन ईकाई स्थापित कर सका। सी.ई.सी.आर.आई. की उम्मीद के विपरित प्रदर्शन ईकाईयों को स्थापित किये जाने के लिये भी यह तकनीक पी.सी.बी. उद्योगों को आकर्षित नहीं कर पाई।

इस प्रकार रूपये 66.75 लाख के खर्च से तीन प्रणालियां विकसित कर लेने के बाद, सी.ई.सी.आर.आई. ने मार्च 2006 में यह परियोजना बन्द कर दी। नवम्बर 2007 में, सी.ई.सी.आर.आई. ने "रिजेनरेशन आफ स्पेंट एसिडिक क्यूपरिक क्लोराईड विद साईमलटेनियस रिकवरी आफ कापर" नामक एक तकनीक मैसर्स ए.टी. एंड एस. को प्रदान कर सका तथा रूपये 10 लाख की एक मुश्त फीस राशि प्राप्त की। हालांकि दो और प्रक्रियाओं का वाणिज्यकरण नहीं हो पाया।

यह स्वीकार करते हुए कि प्रदर्शन ईकाईयां स्थापित किये जाने के लिये जिन दो फर्मों को चुना गया था, उन्होंने कोई अनुकूल उत्तर नहीं दिया, सी.ई.सी.आर.आई. ने नवम्बर 2005 में उत्तर दिया कि दूसरी फर्मों को राजी करने के सभी प्रयास विफल हो गये। उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि विकसित तकनीक की कोई मांग नहीं थी तथा उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों का जायजा लिये बिना ही योजना शुरू कर दी गई थी।

सी.एस.आई. आर. ने मार्च 2009 में कहा कि उद्योगों के द्वारा रिजेनरेशन प्लांट की स्थापना करने में हिचकिचाहट इस लिये भी होगी कि इस्तेमाल किए जा चुके एटचेंट में कापर अधिक मात्रा में होता है जोकि साल्ट कापर प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्केट में आसानी से बिक जाती है। सी.एस.आई. आर. ने आगे बताया कि हालांकि विकसित की एलक्ट्रोलिटिक प्रक्रिया सस्ती थी किन्तु उद्योग अपनी प्रणाली में एक और इकाई नहीं चलाना चाहते थे।

सी.ई.सी.आर.आई. के उत्तर को इस तथ्य के आधार पर देखने की जरूरत है कि, उन्होंने मार्केट सर्वे तथा उत्पाद सर्वे करके तथा उद्योगों की सहायता से प्रौद्योगिकी का विकास करके उद्योगों द्वारा विकसित तकनीक को अपनाने में आने वाली कठिनाइयों को देखना चाहिये था।

(iii) 400 वाट हाईड्रोजन जैनेरेटर का विकास तथा तकनीकी स्थानान्तरण

एम.एन.ई.एस. ने मार्च 2003 में, दो वर्ष की अवधि के लिये रूपये 40.36 लाख की लागत की, "400 वाट क्षमता वाले हाईड्रोजन जैनेरेटर के विकास" नामक एक परियोजना की मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य इलक्ट्रोलिसिस माडयूल/स्टेक की लगभग 0.08 क्यूबिक मिलियन हाईड्रोजन उत्पादित करने के लिए वर्तमान 100 वाट (50 अम्पीयर क्षमता) को बढ़ाकर 400 वाट करना था। सी.ई.सी.आर.आई. ने प्रस्तावित योजना में दर्शाया कि, 400 वाट माडयूल, लघु स्तर इकाईयों तथा उन ग्राहकों के लिये, जिनकी आवश्यकता के लिए यह क्षमता अनुकूल होगी, शुद्ध हाईड्रोजन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तथा तकनीक स्थानान्तरण हेतु पहचान की जायेगी।

रूपये 38.54 लाख के खर्च से सी.ई.सी.आर.आई. ने सफलतापूर्वक, 0.08 क्यूविक मिलियन प्रति घंटा हाईड्रोजन उत्पादन करने वाले हाईड्रोजन जेनरेटर का विकास तथा प्रदर्शन किया। परियोजना मार्च 2006 में पूरी हुई। सी.ई.सी.आर.आई. तकनीक विकसित करने के दो वर्ष बाद तक भी, तकनीक स्थानान्तरण हेतु, किसी भी लघु इकाई ग्राहक का पता नहीं लगा पाई। जैसाकि, परियोजना प्रस्ताव में कहा गया था।

सी.ई.सी.आर.आई. ने जनवरी 2007 में बताया कि विकसित इकाई सस्ती थी, तथा तकनीक स्थानान्तरण हेतु ग्राहकों का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सितम्बर 2008 में सी.ई.सी.आर.आई. ने संकेत दिया कि 400 वाट की क्षमता वाणिज्यिकरण हेतु बहुत कम है, तथा सी.ई.सी.आर.आई., सी.एस.आई. आर. के नेटवर्क कार्यक्रम के तहत, ईंधन सैल इकाई के लिये, 25 किलोवाट एलेक्ट्रोकेमिकल जेनरेटर के विकास हेतु प्रयास कर रही है। सी.एस.आई. आर. ने मार्च 2009 में यह भी बताया कि वाणिज्यिकरण हेतु ईंधन सैल उन्नत के प्रौद्योगिकी/उन्नतीकरण के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

सी.ई.सी.आर.आई. तथा सी.एस.आई.आर. द्वारा दिये गए उत्तर सी.ई.सी.आर.आई. द्वारा परियोजना प्रस्ताव में किए गए उस वाद के विपरित है कि 400 वाट माड्यूल अनेक लघु इकाईयों में प्रयोग में लाई जा सकती है और औद्योगिकी स्थानान्तरण के लिए अनुकूल ग्राहकों की पहचान की जायेगी।

(iv) पीने के पानी से आरसेनिक अलग करने की तकनीक

सी.ई.सी.आर.आई. ने मार्च 2003 में एक योजना शुरू करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक विकसित करके पीने के पानी से एक स्वीकार्य स्तर तक आरसेनिक तत्वों को कम करना, और प्रणाली को उच्च स्तर तक उन्नत करना था। विकसित तकनीक, पश्चिमी बंगाल के आरसेनिक से पीडित ग्रामीणों को सम्बंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों से सम्पर्क करके, उपलब्ध करायी जानी थी। विज्ञान तथा तकनीकी विभाग ने फरवरी 2004 में रूपये 9.73 लाख के खर्च से तीन वर्ष की अवधि के लिये, एक योजना शीर्षक इलेक्ट्रोकेमिकल तकनीक जो पीने के पानी से आरसेनिक अलग करने की तकनीक नामक एक योजना को मंजूरी दी।

सी.ई.सी.आर.आई. ने यह तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की तथा आरसेनिक की मात्रा स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, के स्वीकार्य स्तर तक कम कर दी गई। सी.ई.सी.आर.आई. ने तकनीक का मूल्य लागत अनुमान तथा मुनाफा का हिसाब लगाकर रूपये 10 लाख आंका गया। आरसेनिक अलग करने की हासिल क्षमता 99.60 प्रतिशत थी। परियोजना पर रूपये 9.56 लाख का खर्चा हुआ। तकनीक स्थानान्तरण प्रयास हेतु सी.ई.सी.आर.आई. ने परियोजना को दिसम्बर 2006 से बढ़ाकर जून 2007 करने का अनुरोध किया। डी.एस.टी. ने परियोजना की अवधि जून 2007 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सितम्बर 2008 तक सी.ई.सी.आर.आई. तकनीक का स्थानान्तरण नहीं कर पाया क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्रालय तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार के साथ आवश्यक सम्पर्क नहीं किया गया जैसा कि योजना प्रस्ताव में अंकित था, जिससे वे पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा पाते। अतः उचित एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों, विशेषतौर से पश्चिमी बंगाल सरकार को, तकनीक उपलब्ध कराकर जनता को सुरक्षित पेयजल का सामाजिक लाभ देने का जैसा कि परियोजना में चाहा गया था, उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सी.ई.सी.आर.आई. ने सितम्बर 2008 में उत्तर दिया कि तकनीक की जानकारी संबंधित व्यक्तियों को प्रस्तुत की थी, परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सी.एस.आई.आर.

ने मार्च 2009 में बताया कि पूछताछ आ रही हैं तथा जैसे ही उपभोक्ता की पहचान हो जायेगी तकनीक का वाणिज्यिकरण हो जायेगा।

अतः सी.ई.सी.आर.आई. ने ना तो परियोजना के शुरू होने से पहले और ना ही योजना पूर्ण होने के बाद, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से सम्पर्क बनाने के लिए आरसेनिक से पीडित व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का सामाजिक लाभ हासिल करने के लिये कोई समुचित कदम उठाया। सी.एस.आई.आर. के उत्तर से यह भी सिद्ध होता है अभी तक किसी भी उपभोक्ता का पता नहीं लग सका है।

(v) क्रोमियम फ्रॉम मैटल फिनिशिंग वेस्टवाटर यूसिंग एलेक्ट्रोकेमिकल आयन एक्सचेंज का फिर से घुमाव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने "रिसाईक्लिंग आफ क्रोमियम फ्रॉम मैटल फिनिशिंग वेस्टवाटर यूसिंग एलेक्ट्रोकेमिकल आयन एक्सचेंज" नामक एक परियोजना को मई 2002 में रूपये 8.54 लाख के खर्च की स्वीकृति प्रदान की। परियोजना की अवधि तीन वर्ष थी। सी.ई.सी.आर.आई. इस प्रौद्योगिकी को संसाधन वसूली तथा पानी के हानिकारक कणों साफ करने के लिए प्रयोग करना चाहता था।

किन्तु एम.ओ.ई.एफ. ने योजना की अवधि के दौरान केवल रूपये 5.34 लाख की राशि जारी की जिसमें में सी.ई.सी.आर.आई. ने रूपये 5.23 लाख खर्च किये। कम राशि जारी करने के बावजूद भी परियोजना जुलाई 2005 में पूरी कर दी गई। सी.ई.सी.आर.आई. ने यह पाया कि हानिकारक प्रदूषक तत्वों को आयन एक्सचेंज पद्धति द्वारा, सफलतापूर्वक साफ किया जा सकता है। परम्परागत रसायन प्रिसिपिटेशन पद्धति का जब दूसरे तरीकों से मिलान किया गया तो पता चला कि यह प्रौद्योगिकी औद्योगिक बहिःस्राव से तथा क्रोमियम की उच्चतम पुनःप्राप्ति कराती है। सी.ई.सी.आर.आई. प्रौद्योगिकी को सबसे अधिक किफायती तथा असरदार पाया। किन्तु, सी.ई.सी.आर.आई., प्रौद्योगिकी विकसित हो जाने के तीन वर्ष बाद भी इसे प्रयोग के लिए स्थानंतरित नहीं कर पाई।

सी.ई.सी.आर.आई. ने सितम्बर 2008 में उत्तर दिया कि कारखानो में तकनीक आरंभिक स्तर पर लागू हो सकती थी तथा ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाजार नीति तैयार की जानी थी। सी.ई.सी.आर. आई. ने यह भी बताया कि जरूरत मंद उद्योगों के लिये उनकी जरूरत के आधार पर अध्ययन किया जाना था। सी.एस.आई.आर. ने मार्च 2009 में हालांकि यह भी उत्तर दिया कि परियोजना गवेषणा प्रकार की थी तथा परियोजना के तहत विकसित कुशलता जरूरतमंद उद्योगों के प्रदूषण को निगरानी हेतु तदनुकूल परामर्श के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है।

सी.ई.सी.आर.आई. के उत्तर से यह पता चलता है कि परियोजना शुरू करने से पहले ना तो कोई मार्केट सर्वेक्षण किया गया और न ही उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक की मांग का आंकलन किया गया। पिछले तीन वर्षों में, सी.ई.सी.आर.आई. ने एक भी उद्योग का चयन उसकी जरूरत तथा अध्ययन हेतु नहीं किया। सी.एस.आई.आर. का यह तर्क कि योजना गवेषणा प्रकार की थी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सी.ई.सी.आर.आई. ने खुद यह कहा था कि मार्केट मांग तथा सर्वेक्षण करने के बाद इस प्रौद्योगिकी को उद्योगों में लागू किया जा सकेगा।

इस प्रकार यह देखा गया है कि हालांकि सी.ई.सी.आर.आई. ने पांच परियोजनाओं पर रूपये 2.58 करोड का खर्च करके प्रौद्योगिकियों का विकास किया किन्तु वह किसी प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण नहीं कर पाई जिससे व्यय निष्फल हो गया और विकसित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिकरण न होने की

वजह से प्रायोजित परियोजनाएं जो प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण के विशेष उद्देश्य से शुरू की जाती हैं का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाता है।

सिफारिशें

16. विकसित तकनीकों के असरकारक वाणिज्यिकरण हेतु मार्केट सर्वेक्षण तथा जरूरत का आंकलन सी.ई.सी.आर.आई द्वारा परियोजना के शुरू होने से पहले ही कर लेना चाहिए।
17. सी.ई.सी.आर.आई. को उपभोक्ता उद्योगों को शामिल करना चाहिए ताकि खर्चा करने के बाद विकसित तकनीकों का सफलतापूर्वक स्थानान्तरण किया जा सके बजाय इसके कि तकनीकें इस्तेमाल में न आएँ और खर्चा निष्फल हो जाए। इसके अतिरिक्त उद्योग के लिए लाभकारी होने, प्रौद्योगिकी विकसित की लागत तर्कसंगत हो।
18. सी.ई.सी.आर.आई. को तकनीक का वाणिज्यिकरण न हो पाने के कारणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिये जिससे उचित कदम उठाएँ जा सकें और भविष्य में उचित कदम उठाएँ जा सकें और भविष्य में ऐसी दिक्कतें न आएँ।

4.5.2.2 तकनीकियों का विकास तथा वाणिज्यिकरण न होना

(i) डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस फार इलैक्ट्रोफॉरनिंग आफ अल्यूमिनियम मेटल

सी.ई.सी.आर.आई. ने अल्यूमिनियम धातु की इलैक्ट्रोफॉरनिंग के लिए प्रयोगशाला स्तर पर 200 ए. क्षमता वाला, एक सैल विकसित किया। सुपर फाईन अल्यूमिनियम की अत्याधिक जरूरत तथा इस सच्चाई को देखते हुए कि देश की 200 टन उत्तम अल्यूमिनियम की जरूरत विदेशी मुद्रा को खर्च करके आयात द्वारा पूरी की जाती है सी.ई.सी.आर.आई. ने मार्च 2000 में खान मंत्रालय (एम.ओ.एम.) को एक परियोजना प्रस्ताव किया जिससे 200 ए. क्षमता की घरेलू तकनीक को बढ़ाकर 2000 ए. करके उच्च श्रेणी का शुद्ध अल्यूमिनियम का उत्पादन हो सके।

एम.ओ.एम. ने अगस्त 2000 में रूपये 43.80 लाख के खर्च वाली एक द्विवर्षीय परियोजना को मंजूरी दी। मंजूरी में यह स्पष्ट किया गया था कि एक उचित समय पर तकनीक वाणिज्यिकरण करने हेतु नान फॅरस मैटीरियलस टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एन.एफ.टी.डी.सी.) को शामिल किया जायेगा।

सी.ई.सी.आर.आई. ने परियोजना गतिविधियां मार्च 2001 में शुरू की परन्तु कथित क्षमता के सैल का निर्माण एवं चालन अनेक दिक्कतों जैसे निम्न श्रेणी की ईंटे, एलेक्ट्रोलाईट के ठोस होने तथा अपद्रव्यों के लीक होने की वजह से नहीं हो पाया। संचालन में आ रही इन दिक्कतों के कारण एम.ओ.एम. ने जुलाई 2004 में एन.एफ.टी.डी.सी. से अनुरोध किया कि वह परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये कुछ बदलाव का सुझाव दे तथा परियोजना को मार्च 2005 तक बढ़ा दें। एन.एफ.टी.डी.सी. ने जुलाई 2004 सुझाव दिया कि दीवारों पर हर तरफ ग्रेफाईट लाईनिंग की जाए तथा कम क्षमता के सैल की सम्भावनाओं का पता लगाएँ और फिर 2000 ए. सैल के विन्यास पर विचार करें।

सी.ई.सी.आर.आई. ने सुझावों को लागू करते हुए ग्रेफाईट लाईनिंग सहित 200 ए. सैल को सफलतापूर्वक चलाया तो परियोजना की वित्तीय स्थिति कमजोर होने की वजह से

2000 ए. सैल के विन्यास पर विचार नहीं किया। अतः परियोजना को मार्च 2005 में, सैल की क्षमता 2000 ए. तक बढ़ाये बिना ही बंद कर दिया गया। एन.एफ.टी.डी.सी. ने भी उस तकनीक को वाणिज्यिकरण हेतु नहीं अपनाया जिसके लिये परियोजना में इसे शामिल किया गया था। सी.ई.सी.आर.आई. का परियोजना पर रूपये 41.10 लाख का खर्चा हुआ।

सी.ई.सी.आर.आई. ने जुलाई 2007 में, 2000 ए. सैलों का चालन न करने का मुख्य कारण समय तथा वित्तीय अभाव बताया। सी.एस. आई.आर. ने मार्च 2009 में यह स्वीकार किया कि प्रणाली में आने वाली आकस्मिक परेशानियों की वजह से उम्मीद की गई क्षमता हासिल नहीं हो पाई।

उत्तर की समीक्षा इस तथ्य के आधार पर की जाने की आवश्यकता है कि, सी.ई.सी.आर.आई. वित्त की कमी के कारण दिक्कतों को दूर करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा, ग्रेफाईट उपलब्ध कराये जाने की सिफारिशों को लागू नहीं कर सकी। सी.ई.सी.आर.आई. ने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये, धन तथा साधन नहीं जुटाए।

(ii) कंडकटिंग पोलीमीर बेसड सुपर कैपेसिटर्स का विकास

एम.एन.ई.एस. ने मार्च 2002 में, रूपये 31 लाख के खर्च से "कंडकटिंग पोलीमीर बेसड सुपर कैपेसिटर्स" नामक एक त्रिवर्षीय परियोजना को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त परियोजना में सी.ई.सी.आर.आई. का वित्तीय योगदान रूपये 34 लाख था।

सी.ई.सी.आर.आई. ने यह परियोजना, विद्युत वाहनों में हाइब्रिड पावर स्रोत के रूप इस्तेमाल के लिए एलैक्ट्रोकेमिकल सुपर कैपेसिटर्स विकसित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित की थी।

सी.ई.सी.आर.आई. ने सोचा था कि परियोजना का परिणाम विद्युत वाहनों में पर्वतारोहण और गति बढ़ाने के लिए पूरक उपकरण के रूप एक उचित कैपेसिटर निर्माण का प्रारम्भ बिंदु होगा।

सी.ई.सी.आर.आई. ने प्रस्ताव में यह भी संकेत दिया था कि कोई भी एलैक्ट्रोकेमिकल डबल लेयर कैपेसिटर भारत में तैयार नहीं हो पाया है, तथा कस्टम मेड सुपर कैपेसिटर्स की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु यह परियोजना शुरू की जाएगी। सी.ई.सी.आर.आई. ने किसी भी उद्योग को परियोजना में शामिल नहीं किया।

परियोजना जुलाई 2005 में एम.एन.ई.एस. से प्राप्त रूपये 26.84 लाख में से रूपये 26.10 लाख खर्च करने के बाद बंद कर दी गई। किन्तु सी.ई.सी.आर.आई. ने विद्युत वाहन में इस्तेमाल के लिए सुपर कैपेसिटर का नमूना आदर्श विकसित नहीं किया। इस प्रकार परियोजना का उद्देश्य रूपये 60.10 लाख (रूपये 26.10 लाख अनुदान तथा रूपये 34 लाख सी.ई.सी.आर.आई. का योगदान) खर्च करने के बावजूद भी हासिल नहीं हो सका।

सी.ई.सी.आर.आई. ने सितम्बर 2008 में उत्तर दिया कि वांछित सुपर कैपेसिटर के सम्मिलन में मदद हेतु, व्यवसाय अनुसूच सुपर कैपेसिटर्स का प्रायोगिक नयाचार विकसित कर लिया गया है। सी.ई.सी.आर.आई. ने यह भी कहा कि विशेष इस्तेमाल जैसे विद्युत वाहनों के लिए भावी उपभोक्ता साझेदार की आवश्यकता होती है और जैसे ही उचित उद्योग साझेदार आगे आएगा, कल्पित कैपेसिटर तैयार कर दिया जाएगा। सी.एस.आई.आर. ने भी मार्च 2009 में कहा इस क्रिया से बने आर. एण्ड डी. आधार को और संवारने व उन्नत करने की जरूरत है जिसके लिए कार्य प्रगति पर है और इस उत्तर की इस तथ्य के आधार पर समीक्षा की आवश्यकता है कि परियोजना पूरी होने के

तीन वर्ष बाद भी किसी साझेदार उद्योग का पता नहीं चल पाया। प्रौद्योगिकी के परिमार्गन व उन्नति हेतु सी.ई.सी.आर.आई. के साझेदार के रूप में कोई उद्योग भी आगे नहीं आया। इस प्रकार रूपये 60.10 लाख के निवेश के बावजूद उद्योगों ने प्रौद्योगिकी में कोई रुचि नहीं दिखाई।

(iii) कबाड से टंगस्टन निकालने की परियोजना का असफल होना

सी.ई.सी.आर.आई. ने जनवरी 2001 में एम.ओ.एम. को प्रस्तुत एक प्रस्ताव में संकेत दिया कि भारत में टंगस्टन की कुल खपत 1500 से 2000 टन प्रतिवर्ष है तथा कबाड से निकाली टंगस्टन मांग का 35 प्रतिशत है। क्योंकि भारतीय उद्योग लगभग 200-300 टन कबाड स्कैप प्रतिवर्ष उत्पन्न करती है अतः अगर इस कबाड को काम के उत्पाद में बदल दिया जाए तो भारत की लगभग 12 करोड़ की विदेशी मुद्रा बचा सकती है। स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार दल (एस.एस.ए.जी.) ने जनवरी 2003 में इस क्रिया के वाणिज्यिकरण की संभावना में शंका जताते हुए इसकी वाणिज्यिकरण सम्भावनाओं का अध्ययन करने का सुझाव दिया। एस.एस.ए.जी. ने प्रयोगशाला में प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद, मैसर्स हेवी एलोय पेनेट्रेटर प्रोजेक्ट (एच.ए.पी.पी.) को सम्मिलित करने का भी सुझाव दिया।

खान मंत्रालय (एम.ओ.एम) ने जुलाई 2003 में, रूपये 18.40 लाख की लागत वाली एक द्विवर्षीय परियोजना "टंगस्टन एलोय स्कार्फ से टंगस्टन निकालने" को मंजूरी दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) का योगदान रूपये 4.60 लाख, जबकि एम.ओ.एम. का योगदान रूपये 13.80 लाख था। किन्तु सी.ई.सी.आर.आई. ने कबाड से टंगस्टन प्राप्त करने की प्रक्रिया स्थापित नहीं की, जैसाकि प्रस्ताव में कल्पना की गई थी।

सी.ई.सी.आर.आई. ने सितम्बर 2003, वाणिज्यिकरण की सम्भावनाओं का अध्ययन किये बिना ही परियोजना आरम्भ कर दी। एम.ओ.एम. तथा डी.एस.टी. ने सितम्बर 2003 में क्रमशः रूपये 10 लाख तथा रूपये 4 लाख की राशि, पहली किश्त के तौर पर जारी कर दी। परियोजना की समय सीमा सितम्बर 2005 से बढ़ाकर सितम्बर 2006 कर दी गई। जब सी.ई.सी.आर.आई. ने एच.ए.पी.पी. को तैयार उत्पाद की आपूर्ति की तो पता चला कि उत्पाद में दूसरे तत्व स्वीकृत स्तर से ज्यादा मात्रा में मौजूद थे। इसलिये एच.ए.पी.पी. ने प्रौद्योगिकी में कोई रुचि नहीं दिखाई। सी.ई.सी.आर.आई. ने भी, एच.ए.पी.पी. द्वारा पहचानी गई खामियों को दूर करने की कोई कार्यवाही नहीं की। एम.ओ.एम. तथा डी.एस.टी. ने भी द्वितीय तथा अंतिम किश्त जारी नहीं की। परियोजना की कोई अंतिम रिपोर्ट तैयार तथा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वांछित उद्देश्य हासिल नहीं हुआ तथा रूपये 12.69 लाख की पूर्ण राशि निष्फल हो गई।

यह स्वीकार करते हुए कि प्रमाणित जानकारी स्थापित नहीं हुई थी, सी.ई.सी.आर.आई. ने सितम्बर 2008 में उत्तर दिया कि एच.ए.पी.पी. टंगस्टन धातु पाउडर निकालने में रुचि रखता था, और सी.ई.सी.आर.आई. के पास, पाउडर बनाने की कोई कुशलता और सुविधा नहीं थी। सी.ई.सी.आर.आई. ने यह भी बताया कि वाणिज्यिक सम्भावना का अध्ययन नहीं किया गया। सी.एस.आर.आई. ने भी मार्च 2009 में उत्तर देते हुए यह स्वीकार किया कि प्रक्रिया के अपर्याप्त स्तर की वजह से प्रौद्योगिकी का मानकीकरण नहीं हो सका। सी.एस.आई. आर ने आगे बताया कि भविष्य में साझेदार उद्योग के साथ प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया जायेगा। उत्तर से यह साफ होता है कि निपुणता तथा सुविधाओं की उपलब्धता का अनुमान लगाये बिना ही परियोजना चालू कर दी गई। एस.एस.ए.जी. के सुझाव के बावजूद भी कोई सम्भावना अध्ययन नहीं किया गया।

परियोजना पूरी होने के दो वर्ष बाद भी मानकीकरण हेतु किसी भी औद्योगिक साझेदार का पता नहीं लगा।

उपरोक्त मामलों से यह देखा जा सकता है कि ना तो सी.ई.सी.आर.आई. प्रौद्योगिकियां विकसित कर पाईं और न ही सी.ई.सी.आर.आई. द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां, औद्योगिक उपभोक्ताओं की जरूरतों से मेल खाती थीं। फलतः 1.14 करोड़ रुपये का व्यय बेकार हो गया।

सिफारिशें

19. प्रौद्योगिकी के वाणिज्यकरण के उद्देश्य से परियोजनाओं के स्तर को बढ़ाये जाने से पहले, सी.ई.सी.आर.आई. को प्रौद्योगिकी की विशिष्टता तथा जरूरत का आंकलन करने के लिए उचित अध्ययन करना चाहिये जिससे उपभोक्ता उद्योगों को प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक स्थानांतरण हो सके।
20. सी.ई.सी.आर.आई. को परियोजनाओं की मध्यविधि समीक्षा यह निश्चय करने के लिये की जानी चाहिये कि स्थिति के अनुकूल परियोजना को जारी रखना है या निरस्त करना है, जिससे निष्फल व्यय से बचा जा सका।

4.5.3 सी.ई.सी.आर.आई. ने जून 2008 में उत्तर दिया कि परियोजनाओं को धन राशि, परस्पर सम्बंधी क्षेत्रों में होने वाली, प्राथमिक तथा एक्सप्लोरेटरी शोध तथा विकास के लिये, जारी की गई थी, सी.ई.सी.आर.आई. ने परस्पर सम्बंधी क्षेत्रों में प्राथमिक जानकारी हासिल कर ली थी तथा विशेषता विकसित कर ली थी तथा उम्मीद की है कि विकसित विशेषता का सही किया जायेगा।

4.5.4 निष्कर्ष

सी.ई.सी.आर.आई. 2002-07 के दौरान उन 8 परियोजनाओं को सम्बंधित उद्योगों की पहचान किए बिना उनकी वाणिज्यकरण का आरम्भ नहीं कर सका, अतः रुपये 3.72 करोड़ का व्यय व्यर्थ गया।

4.6 केन्द्रीय कांच तथा सेरेमिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के कार्यकलाप

केन्द्रीय कांच तथा सेरेमिक अनुसंधान (सी.जी.सी.आर.आई.) सरकारी अनुदान पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर सका जो अब भी 74 प्रतिशत बनी हुई है। 2003-08 की अवधि तक सी.जी.सी.आर.आई. ने छः तकनीक हस्तांतरित कीं। इन तकनीकों के हस्तांतरण द्वारा अर्जित प्रीमियम एवं रॉयल्टी से इन तकनीकों को विकसित करने में आई लागत की भरपाई नहीं हुई। सी.जी.सी.आर.आई. अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका। सी.जी.सी.आर.आई. के कमजोर परियोजना प्रबंधन के परिणामस्वरूप बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्देश्य अधूरे रह गए।

4.6.1 प्रस्तावना

विशिष्ट कांच, सेरेमिक, रिफ्रेक्ट्रीस⁸, सेरेमिक कोटिंग, मिश्रित तथा संबंधित क्षेत्रों में आधारित एवं प्रयोगिक अनुसंधान करने के लिए 1950 में केन्द्रीय कांच एवं सेरेमिक

⁸ रिफ्रेक्ट्रीस वे पदार्थ हैं जिनकी उच्च ताप पर भी शक्ति बनी रहती है।

अनुसंधान संस्थान (सी.जी.सी.आर.आई.) कोलकाता की स्थापना वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक घटक के रूप में हुई। यह देश की आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित ग्लास तथा सेरेमिक पदार्थों/संबंधित तकनीकी को भी विकसित करती है।

सी.जी.सी.आर.आई. का एक निदेशक होता है जिसकी सहायता के लिए 10 अनुसंधान एवं विकास संभाग होते हैं। इसके नरोदा (गुजरात) तथा खुरजा (उत्तर प्रदेश) में दो बाह्य केन्द्र हैं। 2003-08 के दौरान सी.जी.सी.आर.आई. ने अनुसंधान संविदा लेने के लिए तथा तकनीकी संवाएं प्रदान करने के लिए रूपये 180.26 करोड़ सी.एस.आई.आर. से तथा रूपये 28.50 करोड़ विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त किए। लेखापरीक्षा में 2003-04 से 2007-08 तक की अविधि के वित्त प्रबंधन, अनुसंधान तथा विकास, भंडार एवं खरीद तथा अन्य कार्यों से संबंधित सी.जी.सी.आर.आई. के कार्यकलापों की जांच की गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि (i) सी.जी.सी.आर.आई. सरकारी अनुदानों पर अपनी निर्भरता कम करने में असफल रही, (ii) तकनीकों के हस्तांतरण द्वारा अर्जित रॉयल्टी एवं प्रिमियम से उन तकनीकों को विकसित करने की लागत की भरपाई नहीं हुई, (iii) अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, तथा (iv) परियोजना प्रबंधन कमजोर रहा जिससे परियोजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। लेखापरीक्षा परिणामों का विस्तृत वर्णन अग्रेषित पैरों में किया गया है।

4.6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

4.6.2.1 बाह्य रोकड़ प्रवाह की उत्पत्ति

सी.एस.आई.आर. ने अपनी सभी प्रयोगशालाओं को जनवरी 1996 में कहा कि 2001 तक सरकारी अनुदान पर निर्भरता 50 प्रतिशत तक लाई जाए। 2003-08 के दौरान सी.जी.सी.आर.आई. ने सी.एस.आई.आर. से रूपये 180.26 करोड़ प्राप्त किए तथा रूपये 120.22 करोड़ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर व्यय किए। व्यय की गई कुल राशि में से रूपये 30.97 करोड़ की पूर्ति सी.एस.आई.आर. के अतिरिक्त अन्य साधनों से की गई। अतः 2003-08 के दौरान सी.जी.सी.आर.आई. ने 74.1 प्रतिशत सहायता सरकार से ली तथा इसे 50 प्रतिशत के लक्षित स्तर तक नीचे लाने में असफल रहा। सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में कहा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में सी.एस.आई.आर. प्रयोगशाला की निधियों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बाह्य रोकड़ प्रवाह के रूप में (ई.सी.एफ.) बाह्य साधनों से अतिरिक्त निधियां उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं हुई। सी.जी.सी.आर.आई. ने यह भी कहा कि वर्तमान मानव संसाधनों से बाह्य निधि दोताओं को अतिरिक्त वचनबद्धता करना उसके लिए संभव नहीं था। उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखा जाए कि 1996 के सी.एस.आई.आर. के निर्देशों का अभिप्राय ई.सी.एफ. से सरकारी अंशदान की पूर्ति करने के लिए प्रयोगशालाओं को उत्साहित करना था न कि ई.सी.एफ. के रूप में बाह्य साधनों से अतिरिक्त निधियों की उत्पत्ति से दूर भागना।

4.6.2.2 अनुसंधान प्रकाशन

सी.एस.आई.आर. ने निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड (पी.ए.बी.) ने अक्टूबर 2001 में हुई अपनी बैठक में साइंटिफिक साइंटेशनइंडेक्स (एस.सी.आई.) जर्नल में प्रतिवर्ष 100 पत्रों को प्रकाशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 2003-08 के दौरान प्रकाशित अनुसंधान पत्रों का वर्णन निम्न था:

तालिका VIII

वर्ष	वैज्ञानिकों की संख्या	एस.सी.आई. जर्नल में प्रकाशन का लक्ष्य	एस.सी. आई. जर्नल में प्रकाशित पत्रों की संख्या	एस.सी.आई. जर्नल के अलावा प्रकाशित पत्रों की संख्या	लक्ष्य प्राप्त की कमी क प्रतिशत
2003-04	107	100	54	18	46
2004-05	103	100	54	9	46
2005-06	99	100	72	25	28
2006-07	110	100	67	8	33
2007-08	104	100	75	4	25
2003-08 का औसत	105	100	64	13	

पिछले पांच वर्षों में एस.सी.आई. जर्नल ने 500 पत्रों के प्रकाशन के लक्ष्य के स्थान पर सी.जी.सी.आर.आई. 322 पत्र ही प्रकाशित कर सका जिससे लक्ष्य प्राप्ति में 25 से 46 प्रतिशत की कमी रही। इसके अतिरिक्त, प्रति वैज्ञानिक प्रति वर्ष पत्रों की संख्या एक से भी कम थी। सी.जी.सी.आर.आई. ने अपने उत्तर में इस बारे में कुछ नहीं कहा।

4.6.2.3 एकस्व अधिकारों का पंजीकरण

सी.जी.सी.आर.आई. ने 2003-08 के दौरान 75 एकस्व अधिकार दाखिल किए (44 भारतीय तथा 31 विदेशी)। भारत तथा विदेशों में दाखिल एकस्व अधिकारों की संख्या घटती हुई प्रदर्शित हुई क्योंकि भारतीय एकस्व अधिकार के मामलों में संख्या 2004-05 में 13 से 2007-08 में छः रह गई तथा विदेशी एकस्व अधिकार के मामले में 2004-05 में 11 से 2007-08 में शून्य रह गई। सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा एकस्व अधिकार दाखिल करने के लिए सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा एकस्व अधिकार दाखिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए इसलिए इस क्षेत्र में सी.जी.सी.आर.आई. के निष्पादन का अनुमान लगाने का कोई बिन्दू नहीं था। फिर भी इससे एकस्व अधिकार दाखिल करने में कमी की प्रथा में सुधार करने की आवश्यकता प्रदर्शित होती है।

सी.जी.सी.आर.आई. ने एकस्व अधिकार की उस संख्या के बारे में सूचित नहीं किया जो उसके द्वारा दाखिल करने पर पंजीकृत नहीं हुए हो। सी.जी.सी.आर.आई. ने 2003-08 के दौरान दाखिल एकस्वों के बारे में परियोजना वर्णन, परियोजना लागत जैसी सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई। इस प्रकार यह निश्चित नहीं किया जा सका कि 2003-08 के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यकलापों के आधार पर क्या और किस सीमा तक इन एकस्वों को दाखिल किया गया।

4.6.2.4 तकनीकों का वाणिज्यीकरण

तकनीकी हस्तांतरण एवं ज्ञान आधारित उपयोग के लिए जनवरी 2002 के सी.एस.आई.आर. के दिशा निर्देश स्पष्ट करते हैं कि बौद्धिक सम्पदा का मूल्य निर्धारित करने के लिए विकास की लागत, अनुज्ञप्ति द्वारा लिया जाने वाला अनुमानित शुद्ध लाभ, माप एवं अनुज्ञापितियों की संख्या, आयातातित बौद्धिक सम्पदा की तुलनात्मक लागत विचार किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश यह भी स्पष्ट करते हैं कि बौद्धिक सम्पदा का मूल्य निर्धारित करने से पहले प्रयोगशाला का प्रबंधन परिषद/सी.एस.आई.आर. का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

2003-08 के दौरान सी.जी.सी.आर.आई. ने सात तकनीकों विकसित की तथा छः उद्योगों को छः तकनीक हस्तांतरित की। हस्तांतरित की गई तकनीकों में से तीन

परियोजनाओं से चार तकनीक विकसित हुई जो 2003-08 में पूर्ण हुए तथा दो तकनीक अप्रैल 2003 से पूर्व पूर्ण हुई दो परियोजनाओं से विकसित हुई। जांच से ज्ञात हुआ कि पांच वर्ष की अवधि में सी.जी.सी.आर.आई. को छः तकनीकों के हस्तांतरण से रूपये 31.00 लाख एकमुश्त फीस की प्राप्ति हुई जबकि उन तकनीकों को विकसित करने पर रूपये 2.58 करोड़ का कुल व्यय किया गया। सी.जी.सी.आर.आई. ने 2003-08 की अवधि में हस्तांतरित की गई बौद्धिक सम्पदा का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंधन परिद/सी.एस.आई.आर. का अनुमोदन दर्शाने वाले कागजात उपलब्ध नहीं कराए। यह भी पाया गया कि केवल दो मामलों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया जिसके लिए सी.जी.सी.आर.आई. को रूपए 4.14 लाख की रॉयल्टी प्राप्त हुई।

अतः तकनीकों के हस्तांतरण से अर्जित प्रीमियम तथा रॉयल्टी से इन तकनीकों के विकास की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं हुई।

सी.जी.सी.आर.आई. में अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि हो सकता है संस्थान द्वारा विकसित की गई कुछ तकनीक संतोषजनक तकनीक फीस को आकर्षित नहीं कर पाई लेकिन उनके, समाजिक और बौद्धिक सुदृढिकरण की दृष्टि से दूरगामी परिणाम हैं।

सी.एस.आई.आर. का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखने की आवश्यकता है कि तकनीकी हस्तांतरण व ज्ञान आधारित उपयोग संबंधि दिशानिर्देश सी.जी.सी.आर.आई. को यह शक्ति नहीं देते कि वह तकनीक हस्तांतरण फीस की कम राशि वसूल करें।

4.6.2.5 मॉनिटरिंग/मूल्यांकन

सी.एस.आई.आर. के नियमों और विनियमों के अनुसार अनुसंधान परिषद (आर.सी.) की बैठक एक वर्ष में दो से कम नहीं होनी चाहिए तथा प्रबंधक परिषद (एम.सी.) की बैठक किसी वित्तीय वर्ष में तीन से कम नहीं होनी चाहिए। 2003-04 से 2007-08 के दौरान आर.सी. तथा एम.सी. की हुई बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवृत्तों की जांच से ज्ञात हुआ कि आर.सी. की निर्धारित 10 बैठकों के बजाय सात बैठकें हुई जबकि एम.सी. अधिदेशित 15 बैठकों के स्थान पर केवल 5 बैठकें ही हुई। परिणाम स्वस्म आर.सी. की बैठकों में 30 प्रतिशत तथा एम.सी. की बैठकों में 33 प्रतिशत से 100 की कमी हुई अतः आर सी एवम एम.सी. का अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था।

सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में कहा कि क्योंकि अध्यक्ष, आर.सी. ने आर.सी. अनुसूचित बैठकों के अतिरिक्त भी संस्थान के दौरे किए इसलिए आर.सी. की बैठकों की आवश्यकता नहीं हुई तथा ऐसे दौरों से सलाहकारी भूमिका का कार्य पूरा हो गया। एम.सी. की अपर्याप्त बैठकों के बारे में उसने कहा कि एजेंडा में अनुरोध नहीं होने के कारण ऐसी बैठकें आयोजित नहीं की गई। सी.जी.सी.आर.आई. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रयोगशालाओं/संस्थान कार्यकलापों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आर.सी. तथा एम.सी. दोनों की बैठकों की बारम्बारता निर्धारित की गई है तथा चेयरमैन, आर.सी. का दौरा सम्पूर्ण आर.सी. की विधिवत बैठक का विकल्प नहीं हो सकता।

4.6.2.6 प्रोजेक्ट प्रबंधन

सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा ली गई घरेलू सहायता अनुदान, प्रवर्तित, संयुक्त तथा सलाहकारी प्रोजेक्ट के प्रबंधन की योजना, कार्यान्वयन एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया। सी.जी.सी.आर.आई. ने 2003-08 के दौरान 28 घरेलू प्रोजेक्ट, 44 सहायता अनुदान प्रोजेक्ट, 21 प्रायोजित प्रोजेक्ट, छः संयोजित प्रोजेक्ट तथा 11 नेटवर्क प्रोजेक्ट पूरे किए। प्रोजेक्ट/परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए पूर्ण हुई

परियोजनाओं के 50 प्रतिशत का नमूने के रूप में चयन किया गया। इनके संबंध में लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा नीचे की गई है:

(ए) नेटवर्क प्रोजेक्ट

सी.जी.सी.आर.आई. ने 2003-08 की अवधि में 11 नेटवर्क प्रोजेक्ट पूरे किए। जबकि घरेलू प्रोजेक्ट के संबंध में अपना उत्तर देते समय सी.जी.सी.आर.आई. ने कहा कि उन्होंने प्रायोजित तथा नेटवर्क प्रोजेक्ट पर अधिक जोर देने के लिए घरेलू प्रोजेक्ट को कम प्राथमिकता दी। तथापि नेटवर्क प्रोजेक्ट की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि प्रोजेक्ट प्रबंधन की कमियों के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति अधूरी रह गई तथा उद्योग/बाजार में मांग की कमी के कारण विकसित तकनीक का वाणिज्यिकरण नहीं हुआ। पांच मामलों में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को नीचे दर्शाया गया है:

(i) सी.जी.सी.आर.आई.ने अप्रैल 2003 में चार वर्ष की अवधि के लिए रूपये 2.55 करोड़ की अनुमानित लागत पर डेवलपमेंट ऑफ सेरेमिक्स फॉर एयरोस्पेस एप्लीकेशनस नामक प्रोजेक्ट लिया। आई.एस.ओ. 9002 की विशिष्टताओं के अनुसार सिलिकोन नाइट्राइड हैक्सागोनल बोरॉन नाइट्राइड (एच.बी.एन.) घटक तैयार करना प्रोजेक्ट के उद्देश्य थे। इस प्रोजेक्ट से चार अनुसंधान पत्रों तथा तीन एकस्वों के मिलने की आशा थी। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिलिकान नाइट्राइड हाईब्रिड बॉल बियरिंग के उत्पादन के लिए एक तकनीक पैकेज का प्रस्ताव भी तैयार किया गया। जांच में ज्ञात हुआ कि इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ए.एस.टी.एम⁹ 2094 के अनुसार हाईब्रिड बाल बियरिंग बनाने के लिए सिलिकान नाइट्राइड बॉल तैयार किया गया। एम.सी. द्वारा हतोत्साहित करने के कारण बोरॉन नाइट्राइड कम्पोजिट आर्टिकलस पर सी.जी.सी.आर.आई. ने बीच में ही कार्य छोड़ दिया।

बाल बियरिंग्स के परीक्षण, लक्षण, मूल्यांन के लिए सी.जी.सी.आर.आई. ने मैसर्स टाटा स्टील के साथ नवम्बर 2005 में एक समझौता किया। समझौते के अनुसार, यदि वह तकनीक व्यवहार्य सिद्ध होती तो सी.जी.सी.आर.आई. को वह तकनीक टाटा स्टील को हस्तांतरित करनी थी। यद्यपि बाल बियरिंग का परीक्षण टाटा स्टील में किया गया किन्तु क्षेत्रीय जांच नहीं की गई क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में बाल बियरिंग की आवश्यकता थी, जिनका उत्पादन सी.जी.सी.आर.आई.की वर्तमान प्रयोगशाला सुविधाओं से संभव नहीं था। इस प्रकार सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा उत्पादित बॉल बियरिंग के परीक्षण के बिना ही सितम्बर 2007 में प्रोजेक्ट पूर्ण घोषित कर दिया गया।

सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008/मार्च 2009 में बताया कि नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एन.ए.एल.), सी.एस.आई.आर. की एक अन्य प्रयोगशाला जो कि नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए नोडल प्रयोगशाला थी, उन्हें बहुत अच्छी परीक्षण सुविधा प्रदान नहीं करा सका परिणामस्वरूप यह प्रोजेक्ट सी.एस.आई.आर.- नेटवर्क प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हुए भी इसके आर एण्ड डी परिणामों का उपयोग नहीं किया जा सका। सी.जी.सी.आर.आई. ने मार्च 2009 में यह भी बताया कि टाटा स्टील के साथ किया गया समझौता सेरेमिक बॉल बियरिंग जैसे किसी वाणिज्यिक उत्पादन में सुविज्ञता का प्रयोग कर अन्वेषण की संभावना के लिए एक प्रयास था।

सी.जी.सी.आर.आई. का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखने की आवश्यकता है कि प्रोजेक्ट दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि एन.ए.एल. उन्हें उच्च स्तरीय परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। स्वयं प्रोजेक्ट के उद्देश्यों में भी तकनीकी पैकेज के

⁹ पदार्थ परीक्षण की अमेरिकी संस्था

विकास पर विचार किया गया था। अतः विकसित उत्पादन के वाणिज्यिक व्यवहार्यता परीक्षण की सतही जांच करने में सी.जी.सी.आर.आई. की असफलता के परिणाम स्वरूप उसका वाणिज्यिकरण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अनुसंधान पत्रों एवं एकस्वों जैसी आशाओं की प्राप्ति भी नहीं हो सकी।

(ii) सी.जी.सी.आर.आई. ने नगरीय अपशिष्ट जल से रिवर्स ऑसमोसिस द्वारा नियंत्रित टोटल डिस्सोल्व्ड सालिड (टी.डी.एस.) तथा टोटल कालीफार्म को हटाकर चर्म शोधनशाला के अपशिष्ट जल के पूर्वशोधन के लिए सैरेमिक मैम्ब्रेन का प्रयोग करते हुए प्रोटोटाइप के डिजाईन एवं विकास के उद्देश्यों के साथ रूपए 1.07 करोड़ की अनुमानित लागत पर मार्च 2004 में "डिजाईन एंड डेवैलेपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप (1000 लि. क्षमता) फार ट्रीटमेंट आफ एफ्लूएंट यूजिंग सैरेमिक मैम्ब्रेन" नामक एक प्रोजेक्ट लिया। रूपये 1.06 करोड़ का व्यय करने के बाद प्रोजेक्ट मार्च 2007 में पूरा हुआ। यद्यपि एक प्रोटोटाइप तैयार हुआ तथा नलकूप के पानी का प्रयोग करते हुए उसके निष्पादन का मूल्यांकन पहचान नहीं होने के कारण नगरीय अपशिष्ट जल से आर.ओ. द्वारा टी.डी.एस. नियंत्रण तथा टोटल कालीफोर्म को हटाकर कार्यकुशलता के लिए चर्मशोधनशाला के उपशिष्ट जल पूर्ण शोधन पर उसका परीक्षण नहीं किया गया।

सी.जी.सी.आर.आई. ने अवलोकनों को स्वीकार करते हुए अक्टूबर 2008/मार्च 2009 में कहा कि इस क्षेत्र के कार्यकलाप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है। अतः रूपए 1.06 करोड़ का व्यय करने के बावजूद भी चर्म शोधनशाला अपशिष्ट जल के पूर्वशोधन के प्रोजेक्ट की उद्देश्यों की आंशिक प्राप्ति हुई।

(iii) अप्रैल 2004 में रूपए 32.00 लाख की अनुमानित लागत पर "पोल्यूटेंट स्पैसिफिक कैमोसैंसर्स: डेवैलेपमेंट ऑफ सॉलिड स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड सैंसर्स" नामक एक प्रोजेक्ट लिया जिसका उद्देश्य सल्फर डाइऑक्साइड के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सेमी कंडक्टर तैयार करने की देशी तकनीक विकसित करना था। यह प्रोजेक्ट बाजार के सर्वेक्षण और सल्फर गई आक्साइड के हिसाब को मॉनिटर करने के सेमीकंडक्टर सैंसर की आवश्यक जरूरत के बिना ही लिया गया। सितम्बर 2005 में हुई प्रोजेक्ट की प्रबंधन समिति ने अपनी बैठक में सी.जी.सी.आर.आई. को सलाह दी कि समान प्रकार के बाजार में उपलब्ध सैंसर्स से तुलना की जाए तथा "स्पॉसरशिप" के लिए स्टेट प्रोड्यूसन कन्ट्रोल बोर्ड (एस.पी.सी.बी.), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) तथा उद्योग/उपयोग कर्ताओं (जैसे की एन.टी.पी.सी.) से सम्पर्क किया जाए। सी.जी.सी.आर.आई. सेमी कंडक्टर की तुलना नहीं कर सका क्योंकि उस प्रकार का सेमीकंडक्टर बाजार में उपलब्ध नहीं था तथा उद्योगों द्वारा सूचि दिखाने में कमी के कारण उत्पादन का क्षेत्रीय परीक्षण भी नहीं हुआ। उसके उत्पाद के स्पॉसरशिप के लिए एस.पी.सी.बी., सी.पी.सी.बी. तथा उद्योगकर्ताओं ने इसलिए सम्पर्क नहीं किया क्योंकि विकसित सैंसर का उन्वेषन स्तर बहुत उच्च था। यद्यपि रूपए 31.93 लाख व्यय करने के बाद प्रोजेक्ट सितम्बर 2007 में पूर्ण घोषित कर दिया गया लेकिन आज तक मांग की कमी के कारण विकसित सैंसर का वाणिज्यिकरण नहीं हो सका। इस संबंध में सोलह कम्पनियों से सम्पर्क स्थापित किया गया लेकिन सी.जी.सी.आर.आई. को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में कहा कि यह प्रोजेक्ट एक नया प्रस्ताव था क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में पहले कोई विवरण नहीं था। उसने यह भी कहा कि सबसे पहले विकसित सैंसर की व्यवहार्यता स्थापित किए बिना बाजार सर्वेक्षण करने को कोई अर्थ नहीं था सी.जी.सी.आर.आई. का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि बाजार मांग के निर्धारण के बाद ही किसी तकनीक को विकसित करने की आवश्यकता होती है। अतः प्रोजेक्ट के शुरू करने से पहले बाजार मांग के निर्धारण की

सी.जी.सी.आर.आई. की असफलता के परिणामस्वरूप रूपए 31.93 लाख व्यय करने के बावजूद विकसित सेंसर का वाणिज्यिकरण नहीं हुआ।

(iv) सी.जी.सी.आर.आई. ने रूपये 1.03 करोड़ की अनुमानित लागत का "मैम्ब्रेन बेस्ड सिस्टम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट" नामक एक प्रोजेक्ट अप्रैल 2004 में लिया। अपशिष्ट जल तथा नई झिल्लियों का विकास एवं सिस्टम डिजाइन के परिशोधन के लिए सैरेमिक मैम्ब्रेन आधारित तकनीक की डिजाइन और विकास इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य थे। प्रोजेक्ट का मूलभूत उद्देश्य शराब/विष्वन उद्योग के उपशिष्ट जल के परिशोधन के लिए तकनीक को उन्नत करना था। प्रोजेक्ट में 10 अनुसंधान पत्रों, तीन एकस्व अधिकारों तथा दो तकनीकों के प्राप्त होने का लक्ष्य था।

प्रयोगशाला स्तर पर तकनीक विकसित हाने के बाद सी.जी.सी.आर.आई. ने जनवरी 2006 में अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग की सम्भावना के अन्वेषण हेतु अपने क्षेत्रों में पायलेट प्लांट स्थापित करने के लिए मैसर्स सिंगल ब्रदर्स से सम्पर्क किया। जनवरी 2006 में वह फर्म अपने स्थानों पर पायलेट प्लांट लगाने पर सहमत हो गई लेकिन पायलेट प्लांट का अध्ययन नहीं किया जा सका क्योंकि सी.जी.सी.आर.आई. को प्रयोगशाला स्तर पर और अध्ययन की आवश्यकता थी। उसका प्रयोगशाला स्तर का कार्य फर्म के सहयोग से पूर्ण हुआ। आग्रक का अध्ययन संयुक्त रूप से करने के उत्साहपूर्वक परिणाम तथा फर्म की इच्छा (फरवरी 2007) के बावजूद समय तथा निधियों की कमी के कारण सी.जी.सी.आर.आई. उसे पूर्ण नहीं कर सका। रूपए 1.03 करोड़ के कुल व्यय के बाद प्रोजेक्ट सितम्बर 2007 में पूर्ण घोषित कर दिया गया।

सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि इस प्रोजेक्ट से प्राप्त ज्ञान का उपयोग पेय जल की सफाई के प्रोजेक्ट पर किया जा रहा था। फिर भी तथ्य यह है कि सी.जी.सी.आर.आई. ने विकसित प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए अध्ययन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उसका हस्तांतरण किसी उद्योग को नहीं हुआ। मिलने वाले लक्ष्यों के विपरीत सी.जी.सी.आर.आई. केवल चार अनुसंधान पत्र ही प्रकाशित करवा सकी।

(v) सी.जी.सी.आर.आई. ने अप्रैल 2002 में पांच वर्ष की अवधि का रूपए 1.30 करोड़ की अनुमानित लागत का "डैवलपमेंट आफ न्यू बिल्डिंग कन्सट्रक्शन मैटीरियलस एंड टेक्नोलॉजीस" नामक एक प्रोजेक्ट लिया। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सी.जी.सी.आर.आई. ने चिकनी ईंटों, सस्ती सैरेमिक फर्श तथा औद्योगिक अपशिष्ट से दीवार टाइलों, मार्बल की धूल से निर्मित पोरस टाइलों तथा समतल शीशे पर ताप की परत विकसित करना प्रस्तावित किया। अब सी.जी.सी.आर.आई. ने चमकीनी ईंटों, सस्ते सैरेमिक फर्श/दीवार टाइलों तथा मार्बल की धूल के अपशिष्ट से बनने वाली पोरस टाइलों की तकनीक के वाणिज्यिकरण का प्रस्ताव रखा तो दस्तावेजों में केवल समतल शीशे पर तापीय परत तकनीक ही प्रस्तावित की गई।

सी.जी.सी.आर.आई. ने दिसम्बर 2004 में चिकनी ईंट बनाने की तकनीक विकसित की तथा सितम्बर 2006 में सस्ते सैरेमिक फर्श/दीवार टाइल विकसित किए लेकिन पुनरावृत्ति क्रिया नहीं करने के कारण मार्बल डस्ट के उपयोग से पोरस टाइल बनाने की तकनीक विकसित करने में असफल रहा। अप स्केल कार्य नहीं होने के कारण समतल शीशे पर तापीय परत की तकनीक के दस्तावेज तैयार नहीं किए जा सके। यद्यपि चिकनी ईंटों तथा सस्ते सैरेमिक फर्श/दीवार टाइलों का विकास किया गया जिनका वाणिज्यिकरण नहीं हो सका क्योंकि इसके लिए पुनः विकासशीलता तथा अप स्केल कार्य की आवश्यकता थी।

सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में कहा कि इस प्रोजेक्ट से प्राप्त विशेषज्ञता का भरपूर उपयोग स्टील प्लांट के अपशिष्ट पदार्थों पर आधारित औद्योगिक फर्श टाइलों का विकास करने के लिए किया गया। फिर भी, इस प्रोजेक्ट से विकसित तकनीक का वाणिज्यिकरण होना अभी बाकी है। अतः इस प्रोजेक्ट से जिन तकनीकों का वाणिज्यिकरण प्रस्तावित था, वह पुनर्विकास तथा अप स्केलिंग कार्य नहीं करने के कारण हस्तांतरित नहीं हो सकी।

(बी) सहायता अनुदान प्रोजेक्ट

लेखापरीक्षा में 44 पूरे किए गए सहायता अनुदान प्रोजेक्ट के 50 प्रतिशत प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में कमियां पाई गई तथा उपयुक्त कार्य की कमी के कारण या बाजार/उद्योग द्वारा रूचि न लेने के कारण बहुत से मामलों में तकनीक का वाणिज्यिकरण नहीं हो सका। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दर्शाए जा रहे हैं:

(i) प्रयोगशाला स्तर पर अल्ट्रा लो एक्सपेंशन पारदर्शी सैरेमिक कांच विकसित कर उसके नियमित उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सी.जी.सी.आर.आई. ने प्रक्रिया तकनीक के विकास के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना के लिए तथा अल्ट्रा लो एक्सपेंशन पारदर्शी सैरेमिक कांच (यू एल ई टी जी सी) की पूर्ति के लिए इलैक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च अकेडमी (ई.एल.ओ.आई.आर.ए.) हैदराबाद के साथ मई 2001 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार उसे विकसित करने और उत्पादन सुविधाओं की स्थापना का कुल व्यय लगभग रूपए 5.60 करोड़ था जिसमें से ई.एल.ओ.आई.आर.ए. को रूपए 3.25 करोड़ का एक ही बार भुगतान करना था तथा शेष राशि सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा वहन की जानी थी। समझौते में यह भी अनुबंधित था कि समझौते की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रक्रिया तकनीक की स्थापना का कार्य सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा किया जाएगा उसके बाद विशिष्ट माप (90 मिमि X 90मि.मि. X 40 मि.मि.) के सैरेमिक कांच का सीमित क्रम उत्पादन किया जाएगा तथा उसकी आपूर्ति समझौते की तारीख के तीसरे वर्ष के आरम्भ से 10 वर्ष के लिए 225 पीस प्रतिवर्ष के हिसाब से यू.एल.ई.टी.जी.सी. करेगा। प्रोजेक्ट की अवधि निधियां जारी करने की तिथि से दो वर्ष के लिए था। ई.एल.ओ.आई.आर.ए. ने जुलाई 2001 में रूपए 3.25 करोड़ जारी किए।

लिथियम एल्यूमिनो-सिलिकेट प्रणाली आधारिक कांच संयोजन से अल्ट्रा लो एक्सपेंशन पारदर्शी सैरेमिक कांच के विकास तथा सीमित स्तरीय उत्पादन के लिए नोबल मेटल इनगोट की खरीद एवं संचालन के लिए मैसर्स जो ए.ज.जी.एम.बी.एच, जर्मनी के साथ 3.03 लाख यूरो मूल्य का अक्टूबर 2001 में सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा एक करार किया गया। सी.जी.सी.आर.आई. ने 7.62 लाख यूरो मूल्य पर इन सैरेमिक, कांच के विकास एवं सीमित स्तरीय उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत बड़े साइज (मैल्ट साइज 40 कि.ग्रा. लगभग) की प्रायोगिक सुविधाओं की खरीद के लिए उसी दिन उसी फर्म से एक अन्य अनुबंध किया।

फरवरी 2003 से नवम्बर 2003 के मध्य कांच पिघलने की भट्टी के उपकरण सी.जी.सी.आर.आई. को प्राप्त हुए। नवम्बर दिसम्बर 2003 के दौरान मैसर्स जे.एस. जे.जी.एम.बी.एच, जर्मनी के इंजीनियरों द्वारा सभी उपकरण लगा दिए गए।

नवम्बर 2003 में परीक्षण के दौरान कास्टिंग मशीन ने ठीक प्रकार कार्य नहीं किया। फरवरी 2004 में मैसर्स जे.एस.जे. जर्मनी के इंजीनियरों ने सी.जी.सी.आर.आई. का दौरा किया तथा आवश्यक छः कास्टिंग प्रचालनों की बजाए केवल तीन प्रचालन किए जा सके। सी.जी.सी.आर.आई. ने मार्च 2004 तक लगातार तीन कांच पिघलने की

प्रक्रिया करी तथा 16 ग्लास ब्लॉक भी तैयार किए। 90 मिमि. X 90 मिमि X 40 मिमि माप के इन 16 ग्लास ब्लॉक को प्रोसेस करने के बाद ई.एल.ओ.आई.आर.ए. हैदराबाद को मई-जून 2004 के दौरान मूल्यांकन के लिए आपूर्ति की गई। कुल आपूर्ति किए गए ग्लास ब्लॉकों में 10 सैरेमिक ग्लास ब्लॉक स्वीकार किए गए तथा छः ब्लॉक अनुपयुक्त पाए गए। उसके बाद भट्टी को लगाने के बाद से ही बार-बार आई खराबी के कारण विनिर्देशित ग्लास ब्लॉक उत्पादित नहीं कर पाई। इस प्रकार सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन, अपनी निधियों में से किये गए रूपए 3 करोड़ के व्यय के बाद भी निष्फल हो गया।

सी.जी.सी.आर.आई. ने मार्च 2009 में कहा कि उपकरण पूर्ति करने वाली फर्म को देय कुल राशि का तीन प्रतिशत रोक लिया गया है।

अतः उपकरण को सुधारने के लिए सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा उचित कार्यवाही करने में असफल होने के परिणाम स्वरूप अल्ट्रा लो एक्सपैशन पारदर्शक सैरेमिक कांच के उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाई।

(ii) सी.जी.सी.आर.आई. ने रूपए 50 लाख की लागत पर "सल्फर ग्लास फरिटस (एस जी एफ) किफायती व्यवहार्य तकनीक का विकास तथा तिलहन एवं दालों (चिक पी एवं पिजन पी) की अधिकतम पैदावार के लिए एन.पी. के.¹⁰ कांच खाद की संभावना नामक एक सहायता अनुदान प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए टैक्नोलोजी मिशन आफ आयलसीडस, पल्सस एंड मेज (टी.एम.ओ.पी.एम) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा फण्ड दिया गया। प्रोजेक्ट दो वर्ष के लिए दिसम्बर 2000 में शुरू किया गया। एस.जी.एफ.एवं एन.पी. के प्रकार की कांच खाद के उत्पादन के लिए एक किफायती व्यवहार्य तकनीक विकसित करना प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। रूपए 49.60 लाख व्यय करने के बाद प्रोजेक्ट दिसम्बर 2004 में पूरा हुआ। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विकसित उत्पाद की प्रयोगशाला स्तर पर मित्त्वयिता, व्यवहार्य को आंका नहीं गया। सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में कहा कि उनके द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग खाद उद्योगों द्वारा बिना बड़ी सरकारी सहायता तथा हस्तक्षेप के, नहीं किया जा सका। सी.जी.सी.आर.आई. के उत्तर की इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए देखने की आवश्यकता है कि सी.जी.सी.आर.आई. ने विकसित तकनीक की मित्त्वयिता तथा व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं किया जो कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित तकनीक का एक अहम् लक्ष्य था।

(सी) प्रायोजित प्रोजेक्ट

सी.जी.सी.आर.आई. ने 2003-08 की अवधि में 21 प्रायोजित प्रोजेक्ट पूर्ण किए। पूरे किए गए प्रोजेक्टों में से 11 प्रोजेक्टों में समय समाप्ति होना पाया गया। इन 19 प्रोजेक्टों में से आठ प्रोजेक्टों में समय समाप्ति के बाद एक वर्ष से अधिक समय और लिया गया। यह भी पाया गया कि 12 सहायता अनुदान प्रोजेक्टों को गलत तरीके से प्रायोजित प्रोजेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया। सी.जी.सी.आर.आई. ने स्वीकारा कि ये वास्तव में सरकारी एजेंसियों से सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट थे। डेवलपमेंट ऑफ रेयर अर्थ बेरड ग्लास एंड ग्लास सैरेमिक फासफोरस फॉर यूज इन कोम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्पस एंव सी.आर.टी.¹¹ डिस्टले स्क्रीन्स नामक रूपए 14.71 लाख की लागत के एक प्रोजेक्ट में सी.जी.सी.आर.आई. प्रयोगशाला स्तर पर तकनीक अप-स्केल करने में असफल होने

¹⁰ सोडियम, फारफोरस तथा पोटेशियम

¹¹ कैथेड रे ट्यूब

के कारण उद्योगों को आकर्षित नहीं कर पाई। इसके अतिरिक्त 'डेवलेपमेंट आफ हाई डैमेज रजिस्टेंट सोल-जैल कोटिंग्स फार हाई पावर लेजर' नामक रूमए 49.19 लाख की लागत के एक अन्य प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट के लक्ष्य अधूरे रह गए क्योंकि प्रोजेक्ट की समायाविधि में उपकरण को ठीक नहीं करा सकने के कारण सी.जी.सी.आर.आई. उस उपकरण का उपयोग नहीं कर सकी। प्रायोजित प्रोजेक्ट से संबंधित एक मामले की चर्चा नीचे की गई है:

(i) बौद्धिक फीस प्रभारित न करना

अगस्त 1989 में सी.एसआई.आर द्वारा तकनीक हस्तांतरण तथा ज्ञान आधारित उपयोग के लिए जारी दिशा निर्देशों में यह शर्त थी कि सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाएं/संस्थान, प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास प्रोजेक्ट का मूल्य निर्धारित करते समय उसमें अन्य चीजों के साथ-साथ प्रयोजनकर्ता से बौद्धिक फीस भी वसूल करेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार बौद्धिक फीस की दर प्रायोजनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उपकरण की लागत की राशि को घटाने के बाद अनुबंधित प्रोजेक्ट के सीधे व्यय की 33 प्रतिशत राशि होगी। हालांकि बौद्धिक फीस की संशोधित दर जून 2005 से 40 प्रतिशत कर दी गई थी। यह पाया गया कि विभिन्न निजी संगठनों द्वारा प्रायोजित पांच प्रोजेक्ट के संबंध में सी.जी.सी.आर.आई. द्वारा प्रायोजकों से बौद्धिक फीस नहीं ली गई।

(डी) घरेलू प्रोजेक्ट

सी.जी.सी.आर.आई. ने 2003-08 के दौरान 28 घरेलू प्रोजेक्ट पूर्ण किए। यद्यपि उसने 18 पूर्ण प्रोजेक्टों के सम्बंध में प्रोजेक्ट दस्तावेज जैसे प्रोजेक्ट प्रस्ताव, प्रगति रिपोर्ट तथा प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की रिपोर्ट आदि उपलब्ध नहीं कराए। अतः 18 प्रोजेक्टों के संबंध में प्राप्त किए गए लक्ष्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी। पुनः छः मामलों में प्रोजेक्ट प्रस्ताव पर निदेशक का अनुमोदन नहीं पाया गया। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि घरेलू प्रोजेक्टों के बारे में कागजी कार्यवाही पर्याप्त नहीं थी।

सी.जी.सी.आर.आई.ने अक्टूबर 2008 में कहा कि कुछ घरेलू प्रोजेक्टों की स्थिति संतोषजनक नहीं रही क्योंकि बाह्य प्रायोजित तथा नेटवर्क प्रोजेक्टों पर अधिक जोर दिया गया था। फिर भी इससे घरेलू प्रोजेक्टों की डोक्युमेंटेशन की आवश्यकता कम नहीं हो जाती।

4.6.2.7 भंडार और खरीद

लेखापरीक्षा में उपकरण की खरीद के 36 मामलों का अवलोकन किया गया तथा देखा गया कि उपकरण प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद प्राप्त किए गए तथा उपकरण देरी से स्थापित हुए। ऐसे कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

- सी.जी.सी.आर.आई. ने मई 2006 में उच्च ताप पर ट्यूब फरनेस टू सेंटर ग्रीन ट्यूब शेप्स (450 ममि लम्बी) का पूरा सैट खरीदने का प्रस्ताव किया। यह उपकरण 'एस्टेबलिशमेंट आफ दा ओप्टिमम फैब्रिकेशन प्रोसीजर आफ रीयक्शन वाण्डिड सिलिकान नाईट्राइड सिलेड्रिकल ट्यूब्स हैविंग कन्ट्रोलड, पोरोसिटी रेंज फॉर न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग एप्लिकेशनस' नामक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था जो दो वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल 2006 में शुरू किया गया। सी.जी.सी.आर.आई. ने जनवरी 2007 में पूर्ति आदेश दिया तथा रूमए 23.63 लाख का उपकरण अगस्त 2007 में प्राप्त हुआ। सी.जी.सी.आर.आई. ने रूमए 19.21 लाख की राशि अर्थात उपकरण की लागत का 80 प्रतिशत का भुगतान कर दिया। सितम्बर 2007 में, सी.जी.सी.आर.आई. ने उपकरण के घटिया निष्पादन के बारे में पूर्तिकर्ता को सूचित किया। अक्टूबर 2007 में पूर्तिकर्ता ने सी.जी.सी.आर.आई. को सूचित किया कि उपकरण का ट्रांसफार्मर बदला जाना है। नवम्बर 2007 में ट्रांसफार्मर पूर्तिकर्ता

को भेज दिया गया तथा वह जनवरी 2008 में बदला गया। ट्रांसफार्मर के बदले जाने के बाद कोर फरनेस ट्यूब में दरार आ गई। ये दरार जुलाई 2008 तक ठीक नहीं हो सकी परिणामस्वरूप फरनेस निष्प्रयोज्य पड़ा रहा। अतः रूपए 19.21 लाख के भुगतान के बाद खरीदी गई फरनेस आज तक कार्य करने की स्थिति में नहीं है तथा जुलाई 2008 तक प्रोजेक्ट के लिए उपयोग नहीं हो सका। सी.जी.सी.आर.आई. ने मार्च 2009 में कहा कि प्रोजेक्ट अभी पूर्ण नहीं हुआ है तथा प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ा दी गई है।

- सी.जी.सी.आर.आई. ने जुलाई 2005 में रूपए 20 लाख मूल्य का कलपुर्जो सहित एक एफ.टी.आई.आर. स्पैक्ट्रोमीटर "पोल्यूटेंट स्पैसिफिक कैमों सेंसरस डेवलपमेंट आफ सॉलिड स्टेट सल्फर डाईऑक्साइड सैसरस नामक प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव किया जो कि अप्रैल 2004 में लिया गया। दिसम्बर 2005 में एक विदेशी फर्म को खरीद आदेश दिया गया। उपकरण जून 2006 में मिला तथा अगस्त 2006 में सर्विस इंजीनियर ने सी.जी.सी.आर.आई. का दौरा किया तथा पाया कि उपकरण को स्थापित करने वाली जगह पर नमी है तथा नमी दूर करने वाला उपकरण खरीदने के बाद मार्च 2007 में उपकरण स्थापित हुआ। जिस प्रोजेक्ट के लिए उपकरण खरीद गया था। वह प्रोजेक्ट उसी माह में पूर्ण घोषित कर दिया गया। यद्यपि, अगस्त 2007 में मशीन में एक खराबी पाई गई। सर्विस इंजीनियर ने उसी माह में मशीन की जांच की तथा पाया कि इंटरफ़ैरोमीटर का एलाइनमेंट खराब हो गया तथा तदानुसार पौटाशियम ब्रोमाइड बीम स्पलिटर जांच के लिए उनके सर्विस स्टेशन ले जाया गया। सर्विस इंजीनियर ने संदेह जताया कि यह खराबी कमरों में आद्रता के पर्याप्त स्तर को नियंत्रित करने में कमी के कारण हुई तथा बीम का खराब एलाइनमेंट भी समस्या का कारण होना बताया। अक्टूबर 2007 में बीम एलाइनमेंट सही किया गया तथा मशीने पुनः चालू की गई।

सी.जी.सी.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में कहा कि इस प्रोजेक्ट की समय सीमा छः माह के लिए बढ़ा दी गई थी तथा वह उपकरण इसी के लिए उपयोग किया। सी.जी.सी.आर.आई. के उत्तर का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अवलोकन करने की आवश्यकता है कि यद्यपि प्रोजेक्ट की समयसीमा में छः माह की वृद्धि कर दी गई थी, लेकिन सी.जी.सी.आर.आई. के कार्यकलाप मार्च 2007 में ही पूरे हो गए थे। अतः रूपए 22.70 लाख मूल्य का उपकरण जिस प्रोजेक्ट के लिए खरीदा गया था उसके लिए वह उपयोग में नहीं लाया जा सका।

4.6.3 निष्कर्ष

2003-08 के दौरान सी.जी.सी.आर.आई. सरकारी अनुदानों पर अपनी निर्भरता में 50 प्रतिशत तक की कमी नहीं कर सका तथा उसमें सरकारी अनुदान का अंशदान 74 प्रतिशत बना रहा। इस अवधि में सी.जी.सी.आर.आई. ने सात तकनीकों का विकास तथा छः तकनीकों का हस्तांतरण भी किया। तथापि इन तकनीकों का हस्तांतरण से अर्जित प्रीमियम तथा रॉयल्टी से इन तकनीकों को विकसित करने की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाया। अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं हुई। प्रोजेक्ट प्रबंधन में कमियां पाई गईं। जिसके परिणाम स्वरूप जिन मामलों की नमूना जांच की गई उन प्रोजेक्टों के लक्ष्यों की प्राप्ति अधूरी रह गई तथा विकसित की गई तकनीक बाजारी मांग में कमी के कारण हस्तांतरित नहीं हो पाई। प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक उपकरण की खरीद भी समय पर नहीं हुई जिससे प्रोजेक्ट के लक्ष्यों की प्राप्ति अधूरी रही।

अध्याय V: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

5.1 प्रौद्योगिकी विकास के बावजूद भी देय की वसूली न होना

प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा देय वसूली के लिये दबाव डालने और एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने के आठ वर्ष बाद देय वापसी के नियम और शर्तों में बदलाव करने में निष्क्रियता के कारण भारतीय रसायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान से रूपये 1.87 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद जो विज्ञान और तकनीकी विभाग के अर्न्तगत एक स्वायत्त संस्था है, ने भारतीय रसायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.टी.) हैदराबाद, जो विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान की एक संघटक प्रयोगशाला है, के साथ मार्च 2000 में, "पैसा-सोमर हेतु उच्च चयनात्मक सहित मोनोनीट्रोडोल्यूनीयस के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी विकास" लिये एक समझौता ज्ञापन किया। आई.आई.सी.टी. को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित की तिथि में 24 महीने के भीतर संयंत्र को पूर्व परीक्षण, प्रचालन शुरू करवाना सहित स्थापित एवं चालू करवाना था। परियोजना की कुल लागत रूपये 1.41 करोड़ थी जिसमें टी.आई.एफ.ए.सी. का अंश रूपये 60 लाख था, जो अप्रैल 2000 और मई 2000 प्रत्येक में रूपये 15 लाख प्रति और फरवरी 2001 में रूपये 30 लाख दिया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, यदि मॉनीटरिंग कमेटी इसे सफल घोषित करती है तो आई.आई.सी.टी. को दस अर्द्धवार्षिक किश्तों में रूपए 90.00 लाख की राशि, एम.ओ.यू. की तिथि से 24 महीनों के बाद शुरू या परियोजना के पूर्ण होने के छः महीने के भीतर जो पहले हो, में बिना शर्त टी.आई.एफ.ए.सी. को वापिस करना था। यदि आई.आई.सी.टी. कोई किश्त देने में विफल रहती है तो आई.आई.सी.टी. से 18 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूलना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

1 परियोजना निर्धारित तिथि तक पूरी नहीं हुई थी। प्रौद्योगिक संयंत्र का प्रदर्शन दो वर्ष से अधिक देरी के बाद जून 2004 में किया गया था।

2 मॉनीटरिंग समिति ने नवम्बर 2005 में पाया कि परियोजना बन्द कर दी गई थी। तकनीकी तौर पर रियेक्टर सफलता पूर्वक चला और पेटेंट फाईल के लिये प्रक्रिया जारी है। विकसित प्रौद्योगिकी दो ग्राहकों को प्रदर्शित करने के बावजूद हस्तांतरित नहीं हो सकी थी।

3 आई.आई.सी.टी. ने जुलाई 2008 तक रूपये 90 लाख में से जो अप्रैल 2002 के बाद से रूपये 9 लाख की 10 किश्तों में देनी थी, की किसी भी किश्त की अदायगी नहीं की थी, जिसकी समझौता ज्ञापन में परिकल्पित टी.आई.एफ.ए.सी. ने आई.आई.सी.टी. के साथ किश्तों की अदायगी न करने के लिए कोई पत्राचार है किया था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण राजस्व के हिस्से के जरिए अदायगी के तरीके के बदलने के लिए अनुपूरक अनुबंध को हस्ताक्षरित करने का प्रस्ताव रखा। समय पर किश्तें न देने के फलस्वरूप 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष का रूपये 97.20 लाख टी.आई.एफ.ए.सी. को देय हो गया था। अतः टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा वसूली में प्रयत्नों में असफल रहने के कारण रूपये 97.20 लाख ब्याज सहित रूपये 90 लाख की वसूली नहीं हुई।

टी.आई.एफ.ए.सी. ने जुलाई 2008 में बताया कि परियोजना शुरू होने के समय आई.आई.सी.टी. इसकी व्यवसायिक उपयोगिता के बारे में बहुत आश्वस्त थी जिसके फलस्वरूप नियत किश्तों के आधार पर परियोजना अनुबन्ध तैयार किया गया।

टी.आई.एफ.ए.सी. का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मार्च 2000 में हस्तांतरित अनुबंध के अनुसार आई.आई.सी.टी. को रूपये 90 लाख बिना किसी शर्त के टी.आई.एफ.ए.सी. को लौटाने थे। टी.आई.एफ.ए.सी. द्वारा मूल अनुबंध हस्ताक्षर होने के 8 वर्ष बाद आई.आई.सी.टी. को अनुचित लाभ देने के लिये एक अतिरिक्त अनुबंध करना उचित नहीं था जिसके अनुसार तकनीकी हस्तांतरण के साथ अदायगी को जोड़ना था विशेषतः इस तथ्य के संदर्भ में, कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के चार वर्ष से अधिक समय के बाद भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित नहीं हुई थी।

टी.आई.एफ.ए.सी. ने अक्टूबर 2008 में बताया कि आर एंड डी परियोजना का उद्देश्य पूरा हो गया क्योंकि प्रक्रिया को अपस्केल किया गया था और संयंत्र स्केल पर इसका प्रदर्शन किया गया और आई.आई.सी.टी. द्वारा इसका पेटेंट ले लिया गया था। टी.आई.एफ.ए.सी. का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टी.आई.एफ.ए.सी. को परियोजना में रूपये 60 लाख लगाने के बावजूद कुछ नहीं मिला और एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के आठ वर्ष बाद भी, देय की अदायगी की शर्तें एवं नियमों में विचारणीय परिवर्तन एवं देय की वसूल को लागू करने में इसकी निष्क्रियता के कारण आई.आई.सी.टी. से रूपए 1.87 करोड़ की वसूल नहीं हो पाई थी।

5.2 वेतनमानों के चयनात्मक लागू करने से व्यय की वृद्धि

बोस संस्थान में शैक्षिक स्टाफ के लिए वेतनमान तथा भत्तों के चयनात्मक लागू करने से वित्त मंत्रालय की सलाह के बिना 30 शैक्षिक स्टाफ पर रूपये 51.01 लाख की व्यय में वृद्धि।

बोस संस्थान (बी.आई.) कोलकत्ता जो एक स्वायत्त अनुसंधान संस्था है जिसे सरकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के माध्यम से प्रर्याप्त धन देती है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करती है। बी.आई. के अधिनियमों के अनुसार बी.आई. के स्थाई कर्मचारियों का वेतन समय समय पर भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। संस्थान के शैक्षिक स्टाफ का वेतनमान उसके भर्ती एवं सेवानियम 1980¹ के अन्तर्गत नियंत्रित होता था। 1984 में डी.एस.टी. ने बी.आई. को निर्देश दिया कि वो अपने अधिनियमों में एक खंड सम्मिलित करे जिससे उनके भत्तों के प्रस्तावों पर सरकार की वित्त मंत्रालय व्यय विभाग (एम.ओ.एफ) के परामर्श से पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। बी.आई. परिषद ने फरवरी 1985 में यह पाया कि क्योंकि बी.आई. कर्मचारियों के वेतनमान भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित करने के नियम पहले से ही बी.आई. के नियमों में विद्यमान है नए निर्देशों की आवश्यकता नहीं है।

डी.एस.टी. ने फरवरी 1989 में सरकार की संस्थान के शैक्षिक स्टाफ के लिए यू.जी.सी. वेतनमान भत्ते और दूसरी सेवा शर्तों की स्वीकृति दी और चाहा कि यू.जी.सी. वेतनमान देते समय शैक्षिक संस्थान को सभी नियम और शर्तों का पालन करना होगा और कोई भी लचीली योजना लागू नहीं होगी²।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 1993 में डी.एस.टी. ने बी.आई. के शैक्षिक स्टाफ की उन्नति के लिए मूल्यांकन तथा उन्नति योजना की स्वीकृति दी। जिसे बी.आई. की शासी परिषद ने मई 1993 से लागू किया। डी.एस.टी. ने इसका उल्लेख नहीं किया कि उसने वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की स्वीकृति ली है या नहीं यद्यपि बी.आई. के

¹ इन नियमों के अनुसार बी.आई. के स्टाफ के वेतनमान यूजीसी वेस्ट बंगाल राज्य सरकार के दरों के अनुसार वेतनमान और भत्ते

² सूचना एवं प्रौद्योगिकी स्टाफ के उन्नति के लिए एक लाभकारी मूल्यांकन एवं उन्नति योजना जहां पर वे अपने अगले उच्च स्तर की पद पर थे

अधिनियमों में जो 1985 में संशोधित हुए ऐसी स्वीकृति की व्यवस्था है। डी.एस.टी. की यह योजना उसके अपने फरवरी 1989 के आदेशों का भी उल्लंघन है। जिसमें उसने वेतन मानों के लिए जो भारत सरकार से स्वीकृत थे, यू.जी.सी. पैकेज की स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि बी.आई. शैक्षिक स्टाफ के लिए कोई भी लचीली योजना लागू नहीं करेगा और यू.जी.सी. पैकेज सामाजिक स्तर में लागू करेगा। डी.एस.टी. के अपने पहले के आदेशों के इस विचलन से 30 शैक्षिक स्टाफ को जो फरवरी 1989 के बाद नियुक्त हुए हैं को अधिक वेतन तथा भत्तों का भुगतान हुआ। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

- यद्यपि जुलाई 1988 के यू.जी.सी. दिशा निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ लैक्चरार प्राध्यापक की पदोन्नति के लिए लैक्चरार की आठ वर्षों की सेवा अनिवार्य है (एम.फिल तथा पी.एच.डी. वालों के लिए क्रमशः एक वर्ष तथा तीन वर्ष की छूट है) परन्तु उपरोक्त 30 पदोन्नति वाले वरिष्ठ लैक्चरारों में से 7 लैक्चरार ने केवल तीन साल की सेवा ही पूरी की थी।
- उसी प्रकार दिसम्बर 1998 के यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार यद्यपि वरिष्ठ प्राध्यापक की पदोन्नति के लिए प्राध्यापक की 6 वर्ष की सेवा आवश्यक है (पी.एच.डी. तथा एम.फिल वालों के लिए क्रमशः दो वर्ष तथा एक वर्ष की छूट है) पदोन्नत किए गए 30 वरिष्ठ प्राध्यापकों में से 11 ने केवल प्राध्यापक की केवल तीन वर्ष की सेवा ही पूरी की थी।
- आगे दिसम्बर 1998 की यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार यद्यपि वरिष्ठ प्राध्यापक के पद के लिए सीधी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी 4 शैक्षिक स्टाफ सीधे वरिष्ठ प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए।
- यद्यपि प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए आठ वर्ष रीडर की सेवा आवश्यक है फिर भी उपरोक्त पदोन्नत किए गए 30 प्रोफेसरों में से 8 ने केवल 6 वर्ष रीडर के स्तर में कार्य किया था।

अतः शैक्षिक स्टाफ की पदोन्नति के लिए यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों और डी.एस.टी. के अपने यू.जी.सी. योजना लागू करने के आदेश का उल्लंघन करके तथा वित्त मंत्रालय की बिना स्वीकृति मांगे बी.आई. ने जल्दी पदोन्नतियां दी तथा 30 शैक्षिक स्टाफ जो फरवरी 1989 के बाद नियुक्त हुए थे, को मार्च 2008 तक स्तर 51.01 लाख का अधिक भुगतान किया।

डी.एस.टी. ने फरवरी 2009 में बताया कि

- बी.आई. का शैक्षिक स्टाफ मुख्यतः अनुसंधान गतिविधियों में कार्यरत है तथा सामान्यतः उनकी न्यूनतम योग्यता पी.एच.डी थी जबकि प्राध्यापक की योग्यता केवल एम.एस.सी थी। क्योंकि स्टाफ ने एम.एस.सी. के बाद अतिरिक्त अनुसंधान गतिविधियों की है उसका लाभ चुने हुए स्टाफ को दिया गया।
- क्योंकि प्राध्यापक वरिष्ठ प्राध्यापक रीडरस तथा प्रोफेसर सभी की पदोन्नतियां तथा भर्तियां बोस संस्थान की शासी परिषद की स्वीकृति से हुई है। उसमें कोई अनियमितता नहीं थी।
- डी.एस.टी. ने जनवरी 1993 में शैक्षिक स्टाफ की पदोन्नतियों के लिए मूल्यांकन और पदोन्नति योजना की स्वीकृति दी थी जिसे बाद में मई 1993 में शासी परिषद ने स्वीकृत किया था।

डी.एस.टी. के उत्तर को इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि:-

- बी.आई. के शैक्षिक स्टाफ ने मार्च 1988 में स्वेच्छा से यू.जी.सी. के वेतनमान चुने थे।

- एम.ओ.एफ. के आदेश और बी.आई के अधिनियमों के अनुसार बी.आई.स्टाफ के वेतनमान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के परामर्श से निर्धारित किए जाने थे।
- डी.एस.टी. की जनवरी 1993 की शैक्षिक स्टाफ के लिए मूल्यांकन और पदोन्नति योजना स्वयं उसके अपने 1989 के आदेशों का उल्लंघन था। जिसमें यह बताया गया था कि यू.जी.सी. के वेतनमान सामयिक पैकेज की तरह लागू होंगे।

अतः बी.आई. के शैक्षिक स्टाफ के चयनित वेतनमान तथा भत्ते लागू करने के 30 शैक्षिक स्टाफ पर रुपये 51.01 लाख का अधिक व्यय हुआ। जिसकी वसूली की आवश्यकता है।

सिफारिश

21. डी.एस.टी. अपने आधीन सभी 25 स्वायत्त निकायों के वेतनमान लागू करने की योजना की समीक्षा करे। आगे वेतन तथा भत्ते संशोधित करते समय डी.एस.टी. यह सुनिश्चित करे कि स्वायत्त निकायों में जिन्हें सरकार से धन मिलता है वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बिना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से अधिक न मिले।
22. यदि डी.एस.टी. अपने आधीन किसी स्वायत्त निकाय को अच्छे काम और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समझती है तो इसे जी.एफ.आर. के नियम 208 (vi) के अन्तर्गत इसकी समीक्षा करे और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के बाद लाभदायी वेतन तथा भत्ते निर्धारित करे।

5.3 बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान की गतिविधियां

बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान (बी.एस.आई.पी.) पुरावनस्पति के मौलिक तथा प्रचलित तरीकों से अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित हुई तथा पूर्णतः उन विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम साबित हुई जिनके द्वारा प्रतिभू तथा घरेलू परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता था। दसवीं पंचवर्षीय योजना में उपस्कर क्रय करने की योजना, निधियां होने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाई जो कि सफलता के क्षेत्र में बाधक रही। परियोजनाएं बीच में ही समाप्त करनी पड़ी जो कि निष्फल व्यय का भी कारण बनी। वैज्ञानिक प्रकाशनों का योगदान बहुत ही तुल्य रहा। इसके इलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बी.एस.आई.पी. की विदेशी कम्पनियों से सहयोग की मंजूरी नहीं दी।

5.3.1 प्रस्तावना

बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान है जिसका निर्माण 1946 में पुरावनस्पति विज्ञान के विकास³, वनस्पति क्रमिक जीवन का प्रारम्भिक ज्ञान, भू-विज्ञान के जीवाश्म वनस्पति के भिन्न-भिन्न विवादों को निपटाने हेतु जिसमें जीवाश्म ईंधन का अनवेषण शामिल है किया गया। बी.एस.आई.पी. पुरावनस्पति विज्ञान⁴ के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को बाजार अनुकूलता प्रदान करने में समर्पित रही।

मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- पुरावनस्पति ज्ञान के कार्यक्षेत्र वनस्पति एवं जीवाश्म को विकसित करना
- क्रमानुसार आकड़ों को पूरा करना तथा बाजार अनुकूलता से सम्पर्क बनाए रखना

³ भू-विज्ञान से सम्बंधित जीवाश्म पौधों का अध्ययन

⁴ पृथ्वी गृह से सम्बंधित विज्ञान के लिए नियम

- पुरावनस्पति तथा दूसरे जीवाश्च अनुसंधान केन्द्रों में परिशोधन को बांटने में समन्वय स्थापित करना जैसा कि प्राम्भिक जीवन के विविधिकरण, जीवाश्च ईंधन का अन्वेषण, वनस्पति की आश्चर्यजनक वृद्धि, प्राकृतिक नमूना जांच, वनों के संरक्षण तथा
- वनस्पति ज्ञान का प्रचार विश्वविद्यालयों, शिक्षित संस्थानों तथा दूसरे संगठनों में करना।

बी.एस.आई.पी. के प्रमुख अध्यक्षकर्ता है तथा निदेशक सदस्य सचिव जो कि बी.एस.आई.पी. के कार्यकारणी के प्रमुख है। वह संगठन के सामान्य प्रबंध तथा गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी है। अनुसंधान सलाहाकार समिति (आर.ए.सी.) जिसके अध्यक्ष तथा सदस्य प्रभावी मंत्री गठन द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, जो कि बी.एस.आई.पी. की वैज्ञानिक गतिविधियों के लिये उत्तरदायी है। बी.एस.आई.पी. का वित्तपोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुदान से होता है। वर्ष 2002-03 से 2007-08 के अंतराल में बी.एस.आई.पी. की योजना और योजनेतर शीर्ष के अंतर्गत रूपये 57.44 करोड़ प्राप्ति के एवज में रूपये 53.88 लाख वास्तविक व्यय किये। 31 मार्च 2008 के अंत तक 57 वैज्ञानिक 42 तकनीकी, 30 प्रशासनिक तथा 34 समाकलित पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2002-03 से 2007-08 के मध्य में बी.एस.आई.पी. ने 25 प्रतिभू परियोजनाएं शुरू की, जिसमें से 3 परियोजनाओं को मध्य में ही समाप्त करना पड़ा तथा 11 परियोजनाये ही पूर्णतयः रूप ले सकी। बी.एस.आई.पी. ने 63 घरेलू परियोजनाएं आरम्भ की जिसमें से 38 परियोजनाओं का 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 तक बढ़ा दिया गया तथा लेखापरीक्षा ने 20 परियोजनाएं जिनका प्रारम्भ 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ की लेखापरीक्षा जांच की।

अनुसंधान तथा विकसित गतिविधियों के दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच के पश्चात पाया गया कि बी.एस.आई.पी. ने 2002-03 से 2007-08 के मध्य में जो प्रतिभू, प्रयोजनात्मक परियोजनाएं आरम्भ की ताकि बी.एस.आई.पी. उनकी क्षमता का पता चल सके, जिसका इसका सीधा सम्बन्ध उद्देश्यों की पूर्ति तथा लक्ष्यों से था।

5.3.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे गद्यांश में चर्चित की गई है।

5.3.2.1 उपस्कर के न खरीदने पर प्रयोजन के संचालन पर प्रभाव

यह पाया गया कि बी.एस.आई.पी. ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में 18.86 करोड़ रूपये की लागत से 90 उपस्कर, घरेलू परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता दिखाई। एक परियोजना नैशनल सेंटर फार ग्लोबल जियोस्फीयर/बायोस्फीयर बदलाव अनुसंधान जिसमें रूपये 11.65 करोड़ की लागत से 8 उपस्कर लगाए जाने थे, प्राप्त नहीं किये गए। रूपये 7.21 करोड़ की लागत से 82 उपस्कर प्राप्त करने की भी आवश्यकता पाई गई। योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में रूपये 5.21 करोड़ का प्रावधान रखा गया जिसके अंतर्गत ढांचे का निर्माण, अनुसंधानिक उपकरण तथा उपस्कर, पुस्तके तथा जनरलस, कम्प्यूटर यंत्रों के क्रय तथा फर्नीचर फिक्सचर तथा कार्यालय उपयोग के उपस्कर शामिल थे।

लेखा जांच के दौरान पाया गया कि बी.एस.आई.पी. ने वर्ष 2002-08 के अंतर्गत रूपये 95.01 लाख की लागत से 5 उपस्कर क्रय किये। निधि होते हुए भी उपस्करों को न क्रय करना बी.एस.आई.पी. के कार्यकर्ताओं की अयोग्यता को दर्शाता है। बी.एस.आई.पी. ने वर्ष 2002-07 के अंत तक अनुदान की बची हुई राशि रूपये 0.96 लाख से रूपये 10.08 करोड़ योजना शीर्ष में पाई गई।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि निम्नलिखित तीन परियोजनाओं में उपस्कर प्राप्त न होने के कारण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई।

(क) बी.एस.आई.पी. ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक घरेलू परियोजना "रेडियो कार्बन डेटिंग आफ डिपोसिटस रिलेटिंग क्युटरनरी जियोलोजिकल एण्ड आरकेबोटोनिकल इन्वेस्टीगेशनस एण्ड कैमिकल एनेलिस आफ सैडीमेंटस फार पेलियो एनवायरमेंटल एण्ड पेलियोक्लाईमैटिक स्टडीस" जिसकी अनुमानित लागत रूपये 1.28 करोड़ जिसमें वेतन का भाग रूपये 48.76 लाख शामिल था, शुरू की। योजना प्रलेखों के अनुसार इस घरेलू परियोजना शुरू करते समय रेडियो कार्बन सामग्री का संचय करना ताकि पुरा-जलवायु को दुबारा निर्मित किया जा सके जिससे पुरा-वातावरणिय परिवर्तन लाया जा सके, समुद्रों के बहाव को समझना तथा कार्बन चक्र की जानकारी तथा पुरात्व सम्बंधी जांच आदि की जानकारी होना आवश्यक था। इस परियोजना के अंतर्गत रूपये 68.00 लाख की लागत से बैंगनी गहरी सतह वाले कांउटर के निर्माण का प्रावधान रखा गया था। इस परियोजना के उद्देश्य थे:-1 पारदर्शक चमकता हुआ गहरी सतह वाले कांउटर का निर्माणकार्य प्रमाणिकता के अनुसार करना। 2 वैक्यूम यंत्र का गठन करना ताकि रंग हीन द्रव्य बनाया जा सके 3 रंगहीन द्रव्य के नमूने बढ़ाने की क्षमता को वर्ष में 250 तक बढ़ाया जाये। 4 झील तथा समुद्र की गन्दगी के विशलेषण करके पुरा-जलवायु निर्मित करना तथा रेडियो कार्बन का रूप देना।

इस परियोजना का मूल उद्देश्य गति बढ़ाने वाला वैज्ञानिक यंत्र की प्रयोगशाला बनाना था जो कि देश की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला होगी। जिसकी अनुमानित क्षमता 500 नमूने हर वर्ष तैयार करने की है।

परियोजना की अंतिम रिपोर्ट से यह मालूम हुआ कि वैक्यूम यंत्र का गठन रंगहीन द्रव्य बनाने के लिये किया जा चुका था। एल.एस.सी. यंत्र को पारदर्शक बनाने के लिये कुछ हिस्से बाहर से मंगवाए गए थे। लेकिन एल.एस.सी. के कार्य को आरम्भ नहीं किया गया। इस कार्य के लिये जो आवश्यक उपस्कर चाहिये था मंगाया नहीं गया।

अतः परियोजना का मूल उद्देश्य ए.एम.एस. प्रयोगशाला का निर्माण कार्य था जिसके द्वारा 500 नमूना जांच हर वर्ष तैयार करने का लक्ष्य था ताकि रेडियो कार्बन की औपचारिकता में वृद्धि लाई जा सके उसके पूर्ण न होने पर परियोजना पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

बी.एस.आई.पी. ने जुलाई 2008 में बताया कि सम्बंधित वैज्ञानिक केन्द्रीय सुविधाओं के प्रयोग के लिये स्वतंत्र थे या दूसरे वैज्ञानिकों के पास जो सुविधाएं उपलब्ध थी उन्हें ग्रहण करने में स्वतंत्र थे। बी.एस.आई.पी. ने फिर बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निधियों का निर्मुख दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों के अनुकूल नहीं था। बी.एस.आई.पी. ने आगे बताया कि उपस्कर क्रय में विलम्ब का कारण क्रय प्रणाली की कार्यप्रणाली तथा कार्यवाही रही जिससे की परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता रही। बी.एस.आई.पी. ने फिर फरवरी 2009 में बताया कि ए.एम.एस. प्रयोगशाला निर्मित करने की बहुमूल्य योजना थी और परियोजना का वास्तविक उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के लिये पारदर्शक यंत्र बनाना था। अतः बी.एस.आई.पी., ए.एम.एस. के गठन के लिये चुप्पी साधे हुए थी तथा दूसरी प्रयोगशाला जिसकी शक्ति 500 नमूने जांच हर वर्ष तैयार करने की थी और एल.एस.सी. जो कि उसी दौरान न खरीदने से, परियोजना शुरू होने के प्रथम वर्ष के भीतर आरम्भ नहीं की जा सकी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बी.एस.आई.पी. के पास योजना शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2003-08 के मध्य में अधिक निधियां थी। फिर भी जो उपस्कर चाहिए थे वह बी.एस.आई.पी. को उपलब्ध नहीं हो पाए, उपस्कर क्रय करने का मांग पत्र दसवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर नवम्बर 2007 में किया गया। (जबकि उपस्कर क्रय 2002-03 में, जो कि योजना काल का प्रथम वर्ष था किया जाना माना गया था) जबकि सितम्बर 2008 तक भी प्राप्त नहीं किए गए थे। अतः विशेष उपस्कर

प्रतिस्थापित न होने के कारण परियोजना के निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली।

(ख) बी.एस.आई.पी. ने एक घरेलू परियोजना "अभिवृद्धि के क्रमिक विकास, वास्तुशीलीय तथा पुरा-जलवायु को लाहुल-स्पीति, लद्दाख तथा पूर्वी कराकोरम क्षेत्रों में विस्तार" रूपये 50.88 लाख की अनुमानित लागत से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की (जिसमें 36.23 लाख रूपये वेतन दर खर्च करने के शामिल थे) इस परियोजना के अंतर्गत दो उपस्कर, जिनके नाम एम.एस-2 वारटिंगटन अतिसंवेदनशील मीटर (अतिसंवेदन शीलता को नमूना जांच मामले के लिये) तथा शैल विज्ञान सूक्ष्मदर्शी यंत्र (चट्टानों की पतली स्तह के अध्ययन के लिये) 5.50 लाख रूपये की लागत से प्रतिस्थापित किये जाने थे। परियोजना का आरम्भ मार्च 2005 तक होना था। अप्रैल 2005 में परियोजना का शीर्षक बदल कर "लाहौल स्पीती और लद्दाख क्षेत्रों में पोलीनॉलोजी पृथ्वी चिकित्सा, चुम्बीकीय ज्ञान का अध्ययन" तथा पुराजलवायु के प्रभाव तथा नवीनतायें तथा उसके अनुसार उद्देश्यों में भी संशोधन किया गया। जबकि दो वैज्ञानिक जो इस परियोजना से जुड़े हुए थे बी.एस.आई.पी. छोड़ कर चले गए। इस परियोजना में प्रयोग में लाये जाने वाले दो उपस्कर भी क्रय नहीं किए गये। परियोजना की अंतिम रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि केवल पोलीनॉलोजी को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र पर जैसे सैडीमेंटॉलॉजी, मिनरओलोजी चुम्बकीय तथा भू-चिकित्सा जैसा कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया।

बी.एस.आई.पी. ने अपने जबाब में बताया कि कोई भी वास्तविक विज्ञान की समस्या जिसके अनेक अनुशासनात्मक तरीके होते हुए भी लम्बी कार्यप्रणाली है जिसके लिये लगातार प्रयास की आवश्यकता थी उसने फिर यह बताया कि कुछ कार्य हो चुका था तथा कुछ जनरलस में भी प्रकाशित किया गया। इस तथ्य को मानते हुए कि कार्यालय की सुस्ती के कारण उपस्कर को क्रय नहीं किया गया और बताया कि कार्य को अगली पंचवर्षीय योजना 2007-12 के लिये बढ़ा दिया गया।

अतः बाहरी ढाँचे के प्राप्त न होने के कारण वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्णतः सम्भव न हो सकी तथा परियोजना पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

(ग) बी.एस.आई.पी. ने एक घरेलू परियोजना टैरस्ट्रीयल मेगाफ्लोरल बदलाव मेसोजिक में राजमहल बेसिन के दौरान दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शुरू की। परियोजना की कुल लागत रूपये 28.21 लाख थी जिसमें वेतन के रूपये 25.71 लाख शामिल थे।

बी.एस.आई.पी. ने उपरोक्त परियोजना जिसका एक उद्देश्य 'टू टैग् बायोस्ट्रेटीग्राफिक डाटा विद दी अवसोलूट डेट्स⁵' यह भी था। परियोजना दस्तावेजों के अनुसार इसमें किसी भी नये उपस्कर की आवश्यकता नहीं थी। सिवाय एक साधारण दुरबीन के जिसकी इस परियोजना में जरूरत समझी गई थी।

परियोजना को मार्च 2007 में पूर्ण घोषित किया गया आखिरी रिपोर्ट से यह प्रतीत हुआ कि चट्टानों की कटाई जो कि परियोजना के उद्देश्यों में से एक मूल उद्देश्य था, पोटाशियम ऑरगन डेटिंग मशीन ठीक न होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

बी.एस.आई.पी. द्वारा बताये गये कारण उद्देश्यों को पूर्ण न करने हेतु, स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि परियोजना आरम्भ करते समय इस विशेष उपस्कर का व्यौरा शामिल नहीं था। हालांकि परियोजना का समय 5 वर्ष निश्चित था इस अवधि में इस मशीन को ठीक

⁵ रेडियोमैट्रिक डेटिंग पोटाशियम-अरगोन/अरगोन-अरगोन

कराया जा सकता था। अतः परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति 5 वर्ष के अवधि के अन्तराल में भी न हो सकी और खर्च किया हुआ व्यय निष्फल साबित हुआ। यद्यपि परियोजना की प्रगति को मॉनीटर वर्ष में दो बार आर.ए.सी. को करना चाहिये था यह देखा गया कि परियोजना की समीक्षा नियमित नहीं की गई। परियोजना की समीक्षा अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा फरवरी 2003 तथा मार्च 2005 दो वर्ष के समय अन्तराल में की गई थी और उसके बाद अगस्त 2005 में 1 1/2 वर्ष की अवधि के पश्चात हुई। बाद वाली समीक्षा बैठक फरवरी 2006 और अगस्त 2007 में रखी गई। अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही में एक सामान्य टिप्पणी सन्तोषजनक व्यक्त की गई तथा समिति की ओर से सिफारिशें तथा सुझाव परियोजना अनुसार नहीं थे। अतः परियोजना की मॉनीटरिंग उपयुक्त नहीं थी।

बी.एस.आई.पी. ने जुलाई 2008 में बताया कि निधियों का निर्मुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों के अनुसार नहीं पाई गई तथा बी.एस.आई.पी. पर विशेष उपस्कर क्रय करने का दवाब डाला गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपस्कर की आवश्यकता के लिये, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से निधियां प्राप्त करने के प्रयासों का ब्यौरा लिखित रूप में नहीं थे। इससे अधिक पोटाशियम-अर्बन डेंटिंग मशीन काम नहीं कर रही थी। जबकि बी.एस.आई.पी. के पास प्रचुर निधि योजना तथा योजना शीर्ष में वर्ष 2003-08 में उपलब्ध थी।

बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में लेखा आपत्ति, परियोजना की उन्नति की मॉनीटरिंग न करना को स्वीकारते हुए स्पष्ट किया कि संस्थान में फरवरी 2003 से फरवरी 2005 के अंतराल में कोई नियमित निदेशक नहीं था। उसने दुबारा बताया कि इस कारण वश अनुसंधान सलाहकार समिति तथा नियंत्रित संस्था की बैठक यथासम्भव नहीं की गई।

5.3.2.2 परियोजना प्रमुख के सेवानिवृत्त/त्याग पत्र के कारण परियोजना को बीच में ही स्थगित करना पडा

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पाया गया कि 3 घरेलू परियोजनाएं तथा एक प्रतिभू परियोजना परियोजना-प्रमुख के सेवानिवृत्त/त्यागपत्र के कारण बीच में ही स्थगित कर देनी पडी तथा दूसरे वैज्ञानिक भी परियोजना में समय देने में असमर्थ रहे। अतः परियोजना पर किया गया व्यय रूपये 40.69 लाख निष्फल साबित हुए और न ही निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण हो सके।

तालिका IX

परियोजना का नाम	प्रयोजना का कार्यकाल तथा लागत	परियोजना पर किया गया व्यय	टिप्पणियां तथा उत्तर
घरेलू परियोजना नियोजन ⁶ 'पाईकरोफ्लोरिस्टिक का अंडेमान एवं	अप्रैल 2002 से मार्च 2007 रूपये 24.00 लाख (जिसमें वेतन का	रूपये 17.77 लाख ⁸	परियोजना प्रमुख की सेवानिवृत्ति के कारण परियोजना दिसम्बर 2004 में ही बंद कर देनी पडी। परियोजना की अंतिम रिपोर्ट में उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाया नहीं गया। बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में इस तथ्य को स्वीकारा कि परियोजना की

⁶ नियोजन से भूविज्ञान के समय तथा विधि का अदांजा लगाया जा सकता है जो कि 23.03 +005 वर्ष से शुरू होकर और समाप्त 2.588 लाख वर्ष

तालिका IX

परियोजना का नाम	प्रयोजना का कार्यकाल तथा लागत	परियोजना पर किया गया व्यय	टिप्पणियां तथा उत्तर
निकोबार में चट्टानों का अध्ययन ⁷ तथा महत्व	भाग 22.00 लाख शामिल करने के पश्चात)		समय अवधि परियोजना प्रमुख के सेवानिवृत्ति के बाद बढ़ाई नहीं गई तथा न ही दूसरे विज्ञानिकों को इस कार्य में लगाया जा सका। बी.एस.आई.पी. ने यह भी बताया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई परियोजना शुरू की गई ताकि शेष उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
घरेलू परियोजना पोलन एनेलेटिकल अध्ययन से राजस्थान, झील की गंदगी से फिर से वैजीटेशनल इतिहास बनाना तथा जलवायु में परिवर्तन एल जी एम ⁹	अप्रैल 2002 से मार्च 2007 रुमये 5.40 लाख (जिसमें वेतन का भाग 3.90 लाख शामिल)	रुमये 0.73 लाख ¹⁰	परियोजना जुलाई 2002 में परियोजना प्रमुख के सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त कर दी गई। बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में बताया कि परियोजना प्रमुख ने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रुम में परियोजना में कार्यरत रहे तथा परियोजना को जुलाई 2005 में पूर्णरुम दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संयुक्त परियोजना की अंतिम रिपोर्ट से इस बात का पता लगा कि परियोजना के प्रमुख के सेवानिवृत्ति के पश्चात परियोजना को जुलाई 2002 में ही बंद कर देना पडा तथा बी.एस.आई.पी. ने परियोजना की अंतिम रिपोर्ट जो कि जुलाई 2005 में समाप्त होनी थी, तैयार नहीं की
घरेलू परियोजना शीर्षक सैडिमेंटरी आरगेनिक सेंटर कैरक्टराइजेशन ऑफ इंडियन लिग्नाईट एवं सम्भावित डीएनए सिकयूंसिंग और नये परियोजना शीर्षक फलोवर डाईवर्सिटी और ईकोलोजी के महुआडानर बैडस, पालामाऊ झारखंड	अप्रैल 2002 से मार्च 2007 रुमये 28.37 लाख (जिसमें वेतन का भाग 26.22 लाख शामिल करने के पश्चात) नई परियोजना के लिये मार्च 2005 रुमये 18.80 लाख (वेतन का भाग 17.75 लाख शामिल करने के पश्चात)	रुमये 16.71 लाख ¹¹	वैज्ञानिक की प्रार्थना पर परियोजना को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई परियोजना जिसका शीर्षक "फ्लोरल डायवर्सिटी एण्ड एकोलोजी आफ महुदनर, पलामू, झारखण्ड" शुरू की गई। परियोजना को बीच में ही परियोजना प्रमुख के सेवानिवृत्ति के बाद सितम्बर 2004 में बंद कर दिया गया। बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में बताया कि इस परियोजना को एक पी.एच.डी. वैज्ञानिक ने प्रारम्भ किया तथापि नई परियोजना की अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा परियोजना को बंद दिखा दिया गया।
प्रतिभू परियोजना शीर्षक हिमालय क्षेत्रों में हजारों वर्ष पहले के पेड़ों के तनों को इकट्ठा कर जलवायु योग्य बनाना।	जून 2005 से लेकर तीन वर्ष तक रुमये 9.84 लाख बाद में बढ़ा कर रुमये 11.43 लाख	रुमये 5.48 लाख	परियोजना को फरवरी 2007 में परियोजना प्रमुख के पद त्यागने पर बंद कर देना पडा। बी.एस.आई.पी. ने जुलाई 2008 में बताया कि परियोजना प्रमुख के पद त्यागने की स्थिति में परियोजना को बीच में ही बंद कर दिया गया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी गई। बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में फिर बताया कि प्रतिभू परियोजनाएं प्रतिभू

⁷ स्ट्रेट्रीग्राफी चट्टानों की परतों का अध्ययन है (तह स्तर) जोकि भूमि में समाई रहती है

⁸ अनुपातिक व्यय

⁹ अंतिम हिम का उच्चतम बिंदू

¹⁰ प्रयोजना पर किया गया प्रथम चार माह में किये गये व्यय के यथानुपात की स्थिति को दर्शाता है

¹¹ प्रयोजना पर किया गया प्रथम चार माह में किये गये व्यय के यथानुपात की स्थिति को दर्शाता है

तालिका IX

परियोजना का नाम	प्रयोजना का कार्यकाल तथा लागत	परियोजना पर किया गया व्यय	टिप्पणियां तथा उत्तर
			अभिकरण के निर्देशनों अनुसार तैयार की गई थी तथा अभिकरण को परियोजना के विकास की सूचना दे दी गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के संचालन एवं सफल पूरा करने के लिये कदम उठाने होंगे।

अतः बी.एस.आई.पी. के समय पर चार परियोजनाओं में दूसरे वैज्ञानिकों को न लगाने के कारण रूपये 40.69 लाख निष्फल रहे तथा परियोजना के उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो पाई।

5.3.2.3 परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ण पूर्ति न होना/थोड़े उद्देश्यों की पूर्ति होना

बी.एस.आई.पी. ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत घरेलू परियोजना जिसका शीर्षक "भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपों राजस्थान तथा गुजरात में तीसरी प्रणाली की तहदार चट्टानों में फूलों की खेती" शुरू किया। परियोजना की अनुमानित लागत 16.06 लाख थी इस परियोजना के अंतर्गत एक लाईका डी.एम.एल.बी. दूरबीन, जिसका प्रयोग जंगल की जली हुई लकड़ियों के अध्ययन के लिये, रूपये 5.50 लाख की लागत से क्रय की जानी थी। परियोजना के उद्देश्य थे क) राजस्थान और गुजरात में हरियाली विकसित करना ख) उन प्रायद्वीपों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रभावों से अवगत करवाना ग) पौधों के स्थानान्तरण से भू वैज्ञानिकों को आने वाली रूकावटों की जानकारी से अवगत कराना घ) क्षेत्र में भूरा कोयला निर्मित करने में जो गूढ़ अक्षर वनस्पति सम्बंधी विवादों में प्रयोग में आते हैं उनका स्पष्टीकरण करना ङ) क्षेत्र में किसी प्रदेश की आधुनिक वनस्पतियों के क्रमिक विकास का डाटा एकत्रित करना।

परियोजना मार्च 2007 में पूरी होनी थी। अंतिम रिपोर्ट से यह स्पष्ट था कि क्रम संख्या क), ख) तथा घ) उपरोक्त उद्देश्यों को ही इसमें शामिल किया गया। बाकी दोनो उद्देश्यों को इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया इसके अलावा परियोजना की अंतिम रिपोर्ट में तीनों उद्देश्यों की पूर्ति का ब्यौरा नहीं था। इससे अतिरिक्त एक लाईका डी.एम.एल.बी. दूरबीन जिसका प्रयोग जली हुई लकड़ियों के अध्ययन के लिये किया जाना था, परियोजना कार्यकाल के पांच वर्ष तक भी क्रय नहीं किया गया यह बताते हुए कि इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाये गए।

बी.एस.आई.पी. ने जनवरी 2008 में बताया कि यह उद्देश्य पूर्णतयः वैज्ञानिक थे और अनुसंधान सलाहकार समिति के दायरे में थे। अतः इन पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और अनुसंधान सलाहकार समिति को स्पष्ट कर दिया गया था तथा उसके अनुसार अनुसंधान सलाहकार समिति ने संतोषजनक टिप्पणी की। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना में हरियाली बढ़ाने के लिये डाटा इकट्ठा किया। बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में बताया कि क्रम संख्या ग) तथा ङ) के उद्देश्य प्राकृतिक व्याख्या से सम्बंधित थे तथा शुरू किए गए। और यह भी बताया कि जली हुई लकड़ियों पर कार्य ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना तक चलता रहा तथा दूरबीन भी वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराई गई।

बी.एस.आई.पी. ने इस तथ्य को स्वीकारते हुए बताया कि परियोजना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इन उद्देश्यों का पूर्ण रूप से हटा दिया गया। अनुसंधान सलाहकार समिति की कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि इस पर कोई

विचार-विमर्श हुआ था। उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि परियोजना के उद्देश्य परियोजना कार्यकाल में पूरे नहीं हुए तथा कार्य को ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना तक आगे बढ़ा दिया गया। अतः परियोजना के उद्देश्य पूरे न होने पर उस पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

5.3.2.4 अनुसंधान परियोजनाओं के अप्रत्याप्त प्रयोजना प्रलेखन

यद्यपि बी.एस.आई.पी. ने हर घरेलू प्रयोजना की अनुमानित लागत को आंका, परन्तु अलग से हर परियोजना का लेखा तैयार नहीं किया जिसकी अनुपस्थिति में हर परियोजना पर किया गया व्यय लेखापरीक्षा द्वारा जांच नहीं हुआ। बी.एस.आई.पी. ने हर घरेलू परियोजना का अलग-अलग फोल्डर तैयार नहीं किया जैसे परियोजना प्रस्ताव, आदेश, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट आदि। परियोजनाओं की लेखापरीक्षा जांच केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों तक ही सीमित रही जिसमें परियोजना प्रस्ताव, उद्देश्य तथा अनुमानित व्यय, दसवीं पंचवर्षीय योजना की अंतिम रिपोर्ट और अनुसंधान सलाहकार समिति के संक्षिप्त विवरण के ब्यौरे शामिल थे। अतः सही दस्तावेजों की कमी के कारण अनुसंधानिक परियोजनाओं का मूल्यांकन भलीभांति नहीं हो पाया। जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बी.एस.आई.पी. ने अपने आप को कैसे संतुष्ट कर पाई कि हर एक परियोजना सुचारु योजना अनुसार एक स्वीकृत व्यय के अनुसार चल रही है।

बी.एस.आई.पी. ने जुलाई 2008 में बताया कि अलग-अलग परियोजनाओं के फोल्डर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए थे। तथापि, परियोजनाओं की उन्नति एवं व्यय का ब्यौरा दसवीं पंचवर्षीय योजना की बजाए ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना से अनुकरणीय हुआ। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि फोल्डरस जो कि पिछली पंचवर्षीय योजना तथा इस पंचवर्षीय योजना में तैयार किए गए उसमें परियोजना प्रस्ताव का अभाव, उच्च अधिकारियों की मंजूरी न होना, वार्षिक उन्नति रिपोर्ट न होना तथा मानीटरिंग समिति की टिप्पणियों की कमी पाई गई।

बी.एस.आई.पी. ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकारते हुए कहा कि अनुसंधान परियोजनाओं के दस्तावेज लेखापरीक्षा आदेशों के अनुसार तैयार करनी आरम्भ कर दी गई है।

5.3.2.5 घरेलू परियोजनाओं की अप्रत्याप्त मानीटरिंग

अनुसंधान सलाहकार समिति के कार्यों में से एक कार्य बी.एस.आई.पी. द्वारा अनुसंधान कार्यों के पुर्ननिरीक्षण, मूल्यांकन और मानीटरिंग करने तथा गर्वनिंग बोडी के सुझाव देना थे। इस सम्बंध में वैज्ञानिक विभाग के सभी सदस्यों को चाहिए की वह अपने कार्यों का ब्यौरा, मूल्यांकन, वार्तालाप तथा अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक को वर्ष में दो बार अवश्य सम्बोधित करें। यह ज्ञात हुआ कि परियोजना की उन्नति को नियमित रूप से समीक्षा नहीं की गई। वर्ष 2002-08 के अंतराल में अनुसंधान सलाहकार समिति 6 बार मिली जबकि इस दौरान 12 बैठक आवश्यक थी। अनुसंधान सलाहकार समिति के ब्यौरे से स्पष्ट हुआ कि संशोधन/सुझाव परियोजना अनुसार तथा वस्तुनिष्ठ नहीं थे। अनुसंधान सलाहकार समिति के ब्यौरे में सभी परियोजनाओं के सामने एक ही टिप्पणी संतोषजनक देखने में आई। अनुसंधान सलाहकार समिति ने घरेलू परियोजनाएं जो मार्च 2007 में समाप्त हो चुकी थी उनकी उन्नति रिपोर्ट में कोई भी टिप्पणी नहीं की इसकी अनुपस्थिति में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकती कि घरेलू परियोजनाओं की पूर्ति हो सकी थी। अतः परियोजनाओं की मानीटरिंग अप्रत्याप्त थी।

बी.एस.आई.पी. ने जुलाई 2008 में बताया कि जब परियोजना सलाहकार समिति परियोजना की उन्नति से संतुष्ट थी तभी संतोषजनक टिप्पणी दी गई। इसका यह

मतलब नहीं है कि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए कार्यों को परियोजना सलाहकार समिति ने सूक्ष्मतः निरीक्षण नहीं किया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आर.ए.सी. की परियोजना की उन्नति पर टिप्पणी खुद भी विवरणीय होनी चाहिए थी। यद्यपि आर.ए.सी. की बैठक नियमित नहीं थी। जिससे मूल्यांकन में ढील दिखाई दी। परियोजना फोल्डर/दस्तावेज के उचित प्रबंधन की अनुपस्थिति में आर.ए.सी. ने परियोजना मूल्यांकन का कार्य अपनाया वह अपर्याप्त रहा। बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में फिर बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणियां विचार-विमर्श के लिये परियोजना सलाहकार समिति को प्रतिपादित कर दी जायेगी।

5.3.2.6 पूरक रिपोर्ट तैयार न करना

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बी.एस.आई.पी. ने निम्न चर्चा की गई परियोजनाएं पूरी होने के बाद भी उनकी परियोजना पूरक रिपोर्ट पेश नहीं की:

(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक परियोजना जून 2003 में स्वीकृत थी जिसका शीर्षक भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जलवायु विश्लेषण से होने वाले परिवर्तन तथा पिछले कई वर्षों पुराने पेड़ों के तने तथा पोलिन संस्वीकृत की। जिसकी अनुमानित लागत 10.92 लाख थी तथा कार्यकाल 3 वर्ष था जिसे जून 2007 तक बढ़ा दिया गया। दस्तावेजों से मालूम हुआ कि परियोजना जून 2007 में पूरी हो चुकी थी। लेकिन कोई भी पूरक रिपोर्ट परियोजना समाप्त होने के 14 महीने तक विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नहीं भेजी गई।

परियोजना अंतिम समापन रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में कुल व्यय तथा उद्देश्यों की प्राप्ति को लेखापरीक्षा के दौरान जांचा नहीं जा सका। यद्यपि परियोजना की मॉनीटरिंग रिपोर्ट डी.एस.टी./अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा जांचने के रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे। जिससे प्राप्ति या प्रयोजना को शुरू करते समय डी.एस.टी./बी.एस.आई.पी. द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग का स्पष्ट पता चलता है।

बी.एस.आई.पी. ने सितम्बर 2008 में बताया कि वर्ष 2006-07 की उन्नति पत्रिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रस्तुत की। परियोजना प्रमुख को दिसम्बर 2007 से अप्रैल 2008 के मध्य दक्षिण ध्रुव यात्रा अभियान में शामिल किया तथा अंतिम समापन रिपोर्ट कार्य प्रगति पर रहा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा गया कि परियोजना जून 2007 में पूरी हो गई और परियोजना प्रमुख दिसम्बर 2007 में परियोजना पूरी होने के पश्चात यात्रा अभियान पर रवाना हो गया। फिर भी परियोजना प्रमुख अप्रैल 2008 में वापिस आ गया। परन्तु अंतिम रिपोर्ट सितम्बर 2008 तक भी तैयार न हो पाई। परियोजना प्रमुख ने जनवरी 2009 में फिर बताया कि परियोजना की अंतिम समापन रिपोर्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को फरवरी 2009 में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) दूसरी परियोजना शीर्षक "ग्लेशियर मार्फोलोजी एण्ड क्वार्टरनर्स ग्लेशियल हिस्टरी आफ ड्यूरंग ड्रंग ग्लेशियल, जस्कर, लद्दाख" अक्टूबर 2004 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वीकृत किया गया। इसे जम्मू विश्वविद्यालय को प्रदान की गई जिसमें पर बी.एस.आई.पी. का संयुक्त जांचकर्ता था, कार्यकाल 3 वर्ष का था। परियोजना की कुल लागत रुपये 40.14 लाख जिसमें रुपये 5.10 लाख परियोजना के संयंत्र के शामिल थे। जो कि बी.एस.आई.पी. में कार्यन्वयन होने थे। तथापि परियोजना का कार्यकाल दिसम्बर 2007 में पूरा हो गया। प्रयोजना अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। ज्यों ही कार्य पूर्णतः समाप्त हो चुका था बी.एस.आई.पी. द्वारा अंतिम समापन रिपोर्ट का पूरा न करना तथा जम्मू वि.वि. को प्रस्तुत न करना (बी.एस.आई.पी. संयंत्र)

जम्मू विश्वविद्यालय के संयुक्त अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं हुई जिसके कारण परियोजना को भी रूकावट पड़ चुकी।

बी.एस.आई.पी. ने सितम्बर 2008 में बताया कि अंतिम रिपोर्ट हो चुकी है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी जायेगी। परियोजना जांचकर्ता (जम्मू विश्वविद्यालय) से उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा व्यय का ब्यौरा प्राप्त करने के पश्चात अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बी.एस.आई.पी. ने फिर फरवरी 2009 में बताया कि परियोजना को एक और वर्ष के लिये जनवरी 2010 तक बढ़ा दिया गया है। जैसा कि परियोजना का कार्यकाल दिसम्बर 2007 में पूरा हो चुका था तथा परियोजना अंतिम समापन रिपोर्ट सितम्बर 2008 में तैयार कर दी गई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को परियोजना को दो वर्ष के लिये आगे बढ़ाना हितकर नहीं था। बी.एस.आई.पी. की डील तथा डी.एस.टी. की मॉनीटरिंग की कमी के कारण परियोजना अपने लक्ष्य को हासिल करने में तत्पर नहीं रही।

5.3.2.7 विदेशी कम्पनियों के सहयोग से अनुसंधानिक सहयोगी परियोजनाओं पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुमोदन के बिना व्यय करना

2002-03 से 2007-08 के अंतराल में बी.एस.आई.पी. ने 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किये उसमें से दो समझौते विदेशी एजेन्सियों से किये। दस्तावेजों की जांच से निम्नलिखित कमियां पाई गईं।

(क) बी.एस.आई.पी. ने चीन विज्ञान अकादमी, बिजिंग के साथ अगस्त 2005 में दोनो देशों के बीच अनुसंधान गतिविधियां उत्पन्न करने के लिये 3 वर्ष के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस अवधि में जो कार्य होगा उसका प्रकाशन संयुक्त रूप से होगा तथा इसका उपयोग वनस्पति संग्राहालय, प्राकृतिक इतिहासिक संग्राहलय तथा तेल व्यापार के लिये किया जायेगा। इन सूचनाओं का प्रयोग एजेन्सियों द्वारा हिमालयन वनस्पति वर्ग में होना तय हुआ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशों के अनुसार अनुसंधान परियोजना आरम्भ करते समय जांचकर्ता को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनुमोदन के बिना विदेशी पार्टियों के साथ सम्पर्क में नहीं आना चाहिये। यह यद्यपि देखा गया कि बी.एस.आई.पी. ने यह समझौता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुमोदन के बिना हस्ताक्षर किये। इसके इलावा हिमालय जोन का सूक्ष्म कार्य भी समर्थ अधिकारियों की सहमति के बिना किया गया था।

बी.एस.आई.पी. ने सितम्बर 2008 में बताया कि चीन विज्ञान अकादमी के साथ समझौता सहयोगी परियोजनाओं पर कार्य करने का था परन्तु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वीकृति परियोजना शुरू करने के लिए अभी आनी शेष थी। बी.एस.आई.पी. ने फरवरी 2009 में फिर बताया कि सहयोगी परियोजनाओं की सिफारिश अनुसंधान सलाहकार समिति तथा सामान्य बोर्डों द्वारा अनुमोदित थी तथा बाद में सितम्बर 2008 में विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित थी।

बी.एस.आई.पी. के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष सामने आया समझौतों के निर्देशों अनुसार आर.ए.सी./जी.बी. तथा डी.एस.टी. से पहले अनुमोदन लेना आवश्यक था जो कि दस्तावेजों में नहीं पाया गया। अतः बी.एस.आई.पी. की कार्यवाही ठीक नहीं पाई गई।

(ख) सामान्यतः बी.एस.आई.पी. ने दिसम्बर 2006 में एक अन्य समझौता तृतीय श्रेणी के चाक समाज के समुन्द्री जहाजों में भारत तथा बाहरी देशों के साथ सम्बंध स्थापित कराना। भू वैज्ञानिकों प्रिंससेटोन विश्वविद्यालय यू.एस.ए. के सहयोग से जो कि एक संयुक्त विद्यापीठ है जिसके द्वारा प्रकाशन दूसरे देशों में सम्भव था। विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी विभाग के अनुमोदन के बिना शुरू किया गया। इस परियोजना में बी.एस.आई.पी. का संयंत्र "स्टैडी आफ डिनोफ्लैगैलेट कीस्टस, नैनोफोमिल्लस पैलीनोफैसीस फार बायोस्ट्रेटोग्राफी, बायोटिक अर्नओवर, एनवायरनमेंट एण्ड सी लैवल चेंज" शामिल था।

बी.एस.आई.पी. ने सितम्बर 2008 में बताया कि सहयोग की प्रस्तावना बी.एस.आई.पी. के वैज्ञानिकों तथा प्रिंससेटोन विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. के बीच बिना किसी वित्तीय संयंत्र के थी। उसने फिर कहा कि इस सहयोग के अनुसंधान सलाहकार समिति गर्वनिंग बौडी से अनुमोदित कराने के पश्चात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भेज दी गई थी।

यद्यपि तथ्यों से पता चलता है कि बी.एस.आई.पी. ने विदेशी फर्मों के साथ समझौता डी.एस.टी. के अनुमोदन के बिना ही किया जो कि डी.एस.टी. के निर्देशों के खिलाफ था जो कि बोधिक जयदाद सम्बंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिये था। बी.एस.आई.पी. का जवाब (फरवरी 2009) इस मामले में चुप था।

5.3.2.8 अनुसंधान पेपरों का प्रकाशन

अनुसंधान पेपरों का प्रकाशन वैज्ञानिक संगठनों के लिये एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक संस्थाओं की उन्नति का मूल्यांकन दर्शाया जाता है/ बी.एस.आई.पी. के अनुसंधान सलाहकार समिति ने अगस्त 2005 की बैठक में यह बताया कि बी.एस.आई.पी. वैज्ञानिकों के अनुसंधान पेपरों की क्वालिटी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधारी जाये। अनुसंधान सलाहकार समिति ने अगस्त 2007 की सभा में इस बात पर दुबारा जोर दिया कि कुछ परियोजनाओं के प्रकाशन की कमी महसूस की तथा निश्चय किया कि भावना सम्बंधी शीर्षकों में प्रकाशन पर अधिक जोर देना चाहिए। अनुसंधान सलाहकार समिति ने बी.एस.आई.पी. के पत्रिका प्रकाशन के प्रभाव घटक के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कमेटी ने यह भी निश्चय किया कि बी.एस.आई.पी. में बड़े तथा सूक्ष्म जीवाश्मों की सूचनाओं को एकत्रित कर इलेक्ट्रॉनिक्स आंकड़े उत्पन्न किए जाए। अतः उच्च कोटि के पेपरों के प्रकाशन का महत्व तथा दूरदर्शिता का असर राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना पडेगा कि बी.एस.आई.पी. द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं निर्देशन के रूप में कार्य करेगी तथा बी.एस.आई.पी. के हर एक वैज्ञानिक के कार्यों का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि बी.एस.आई.पी. के भिन्न-भिन्न डिविजन में औसतन 61 वैज्ञानिक पिछले 6 महीने के भीतर रहें। कुल 158 अनुसंधान पेपर एस.सी.आई. पत्रिकाओं में 2002-03 से 2007-08 तक प्रकाशित किए गए। एक वैज्ञानिक ने 2002-03 से 2007-08 के बीच अनुसंधान पेपरों के प्रकाशन में योगदान नहीं दिया तथा 20 से 23 वैज्ञानिकों ने बीच-बीच में अपना योगदान नहीं दिया। 13 वैज्ञानिकों ने एक भी अनुसंधान पेपर, एस.सी.आई. पत्रिका प्रकाशित करने में अपना योगदान नहीं दिया जिससे हर वैज्ञानिक की औसत घटकर 0.43 पर प्रतिवर्ष रह गई। इसके अलावा 7 वैज्ञानिक ऐसे भी थे जिन्होंने 2002-03 से 2007-08 तक एस.सी.आई. पत्रिका में एक अनुसंधान पेपर ही प्रकाशित करने में अपना योगदान दिया। 6 वैज्ञानिकों ने पिछले 6 वर्षों से 2 या 3 अनुसंधान पेपरों का प्रकाशन किया लेकिन वह भी एस.सी.आई. पत्रिका में अपना स्थान नहीं बना सके। अतः बी.एस.आई.पी. के वैज्ञानिकों का अनुसंधान पेपरों के प्रकाशन में श्रेय बहुत कम दिखाई दिया।

यद्यपि यह भी देखा गया कि बी.एस.आई.पी. के अधिकतर वैज्ञानिक 2002-03 से 2007-08 के मध्य दूसरे अवैज्ञानिक गतिविधियां/प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहे। वर्ष 2006-07 में 59 में से 47 वैज्ञानिक (जो कि कुल की 80 प्रतिशत थे) प्रशासनिक

कार्यों में व्यस्त रहे जैसे कि संयोजक, भिन्न-भिन्न कमेटियों के सदस्य जैसे आवास कमेटी, परिवहन कमेटी, स्वागत समिति, वाटिका रखरखाव समिति, अलंकरण कमेटी, खानपान कमेटी, सांस्कृतिक समारोह कमेटी, सुरक्षा कमेटी, बेकार तथा इस्तेमाल न होने वाले वस्तुओं की समिति आदि। 2008 में कमेटी की संख्या में 20 से 25 तक वृद्धि हो गई और वैज्ञानिक जो इसमें तल्लीन थे इनकी संख्या भी लगातार बढ़ गई थी। बी.एस.आई.पी. ने जुलाई और सितम्बर 2008 में बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसंधानिक प्रोफाईल को बढ़ाने में कदम उठाये थे तथा उनके प्रभाव फैक्टर सुनिश्चित करने के पश्चात प्रोत्साहित भी किया गया। यद्यपि बी.एस.आई.पी. ने वैज्ञानिकों के असहयोग की पुष्टि नहीं की गई। वैज्ञानिकों का भिन्न-भिन्न कमेटियों में लगे रहने के बारे में पुष्टि की कि लेखापरीक्षा की आपत्तियों को ध्यान में रखा जायेगा।

बी.एस.आई.पी. ने फिर फरवरी 2009 में बताया कि अनुसंधानिक पेपर नियमित रूप से मशहूर पत्रिका के रूप में प्रकाशित किए गए तथा थोड़े पुरा-वानस्पतिक अनुसंधानिक एस.सी.आई. पत्रिकाओं कम प्रभावित रूप में प्रकाशित हुईं। वैज्ञानिकों को भिन्न-भिन्न कमेटियों/प्रशासनिक कार्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कमेटी अस्थाई रूप में थी तथा इसकी अवधि तुल्य थी जिसकी संरचना विशेष तथा आवश्यक समारोह तथा वैज्ञानिक समारोह को वास्तविक रूप देने के लिये थी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि उपरोक्त कमेटी वैज्ञानिक नहीं थी और इसमें लीनता के लिये विशेष कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है इसलिए प्रशासनिक एवं वित्तीय समारोह उन्हीं क्षेत्र के अधिकारियों के सर्पूद करना चाहिए। वैज्ञानिकों की संरचना केवल मानवीय सम्पदा के लिये की जाती है। उनकी अनुसंधानिक गतिविधियों तथा जनशक्ति को दूसरी और लगाना वैज्ञानिक क्षेत्र में अवरोधक सिद्ध हुआ।

सिफारिशें

23. बी.एस.आई.पी. घरेलू परियोजनाओं की लागत को सुनिश्चित करे ताकि परियोजनायें स्वीकृत लागत में ही पूरे हो सकें।
24. बी.एस.आई.पी. परियोजनाओं की मॉनीटरिंग को मजबूत करें ताकि स्वीकृत योजना के अंतर्गत तथा उचित समयनुसार परियोजना समाप्त हो सके।
25. बी.एस.आई.पी. परियोजना में इस्तेमाल होने वाले संयंत्रों को समय पर प्राप्त करे ताकि परियोजना समाप्त होने तक उनका प्रयोग पूर्णतः किया जाये तथा परियोजनाओं को उद्देश्य पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सके।
26. वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।

5.3.4 निष्कर्ष

बी.एस.आई.पी. ने पुरावनस्पति के भौतिक तथा प्रचालित तरीकों से पौधों के जीवन के अव्यय, मूल्यांकन तथा पौधों का चट्टान के रूप में परिवर्तन से अवगत कराना था परन्तु इन चट्टानों के अध्ययन से उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्ण रूप से न हो पाई। उपस्कर जो इस परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये थे दसवीं पंचवर्षीय योजना में निधियां होने के बावजूद भी प्राप्त नहीं किये गये जिसका कि परियोजना पर बुरा प्रभाव पडा। उद्देश्यों की थोड़ी पूर्ति/पूर्ति न होना तथा बीच में बंद हो जाना प्रतिभू परियोजनाओं, सहयोगी परियोजनाओं तथा घरेलू परियोजनाओं में पाया गया। अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अपर्याप्त पाया गया तथा उसे मजबूत करने की आवश्यकता थी। वैज्ञानिक पेपरों के प्रकाशन में वैज्ञानिकों का सहयोग सरहानीय नहीं रहा।

अध्याय VI: पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय

6.1 ग्रामीण वृक्षारोपण परियोजना की विफलता

राष्ट्रीय वृक्षारोपण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की तरफ से अनुचित आयोजना एवं मानीटरिंग के अभाव में संपूर्ण देश में रूपये 5.87 करोड़ की लागत से लगाये जाने वाले पेड़ पौधों का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका जिसकी वजह से परियोजना को संस्वीकृति दिये जाने का उद्देश्य हल नहीं हुआ। मंत्रालय में प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार जनवरी 2009 तक राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा केवल 2.34 6 करोड़ रूपयें ही व्यय हो सके थे।

राष्ट्रीय वनरोपण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.), जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने मार्च 1998 में "स्वर्ण जयन्ती कुंज" नाम की परियोजना



ग्रामीण वृक्षारोपण

की शुरुआत की। इस परियोजना में दर्शाया गया कि प्रत्येक ग्राम में प्रचलित किस्मों के देसी पौध का झुंड लगाने के लिये 50 पौधे आरोपित किये जायेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत 50 पौधे रोपण करने हेतु देश के आबादी वाले गांवों में समस्त राज्य सरकारों को एन.ए.ई.बी. द्वारा कुल 5.87

लाख (रु.2/- प्रत्येक पौध की दर से) निधियां आवंटित की जानी थी। राज्य वन विभागों (एस.एफ.डी.) द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को पौध उपलब्ध करानी थी जिनका रोपण ग्रामीण समुदाय स्वेच्छा मजदूर द्वारा के जरिए किया जाना था। इसके आगे एस.एफ.डी को स्थानीय समुदायों के परामर्श से इन पौधों के रखरखाव एवं संरक्षण हेतु उपयुक्त योजना तैयार करनी थी।

तदनुसार, 30 मार्च 1998 को एन.ए.ई.बी. ने परियोजना को मंजूरी दी तथा 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एकीकृत बन्धीकरण एवं पर्यावरण विकास परियोजनाओं की योजना के अंतर्गत रूपये 5.87 करोड़ जारी किये। परियोजना को 15 अगस्त 1998 तक संपन्न होनी थी। मार्च 1999 में एन.ए.ई.बी. ने इस परियोजना की अवधि को एक वर्ष अर्थात् 15 अगस्त 1999 तक बढ़ाया था। मौजूदा उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) के अनुसार इस परियोजना पर जनवरी 2009 तक रूपये 2.34 करोड़ खर्च हो चुके थे। निम्नलिखित कमियों के कारण परियोजना के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा:

(i) कमजोर परियोजना आयोजना इस परियोजना के लिये 30 मार्च 1998 को निधियां आवंटित की गई थी लेकिन जब तक ये निधियां राज्यों तक पहुंची, पौधारोपण मौसम खत्म हो चुका था। इसके अतिरिक्त एन.ए.ई.बी. ने इस परियोजना को कार्यान्वयन अभिकरणों के विचारों को ध्यान में रखे बिना ही मंजूरी दी थी। फलस्वरूप, हरियाणा एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने रु.2/- प्रति पौध की कम राशि होने पर इस परियोजना को शुरू करने में अपनी विवशता दर्शाई थी। इसके अतिरिक्त, एन.ए.ई.बी. ने इन पौधारोपणों के रखरखाव एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एस.एफ.डी. से कार्य योजना नहीं लिया था। इसीलिए, परियोजना को मंजूरी देते समय, पौधरोपण के उपरान्त पौध की वास्तविक उत्तरजीविता को ध्यान में नहीं रखा था।

(ii) **मॉनीटरिंग का अभाव** संस्वीकृति आदेश के अनुसार, राज्य सरकारों को परियोजना के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की समेकित रिपोर्ट एन.ए.ई.बी. को प्रस्तुत करनी थी। अप्रैल 1999 में, एन.ए.ई.बी. ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से परियोजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं वित्तीय प्रगति की सूचना देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात एन.ए.ई.बी. द्वारा छः वर्षों से अधिक समय से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। जून 2005 में लेखापरीक्षा के कहने पर एन.ए.ई.बी. ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा तदनुसार परोक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। निधियों की उपयोगिता एवं परोक्ष प्रगति की स्थिति निम्न थी:

- केवल चार राज्यों नामतः मेघालय, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम तथा एक संघ शासित प्रदेश अर्थात् चंडीगढ़ ही निर्युक्त निधियों का पूर्णतः व्यय कर सके थे। हालांकि इस परियोजना के द्वारा मेघालय में केवल 29 प्रतिशत गांव ही लाभांविता हुए थे तथा पंजाब एवं चंडीगढ़ में लाभांविता ग्रामों की संख्या पता नहीं थी। इसके अतिरिक्त एन.ए.ई.बी. ने संस्वीकृति के अंतर्गत इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से विस्तृत समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा।
- जिन 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (जिनमें झारखंड भी शामिल हैं) जिन्हें एन.ए.ई.बी. ने 2.4 2 करोड़ रुपये जारी किये गये थे, उन्होंने न तो परोक्ष प्रगति रिपोर्ट और न ही उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। इसीलिए, इन राज्यों को जारी अनुदानों की स्थिति पता नहीं लग पाया था।
- दो राज्यों नामतः बिहार एवं हरियाणा एवं दादर एवं नागर हवेली, संघ शासित प्रदेश ने "शून्य" परोक्ष एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निरंक बताई थी परन्तु पिछले नौ वर्षों से जारी किए गए रुपये 57.26 लाख की राशि नहीं लौटाई थी। अंदाजित एवं निकाबार ने नवम्बर 2008 में रुपये 0.54 लाख की समस्त राशि लौटा दी थी।
- हालांकि अगस्त 1999 में परियोजना की संस्वीकृत अवधि समाप्त हो चुकी थी फिर भी कर्नाटक एवं त्रिपुरा ने केवल वर्ष 2006-07 के दौरान ही क्रमशः 19.05 लाख रुपये एवं 0.59 लाख रुपये व्यय किये थे।
- अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ने परियोजना के आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति की थी तथा इन राज्यों से रुपये 1.10 करोड़ के अव्ययित शेष की वापसी बकाया थी। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों ने विस्तृत समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी, जिसके अभाव में, परियोजना से लाभांविता होने वाले वास्तविक ग्रामों की संख्या सुनिश्चित नहीं हो सकी थी।

मई 2008 में एन.ए.ई.बी. ने बताया कि स्थिति की समीक्षा के लिये जून/जुलाई 2008 के माह में एक विशेष बैठक का आयोजन किया जायेगा तथा इस मामले में एक समुचित निर्णय लिया जायेगा। हालांकि दिसम्बर 2008 तक ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

अक्टूबर 2008 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि एन.ए.ई.बी., संबंधित राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कर रहा है तथा इनके जवाब शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

अतः, एन.ए.ई.बी. की तरफ से दोषपूर्ण योजना एवं मानीटरिंग के अभाव में, परियोजना शुरू होने के 10 वर्षों के बाद भी 5.87 करोड़ रुपये की लागत से वृक्षारोपण के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया था। अतः परियोजना संस्वीकृत करने का उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा।

सिफारिशें

27. क्रियान्वयन अभिकरणों से उनके विचार जिनमें इन अभिकरणों की अनिवार्य प्रतिबद्धता भी सम्मिलित हो। जानने के बाद ही परियोजना को संस्वीकृत किया जाना चाहिए।
28. एन.ए.ई.बी. को लक्ष्यों के अनुसार परियोजना को पूर्ण होना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मॉनीटरिंग करनी चाहिए।

6.2 परिवहन भत्ते का अस्वीकार्य भुगतान

वित्त मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृति परिवहन भत्ते से रूपसे 67.66 लाख का अस्वीकार्य परिवहन भत्ते का भुगतान हुआ

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), के व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार परिवहन भत्ता (टी.ए.) उन कर्मचारियों, जिनका सरकारी निवास एक किलोमीटर के अन्दर या जिनका कार्यस्थल और निवास एक ही परिसर में है, को स्वीकार्य नहीं होगा। इन आदेशों के अनुसार कर्मचारियों द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा कि सरकारी आवास, कार्यस्थल से एक किलोमीटर के अन्दर स्थित नहीं है या कार्यस्थल और निवास एक ही परिसर में नहीं है, देने पर ही स्वीकार्य होगा।



आई.सी.एफ.आर.ई.

स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की कार्यात्मक स्वायत्ता बढ़ाने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुदेशों में यह कहा गया कि बड़ी हुई आर एंड डी स्वायत्त

संस्थानों द्वारा वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों को व्यवहार में बढ़ाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर), वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोग नियमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुरूप होगा। डी.एफ.पी.आर के नियम 13 (2) के अनुसार भी केन्द्रीय सरकार का विभाग उस विभाग में दी गई शक्तियों के अन्दर प्रशासक या विभाग प्रमुख या किसी अन्य सह प्राधिकारी को इन नियमों में दी गई शक्तियां प्रदान कर सकता है। अतः आर एंड डी संस्थानों की शासी निकाय/परिषद प्रशासनिक मंत्रालय/सम्बन्धित विभाग को दी गई शक्तियों तक सीमित शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि भारतीय वन अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.), देहरादून जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के अन्तर्गत एक स्वायत्त आर एंड डी संस्थान है, के शासकीय मंडल ने 1998 में आई.सी.एफ.आर.ई (मुख्यालय) और इसके एक ईकाई संस्थान वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.ई.) देहरादून के उन कर्मचारियों को परिवहन भत्ता अनुमोदित किया जो सरकारी निवास के परिसर में रह रहे थे और जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा नहीं दी गई थी। यह एम.ओ.एफ. के व्यय विभाग के नियमों का उल्लंघन था जिसके अनुसार उन कर्मचारियों को जिन्हें परिसर में एक किलोमीटर के भीतर सरकारी निवास दिया गया था या कार्यस्थल और निवास एक परिसर में थे, उन्हें प्रांडगण में ही निवास था को टी.ए.

स्वीकार्य नहीं था। अतः परिसर के भीतर में रहने वाले कर्मचारियों को स्वीकृत टी.ए. अस्वीकार्य था और एम.ओ.एफ. के आदेशों का उल्लंघन था।

परिसर में विभिन्न श्रेणियों के लिए 821 स्टाफ क्वार्टर्स थे। अक्टूबर 1998 से जुलाई 2008 तक की अवधि में रूपये 67.66 लाख का व्यय टी.ए. के भुगतान के लिए हुआ जो कि अस्वीकार्य है तथा एम.ओ.एफ. के आदेशों के साथ-साथ जी.एफ.आर/डी.एफ.पी.आर का उल्लंघन था।

आई.सी.एफ.आर.ई. ने सितम्बर 2008 में बताया कि "नई वन सम्पदा लगभग 1,150 एकड़ में फैली हुई है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी 2 से 3 किलोमीटर की है तथा आवासीय बंगले/क्वार्टर्स पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। यह बताया गया कि अधिकांश मामलों में निवास स्थल कार्यस्थल से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर थे। अतः उपरोक्त निर्देशों को देखते हुए आई.सी.एफ.आर.ई. ने कर्मचारियों द्वारा परिवहन पर खर्च की गई राशि की क्षतिपूर्ति के लिए बी.ओ.जी. से स्वीकृति मांगी जिसकी स्वीकृति बी.ओ.जी. द्वारा दे दी गई। उत्तर में आगे बताया गया कि परिषद के उपविधि के नियम 55 (बी) में प्रावधान है कि बी.ओ.जी. के पास यह अधिकार होगा कि वो उपविधि नियम 55 (ए) में दिए गए किसी भी नियम में आवश्यकता अनुसार उतनी छूट दे सके जितनी उन परिस्थितियों में आवश्यक हो। उत्तर के जी.एफ.आर. 209 (6) (iv) (ए) के संदर्भ में देखा जाए जिसमें दिया गया है कि सभी अनुदान ग्राही संस्थान या संगठन जिन्हें आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक अनुदान सहायता प्राप्त होती है अपने कर्मचारियों के सेवा नियमों को सामान्यतः ऐसे बनाएंगे कि जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उन श्रेणियों पर लागू नियमों से अधिक नहीं होंगे। विशिष्ट मामलों में एम.ओ.एफ. के परामर्श से छूट दी जा सकती है। टी.ए. के भुगतान में दी गई छूट के विषय में एम.ओ.एफ. से परामर्श का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अतः रूपये 67.66 लाख का भुगतान अस्वीकार्य था और वसूली की जानी बाकी थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आई.सी.एफ.आर.ई. का 2004-08 की अवधि में भारत सरकार द्वारा दिए गए रूपये 270.21 करोड़¹ अर्जन के विरुद्ध रूपये 246.05 करोड़ का कुल व्यय हुआ। उसी अवधि में इसका आंतरिक राजस्व केवल रूपये 14.22 करोड़ था और इसीलिए यह वित्तीय सहायता के लिए पूरी सरकार पर निर्भर थी। क्योंकि आई.सी.एफ.आर.ई. भारत सरकार द्वारा पोषित एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए जी.एफ.आर के प्रावधानों का पालन करना इसका कर्तव्य था। शासकीय मंडल द्वारा ऐसी विचलन की आज्ञा देना न केवल सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन था परन्तु इसका सरकारी राजकोष पर अतिरिक्त भार भी पड़ा।

यह मामला पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को 2008 में प्रेषित किया गया था। उनका उत्तर दिसम्बर 2008 तक प्रतिक्षित था।

सिफारिशें

29. मंत्रालय अपने आधीन स्वायत्त संस्थानों में ऐसे विचलनों की समीक्षा करे ताकि अनुदानों के सरकारी उत्तरदायित्व को लागू नियमों के विभिन्न विचलनों की आज्ञा देने के कारण अनावश्यक न बढ़ाया जाए। यह समीक्षा सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू स्वीकार तथा करने के संदर्भ में भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा अनुग्रहीत स्वायत्त संस्थान कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के संशोधन के समय भारत सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत लाभ/भत्तों से अधिक स्वीकृत न करें और उसका बोझ सरकारी राजस्व

¹ आई.सी.एफ.आर.ई. के आय एवम् व्यय के अनुसार

पर न डालें।

30. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एम ओ एफ के परामर्श से अनुग्रहीत स्वायत्त संस्थानों के शासकीय निकायों द्वारा वेतन, भत्तों और अन्य लाभों को सरकारी कर्मचारियों से अधिक स्वीकृत करते समय शक्तियों के उपयोग के सम्बंध में स्पष्ट आदेश जारी करें।

6.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली की कार्य प्रणाली

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण(सी.जेड.ए.)चिड़ियाघरों के जानवरों की संकटमय/विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एंजसी के स्थान पर अनुदान निर्मुक्त करने वाली एंजसी के रूप में कार्य कर रहा था। सी.जेड.ए. चिड़ियाघरों में प्रजनन कार्यक्रमों तथा जानवरों के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने में विफल रहा। विलुप्त हो रही प्रजातियों की पहचान का कार्य पूरा नहीं हुआ था और पहचानी गई 63 विलुप्त प्रजातियों में से केवल तीन के लिए प्रजनन संरक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया गया था। उच्च मृत्युदर के कारण समस्त देश के चिड़ियाघरों में विलुप्त हो रही प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई थी। चिड़ियाघरों में बहुत संख्या में तेदुंग, स्पॉटिड/सांभा हिरण इत्यादि जैसे जानवरों से अधिक भीड़ थी जोकि सी.जेड.ए. की मार्गदिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित जानवरों की संख्या से अधिक थी। सी.जेड.ए. इस बात से अनजान था कि क्या चिड़ियाघर इस के द्वारा बनाये गये स्वास्थ्य संबंधी मानकों की पालना कर रहे थे या नहीं क्योंकि सी.जेड.ए. ने चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली की कोई नियमित रूप से मॉनीटरिंग नहीं की थी। सी.जेड.ए. का वित्तीय प्रबंधन भी कमजोर था क्योंकि वे ये सुनिश्चित नहीं कर सका कि इस के द्वारा दिया गया पैसा स्वीकृत उद्देश्यों के लिये वास्तव में राज्यों के चिड़ियाघरों द्वारा खर्च किया जा रहा था।

6.3.1 प्रस्तावना

भारत में सभी चिड़ियाघरों की बचाव केन्द्र² की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत संचालित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति द्वारा निर्देशित किया जाता है। फरवरी 1992 में संशोधन के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, एक संवैधानिक निकाय का गठन हुआ। इसका प्राथमिक उद्देश्य कानूनी तौर पर सर्वमान्य मानकों का निर्धारण एवं चिड़ियाघरों/प्राणी विज्ञान उद्यानों में जानवरों का रखरखाव एवं प्रबंधन करना था तथा ऐसे जानवरों जिनका वन्यजीवन संभव नहीं था का संरक्षण

6.3.2 कार्यप्रणाली

सी.जेड.ए. के मुख्य कार्य हैं:

- चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं के आवास, रखरखाव और पशुचिकित्सीय सम्बंधी न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।
- निर्धारित मानकों और स्तरों के आधार पर चिड़ियाघर की कार्यप्रणाली का समय पर मूल्यांकन एवं आंकलन करना

² 2007-08 में 180 चिड़ियाघर/बचाव केन्द्र पहचान में आए

- प्रजनन के लिए वन्य पशुओं की विलुप्त प्रजातियों की पहचान करना और इस कार्य के लिए चिड़ियाघरों की जिम्मेदारी सौंपना
- वंशवृद्धि के उद्देश्य हेतु जैसे पशुओं को प्राप्त करना, अदला बदली करना और कर्ज देने इत्यादि में समन्वय करना।
- नियोजित प्रजनन में जन्में विलुप्त प्रजातियों वाले वन्य पशुओं से सम्बन्धित स्टुड बुक के रखरखाव को सुनिश्चित करना
- चिड़ियाघर कर्मियों के लिए भारत में और भारत के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करना
- चिड़ियाघरों के उद्देश्य हेतु नियोजित प्रजनन के शोध तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना।

2002-08 के दौरान सी.जेड.ए. के दायित्वों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ आगामी पैरों में वर्णित है।

6.3.3 मानकों/स्तरों के संबंध में चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली के आकंलन/मूल्यांकन तथा चिड़ियाघरों में रखे गए जानवरों की पशुचिकित्सा, रखरखाव एवं आवास हेतु न्यूनतम मानको का अनुपालन

6.3.3.1 चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन एवं आकंलन

सी.जेड.ए. ने पूरे भारत में सारे चिड़ियाघरों में रखे पशुओं के आवास, रखरखाव तथा पशुचिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों को स्पष्ट करने हेतु दिशा निर्देशों/मानकों/प्रतिमानों को स्थापित किया।

नए चिड़ियाघरों को स्थापित करना, चिड़ियाघरों में गतिविधियों के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावना को प्रस्तुत करना तथा हाथी जैसे जानवरों का रखरखाव और शेर, चीतों की जनसंख्या पर नियंत्रण और सामान्य खुरदारों हेतु विशेष मानकों को विनिर्दिष्ट किया था। इसके अलावा, चिड़ियाघरों के जानवरों के लिए उत्तम खाने को सप्लाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे चिड़ियाघर पशुओं के कंकाल का निपटान, स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन, चिड़ियाघरों में स्वच्छता एवं रक्त सम्बन्धी बीमारियों में गिरावट की मॉनीटरिंग, चिड़ियाघर में पशुओं की सहज मृत्यु जैसे पशु कल्याण तथा पक्षी विषयक संक्रमण की रोकथाम के मानकों को भी विनिर्दिष्ट किया।

यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- सी.जेड.ए. द्वारा चिड़ियाघरों में जानवरों के उचित रखरखाव और उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए दिशानिर्देशों/मानकों/प्रतिमानों को पालन चिड़ियाघरों द्वारा हो रही है या नहीं, के लिए में उचित प्रयास नहीं किए थे।
- सी.जेड.ए.द्वारा ने चिड़ियाघरों के निर्धारित/अनुपालन के मानको को सुनिश्चित करने के लिए सभी चिड़ियाघरों के निरीक्षण की कोई सारणी एवं मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
- सी.जेड.ए. द्वारा सभी चिड़ियाघरों की निरीक्षण सारणी या कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिससे यह तथ्य को स्थापित है कि सभी चिड़ियाघरों की नियमित मॉनीटरिंग हो रही है।
- सी.जेड.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली के बारे में कोई मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय चिड़ियाघर पार्क दिल्ली द्वारा यह तथ्य की पुष्टि की गई थी कि सी.जेड.ए. द्वारा निर्धारित मानकों एवं प्रतिमानों पर अनुपालन की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी जो कि सी.जेड.ए. को प्रस्तुत की जाए।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में यह जवाब दिया कि निर्धारित मानकों/प्रतिमानों और अनुपालन के लिए चिड़ियाघरों का नियमित मूल्यांकन किया गया। इस जवाब को इस तथ्य के संदर्भ में देखना चाहिए कि राष्ट्रीय चिड़ियाघर पार्क, नई दिल्ली ने स्पष्ट बताया कि सी.जेड.ए.द्वारा ऐसी कोई अनुपालना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। इसके अलावा, सी.जेड.ए. ऐसी कोई मॉनीटरिंग रिपोर्ट जांच हेतु उपलब्ध नहीं थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में जवाब दिया कि चिड़ियाघर विशेषज्ञ के पैनल से एक विशेषज्ञ टीम द्वारा प्रत्येक 2 से 3 वर्षों की सभी सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। यह भी बताया गया कि सी.जेड.ए. के पास कोई तकनीकी मानवशक्ति नहीं थी और मध्यावधि मूल्यांकन एक नियमित कार्य है जिसका उपरोक्त कारणों से पालन नहीं किया जा सका था। सी.जेड.ए. विभिन्न मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों से अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होती है। केवल सी.जेड.ए. नई दिल्ली को छोड़कर प्राप्त हो रही है।

यह तथ्य बाकी रहा कि अधिकतर चिड़ियाघरों का निरीक्षण केवल मान्यता प्राप्त करने के समय ही किया जाता है जो कि किसी चिड़ियाघर की मान्यता के अनुरोध पर किया जाता है। चिड़ियाघरों को 3 से 5 वर्षों तक के समय के लिए मान्यता ही जाती है और इस मान्यता की समयावधि की वृद्धि के पहले ऐसा निरीक्षण किया जाता है। अतः चिड़ियाघरों में यह सुनिश्चित करने में लिए कि क्या चिड़ियाघरों की मान्यता को बढ़ाने/मान्यता देने के बाद सी.जेड.ए.द्वारा जारी मार्गदिशा निर्देश/मानक/स्तर के साथ अनुपालन हो रही थी, के लिए कोई मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया गया था। कोई भी मूल्यांकन रिपोर्ट या चिड़ियाघर मूल्यांकन रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो कि सी.जेड.ए. द्वारा निर्देशों/मानकों/प्रतिमानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित, नियमित और स्थिर मॉनीटरिंग नहीं हो रही थी।

सिफारिशें

31. सी.जेड.ए.को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिड़ियाघरों की अभिरक्षा में जानवरों की देखभाल और स्वास्थ्य हेतु निर्धारित सभी मार्गनिर्देश/मानक/स्तरों का अनुसरण किया जा रहा है।
32. सी.जेड.ए.को तकनीकी विशेषज्ञ जो प्रत्येक वर्ष विदेश के चिड़ियाघरों का दौरा करें तथा उन्हें जांचने हेतु एक मॉनीटरिंग कक्ष गठित करना था ताकि चिड़ियाघरों में जानवर, जो कि मूल्यावान संसाधन है, का उत्तम रखरखाव हो सके और जो उनकी अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की गारंटी दे।

6.3.3.2 मास्टर प्लान

चिड़ियाघरों के मान्यता के नियमों, 1992 के नियम 10 (51) में वर्णित है कि प्रत्येक चिड़ियाघरों के एक लम्बी अवधि के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए और इस तरह की मास्टर प्लान की एक प्रति सी.जेड.ए. को प्रस्तुत करनी चाहिए। इस प्रकार, मास्टर प्लान को बनाना चिड़ियाघरों के विकास के लिए और कार्यान्वयन के लिए इंटैग्रल है। हालांकि, कुल 180 चिड़ियाघरों में से केवल 22 चिड़ियाघरों (12.22 प्रतिशत) ने ही सी.जेड.ए. को अपने मास्टर प्लान की प्रति प्रस्तुत की थी। सी.जेड.ए.ने बाकी बचे 158 चिड़ियाघरों से मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। मास्टर प्लान की अनुपस्थिति में चिड़ियाघर विकास एवं संवृद्धि, एकीकृत एवं उचित तरीके से नहीं हो पाएगी।

अक्टूबर 2008 में सी.जेड.ए. के जवाब दिया कि मार्च 2009 तक सभी मास्टर प्लानों को तैयार कर लिया जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि सभी चिड़ियाघरों को मार्च 2009 तक अपने मास्टर प्लान प्रस्तुत करने का समय दिया है।

तथ्य यह रहा कि सी.जेड.ए.के पिछले 15 सालों से अधिक कार्यरत होने के बावजूद वह प्रत्येक चिड़ियाघर से उनके मास्टर प्लान बनवाने में असफल रहा जो कि चिड़ियाघरों को प्रभावी रूप से चलाने एवं उनके उचित रखरखाव को लम्बे समय तक सुनिश्चित करेगा।

6.3.3.3 बचाव केन्द्र

मान्यता रद्द/बन्द पड़े चिड़ियाघरों एवं सर्कसों से जब्त किए गए पशुओं की पुनर्स्थापना के लिए सी.जेड.ए. ने चिड़ियाघरों के भीतर, परन्तु प्रदर्शन स्थान से दूर बचाव केन्द्रों की स्थापना के लिए सौ प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की। ऐसे बचाव केन्द्र में रखे गए जानवरों की आवर्ती एवं अनावृत्ति लागत सी.जेड.ए. द्वारा दी जाती थी। इस उद्देश्य के लिए 1999-05 के दौरान रुपये 8.81 करोड़ की लागत से 7 बचाव केन्द्र स्थापित किए थे। इसके अलावा, अगस्त 2008 तक इन बचाव केन्द्रों में 352 (और अधिक) जानवरों के आवास, रखरखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए सी.जेड.ए. ने 19.58 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इन बचाव केन्द्रों में रखे गए जानवरों के लिए कोई स्वीकृति मृत्युदर निर्धारित नहीं थी, इन बचाव केन्द्रों में विलुप्त हो रही प्राजातियों जैसे शेर की 27 प्रतिशत तथा बाघ की 30 प्रतिशत की मृत्युदर सहित कुल मृत्युदर 25 प्रतिशत थी।

इन बचाव केन्द्रों की स्थापना और पशुओं के रखरखाव पर 28.39 करोड़ रुपये के खर्च के बावजूद भी सी.जेड.ए. ने इन बचाव केन्द्रों के प्रत्यक्ष निष्पादन को मॉनीटरिंग नहीं की थी। इनमें से किसी भी बचाव केन्द्र पर कभी भी किसी रूपांकन/तकनीकी/मूल्यांकन समिति द्वारा उनके मूल्यांकन हेतु दौरा नहीं किया गया था। और न ही कोई वार्षिक/छ:माही अनुपालन रिपोर्ट इन केन्द्रों से प्राप्त नहीं हुई थी।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में जवाब दिया कि बचाव केन्द्रों की मॉनीटरिंग नियमित रूप से की जा रहा थी जबकि लेखापरीक्षा को जांच पड़ताल के लिए ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि इन शल्टरों/स्थानों पर सर्कस से लाए गए भारी संख्या में दोगला/अंतः-प्रजात/वृद्ध एवं अनुचित पशु थे और उन्हें अलग करने के लिए रखा गया था और उनके लिए बचाव केन्द्रों को उपयोग इन जानवरों के लिए वृद्धआयु घर के रूप में किया जा रहा था।

तथ्य यह रहा कि पूर्णतया मानवता की दृष्टि से सी.जेड.ए. को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि इन वृद्ध एवं बेकार जानवरों की उचित स्वास्थ्य देखभाल की जा रही है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि सी.जेड.ए. इन बचाव केन्द्रों को 100 प्रतिशत सहायता मुहैया करा रहा है, फिर भी यह सी.जेड.ए. का पदभार है कि वह इन बचाव केन्द्रों के चलन को मॉनीटर करे ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि इन जानवरों की देखभाल अच्छी तरह से की जा रही है।

सिफारिशें

33. सी.जेड.ए.द्वारा चिड़ियाघरों के दीर्घावधि विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करवाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।
34. बचाव केन्द्रों में जानवरों की उचित स्वास्थ्य की सुनिश्चितता के लिए सी.जेड.ए.को बचाव केन्द्रों की कार्यप्रणाली को मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है।

6.3.4 जानवरों का संरक्षण/प्रजनन कार्यक्रम

सी.जेड.ए.के मुख्य कार्यों में एक प्रमुख कार्य प्रजातियों के संरक्षण हेतु जैव-प्रौद्योगिकी अन्तर्क्षेप सहित अनुसंधान और प्रजनन कार्यक्रमों की योजना के जरिए भारत में विलुप्त प्रजातियों तथा जंगली जानवरों के संरक्षण हेतु प्रयास करना था।

6.3.4.1 विलुप्त हो रही प्रजातियों की पहचान और प्रत्येक चिडियाघर को जिम्मेवारी सौंपना

सी.जेड.ए. को जंगली जानवरों की संकटापन्न प्रजातियों को सम्मोहन प्रजनन के उद्देश्य से पहचानना और इस सम्बंध में चिडियाघर को उत्तरदायित्व सौंपना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सी.जेड.ए. ने केवल 63 प्रजातियों की पहचान की थी, जबकि आई यू सी एन³ ने प्रजातियों को जो कि पूर्ण संकटापन्न है को मिलाकर लाल 88 प्रजातियों को संकटापन्न और पशुओं की 181 प्रजातियों के भारत में सुभेद्य है को लाल सूची में मिलाया है।



वेस्ट्रन ट्रेगोपान

इस प्रकार सी.जेड.ए. द्वारा संकटापन्न जानवरों की गई पहचान अपर्याप्त थी और सी.जेड.ए. को इन जानवरों की पहचान करने को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है ताकि इन संकटापन्न जानवरों की प्रजातियों का उचित संरक्षण हो सके।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि निधि एवं विशेषज्ञता की कमी के कारण आई यू सी एन की सूची में सभी चेतावनी वाले जानवरों की पहचान नहीं हो पाई थी।

6.3.4.2 प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम

सी.जेड.ए. के जंगली जानवरों और विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक सुनियोजित प्रजनन कार्यक्रम चलाया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सी.जेड.ए. द्वारा पहचानी गई 63 विलुप्त हुई प्रजातियों में से केवल तीन रेड पांडा,⁴ लायन टेलड मकौऊ⁵ और वेस्ट्रन ट्रेगोपान⁶ प्रजातियों को संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया था। संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए



रेड पांडा

लायन टेलड मकौऊ



निधि सी.जेड.ए. को चिडियाघरों के विकास के लिए

³ आईयूसीएन संसार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ग्लोबल पर्यावरण नेटवर्क है- एक प्रजातंत्र संदस्यता संघ 1000 सरकारी एवं एनजीओ सदस्य संस्थान से अधिक और लगभग 160 देशों में 11000 वैज्ञानिकों से अधिक

⁴ यह अधिकतर वनस्पति खाने वाला प्राणी है विशेषकर बम्बू खाता है। इसकी जनसंख्या वनस्पति जैविक होने के कारण लगातार खत्म हो रही है

⁵ यह एक मध्यम दर्जे का बंदर है जिसके चेहरे पर चमकदार काला फर और ग्रे-सफेद लम्बे बाल हैं। आईयूसीएन के अनुसार लगभग 2500 ऐसे जानवर कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में फैले हैं। लायन टेलड मकौऊ सबसे भयानक कम संख्या में अंकित है

⁶ ये पक्षी साधारणतयः हार्नेड फीजेंडस कहलाए जाते हैं क्योंकि इनके सिर पर मास के सिंग और इनका रंग गहरा होता है। ये वेस्टगन टैरेगोपान सभी जीवित प्राणियों में सबसे कम पाए जाते हैं। संसार में इसकी जनसंख्या पांच हजार प्रति प्राणी से कम आंकी गई है जिसमें उसी क्षण पांच से कम जनसंख्या शामिल है।

अनुदान शीर्ष के अंतर्गत दसवीं योजना अवधि के दौरान 44 करोड़ रुपये इस शीर्ष के अन्तर्गत दिए गए थे। 2007-08 के दौरान रुपये 9.5 करोड़ अलग सी.जेड.ए. का संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए आबंटित किए थे और सी.जेड.ए. ने केवल 1.97 करोड़ रुपये खर्च किए थे जो कि 2007-08 को दौरान उपयोग की गई निधि का केवल 21 प्रतिशत था।

इसके अलावा, 1995 में रेड पांडा का प्रजनन संरक्षण शुरू किया गया था। वर्ष 2000 से 2008 के दौरान इनकी जनसंख्या में 33 प्रतिशत की कमी हुई थी। इस प्रकार सी.जेड.ए. द्वारा विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रजनन कार्यक्रमों को दृढ़ एवं विस्तृत करने की आवश्यकता थी।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि वह इस प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता द्वारा संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को मॉनीटर नहीं किया जा सकता। लेकिन जानवरों की जैविक, शारीरिक एवं व्यवहारिक स्वास्थ्य को इसके कार्यक्रम के अन्तर्गत ले सकते हैं।

तथ्य यह रहा कि सी.जेड.ए. द्वारा 63 में से केवल 3 प्रजातियों की संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पहचान की गई। इसके अतिरिक्त, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत ली गई जानवरों की घटती संख्या, की सम्पूर्ण प्रजाति का विनाश हो सकता है।

इस प्रकार सी.जेड.ए. को संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक जानवरों को शामिल करने की जरूरत है और सफल प्रजनन कार्यक्रम को सुनिश्चित करे, ताकि इन जानवरों का खात्मा न हो सके।

6.3.4.3 स्टुड बुक को तैयार करना

सी.जेड.ए. का एक कार्य यह भी है कि वह जंगली जानवरों एवं विलुप्त प्रजातियों की स्टुड बुक⁷ के रखरखाव के लिए आश्वस्त कराए।

यद्यपि सी.जेड.ए. की स्थापना दिसम्बर 1992 में हो चुकी थी परन्तु केवल अगस्त 2000 में भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून को चार प्रजातियों की स्टुड बुक तैयार करने का कार्य सौंपा था। अक्टूबर 2006 में (चार प्रजातियों सहित) 14 अन्य प्रजातियों के लिए स्टुड बुक तैयार करने का दायित्व सौंपा। इन 14 प्रजातियों की हेतु स्टुड बुक की वर्तमान स्थिति हेतु पहली प्रगति रिपोर्ट मार्च 2009 में भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा प्रस्तुत करने की उम्मीद है। यद्यपि, स्थापना के 15 वर्ष बाद भी सी.जेड.ए. 63 विलुप्त होती प्रजातियों के लिए स्टुड बुक तैयार करने में विफल रहा। इन स्टुड बुक की अनुपस्थिति में इन विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण का कार्य बाध्य हो गया था।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि वह सभी 63 प्रजातियों के लिए स्टुड बुक तैयार करने की योजना बनाए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि स्टुड बुकों को तैयार किया जा रहा है।

6.3.4.4 सुविधाओं के आधार पर मान्यता से इंकार परन्तु जानवर रह रहे हैं

भारत में 31 सुविधाओं में 1563 जानवर थे जिन्होंने विभिन्न कारणों से चिडियाघरों के रूप में मान्यता प्राप्त करने से इंकार कर दिया। के.चि.प्रा. का यह दायित्व था कि वह विभिन्न चिडियाघरों में जानवरों का पुर्ननिर्धारण करे। परन्तु लेखापरीक्षा में यह पाया गया

⁷ स्टुड बुक एक कार्यकारी सूची है जिसमें विशेष प्रजनन के जानवरों की सूची जिनके पिता के बारे में ज्ञान होता है और उनकी प्रजनन की क्षमता को पहचानने के लिए जानवरों को रखा जाता है उसकी सूची है।

कि न तो जानवरों को विस्थापित किया गया और न ही उन्हें जंगलों में छोड़ा गया। सी.जेड.ए. की इन जानवरों के स्वास्थ्य और स्टेटस के बारे में कोई सूचना नहीं थी। सी जेड ए को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि इन जानवरों को बेचा जाए या फायदे के लिए इन्हें रखा जाए या चिड़ियाघर चलाने और दर्दनाक मृत्यु के लिए रखा जाए।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि सभी 31 सुविधाओं का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि ऐसी 31 सुविधाओं में से सात पहले ही बंद हो चुकी थी और यह निश्चय किया गया कि अन्य 24 सुविधाओं को नियमित करने में चिड़ियाघर प्रचालन वित्तीय, पर्याप्त भूमि का प्रबंध करेगा और सुविधाओं को चिड़ियाघर के मान्य नियमों के अनुसार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रबंध करने का इच्छुक था।

6.3.4.5 विलुप्त प्रजातियों के जानवरों की संख्या में कमी

विलुप्त प्रजातियों की विवरणी की जांच से पता चला कि निम्न विवरणी के अनुसार 2002-08 से कुछ प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। सी.जेड.ए. द्वारा इन जानवरों की घटती संख्या के कारणों को बताया कि अद्यतन के लिए कुछ चिड़ियाघरों द्वारा जानवरों की सूची नहीं भेजी गई थी और वृद्धावस्था के कारण जानवरों की मृत्यु दर बढ़ गई थी। जबकि सी.जेड.ए. के पास आयु अनुसार कोई विश्लेषण नहीं था।

तालिका X

जानवरों के नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
ब्राउन बीयर	9	11	2	2	2	1
बीयर सन मालायन	2	2	2	2	1	0
बफेलो वाइल्ड	0	3	3	18	1	1
डीअर माऊस	15	20	13	13	9	8
कीलबैंक चैकर्ड	27	104	98	98	105	58
कीलबैंक ग्रीन	0	15	15	14	14	3
काईट	13	73	17	12	14	11
काईट बैक विग्ड	6	15	6	21	7	6
लंगूर नीलगिरि	30	29	28	27	26	21
लीपार्ड ब्लैक	3	5	3	3	2	2
बोनट माकाऊ	360	445	383	369	388	317
ओटर क्लॉलेस	0	0	4	4	2	1
ओटर समूह इंडियन	3	5	1	5	6	3
पेनगोलिन	7	8	6	8	5	5
फेसेन्ट पीकॉक	4	10	3	3	3	3
पीजन नीकोबार	42	43	45	42	28	22
रेटल	14	15	11	9	8	10
स्नेक कीलबैंक चैक्कर्ड	142	74	65	64	58	57
स्नेक कीलबैंक ओलीवलोकस	11	15	12	11	10	10
टर्टल गैंगस सॉफ्ट शील्ड	228	236	48	45	45	46
टर्टल पीकॉक मार्कर्ड सॉफ्ट शील्ड	7	7	0	1	2	2
वॉल्फ इंडियन	52	46	30	36	30	32
कुल	975	1181	795	807	766	619

यह भी पाया गया कि कुछ विलुप्त प्रजातियों की मृत्यु के सदमें के कारण, लू लगने के कारण, आपसी झगड़े के कारण एवं अज्ञात कारण इत्यादि कारण थे। यह भी पाया गया कि विलुप्त जानवरों की मृत्यु के अधिकतर मामलों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो कि 2004-05 में हुए थे उनकी रिपोर्ट 2008 तक आनी बाकी थी। सी.जेड.ए. ने इन विलुप्त प्रजातियों की मृत्यु के कारणों के निर्धारण के लिए आगे कोई और जरूरी कार्यवाही नहीं की थी।

2002-08 के दौरान इन विलुप्त प्रजातियों की मृत्यु के कारणों की विवरणी निम्नानुसार है।

तालिका XI

मृत्यु का कारण	2002-08 में जानवरों की संख्या
पोस्टमार्टम प्रतिक्षित	78
पोस्टमार्टम के लिए उपयुक्त नहीं	15
अज्ञात	42
सदमें के कारण	131
आपसी लड़ाई के कारण	90
गर्म लू के कारण	24

सी.जेड.ए. को समय पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि इन जानवरों की आपसी लड़ाई एवं हीट स्टॉक इत्यादि मृत्यु के कारणों को रोका जा सके।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि वह विलुप्त होती प्रजातियों में मृत्यु दर को कम करने के प्रयास कर रहा है और इन विलुप्त होती जातियों की मृत्यु के मामलों में चिड़ियाघर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि भारतीय चिड़ियाघरों में मुख्य रूप से इन विलुप्त होती प्रजातियों की संख्या में उतार-चढ़ाव है क्योंकि सी.जेड.ए. में जानवरों की सूची के समायोजन करते कुछ चिड़ियाघरों से जानवरों की सूची प्राप्त नहीं हुई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बताया कि सभी चिड़ियाघर सी.जेड.ए. के विलुप्त होती प्रजातियों की मृत्यु के कारणों को सी.जेड.ए. को बताने के लिए कहा।

तथ्य यह रहा है कि भारत में विलुप्त हुई प्रजातियों को संख्या में कमी इन प्रजातियों को संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए चिड़ियाघरों से सम्बंधित मामले हैं। संकटापन्न प्रजातियों की मृत्यु के कारणों को जैसा कि उपरोक्त सारिणी में वर्णित है कि वह सी.जेड.ए. में उपलब्ध नहीं था। जिससे यह पता चला कि इन जानवरों की मृत्यु रोकने के लिए औपचारिक मापदंडों को लागू करने में सी.जेड.ए. का नकारात्मक रवैया दर्शाता है।

6.3.4.6 चिड़ियाघरों में प्रजनन प्रजातियों की संख्या अधिक

भारत के चिड़ियाघरों में टाईगर, तेंदुएँ, पेंथर, ब्लैक-बक, साम्बर, स्पॉटिड डीयर, ब्लू बुल इत्यादि प्रजनन प्रजातियां हैं। प्रचालन दक्षता, उचित प्रबंधन और संसाधनों के उत्कृष्ट उपयोग के लिए चिड़ियाघरों में रह रहे विभिन्न प्रजातियों के जानवरों की निर्धारित संख्या सी.जेड.ए. की मार्गदर्शिका से अधिक नहीं होनी चाहिए थी जैसा कि नीचे वर्णित है।

तालिका XII

चिड़ियाघर का टाईप	बाघ/तेंदुओं की इष्टतम संख्या	हिरण की इष्टतम संख्या
वृहत	10	20
मध्यम	6	12
लघु	4	10

फिर भी यह पाया गया कि चिड़ियाघरों में इन श्रेणियों में जानवरों की संख्या, निर्धारित सीमा से कहीं अधिक थी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका XIII

चिड़िया घर का नाम	बाघ/बंगाल टाईगर की संख्या
नेशनल पार्क बन्नरघाट जूलोजिकल गार्डन (मध्यम चिड़ियाघर)	44
नंदन बायोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	27
नेशनल जियोलॉजिकल पार्क	21
मैत्री बाग चिड़ियाघर(लघु चिड़ियाघर)	18
शक्कर बाग चिड़ियाघर (वृहत चिड़ियाघर)	16
टाईगर और शेर सफारी, थयरकोप्पा, शिमोगा (लघु चिड़ियाघर)	15
औरंगाबाद मूनीसिंपल चिड़ियाघर चिड़ियाघर (लघु चिड़ियाघर)	14
वन बिहार नेशनल पार्क (लघु चिड़ियाघर)	13
इन्दिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	11
चिड़िया घर का नाम	तेदुओं की संख्या
शक्करबाग चिड़ियाघर (वृहत चिड़ियाघर)	45
नेशनल पार्क बैनरघाटा ज्योलोजिकल गार्डन (मध्यम चिड़ियाघर)	21
संजय गांधी नेशनल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	20
वन विहार नेशनल पार्क (लघु चिड़ियाघर)	17
असम स्टेट जू कम बाँटेनिकल गार्डन (वृहत् चिड़ियाघर)	15
पं. गोविन्द बल्लभ पंत हाई एल्टिच्यूड जू (लघु चिड़ियाघर)	12
धौलाघर नेचर पार्क (मिनि चिड़ियाघर)	9
टाईगर और लॉयन सफारी थैयारकोप्पा शिमोगा (लघु चिड़ियाघर)	8
चिड़ियाघर का नाम	बाघ/बंगाल टाईगर की संख्या
वन विहार नेशनल पार्क (लघु चिड़ियाघर)	882
सेपहीजला जूलोजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	392
नंदन कानन बायोलोजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	263
नेशनल पार्क बैनरघाटा जयोलॉजिकल गार्डन (मध्यम चिड़ियाघर)	229
स्टेट म्यूजियम ऍंड चिड़ियाघर (मध्यम चिड़ियाघर)	216
लखनऊ जियोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	210
जयपुर चिड़ियाघर (वृहत चिड़ियाघर)	207
असम स्टेट चिड़ियाघर कम बाँटेनिकल गार्डन (वृहत चिड़ियाघर)	202
इंदिरा गांधी जियोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	158
मैत्री बाग चिड़ियाघर (वृहत चिड़ियाघर)	154
त्रिवेन्द्रम चिड़ियाघर (लघु चिड़ियाघर)	134
सियाजी बाँग चिड़ियाघर (मध्यम चिड़ियाघर)	127
नेशनल जियोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	125
नेहरू जियोलॉजिकल जयोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	125
अरिनगर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	116
कपिलेश चिड़ियाघर (मिनि चिड़ियाघर)	112
जोधपुर चिड़ियाघर (लघु चिड़ियाघर)	110
शक्कर बाग चिड़ियाघर (वृहत चिड़ियाघर)	104

महेन्द्र चौधरी जियोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	92
अलीपुर जियोलॉजिकल पार्क (वृहत चिड़ियाघर)	60

इन प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए या फालतू जानवरों को अन्य चिड़ियाघरों में स्थानान्तरित किया जाए ताकि जगह की कमी के कारण होने वाली लड़ाई तथा मृत्यु जैसी समस्या के साथ साथ चिड़ियाघरों की वित्तीय संसाधनों की समस्या से भी बचा जा सके। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि जानवरों को रखने की क्षमता के अनुसार जानवरों की संख्या के नियंत्रण या समयानुसार निर्धारित सीमा के लिए चिड़ियाघरों को कहा गया है। क्योंकि ये जीवित जानवर हैं विभिन्न चरणों में स्थानान्तरित या पुनर्स्थापित करने के सिवाय इनके निपटान का अन्य कोई तरीका नहीं है।

अतः साक्ष्य यह है कि सी.जेड.ए. को चिड़ियाघर में अधिक संख्या जो कि इन विलुप्त होती प्रजातियों के जीवित रहने और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिक्रिया है, को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

सिफारिशें

35. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को चिड़ियाघरों में पशुओं प्रजनन कार्यक्रम/पशुओं के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई संकटापन्न प्रजातियों की सूची को व्यापक एवं पूर्ण होनी चाहिए ताकि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण को आश्वस्त किया जाए। बाकी बची संकटापन्न प्रजातियों के लिए प्रजनन संरक्षण कार्यक्रमों को भी शुरू करने की आवश्यकता है।
36. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तैयार की गई स्टुड-बुक पूर्ण है।
37. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को चिड़ियाघरों के उचित प्रबंधन के लिए इन नवजात प्रजनन प्रजातियों की संख्या की सूचना भी रखना चाहिए।

6.3.5 अनुसंधान योजनाएं/परियोजनाएं

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 1992 से 2005 की अवधि में सी.जेड.ए. ने कोई अनुसंधान परियोजना नहीं ली थी। उसने 2006 से ही अनुसंधान परियोजनाएं लेनी शुरू की वर्तमान में 3 योजनाएं पूरी हो चुकी तथा 15 योजनाएं चल रही थी। सी.जेड.ए. द्वारा विशेष रूप से चिड़ियाघरों के लिए सम्मोहन प्रजनन और शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुसंधान समन्वय के लिए जानी मानी एजेंसियों के साथ परियोजनाएं/स्वीकृत की गई जो सी.जेड.ए. के उद्देश्य में से एक था।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में बताया कि शुरू में वह अन्य उद्देश्यों/कार्यों को प्राप्त करने एवं कारगर करने में व्यस्त था तथा अब इस स्थिति में है कि वह अनुसंधान आवश्यकताओं की पहचान एवं संकल्पन करें।

दिसम्बर 2008 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उक्त तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि सी.जेड.ए. द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अनुसंधान हाल ही में शुरू हो चुका है और सी.जेड.ए.को इस संबंध में रिपोर्ट भी प्राप्त हो रही है।

6.3.6 वित्तीय प्रबंधन

सी.जेड.ए., पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वार्षिक अनुदान प्राप्त करता है तथा सम्पूर्ण भारत के 68 चिड़ियाघरों/बचाव केन्द्रों⁸ को निधि आंबटित करता है। 2002-08 के दौरान सी.जेड.ए. ने 102.23 करोड़ रुपये प्राप्त किए तथा उसका व्यय रूपए 104.08 करोड़ था।

6.3.6.1 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

सी.जेड.ए. के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न चिड़ियाघरों/बचाव केन्द्रों से कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह बाद तक उनसे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करें। फिर भी लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 60 चिड़ियाघरों से 2000-07 को 20.01 करोड़ रुपये (अर्थात् 2000-07 में निर्मुक्त किए गए अनुदान का 19.30 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी भी बकाया है। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अवधि वार स्थिति का वर्णन निम्नलिखित तालिका में गया है:

तालिका XIV

बकाया अवधि	वर्ष के दौरान जारी अनुदान के संदर्भ में का बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रतिशतता
5 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया	3.28
3 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया	42.22
2 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया	49.61

यद्यपि पिछले दो से चार वर्षों से उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे फिर भी सी.जेड.ए.ने हैदराबाद, पटना, कोलकाता, ग्वालियर, जूनागढ़, सिक्किम तथा असम के चिड़ियाघरों को अनुदान जारी रखा जो कि सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन था। अतः चिड़ियाघरों द्वारा वास्तव में खर्च की गई निधि को मॉनिटर करने के लिए सी.जेड.ए. द्वारा एक प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता है।

सी.जेड.ए.ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि 19.11 करोड़ रुपये के अनुदानों के लिए (2003-04 से 2006-07) उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे। तथापि उत्तर में 2000-02 के दौरान जारी अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र शामिल नहीं थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि बारह माह की सीमा अवधि में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कुछ ही मामले थे तथा वे भी मुख्यतः राज्यों में स्थानीय कारणों के कारण प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के कारण स्वीकार्य नहीं है कि 20.01 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र अर्थात् 2000-2007 में जारी अनुदानों के 19.30 प्रतिशत 60 चिड़ियाघरों को अभी भी बकाया थे, जैसा कि लेखापरीक्षा में सत्यापित हुआ।

6.3.6.2 अनुदान का अप्राधिकृत जारी

व्यय वित्त समिति ने IX वी तथा X वी योजना के लिए सिफारिश की कि आगन्तुक सुविधाओं से संबंधित मदों तथा ऐसे अन्य सभी कार्यों का लागत चिड़ियाघरों पर नियंत्रण रखने वाले राज्यों/प्राधिकरणों द्वारा वहन किया था। फिर भी, यह पाया गया, कि सी.जेड.ए. द्वारा आगन्तुक सुविधाओं से संबंधित मदों (पार्किंग का निर्माण, आगतुक के लिए कोरिडोर)की पटरी एवं मार्ग की दीवार बनाए रखना, पर 2002-07 की अवधि में 7.78 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कुछ चिड़ियाघरों आंध्रप्रदेश,

⁸ सीजेडए ने केवल उन्ही चिड़ियाघरों/बचाव केन्द्रों को अनुदान प्रदान की जो 1998 में स्थापित हुए थे।

मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश जिनको ऐसे अप्राधिकृत अनुदान दी गए थे, इस प्रकार सी.जेड.ए. ने व्यय वित्त समिति द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया। चिड़ियाघरों के जानवरों की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित अपनी मुख्य गतिविधियों पर निधि को खर्च किया। सी.जेड.ए. ने खर्च पर आवंटित निधि जो कि राज्य सरकार उत्तरदायी थी।

सी.जेड.ए.ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि पार्किंग का निर्माण, आंगंतुक पथ पर दीवार बनाना तथा आंगंतुक कोरिडोर का निर्माण व्यय वित्त समिति द्वारा सम्मिलित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय वित्त समिति कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आंगंतुक सुविधाओं से संबंधित मदों तथा अन्य ऐसे सभी कार्यों जिनके लिए वर्तमान में निधि नहीं है ऐसे सभी व्यय राज्य सरकार/चिड़ियाघरों को नियंत्रित करने वाले प्राधिकरणों द्वारा वहन किया जाना था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि जानवरों को देखने से रोकने के लिए फुटपाथ का निर्माण करना जानवरों के बाड़ें का ही हिस्सा माना जाता है। पार्किंग का निर्माण, आंगंतुकों के कारिडोर/पथों पर खडंजा लगवाना जानवरों के बाड़ें का हिस्सा मानना सी.जेड.ए.के पक्ष के साथ साथ व्यय वित्त समिति के मानकों का भी उल्लंघन है।

6.3.6.3 राज्यों द्वारा अनुरूपयोगी अनुदान का योगदान नहीं होना

अनुमोदित निधि ढाचे के अनुसार चिड़ियाघर के जानवरों की गतिविधियों जैसे बाड़ों में सुधार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, अनुरक्षण के लिए सी.जेड.ए. 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कुछ निश्चित कार्यकलापों जैसे चिड़ियाघरों में विकास कार्यों आदि सी.जेड.ए. 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा बाकि 50 प्रतिशत का अंशतदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पाया गया कि यद्यपि के सी.जेड.ए. द्वारा 2.24 करोड़ रुपये का अपना अंशदान अर्गनार अन्ना जयोलॉजिकल पार्क को जारी कर दिया गया परन्तु तमिलनाडू राज्य सरकार द्वारा 1999-2000 तथा 2006-07 के लिए तदनुसार अपना अंशदान 1.17 करोड़ रुपये की अनुरूपयोगी अनुदान जारी करना अभी भी बाकी था।

सी.जेड.ए.ने बताया कि वर्ष 2002-07 के दौरान केवल आठ चिड़ियाघरों द्वारा ही अनुरूपयोगी अनुदान जारी की गई तथा अन्य राज्यों/चिड़ियाघरों से सूचना आनी अभी बाकी थी। अतः सी.जेड.ए.के पास राज्यों द्वारा अनुरूपयोगी अनुदान उन्हे जारी को सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र नहीं है। परिणामतः राज्यों द्वारा अनुरूपयोगी अनुदान नहीं देने के कारण चिड़ियाघर की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक कार्यकलाप प्रभावित होगी।

अक्टूबर 2008 में, सी.जेड.ए. ने उत्तर दिया कि राज्यों को अनुदान केवल तब जारी की जाती है जब राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए जाए तथा सी.जेड.ए. को 50:50 के आधार पर जारी की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होते रहे जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा अनुरूपयोगी अनुदान जारी की गई है। सी.जेड.ए. का यह दावा सही नहीं है कि कुछ राज्यों द्वारा अनुरूपयोगी अनुदान जारी नहीं किया गया जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि सी.जेड.ए. द्वारा यह देखा गया कि उनकी अनुरूपयोगी अनुदान जारी न करने के कारण का तथ्य यह रहा कि अनुदान असंवितरित रहा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि सी.जेड.ए. केवल राज्य सरकार की तरफ से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद ही अनुदान जारी की थी। इस प्रकार इस बात की बहुत कम संभावना है कि प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए सी.जेड.ए. के राज्यों का अंशदान न मिले फिर भी कभी कभी इन्हीं कारणों से विलंब हो जाता है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उत्तर का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अवलोकन करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में यह उदघटित हुआ कि कुछ राज्यों द्वारा अनुसूच्योगी अंशदान जारी नहीं की थी। वास्तव में सी.जेड.ए. द्वारा स्वयं लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि केवल आठ चिड़ियाघरों को उनके द्वारा वर्ष 2002-2007 के दौरान उन्होंने अपनी अनुसूच्योगी अंशदान जारी की थी तथा अन्य राज्यों/चिड़ियाघरों की सूचना अभी भी वांछित है।

6.3.6.4 सी.जेड.ए. द्वारा जारी अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों के विवरण का रखरखाव न होना

सी.जेड.ए. द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार चिड़ियाघरों/राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष सी.जेड.ए. द्वारा जारी अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों का सार दर्शाने वाला विवरण दिया जाना था तथा ऐसी परिसम्पत्तियों का निपटान भारत सरकार/ सी.जेड.ए.के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाना चाहिए। सी.जेड.ए. द्वारा 2002-08 के दौरान में विभिन्न चिड़ियाघरों के लिए पशु चिकित्सा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए कुल 2.49 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। यद्यपि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सी.जेड.ए. में 2002-08 के दौरान खरीदे गये पशु चिकित्सा संबंधी उपकरणों का विवरण नहीं था जैसा कि 2005-08 की सी.जेड.ए. के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित गया था। अतः इस सूचना के अभाव में सी.जेड.ए. इस तथ्य से अनजान होगा कि क्या चिड़ियाघरों द्वारा वास्तव में उपकरण खरीदे गये थे या नहीं।

सी.जेड.ए. ने अक्टूबर 2008 में उत्तर दिया कि समझौता ज्ञापन का फार्मेट बदला जाएगा। सी.जेड.ए. का यह उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि क्योंकि उपकरणों की खरीद सी.जेड.ए. द्वारा निधि से खरीदे गए थे तथा प्राधिकरण को मॉनीटरिंग की कोई वितरित प्रणाली लागू करनी चाहिए एवं राज्य चिड़ियाघरों द्वारा खरीदे गए उपकरणों के उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिसम्बर 2008 में बताया कि सी.जेड.ए. द्वारा जारी किए गए अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों का सार दर्शाने वालो वार्षिक विवरणी भेजने के लिए चिड़ियाघरों/राज्य सरकारों को कह दिया जायेगा।

6.3.6.4 कार्य पूर्ण होने के सबूत की कमी

सी.जेड.ए. ने 2002-07 के दौरान चिड़ियाघरों को चार दीवारी पशु चिकित्सालय, पशु घर, संबंधी अस्पतालों, मरणोपरांत चीर फाड कमरा, बाड़ों, भोज्य भण्डार एवं रसोई, अलग चैम्बरों इत्यादि का निर्माण एवं मरम्मत, सुधार कार्यों के लिए 26.30 करोड़ रुपये जारी किए थे। स्वीकृति आदेश तथा समझौता ज्ञापन के अनुसार बाड़ों का निर्माण सी.जेड.ए. द्वारा अनुमोदित डिजाईन के अनुसार किया जाना था तथा माप पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि (कार्य जो सी.जेड.ए. द्वारा दिये गये के अनुदान से) भी सी.जेड.ए. को भेजी जानी थी। लेकिन यह पाया गया कि सी.जेड.ए. द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और माप पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि एवं कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी सी.जेड.ए. में प्राप्त नहीं हुए थे।

सी.जेड.ए. के साथ साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्टूबर/दिसम्बर 2008 में उत्तर दिया कि सी.जेड.ए. के मूल्यांकन अधिकारियों/विशेषज्ञों जब भी मान्यता के संबंध में चिड़ियाघर का दौरा करते हैं उसी समय नियमित रूप से भौतिक सत्यापन का कार्य करते थे। तथापि ऐसी कोई भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में यह सत्यापित करना कठिन है कि क्या भौतिक निरीक्षण किया गया या नहीं, इसके अतिरिक्त, चिड़ियाघरों को मान्यता 2 से 3 वर्षों की अवधि के लिए दी जाती है तथा इसलिए सी.जेड.ए. के अधिकारी चिड़ियाघर

को मान्यता देने/मान्यता के नवीकरण हेतु 2 से 3 वर्षों के अंतराल में दौरा करते हैं तथा चिड़ियाघरों का निरीक्षण अंतरिम अवधि में नहीं किया गया।

6.3.6.5 राज्य की बजट प्रक्रिया के माध्यम से किया गया व्यय

सर्वोच्च न्यायालय के 1998 के आदेशानुसार सी.जेड.ए. द्वारा जारी की गई निधियां चिड़ियाघर द्वारा संबंधित राज्य की बजट प्रक्रिया के माध्यम के बिना सीधे ही उपयोग किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। समझौता ज्ञापन तथा स्वीकृति आदेशों के अनुसार सी.जेड.ए. द्वारा जारी की गई राशि राजस्व लेखे में नहीं ली जानी चाहिए लेकिन कार्यकारी एजेंसी को कार्य करने के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फिर भी लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि केवल सात राज्यों (मध्य प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, नागालैण्ड, मिजोरम, राजस्थान तथा तमिलनाडू) में सी.जेड.ए. द्वारा वितरित निधियां चिड़ियाघर को राज्य बजट के बिना सीधे ही उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

सी.जेड.ए./पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अक्टूबर/दिसम्बर 2008 में उत्तर दिया कि अधिकतर चिड़ियाघरों द्वारा धन राशि का प्रयोग राज्य के बजट के द्वारा न करके सीधे ही राज्य चिड़ियाघरों द्वारा किया गया। सी.जेड.ए.ने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह सुझाव दिया था कि सी.जेड.ए. द्वारा वितरित धन राशि को चिड़ियाघरों द्वारा सीधे ही खर्च करने की अनुमति देनी चाहिए। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सी.जेड.ए.ने राज्य चिड़ियाघरों की कोई सूची नहीं दी। जिन्होंने सी.जेड.ए. द्वारा वितरित धन राशि का सीधे ही प्रयोग किया था तथा जिन्हें लेखापरीक्षा में देखा गया वह करना चाहिए वे केवल सात थीं।

सिफारिशें

- 38 सी.जेड.ए.को यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवितरित की गई राशि, उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए दी गई थी, के द्वारा अपने वित्तीय प्रबंधन तथा जांच एवं नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करना चाहिए।
- 39 राज्य चिड़ियाघरों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने पर अनुदान और राज्यों द्वारा उनकी अनुरूपयोगी अनुदान निर्मुक्त न करके सी.जेड.ए. अपने वित्तीय प्रबंधन में और सुधार कर सकता है।

6.3.7 जनशक्ति

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सी.जेड.ए. ने 11 पदों को संस्वीकृति दी तथा कार्यरत जनशक्ति की कोई कमी नहीं थी। तथापि यह भी पाया गया कि स्वीकृत पदों की संख्या में कोई तकनीकी/वैज्ञानिक कार्मिक शामिल नहीं था। सी.जेड.ए. ने स्वीकारा कि तकनीकी/वैज्ञानिक स्टाफ की कमी के कारण ही चिड़ियाघरों को तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करने में कठिनाई आती है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि जनशक्ति की कमी थी तथा इन मामलों की चर्चा जून 2008 में वित्त मंत्रालय से भी की गई थी। सिफारिश देश में चिड़ियाघरों के उचित सुधार के लिए सुविधा प्रदान करने में सी.जेड.ए. को समर्थ बनाने हेतु पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा सी.जेड.ए. में तकनीकी और वैज्ञानिक पद स्वीकृत किए जाने चाहिए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2008 में बताया कि जनशक्ति की कमी थी तथा यह मामला जून 2008 में वित्त मंत्रालय में भी ले जाया गया है।

सिफारिश

40 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में चिड़ियाघरों के उचित विकास हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में उद्दीप्त होने के लिए के.चि.प्र. में तकनीकी/वैज्ञानिक पदों के अनुमोदन को शामिल किया जाए।

6.3.8 निष्कर्ष

सी.जेड.ए. द्वारा चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली का निर्धारण एवं मूल्यांकन अधिक प्रभावी नहीं था। सी.जेड.ए. इस बारे में अनभिज्ञ था कि क्या चिड़ियाघरों में उचित और रखरखाव इत्यादि के लिए उसके द्वारा लागू किए गए मानकों तथा विनियमों का चिड़ियाघरों द्वारा पालन किया जा रहा था या नहीं क्योंकि उसके द्वारा चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली की नियमित मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। सी.जेड.ए. ने चिड़ियाघरों द्वारा मास्टर योजना तैयार नहीं करने पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। उसने बचाव केन्द्रों की कार्यप्रणाली को मॉनीटर नहीं किया गया था तथा इस तरह वह बचाव केन्द्रों में जानवरों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में असमर्थ था। अतः सी.जेड.ए. अपने द्वारा निर्धारित मानकों/दिशानिर्देशों के अनुसार तथा राज्य चिड़ियाघरों में कार्यप्रणाली स्वास्थ्य, रख रखाव सुनिश्चित करने असफल रहा।

सी.जेड.ए. चिड़ियाघरों में जानवरों की सुरक्षा/प्रजनन कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने में भी असफल रहा। उसके द्वारा विलुप्त होती प्रजातियों की पूरी तरह सूची भी नहीं बनाई गई तथा 63 पहचानी गई विलुप्त प्रजातियों में से केवल तीन प्रजातियों के लिए प्रजनन संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए। उसके द्वारा तैयार की गई स्टुड बुक भी पूर्ण नहीं थी तथा वह केन्द्र में रखे गए जानवरों की स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करने में असफल रहा। इसके द्वारा विलुप्त होती प्रजातियों के रूप में पहचाने गए जानवरों की संख्या पूरे भारत वर्ष के चिड़ियाघरों में कम होती गई। उसके पास चिड़ियाघरों में रखे गये जानवरों के प्रजनन की अधिकता को नियंत्रण में करने में भी असफल रहा। अतः सी.जेड.ए. पूरे भारत के चिड़ियाघरों में रखी गई विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण जैसे प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। विलुप्त होती प्रजातियों के लिए उनका प्रजनन कार्यक्रम पर्याप्त नहीं था। तथा वह प्राकृतिक परिस्थितियों में जबरदस्ती बांधकर प्रजनन संबंधी अनुसंधान में क्रियात्मक रूप से संलग्न नहीं हुआ।

सी.जेड.ए. ने सत्यापित करने के लिए कोई निगरानी नहीं रखी कि क्या राज्य के चिड़ियाघरों को उसके द्वारा आबंटित अनुदान राज्य के चिड़ियाघरों द्वारा वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया जिसके लिए वह स्वीकृत हुआ था। राज्य के चिड़ियाघरों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण सी.जेड.ए. यह जानने में असफल रहा कि क्या चिड़ियाघरों द्वारा स्वीकृति आदेश के अनुरूप कार्य किया गया या नहीं। व्यय वित्त समिति द्वारा उन स्वीकृत उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सी.जेड.ए. द्वारा अनुदान आबंटित किए गए। तथा सी.जेड.ए. के लिए इसकी सुनिश्चितता कोई और साधन नहीं रहा कि राज्यों द्वारा उनका अनुरूपयोगी अनुदान जारी किया गया या नहीं। सी.जेड.ए. द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि सी.जेड.ए. द्वारा दिए गए अनुदान से उपकरण खरीदे के लिया गया था उससे राज्य के चिड़ियाघरों ने वास्तव में वे उपकरण खरीदे और उपयोग किए। कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट या माप पुस्तिकाओं में कोई वास्तविक कार्य के होने पर संदेह जताता है। सी.जेड.ए. के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं था। जो यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा आबंटित निधियां राज्य की बजट प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचने के बजाय

राज्यों की सीधे पहुंचे जिससे परियोजना लागू होने में विलंब होता था। इस प्रकार सी.जेड.ए. का वित्तीय प्रबंधन बहुत कमजोर था।

अतः समग्र रूप से सी.जेड.ए. अपने लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूरा करने में निष्प्रभावी रही थी क्योंकि चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली और मूल्यांकन तथा चिड़ियाघरों में जानवरों की विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्धारित मानकों के अनुसरण हेतु आश्वासत करने के स्थान पर केवल अनुदान जारी करने वाली एंजसी के रूप में कार्य करती रही।

अध्याय VII: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

7.1 बिना मांग के आवासीय मकानों एवं छात्रावास इकाईयों का निर्माण

9.32 करोड़ रूपयों की लागत से आवासीय मकानों एवं छात्रावास का निर्माण कराने के बावजूद भी, इनकी मांग न होने के कारण मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान हेतु राष्ट्रीय केन्द्र इन मकानों का आबंटन नहीं कर सका।

अक्टूबर 1992 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से 3.25 करोड़ रूपयों की कुल लागत पर, नैशनल सेंटर फॉर मीडियम रेन्ज वैदर फॉर कास्टिंग (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू. एफ.) के लिए विभिन्न प्रकार के 34 मकान एवं 48 छात्रावास इकाई वाले आवासीय परिसर के निर्माण हेतु पाँच (5) एकड़ भूमि खरीदी। इन मकानों एवं छात्रावास इकाईयों के निर्माण का औचित्य अभिलेखों में दर्ज नहीं थी। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन.आई.डी.सी.) कार्यपालक अभिकरण था।



आवासीय घर-एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.

डब्ल्यू.एफ.ने इस कार्य के लिये एन.आई.डी.सी. को 3.24 करोड़ रूपये का भुगतान किया था। जुलाई 2008 तक इन फ्लैटों का आबंटन नहीं किया गया था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- डी.एस.टी. ने मैसर्स मीकॉन (एम.ई.सी.ई.ओ.एन.) लिमिटेड के सहयोग से 2005 में, आबंटन हेतु तैयार आवासीय परिसर बनाने हेतु किये जाने वाले निर्माण कार्यों के मूल्यांकन हेतु बनाए गए एक दल के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, कई फ्लैटों में पानी की आपूर्ति हेतु कनेक्शन देने के अतिरिक्त कार्य जैसे जंगल की सफाई, बाहरी प्लास्टर की मरम्मत, पानी की टंकियों की मरम्मत इत्यादि कार्य होने बाकी थे। मीकॉन ने इन मदों पर ₹17.61 लाख के व्यय होने का सुझाव दिया, जिस पर डी.एस.टी. का एकीकृत वित्त प्रभाग सहमत नहीं था। एन.सी.एम.आर. डब्ल्यू.एफ. ने मीकॉन के सुझावों पर डी.एस.टी. की असहमति के कारणों की सूचना नहीं दी। इस प्रकार जुलाई 2006 (अर्थात वह अवधि जिसके दौरान एन.सी.एम.आर. डब्ल्यू.एफ., डी.एस.टी. के अधीन था) तक तैयार फ्लैटों/हॉस्टलों का आबंटन न किये जाने का जिम्मेदार डी.एस.टी./ एन.सी.एम.आर. डब्ल्यू.एफ. था।
- पुनर्वास आवासीय परिसर के लिये कोई खर्च वहन करने के पहले एन.सी.एम.आर. डब्ल्यू.एफ. ने अक्टूबर 2007 में, मकानों के आबंटन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्टाफ सहित अपने स्टाफ से सहमति माँगी। अक्टूबर 2007 में केवल दो व्यक्तियों नामतः एक कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता एवं एक सह अनुसंधान (जो नियमित कर्मचारी नहीं थे) ने अपनी सहमति जताई। मार्च 2008 में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने इस मुद्दे पर अलग से एक बैठक आयोजित करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि मार्च 2008 तक ऐसी कोई भी बैठक आयोजित नहीं हो सकी थी और न ही एन.सी.एम.आर. डब्ल्यू.एफ. इन फ्लैटों के आबंटन नियम निर्धारित कर सका था। इस प्रकार से,

एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. भी जुलाई 2006 से अब तक इनके अनुपयोग सहित इन फ्लैटों हॉस्टल के आबंटन न कराने के लिए उत्तरदायी था।

- एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. ने 99 वर्षों की अवधि के लिये नौएड़ा को रु. 2.83 करोड़ के पट्टा किराया का भुगतान किया था।

इस प्रकार एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. द्वारा आवासीय क्वार्टरों/ हॉस्टलों की आवश्यकताओं के आंकलन न करने एवं अनुचित योजना के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण, पट्टा किराया एवं क्वार्टरों/हॉस्टलों के निर्माण कार्य पर रु. 9.32 करोड़ का अप्रयुक्त व्यय हुआ।



आवासीय घर-एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.

जुलाई 2008 में एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. ने बताया कि क्वार्टरों के आबंटन हेतु पर्याप्त संख्या में आवेदकों के अभाव में मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य पर कोई मुख्य व्यय वहन करना भी लेखापरीक्षा आपत्तियों का कारण बन जाता है।

हालांकि, तथ्य यही है कि मार्च 2003 से 82 क्वार्टर/हॉस्टल ईकाईयों के अनुपयोग खाली पड़े रहने के फलस्वरूप 9.32 करोड़ रूपयों का अप्रयुक्त व्यय हुआ।

सिफारिश

41. एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ. को इन क्वार्टरों को अन्य विभागों जिन्हें इस क्षेत्र में आवासीय परिसर की आवश्यकता हो, को हस्तांतरित करने पर विचार करना चाहिए।

7.2 उच्च लोड के अनुबंध के कारण परिहार्य व्यय

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र कोलकाता के विद्युत खपत के लिए 285 से 150 किलोवाट का समझौता लोड संशोधित करने के निर्णय में देरी के परिणामस्वरूप अगस्त 2004 से मार्च 2007 के बीच रूपये 51.76 लाख का अपरिहार्य खर्च

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र (आर.एम.सी.) कोलकाता ने अपने अलीपुर परिसर, कोलकाता के लिए 285 किलोवाट विद्युत सप्लाई के लिए कोलकाता विद्युत सप्लाई निगम लिमिटेड (सी.ई.एस.सी.)के साथ जुलाई 1995 में 2 वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता किया। मई 2004 में पश्चिम बंगाल विद्युत रेगुलेटरी आयोग (डब्ल्यू.बी.ई.आर.सी.) के आदेशानुसार अगर उपभोक्ता समझौतेवार लोड की खपत करने में विफल रहता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए न्यूनतम प्रभार (सी.एस.ई.) अदा करना था। समझौते में वर्णित है कि दो वर्ष की समय सीमा की समाप्ति पर या तो आर.एम.सी. और सी.ई.एस.सी. किसी भी समय समझौते को कम से कम छः माह की लिखित सूचना के बाद संशोधित कर सकते थे। सी.ई.एस.सी. ने जुलाई 2004 में अपने सभी उपभोक्ताओं को अनुरोध किया कि वह सूचित करें कि क्या उन्हें समझौतेवार लोड में संशोधित की आवश्यकता है। क्योंकि आर.एम.सी. समझौतेवार लोड का उपभोग नहीं कर सका था अतः उसने अगस्त 2004 से कमी के लिए न्यूनतम प्रभार अदा करना शुरू कर दिया था।

सी.ई.एस.सी. से सूचना मिलने की तारीख के चार महीने बाद आर.एम.सी. ने नवम्बर 2004 से सी.पी.डब्ल्यू.डी. से समझौतानुसार लोड के आंकलन के लिए सम्पर्क किया। सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने दिसम्बर 2004 में आर.एम.सी. को समझौतानुसार लोड को 285 किलोवाट से 200 किलोवाट तक कमी करने के लिए सलाह दी। तदनुसार जनवरी 2005 में आर.एम.सी. ने सी.ई.एस.सी. को 285 किलोवाट से 200 किलोवाट कमी करने को कहा। सी.ई.एस.सी. ने आर.एम.सी. को कमी लाने के लिए समझौतेवार 200 किलोवाट तक कम करने के लिए रूमए 6.00 लाख की प्रतिभूति जमा करवाने को कहा। आर.एम.सी. ने समझौतानुसार लोड को कम करने के लिए तत्काल कोई राशि जमा नहीं करवाई थी। समझौतानुसार लोड में संशोधन न करने के कारण कमी को पूरा करने के लिए न्यूनतम प्रभार की लगातार आदायगी का मामला सितम्बर 2006 में लेखापरीक्षा द्वारा आर.एम.सी. को सूचित किया गया था। पुनः इंगित सूचित किए जाने पर, आर.एम.सी. ने लोड तथ्य का दोबारा पुनरीक्षण कर और नवम्बर 2006, 22 महीने के अन्तराल के बाद समझौतावार लोड को 285 किलोवाट से 150 किलोवाट तक कम करने और अप्रैल 2007 में एक संशोधित समझौतानुसार लोड के लिए एक नया समझौता करने का निर्णय लिया।

अगस्त 2004 से मार्च 2007 में विद्युत खपत की समीक्षा से पता चला कि 285 किलोवाट की प्रभारित भार के विरुद्ध वास्तविक मांग 136.6 किलोवाट और 58.2 किलोवाट के बीच परिवर्तित थी। यह कमी रूमयें 51.76 लाख को न्यूनतम प्रभार की अदायगी को आकर्षित कर रही थी जो कि परिहार्य थी।

इस प्रकार आर.एम.सी. के 285 किलोवाट से 150 किलोवाट तक की विद्युत खपत के लिए समझौतानुसार लोड में संशोधन कि निर्णय करने में देशी के परिणामतः अगस्त 2004 से मार्च 2007 के बीच रूमये 51.76 लाख का परिहार्य खर्च हुआ था।

भू-विज्ञान मंत्रालय ने अक्टूबर 2008 में बताया कि सी.ई.एस.सी. को रूमये छः लाख की प्रतिभूति जमा करवाने की कार्यवाही में अनजाने में देरी हुई थी। जैसे ही यह मामला लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2005-06 की निरीक्षण प्रतिवेदन में उद्घत किया गया। आर.एम.सी. कोलकाता ने लोड में सी.ई.एम.ई. को सम्पर्क किया।

सिफारिश

42. मंत्रालय को समझौतावार लोड की वास्तविक खपत से तुलना कर न्यूनतम प्रभार की अनावश्यक अदायगी को टालने के लिए सभी आर.एम.सी. में ऊर्जा खपत की समीक्षा करनी चाहिए।

अध्याय VIII: भारतीय भू-सर्वेक्षण

8.1 उपकरण का स्थापित नहीं होना

उपकरण को स्थापित करने के लिए सर्विस इंजीनियर द्वारा किए गए प्रयत्नों की असफलता के बाद भी जी.एस.आई./सी.सी.एल. द्वारा उपकरण को नही बदलने के परिणामस्वरूप उस पर रूपये 41.12 लाख का भुगतान करने के बावजूद वह उपकरण तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निष्प्रयोज्य रहा।

भारतीय भू सर्वेक्षण (जी.एस.आई.), कोलकाता ने अपने केन्द्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सी.सी.एल.), कोलकाता के लिए भूविज्ञान एवं पर्यावरणीय नमूनों के शीघ्र बहुतत्व संख्यात्मक आंकलन के लिए रुपये 49.10 लाख की लागत का एक ऑटो कॉम 2000 डी.सी.आर.हाई रीसोल्यूशन स्पैक्ट्रोग्राफ की खरीद के लिए सितम्बर 2004 में एक विदेशी फर्म को आर्डर दिया।

सी.सी.एल. द्वारा मई 2005 में रुपये 41.12 लाख का भुगतान करने के बाद (जो कि उपकरण के मूल्य का 90 प्रतिशत है) उपकरण प्राप्त किया गया। माल प्राप्त होने के बाद पूर्तिकर्ता के भारतीय एजेंट के प्रतिनिधि द्वारा मई 2005 से मार्च 2006 तक नौ बार दौरा किया गया लेकिन उपकरण स्थापित करने तथा उसकी निष्पादन

ऑटो कोम्प 2000 डी.सी.आरक हाई रिजोल्यूशन स्पैक्ट्रोग्राफ



को प्रदर्शित करने में विफल रहा। उसके बाद उपकरण निष्प्रयोज्य पड़ा रहा। उसके बाद सितम्बर 2006 में पूर्तिकर्ता के एप्लीकेशन कैमिस्ट द्वारा किए गए दौरे का भी कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि सर्विस इंजीनियर ने जनवरी 2008 में पुनः सी.सी.एल. का

दौरा किया लेकिन उपकरण को स्थापित नहीं कर सका। उपकरण को चालू करना और प्रदर्शित करने में विदेशी पूर्तिकर्ता और इसके भारतीय एजेंट की समान विफलता के कारण अंतर्निहित कैलीब्रेशन, डीटैकअर के सभी उत्सर्जित प्रकाश किरणों को केन्द्रित करने में रूकावट का कारण था। कार्य कर रहे उपकरण का जबकि हस्त प्रचालन आरे चैम्बर, संयुक्त प्रणाली सहित व्यक्तिगत सैक्शन/ईकाईयों को जब एक एक साथ रखा जाता है/चलाया जाता है तो बहुत बेकार और सीडीमेंट और मृदा मान को डीडेक्टर को ट्रेस सिग्नल से पर्याप्त विकीर्ण सिग्नल भेजने में विफल रहा।

जून 2008 में पूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा सी.सी.एल. का पुनः दौरा किया गया तथा दो बोर्ड ठीक करने/बदलने हेतु बोर्ड की मरम्मत/बदले की प्रगति के बारे में सी.सी.एल.-जी.एस.आई. को सूचित नहीं किया गया था। फिर भी विदेशी पूर्तिकर्ता और इसके भारतीय एजेंट द्वारा प्राप्ति की दिनांक से के तीन वर्ष से अधिक अवधि के बीतने पर भी उपकरण स्थापित नहीं किया जा सका। लेकिन सी.सी.एल. ने पूर्तिकर्ता

से उपकरण को बदलने के लिए नहीं कहा। परिणामस्वरूप उपकरण तीन वर्ष से अधिक अवधि तक बेकार पड़ा रहा।

खनन मंत्रालय ने जुलाई 2008 में बताया कि ऐसी आशा की गई थी कि खराब पुर्जों के बदलने के बाद उपकरण स्थापित हो जाएगा। यदि उपकरण ठीक नहीं हुआ तो बदलने के लिए कहा जाएगा। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए है कि जून 2005 से जून 2008 की अवधि के दौरान उपकरण स्थापित करने में पूर्तिकर्ता के बार-बार असफल होने के बावजूद भी वे जुलाई 2008 अर्थात् उपकरण प्राप्ति के तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद में भी उन्होंने उपकरण बदलने का केवल प्रस्ताव किया।

इस प्रकार उसी उपकरण को स्थापित करने के लिए बार-बार किए गए असफल प्रयासों के बावजूद सी.सी.एल. द्वारा उपकरण को बदलने में असफल होने के परिणामस्वरूप रूपए 41.12 लाख का भुगतान करने पर भी वह उपकरण तीन वर्ष से अधिक समय तक अनुपयोग पड़ा रहा।

अध्याय IX: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

9.1 अधिक खरीद से परिहार्य व्यय

आई.ए.आर.आई. ने केवल एक गैस तरल क्रोमेटोग्राफ (जी.सी.) के बदले तीन खरीदे। इस प्रकार, दो अतिरिक्त जी.सी. की खरीद पर 25.92 लाख रुपये का व्यय परिहार्य था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) ने दसवीं योजना में अपने कृषि रसायनिक डिवाइज के लिये एक गैस तरल क्रोमेटोग्राफ (जी.सी.) खरीदने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि डिवाइज में वर्तमान जी.सी. बेकार हो चुका था। व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा योजना प्रस्ताव की संभावित मंजूरी को ध्यान में रखते हुये, आई.ए.आर.आई. ने अगस्त 2004 में डिवाइज से माँग पत्र प्राप्त किया और सितम्बर 2004 में निविदा आमत्रण सूचना जारी की। जबकि दसवीं योजना प्रस्तावों का वांछित अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ था, आई.ए.आर.आई. ने गैर आयोजना बजट के अर्न्तगत विधियों की जरूरी स्वीकृति प्राप्त कर ली और यू.एस.डॉलर 32826 (14.32 लाख रुपये के बराबर) के मूल्य का एक जी.सी. मॉडल क्लेर्स 500 की पूर्ति का आदेश वर्तमान उपस्कर को बदलकर देने का मैसर्ज परकिन ईल्मर सिंगापुर को मार्च 2005 में दे दिया। उपस्कर में चार खोज करने वाले और एक दिन में 30 से ज्यादा नमूने विश्लेषण करने की क्षमता कम समय में ज्यादा सूचना के साथ थी। जी.सी. के लिये 1.25 लाख रुपये की के कलपुर्जे फरवरी 2006 में स्थानीय रूप से खरीदे गये।

इसी बीच, ई.एफ.सी. ने मई 2005 में आई.ए.आर.आई. की दसवीं योजना प्रस्तावों को मंजूर कर दिया यद्यपि आई.ए.आर.आई. ने पहले ही बेकार हो चुके जी.सी. के बदले एक नया जी.सी. खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रखी थी, इसने यू.एस. डॉलर 42270 की लागत (19.17 लाख रुपये के समकक्ष) के एक अन्य जी.सी. (मॉडल वेरियन 3800) जिसमें 0.45 लाख रुपये के कलपुर्जे के साथ खरीदने का आदेश अनुमोदित योजना विधियों के अर्न्तगत मैसर्ज वेरियन बी.वी., नीदरलैंड को दिया। दूसरे जी.सी. की भी क्षमता और विशेषतायें वैसी ही थी, जैसी कि मार्च 2005 में दिये गये सिंगापुर की फर्म के जी.सी. में थी।

जबकि उपर्युक्त दो खरीद पहले ही एक बेकार जी.सी. के बदले में प्रक्रियाधीन थी, आई.ए.आर.आई. ने आई.सी.ए.आर. को एक अन्य जी.सी. के अनुमोदन के लिए जो कि "नेशनल फैलौ (एन.एफ) परियोजना के प्रयोग के लिये यह प्रमाणित करते हुये कि डिवाइज में उपलब्ध जी.सी. बेकार हो चुका था, एक अलग प्रस्ताव सितम्बर 2005 में भेजा। इसने एन.एफ. परियोजना के अर्न्तगत यू.एस.डॉलर 8785 की लागत का एक जी.सी. वेरियन 3900 मॉडल (3.92 लाख रुपये के बराबर) मुख्य उपस्कर के लिये और 0.30 लाख रुपये का मैसर्ज वेरियन बी.वी. नीदरलैंड को कलपुर्जे के लिये खरीद का आदेश दिया। यह जी.सी. एक साधारण जी.सी. था, जिसमें केवल एक डिटेक्टर था। जबकि दूसरे दो जी.सी. में चार डिटेक्टर थे इस जी.सी. की नमूना विश्लेषण क्षमता एक दिन में 15 नमूने थी।

तीन जी.सी. आई.ए.आर.आई. मे क्रमशः मई, जून और जुलाई 2006 में पहुँचे और क्रमशः अगस्त, दिसम्बर और सितम्बर 2006 में लगाये गये लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि यद्यपि जी.सी. क्लेर्स 500 अगस्त 2006 में लगाया गया था, इसे नमूना जॉच के लिये केवल मई 2007, यानि 8 महीनों के बाद प्रयोग में लाया गया। जी.सी. वेरियन 3800 को जून 2007 में यानि स्थापित करने के 6 महीने बाद नमूना परीक्षण के लिये

प्रयोग में लाया गया। जॉच में यह भी पाया गया कि जी.सी. स्थापित करने की अवधि से फरवरी 2008 तक तीनों जी.सी. को प्रयोग में लाते हुये एक दिन में कुल जॉच किये गये नमूने एक दिन में 10.5¹ नमूनों की औसत के हिसाब से एक दिन में 2 से 25 के बीच थे, जो कि एक अकेले जी.सी. की नमूना जॉच क्षमता से कम थे। दूसरी तरफ, बेकार जी.सी. का उपयोग अप्रैल 2002 से सितम्बर 2005 के दौरान एक दिन में 23.26 नमूनों की औसत से नमूना जॉच के लिये किया गया। यह इंगित करता है कि दूसरा (वेरियन 3800) और तीसरा जी.सी. (वेरियन 3900) आवश्यकता से अधिक खरीदे गये, जिससे कि 25.92 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ (जिसमें 2.18 लाख रुपये के भार व्यय और कस्टम प्रभार शामिल है।)

आई.ए.आर.आई. ने अक्टूबर 2008 में माना कि तीन खरीद मामले एक दूसरे से संबंधित नहीं है और ये निधियों के विभिन्न साधनों से खरीदे गये थे। यह भी कहा गया कि उपस्करों को पूरा दिन चलाया जाता था, जबकि नमूनों की संख्या विश्लेषण की प्रकृति के कारण उत्पादन में उनकी क्षमता से कम थी। उपस्कर की निष्क्रियता के संबंध में यह कहा गया कि वैज्ञानिकों को शायद इनके नमूना विश्लेषण के लिये प्रयोग में लाने से पहले उपस्कर के निष्पादन की जॉच के लिये कुछ समय की आवश्यकता होगी। आई.ए.आर.आई. की यह बात लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि आई.ए.आर.आई. को केवल एक जी.सी. की आवश्यकता थी, परन्तु इसने निधियों उपलब्ध होने के कारण दो अतिरिक्त जी.सी. की खरीद की। आई.ए.आर.आई. की कार्यवाही अनुचित थी, क्योंकि तीन जी.सी. की उपयोगिता की दर बेकार जी.सी. से काफी कम थी। इस प्रकार, आई.ए.आर.आई. ने केवल एक जी.सी. की आवश्यकता के बदले तीन जी.सी. खरीदे। इस प्रकार दो अतिरिक्त जी.सी. की खरीद पर 25.92 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया। यह खरीदे गये अतिरिक्त जी.सी. की उपयोगिता की इष्टतम क्षमता को सुनिश्चित करने में भी असफल रहा।

9.2 स्टॉफ क्वार्टरों के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेने में विफलता के कारण परिहार्य व्यय

एन.डी.आर.आई. अपने स्टाफ के लिये अलग से बिजली कनेक्शन लेने में विफल रहा। परिणामतः अप्रैल 2001 से मई 2008 तक, आवासीय स्टॉफ क्वार्टरों हेतु वाणिज्यिक दरों पर विद्युत प्रभारों की अदायगी पर 25.16 लाख रूपयों के भुगतान का परिहार्य व्यय हुआ।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई.) करनाल जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए. आर.) की एक घटक ईकाई है, ने अपने आवासीय स्टाफ क्वार्टरों के साथ साथ सरकारी, अर्द्धसरकारी परिसर में प्रयोग हेतु थोक में बिजली ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर हरियाणा-बिजली वितरण निगम लिमिटेड से लेता है। बिजली की खपत के तौर पर, एन.डी.आर.आई. ने अप्रैल 2001 से मई 2008 की अवधि के दौरान, यू.एच.बी.वी.एन.एल. को विद्युत प्रभारों का भुगतान रुपये 4.19 से रुपये 4.57 प्रति के.डब्ल्यू.एच. ईकाई की दर से किया था। विद्युत प्रभारों को उच्च दर पर देने के बावजूद भी, एन.डी.आर.आई. ने स्टॉफ क्वार्टरों के निवासियों को विद्युत आपूर्ति के लिए रुपये 2.73 से रुपये 4.78 प्रति ईकाई की न्यून घरेलू दर से वसूली की थी।

¹ यह गणना लॉग बुक में डाटा पर आधारित है जब नमूनों की संख्या उपस्कर प्रयोग के दिन दर्ज की गई।

अप्रैल 2001 से मार्च 2008 तक 434 स्टॉफ क्वार्टरों के बिजली की खपत के ब्यौरे के विश्लेषण से पता चला कि एन.डी.आर.आई. ने स्टॉफ क्वार्टरों में रहने वालों से 1.19 करोड़ रूपयों की वसूली की थी जबकि यू.एच. बी.वी.एन.एल. को थोक में विद्युत प्रभारों के तौर पर रूपयें 1.44 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह यू.एच.बी.वी.एन.एल. को रूपयें 25.16 लाख के अतिरिक्त भुगतान को दर्शाता है जो कि परिहार्य था।

आई.सी.ए.आर. ने अक्टूबर 2008 में बताया कि यदि संस्थान के पास आवासीय परिसर के लिए पृथक संचारण लाईन ली हुई होती तो थोक में आपूर्ति की दर रूपये 4.67



एन.डी.आर.आई

प्रति ईकाई होती, जो कि संस्थान द्वारा वर्तमान में दिये जा रहे रूपयें 4.57 रूपये प्रति ईकाई से 10 रूपये ज्यादा थी। आई.सी.ए.आर. के इस उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि यदि बिजली के मीटर, यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्रदान किये जाते तो आवासीय क्वार्टरों/मकानों के लिए 1-40 से 41 से 300 और 300 ईकाई और अधिक के विभिन्न स्लैबों में खपत हेतु रूपए 2.73 से रु.4.87 प्रति ईकाई प्रभावोत्पादक दर थी।

इसके अतिरिक्त आई.सी.ए.आर. ने नवम्बर 2008 में यह भी बताया कि संस्थान में आवासीय एवं गैर आवासीय परिसर अलग नहीं थे अतः आवासीय उपयोग हेतु थोक में अलग से आपूर्ति कनेक्शन लगाये जाना उचित नहीं था। इस संबंध में एन.डी.आर.आई. के लिए आवश्यक है कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा आवासीय परिसर हेतु कार्यालय परिसर और आवासीय परिसर को अलग से संचारण लाईन को बिजल मीटर सहित स्थापित किया जाना था ताकि एन.डी.आर.आई. द्वारा रूपए 3.59 लाख प्रति वर्ष से अधिक का किया जाने वाले अतिरिक्त व्यय को बचाया जा सके।

इस प्रकार, एन.डी.आर.आई. अपने स्टाफ क्वार्टरों के लिए अलग से बिजली कनेक्शन लेने में विफल रही। परिणामतः आवासीय स्टाफ क्वार्टरों के लिए यू.एच.बी.वी.एन.आई. को व्यावसायिक दरों पर बिजली प्रभार की अदायगी के कारण अप्रैल 2001 से मार्च 2008 तक रूपए 25.16 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

सिफारिशें

43. आई.सी.ए.आर./एन.डी.आर.आई. को आवासीय क्वार्टरों में बिजली खपत के लिये उच्च दरों पर विद्युत प्रभारों के भुगतान से बचने के लिये कार्यालय और आवासीय परिसर हेतु अलग कनेक्शन के लिये प्रयास करने चाहिए।
44. आई.सी.ए.आर. एवं एन.डी.आर.आई. को जुलाई 2003 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की तर्ज पर अपनी सभी ईकाईयों को अपने आवासीय क्वार्टरों के लिए व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन लेने के निर्देश देने चाहिए ताकि परिषद् की सभी ईकाईयों से व्यावसायिक दरों पर बिजली प्रभार के भुगतान पर हो रहे अतिरिक्त व्यय को टाला जा सके।

अध्याय X: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

10.1 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में कार्यों का प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) में वर्ष 2002-08 की अवधि के दौरान रूपये 160.48 करोड़ मूल्य के 20 पूंजीगत निष्पादित कार्यों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एम.आर ने अनियमित रूप से 9714 वर्ग मी. जमीन एक निजी गृह समिति को बहुत कम दर पर हस्तांतरित की, जिससे स्वार्थ का विवाद होने के अतिरिक्त गृह समिति के सदस्यों को रूपये 22.82 करोड़ का अदेय लाभ भी प्रदान किया। आई.सी.एम.आर द्वारा अनुमोदन में और निधियों के विमोचन में देरी के परिणामस्वरूप 13 वर्षों तक भी कार्य शुरू नहीं हुये और लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के अतिरिक्त 30.94 करोड़ रूपये की लागत में वृद्धि हुई। कार्यों में शुरू करने के निर्वर्यों में देरी और पेनल्टी के भुगतान के परिणामतः 9 कार्यों में 21.82 करोड़ रूप का निरूद्ध और बेकार व्यय पाया गया। आई.सी.एम.आर में अपने संस्थानों द्वारा किये गये व्यय की आवधिक समीक्षा करने के लिये पर्याप्त बजट और वित्तीय नियंत्रण तंत्र प्रणाली नहीं थी। आई.सी.एम. आर में कार्यों की प्रगति और अपने संस्थानों को दिये गये अग्रिमों के समायोजन और इस तरह निर्धारित मूल्य के भीतर कार्यों का समयपूर्वक समापन-सुनिश्चित करने के लिये तंत्र प्रणाली नहीं थी।

10.1.1 प्रस्तावना

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर) समिति पंजीकरण अधिनियम (XXI), 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत समिति जीव चिकित्सा अनुसंधान करने, और समन्वय बढ़ाने के लिये भारत में एक शीर्ष निकाय है। आई.सी.एम.आर में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से निधियाँ दी जाती है। इसके पूरे देश में 28 संस्थान/केन्द्र हैं, जो राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी अनुसंधान क्रियाकलापों को प्रबंधित करते हैं। आई.सी.एम.आर के दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक इंजीनियरिंग और रख-रखाव विभाग (ई.एम.डी) है, जो इसके संस्थानों में प्रयोगशालाओं भवनो, स्टाफ क्वार्टरों इत्यादि ढाँचागत सुविधा स्थापित करने में और पूंजीगत, छोटे कार्य, विशेष एवं रख-रखाव कार्यों को करता है। ई.एम.डी विभिन्न स्थानों से प्राप्त कार्य अनुमानों का पुनरीक्षक करने, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृतियाँ जारी करने, लेखों से संबंधित कार्य के रख-रखाव और कार्यों की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिये उत्तरदायी है। ई.एम.डी एक कार्यकारी अभियंता द्वारा शीर्षस्थ है और इसमें तीन तकनीकी अधिकारी और पाँच प्रशासनिक स्टाफ है।

10.1.2 लेखापरीक्षा का विषय क्षेत्र

लेखापरीक्षा ने आई.सी.एम.आर में 2002.08 की अवधि के कार्यों प्रबंधन की प्रभावकारिता की जाँच की, जिसमें मुख्यतः थे :

- स्वीकृत मूल्य के भीतर समयपूर्वक समापन और उद्देश्यों की प्राप्ति का देखना;
- निविदाओं को देने की प्रक्रिया और
- कार्यों का दस्तावेजीकरण और अनुवीक्षण

आई.सी.एम.आर ने 2002-2008 के दौरान अपने संस्थानों/आई.सी.एम.आर मुख्यालय को पूंजीगत कार्यों के लिये रूपये 345.19 करोड़ जारी किये। यद्यपि, आई.सी.एम.आर के पास लिये गये कार्य, पूर्व हुए कार्य, चल रहे कार्य इत्यादि की संख्या का विवरण नहीं था।

20 संस्थानों से लेखापरीक्षा द्वारा इकट्ठी की गई सूचना से यह पाया गया कि 2002-08 के दौरान स्वीकृत 273 कार्यों में से जुलाई 2008 तक 148 कार्य पूरे हो गये थे और 125 कार्य चल रहे थे।

लेखापरीक्षा में लगभग रूपये 160.48 करोड़ के परिव्यय के 20 पूँजीगत कार्यों के नमूने जाँच किये, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन कार्यों की अन्यायसंगत योजना, परियोजनाओं का न पूर्ण होना इत्यादि कमियाँ प्रकट हुई, जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति न होना, निधियों का अवरुद्ध होना और फालतू व्यय हुआ। विस्तृत लेखापरीक्षा की जाँचों को अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

10.1.3 कार्यों का अनुचित क्रियान्वयन

लेखापरीक्षा में जाँच किये गये 20 कार्यों में से, आई.सी.एम.आर द्वारा कार्यों में समयपूर्वक निर्णय लेने में असफलता, उपलब्ध भूमि के प्रयोग, कार्य क्षेत्र का मूल्यांकन, आई.सी.एम.आर और कार्यकारी एजेन्सियों के बीच समन्वय की कमी, कार्यक्षेत्र में लगातार बदलाव और निधियों का देरी को पाया गया। इसका परिणाम यह हुआ :

- भूमि का अधिक क्रय और भूमि का अनियमित हस्तांतरण;
- प्रशासनिक खंडों और इससे जुड़े भवनों के निर्माण के बिना स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के परिणामस्वरूप 7.08 करोड़ रूपये का (2 संस्थानों) अनुत्पादक व्यय ;
- कार्यों के शुरू करने में देरी के परिणामस्वरूप उद्देश्यों की प्राप्ति न होना और 30.94 करोड़ रूपये की लागत में वृद्धि हुई (3 संस्थानों);
- 19.44 करोड़ रूपये (6 संस्थानों) की निधियों का अवरोधन; और
- 3.10 करोड़ रूपये (3 संस्थानों) का बेकार/परिहार्य व्यय

13 कार्यों की विस्तार में चर्चा नीचे पैराग्राफों में की गई है :

10.1.3.1 भूमि का अधिक क्रय

साईटोलोजी और प्रावेन्टिव ऑकोलोजी संस्थान (आई.सी.पी.ओ) आई.सी.एम.आर के अन्तर्गत एक संस्थान ने अपने विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये 1.55 करोड़ रूपये की कुल लागत से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से 1987-89 के दौरान भूमि के तीन प्लॉट लिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भूमि की अधिक खरीद के कारण, एक प्लॉट एक निजी समिति को अदेय लाभ देते हुये हस्तांतरित किया; जनवरी 2009 तक एक प्लॉट पर वांछित फ्लोर क्षेत्र बनाने में असफलता के कारण पेनेल्टी दे रहा है और निर्माण न करने के परिणामस्वरूप आबंटन रद्द किये जाने के कारण एक प्लॉट समर्पित किया। इस प्रकार, आई.सी.पी.ओ. के कोई भी प्लॉट का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं किया। निजी गृह समिति के प्लॉट का हस्तांतरण करने के संबंध में और वांछित क्षेत्र का निर्माण न करने के मामले की चर्चा नीचे की गई है :

(i) एक निजी गृह समिति को अदेय लाभ

आई.सी.पी.ओ ने मार्च 1992 में आई.सी.पी.ओ के और अन्य दिल्ली स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये 93.24 लाख रूपये के मूल्य का 9714 वर्ग मी. की भूमि नोएडा में सेक्टर 35 में खरीदी और भूमि का अधिग्रहण प्राप्त किया।

- दस वर्ष बीत जाने के बाद आई.सी.पी.ओ ने नवम्बर 2002 में मैसर्स हॉस्पिटल सर्विसिज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एच.एस.सी.सी) के माध्यम से नोएडा प्राधिकारियों को निर्माण प्रस्ताव और संकल्पिक योजना प्रस्तुत की। देरी के कारण, इसने नवम्बर 2002 में निर्माण

न करने के (वर्ष 2004 तक) रूपये 18.65 लाख का भुगतान किया और नोएडा प्राधिकरण को आश्वासन दिया कि वह 2002-03 के दौरान निर्माण आरंभ कर देगा और 2004 तक कार्य पूरा कर देगा। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2003 में, निदेशक, आई.सी.पी.ओ. ने आई.सी.एम.आर को निवेदन किया कि दिल्ली में अन्य आई.सी.एम.आर संस्थानों के कर्मचारियों के लिये स्टॉफ क्वार्टरों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जल्द ही परियोजना शुरू कर दें। फिर भी, आई.सी.पी.ओ की बार-2 निवेदनों के बावजूद आई.सी.एम.आर निधियों के निर्मुक्त न करने के कारण 2006 तक भी काम शुरू नहीं कर पाया। जिसके परिणामस्वरूप, इसने दोबारा निर्माण न करने का शुल्क 2.10 करोड़ रूपये भुगतान किया।

आई.सी.पी.ओ.-



- 2006 में, आई.सी.पी.ओ के कर्मचारियों ने सैक्टर 35 में आर्बटित प्लॉट पर स्टॉफ के लिये आवासीय परिसर के निर्माण के लिये एक निजी गृह समिति बनाने का प्रस्ताव दिया। ऐसा प्रस्ताव दिया गया कि आई.सी.पी.ओ द्वारा नोएडा को किये गये भुगतान को गृह समिति द्वारा लौटाया जाये।
- फरवरी 2007 में, आई.सी.एस.आर ने यह प्लॉट गृह समिति को हस्तांतरित करने की अपनी कार्यकारी समिति का अनुमोदन आई.सी.पी.ओ.को संप्रेषित कर दिया। आई.सी.पी.ओ ने, मार्च 2007 में नोएडा प्राधिकरण से गृह समिति को भूमि हस्तांतरित करने की आज्ञा ली।
- आई.सी.पी.ओ को भूमि की खरीद, पट्टा किराया, निर्माण न करने का भुगतान, बांझरी दीवार का मूल्य और देख-रेख पर किया गया 4.38 करोड़ रूपये का कुल व्यय आई.सी.एम.आर के हित के सुरक्षा के लिये समिति को भूमि हस्तांतरित करने से पहले आई.सी.पी.ओ/आई.सी.एम.आर को एकमुश्त राशि में गृह समिति द्वारा जमा करना था। फिर भी, आई.सी.एम. आर ने यहाँ तक इन भुगतान शर्तों को सरल कर दिया और गृह समिति द्वारा किये जाने वाले भुगतान को एकमुश्त राशि के बदले चार किश्तों (दिसम्बर 2008 तक) में करने की आज्ञा दी।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया कि:-

- आई.सी.एम.आर ने आई.सी.पी.ओ और अन्य दिल्ली स्थित आई.सी.एम.आर के संस्थानों के कर्मचारियों के स्टॉफ क्वार्टरों की आवश्यकता होने के बावजूद मार्च 1992 में भूमि अधिग्रहण प्राप्त होने के एक दशक बाद तक उपरोक्त प्लॉट पर निर्माण के आरम्भ नहीं किया।
- स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये अधिग्रहण की गई भूमि को सरकार इस मामले में मंत्रालय के अनुमोदन के बिना एक निजी गृह समिति को हस्तांतरित कर दिया। इस हस्तांतरण का प्रमाण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्गमित एक हस्तांतरण की समझौता था। संव्यवहार की सच्चाई और हस्तांतरण लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। सरकार के अनुमोदन के बिना एक निजी गृह समिति को इस प्रकार का हस्तांतरण सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 278 का उल्लंघन था जिसमें यह उल्लेखित है कि कोई भी सरकार से संबंधित भूमि एक स्थानीय प्राधिकरण, निकाय या व्यक्ति या संस्थान को सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बेची नहीं जाएगी।

- आई.सी.एम.आर की कार्यकारी परिषद के कई सदस्य जिन्होंने भूमि हस्तांतरण की आज्ञा दी थी, वे लाभार्थी थे, क्योंकि वे भी निजी गृह समिति के सदस्य थे।
- 1992-2007 के दौरान नोएडा में 960 रुपये प्रति वर्ग मी. से 28000 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से रियल एस्टेट/भूमि की कीमतों में गहन बढ़त के बावजूद, आई.सी.एम.आर ने केवल 4.38 करोड़ रुपये की कीमत पर भूमि एक निजी गृह समिति को हस्तांतरण कर दी। इस कीमत में भूमि की 960 रुपये प्रति वर्ग मी. की मूल लागत, पेनेल्टी शुल्क और देखरेख का व्यय भी शामिल था। इस प्रकार निजी गृह समिति को 9714 वर्ग मी. भूमि की कीमत 4509 रुपये प्रति वर्ग मी. रही। निजी गृह समिति को 28000 रुपये प्रति वर्ग मी. की वर्तमान आबंटन मूल्यों की अपेक्षा 4509 रुपये प्रति वर्ग मी. से भूमि हस्तांतरित करके, आई.सी.एम.आर ने 22.82 करोड़ रुपये के अदेय लाभ निजी गृह समिति के सदस्यों को दिया।
- इसके अलावा, आई.सी.एम.आर ने मंत्रालय को, जिससे उसने अनुदान प्राप्त किये थे, प्रोदभूत ब्याज सहित 4.38 करोड़ रुपये नहीं लौटाये।

इस प्रकार, आई.सी.एम.आर ने अपने स्टॉफ क्वार्टरों के लिए आबंटित भूमि को आई.सी.एम.आर कर्मचारियों की समूह गृह समिति को बहुत कम मूल्यों पर और सरकार के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से स्वीकृत किया। यह हस्तांतरण कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित था, जिसके सदस्य इस निजी गृह समिति के भी सदस्य थे। इसने स्वार्थ के मत पर एक गंभीर विवाद पैदा कर दिया और धोखे की संभावना में जाँच-पड़ताल की आवश्यकता है।

आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 में कहा कि उसने आई.सी.पी.ओ/आई.सी.एम.आर के कर्मचारियों की समूह गृह समिति को स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए आबंटित भूमि सक्षम प्राधिकारियों के उचित अनुमोदन से हस्तांतरित की है। उसने फिर कहा कि स्टॉफ सदस्य सरकारी आवास लेने में रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनका मकान किराया भत्ता महंगाई वेतन के रूप में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जुड़ जाने से बढ़ गया था।

आई.सी.एम.आर का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भूमि का अधिग्रहण मार्च 1992 में लिया गया था और आई.सी.एम.आर 2006 तक, यहां तक कि 14 वर्षों के बीत जाने पर भी, निर्माण शुरू करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का अनुमोदन जोकि अनुदान स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी थी, नहीं लिया गया था। इसके अलावा, भूमि विशेष लाभ और रियायती दरों पर आई.सी.एम.आर को आबंटित की गई थी, जिसे 2007 में रुपये 28000 प्रति वर्ग मी. के वर्तमान आबंटित दरों की अपेक्षा इस प्रकार लाभार्थियों को अदेय लाभ देते हुये बहुत ही कम (रुपये 4509 प्रति वर्ग मी.) दरों पर हस्तांतरित किया गया था,

सिफायिशें

45. आई.सी.एम.आर को निजी गृह समिति के सदस्यों से भूमि के मूल्य का अन्तर 22.82 करोड़ रुपये वसूल करना चाहिये।
46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को बहुत जल्द ही धोखे की जाँच शुरू करनी चाहिये और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिये।

(ii) वांछनीय क्षेत्र का निर्माण न करना।

आई.सी.पी.ओ ने जून 1989 में, नोएडा के सैक्टर 39 में अपने अनुसंधान कम क्लीनिकल कोम्प्लेक्स के लिए रुपये 37.41 लाख मूल्य की 49881.53 वर्ग मी. भूमि

खरीदी। इसने मार्च 1992 में भूमि का अधिग्रहण लिया। इस विषय में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- आई.सी.पी.ओ ने सैक्टर 39 में अनुसंधान सह क्लीनिकल कोम्प्लेक्स के चरण-I और II का निर्माण कार्य क्रमशः 4.96 करोड़ रुपये और 6.95 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य पर वर्ष 1996 और 2000 में एच.एस.सी.सी को दिया। चरण-I का कार्य अक्टूबर 2003 में पाँच वर्षों की देरी के पश्चात् समाप्त हुआ और चरण-II भी समाप्त हो गया, यद्यपि लेखापरीक्षा को इसके समापन की तिथि नहीं दी गई। चरण-I और II की कुल मूल्य में 2.13 करोड़ रुपये की एसकालेशन अन्य दूसरे व्यय के कारण बढ़ोत्तरी हुई।



**आई.सी.पी.ओ. सैक्टर 39 नोएडा में
अनपयोग जगह**

- सैक्टर 39 में अनुसंधान कम क्लीनिकल कोम्प्लेक्स के चरण-I और II समाप्त होने के बावजूद आई.सी.पी.ओ अधिकतम निर्धारित घिरा हुआ क्षेत्र का 50 प्रतिशत घेरने में असफल रहा। इसलिए इसने, एक प्रैस-कम-लाइब्रेरी भवन बनाने और पशु घर को विस्तृत करने का निश्चय लिया।
- मार्च 2007 में आई.सी.पी.ओ को 2.06 करोड़ रुपये के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति तथा विमोचन के बावजूद, अगस्त 2008 तक भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। इसके अलावा, इन भवनों के समापन के बाद भी, अधिकतम निर्धारित घिरा हुआ क्षेत्र का वांछनीय 50 प्रतिशत संभव नहीं हो पाएगा और आई.सी.पी.ओ जुर्माना अदा करने का जिम्मेवार होगा।

इस प्रकार, अपभावी योजना और अधिकतम निर्धारित घिरा क्षेत्र का 50 प्रतिशत न निर्माण करने के कारण, आई.सी.पी.ओ ने मार्च 2008 तक निर्माण न करने का शूल्क के भुगतान पर 24.97 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

आई.सी.एम.आर ने कहा कि निर्माण का चरण- III समाप्त होने के बाद, 44 प्रतिशत फर्श क्षेत्र अनुपात घिरा हो जाएगा और शेष क्षेत्र भविष्य में हो जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि यहां तक कि चरण-III के समापन के बाद भी आई.सी.पी.ओ 50 प्रतिशत की घेरने की न्यूनतम आवश्यक के कारण शूल्क भुगतान करता रहेगा। आई.सी.पी.ओ ने कहा कि आई.सी.एम.आर. भूमि नये निर्माण कार्य लेने से पहले आबंटित भूमि की उपयोगिता और उपलब्ध जगह और अन्य आवश्यकतायें विशेषतया निर्माण के लिए निधियों के प्रावधान में प्रभावी योजना सुनिश्चित करेगा और इसका अनुपालन ई-गवर्नेंस के माध्यम से करेगा।

10.1.3.2 अन्यायपूर्ण योजना

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो कार्यों में आई.सी.एम.आर ने क्षेत्रीय औषधि अनुसंधान केन्द्र (आर.एम.आर.सी) बेलगाम और मरू औषधि अनुसंधान केन्द्र (डी.एम.आर.सी) जोधपुर की प्रशासनिक/प्रयोगशाला भवनो का निर्माण किये बिना ही, जिसकी स्वीकृति उपलब्ध थी स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण कराया/अकुशल योजना के परिणामस्वरूप, आई.सी.एम.आर. ने 7.08 करोड़ रुपये के अनुत्पादक व्यय के अतिरिक्त नीचे वर्णित किये गए संस्थानों की स्थापना नहीं कराई।

(i) आर.एम.आर.सी, बेलगाम द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण किए बिना ही स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण

विभिन्न रोगों में काम आने वाली परंपरागत दवाईयों के अनुसंधान कार्य के लिए आर.एम.आर.सी, बेलगाम की स्थापना हेतु मई 1994 में आई.सी.एम.आर ने 9.16 करोड़ रुपये की लागत से प्रयोगशाला एवं प्रशासनिक भवन परिसर के निर्माण, इससे जुड़े भवनों और स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण, जगह के विकास इत्यादि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन दिया। कार्यों का क्रम इस प्रकार था:

- कार्य 1992-93 में कर्नाटक लोक कार्य विभाग (के.पी.डब्ल्यू.डी) को दिया गया। आई.सी.एम.आर ने मार्च 1993 से मार्च 2008 तक के.पी.डब्ल्यू.डी को स्टॉफ क्वार्टरों और अतिथि गृह के निर्माण के लिए 6.58 करोड़ रुपये जारी किये थे। के.पी.डब्ल्यू.डी ने वर्ष 2000 तक, 6.02 करोड़ रुपये की लागत से 39 स्टॉफ क्वार्टरों और अतिथि गृह इत्यादि का निर्माण कार्य पूर्ण किया। यद्यपि जुलाई 2000में के.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा कहे जाने पर, आई.सी.एम.आर ने स्टॉफ क्वार्टर को नहीं लिया और के.पी.डब्ल्यू.डी को सूचित किया कि जब भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी, भवन को ले लिया जाएगा।
- जनवरी 2001 में, आई.सी.एम.आर ने आर.एम.आर.सी, बेलगाम के लिए समूह 'ए' के पदों की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को कहा। मंत्रालय ने प्रत्युत्तर में कहा कि मुख्य भवन की निर्माण गतिविधि समाप्त हो जानी चाहिए और इससे पहले कि कोई पद स्वीकृत किए जाए इसे सूचना भिजवानी चाहिए। इसके बावजूद, आई.सी.एम.आर ने अपने मुख्य प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिये कोई कार्रवाई नहीं की थी।
- अक्टूबर 2002 में, के.पी.डब्ल्यू.डी ने आई.सी.एम.आर को बन चुके स्टॉफ क्वार्टर ले लेने के लिए कहा। इन पूर्ण हो चुके स्टाफ क्वार्टर की सुरक्षा एवं निगरानी पर औसतन रुपये 15000/- प्रतिमाह खर्च किए जा रहे थे। फिर भी, आई.सी.एम.आर ने स्टॉफ क्वार्टर को नहीं लिया और परिषद ने जुलाई 2006 में, के.पी.डब्ल्यू.डी को स्टॉफ क्वार्टरों में त्रुटियों जिन्हे सुधारने की आवश्यकता थी, के बारे में सूचित किया। प्रत्युत्तर में, के.पी.डब्ल्यू.डी ने कहा कि समस्या मुख्यतः छः वर्षों से रखरखाव के अभाव के कारण थी, क्योंकि क्वार्टर 2000 में बन चुके थे।
- अप्रैल 2008 में, आई.सी.एम.आर ने केवल उन्हीं स्टॉफ क्वार्टरों और अतिथि गृह लेने का निर्णय लिया, जो अच्छी और संतोषजनक स्थिति में थे। आई.सी.एम.आर और के.पी.डब्ल्यू.डी अधिकारियों की एक संयुक्त निरीक्षण टीम ने अप्रैल 2008 में पाया कि 39 स्टॉफ क्वार्टरों में से 27 त्रुटिपूर्ण थे और केवल 12 ही लिये जाने की स्थिति में थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि त्रुटि को अभी तक सुधारा नहीं गया था और प्रशासनिक भवन का निर्माण भी अभी शुरू नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि प्रशासनिक भवन तथा संस्वीकृत पदों की अनुपस्थिति में, यह स्टॉफ क्वार्टर आई.सी.एम.आर के किसी काम के नहीं थे और वर्तमान में इनको उपयोग भी नहीं किया जा रहा था (जनवरी 2009)

इस प्रकार यह पाया गया कि कार्यालय और प्रयोगशाला भवन के निर्माण के बिना स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण की दोषपूर्व योजना के कारण आई.सी.एम.आर को पिछले 17 वर्षों से लाईसेंस फीस की हानि वहन करनी पड़ी इसके अलावा स्टॉफ क्वार्टर भी निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किए जा सके।

इन तथ्यों को स्वीकार करते हुये, आई.सी.एम.आर ने जनवरी 2009 में बताया कि परिषद् को अपने संस्थानों की समय पर स्थापना से सुनिश्चित करने के लिए निर्माण

की उचित योजना को सुनिश्चित करना होगा और परियोजना का अनुमोदन लेते समय स्टॉफ घटक तथा सृजित अवसंरचना के प्रभावी उपयोग को भी ध्यान में रखना होगा।

इस प्रकार, आई.सी.एम.आर. की प्रशासनिक भवन का निर्माण के बिना स्टाफ क्वार्टरों की विवेकहीन योजना के परिणामस्वरूप 6.17 करोड़¹, रुपये का निष्फल व्यय हुआ और पहले से निर्मित स्टॉफ क्वार्टरों का उपयोग न किये जाने के कारण इनमें त्रुटि उत्पन्न हुई। आगे, संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य अभी तक पूरा होना बाकी था।

(ii) डी.एम.आर.सी, जोधपुर द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण किए बिना स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण

आई.सी.एम.आर. ने 1991 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा डी.एम.आर.सी., जोधपुर में 91.00 लाख रूपए की लागत से 20 स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण करवाया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि।

- 1991 से कोई स्टॉफ क्वार्टर अधिगृहित नहीं किया गया था, इसके बजाय इन स्टॉफ क्वार्टरों को पिछले 17 वर्षों से डी.एम.आर.सी., जोधपुर के कार्यालय और प्रयोगशाला भवन के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे।
- केवल 2006 में, आई.सी.एम.आर. ने डी.एम.आर.सी. प्रयोगशालाओं, उससे जुड़े भवनों के निर्माण की आवश्यकता को अग्रेषित किया और निर्माण का कार्य मार्च 2006 से सितम्बर 2007 में पूर्ण होने की तिथि के साथ मैसर्ज नेशनल प्रोजेक्ट कंसल्टेशन करपोरेशन (एन पी सी सी) को दिया गया। यद्यपि, कार्य अभी तक (जनवरी 2009) आई. सी. एम. आर. द्वारा विवरणी ड्राईंग्स, सामग्री इत्यादि को अंतिम अवस्था में देने की देरी के कारण पूरा नहीं हुआ और डी एम आर सी ने स्टॉफ क्वार्टर से कार्य जारी रखा। इसके अलावा, विवरणी को अंतिम रूप देने में देरी के कारण प्रयोगशाला और प्रशासनिक भवनों के निर्माण के अनुमान रूपये 14.84 करोड से बढ़कर रूपये 21.46 करोड हो गया, इस प्रकार प्रारम्भिक अनुमान से 46 प्रतिशत ज्यादा मूल्य बढ़ गया।

इस तरह, स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के बिना कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन के निर्माण की त्रुटिपूर्ण योजना के कारण आई. सी. एम. आर. को पिछले 13 वर्षों से लाईसेंस फीस की हानि हुई थी। इसके अलावा, स्टॉफ क्वार्टरों का उपयोग निहित उद्देश्य के लिए नहीं हो सका था।

आई. सी. एम. आर. ने जनवरी 2009 में अपने उत्तर में बताया कि डी.एम.आर.सी., जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन, जोधपुर के साथ स्थित था और एयर फोर्स के साथ स्थानीय मुद्दों के कारण, प्रयोगशाला भवन के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया था। अतः 2003 में एयर फोर्स से स्पष्टीकरण के बाद, मार्च 2006 में कार्य एन.पी.सी.सी. को दिया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखना चाहिए कि आई.सी.एम.आर. ने इस मुद्दे को एयर फोर्स के साथ सुलझाने में लगभग 13 वर्ष लिये थे। इसके बाद, आई. सी. एम. आर. ने अगले तीन वर्ष एन.पी.सी.सी. को कार्य प्रदान करने में लिये। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला और उससे जुड़े भवनों का निर्माण कार्य सितम्बर 2007 में समाप्त होना था, परन्तु आई. सी. एम. आर. द्वारा विवरणों, ड्राइंग्स, सामग्री इत्यादि को अंतिम रूप देने में देरी के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका था और अब मार्च 2009 तक समाप्त होने की संभावना है।

¹ निर्माण और रखरखाव की लागत (रूपये 6.02 करोड़ + रूपये 0.15 करोड़ @ रूपये 15000/- प्रतिमाह 100 महीनों के लिए)

सिफारिश

47. आई. सी. एम. आर. को अपने संस्थानों की समय पर स्थापना और सृजित अवसंरचना के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए परिषद को अपने निर्माण की उचित योजना एवं कार्यवन्धन को सुनिश्चित करना चाहिए।

10.1.3.3 कार्यों को शुरू करने में देरी और लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित तीन कार्यों में, कार्यों के शुरू होने में 6 से 13 वर्षों की देरी हुई और लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के अतिरिक्त लागत में रूपये 24.32 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी।

(i) कोलकत्ता में क्षेत्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में देरी

1999-2000 में, क्षेत्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व (आर.ओ.एच.सी.) कोलकत्ता ने अपने परिसर में एन्ट्रिक रोग तथा हैजा का राष्ट्रीय संस्थान और आर.ओ.एच.सी. हेतु नवी सुविधा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र (ई.टी.सी.) के निर्माण कराने का निर्णय लिया। प्रशिक्षण केन्द्र का मुख्य उद्देश्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियन क्षेत्र दोनों में व्यवसायिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं, एन्ट्रिक रोगों, जैव प्रौद्योगिकी और मोलिकुलर बायोलो मेंजी व्यवहार करना था।

आर.ओ.एच.सी. ने सितम्बर 2001 में आई. सी. एम. आर. को रूपये 5.65 करोड़ का एक प्रास्ताविक अनुमान प्रस्तुत किया। आई. सी. एम. आर. ने अप्रैल 2002 में इसके लिये विस्तृत तर्क लिया था, परन्तु निधियों की कमी के कारण परियोजना अनुमोदित नहीं हुई थी। आर.ओ.एच.सी. ने जनवरी 2007 में वर्तमान लागत सूची के आधार पर रूपये 7.73 करोड़ का एक संशोधित प्रास्ताविक अनुमान प्रस्तुत किया। आई.सी.एम.आर. ने प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति दी तथा मार्च 2007 में एन.आई.सी.ई.डी को रूपये 5 करोड़ जारी कर दिए। यद्यपि, आर.ओ.एच.सी. ने अगस्त 2007 में कार्यों की अतिरिक्त मर्दें और लिफ्ट के प्रावधानों, एयरकंडीशनिंग तथा अन्य संशोधनों को सम्मिलित करने के कारण रूपये 10.48 करोड़ का एक संशोधित अनुमान पुनः प्रस्तुत किया था। जिसके लिए आई.सी.एम.आर. ने प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति नवम्बर 2007 में दे दी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2009 तक, स्थानीय प्राधिकारियों से समाशोधन प्राप्त होना अभी बाकी था और कार्य अभी शुरू किया जाना था।

इस तरह, आई. सी. एम. आर. द्वारा उपलब्ध निधियों के विवेक सम्भव विनियोजन और कार्यक्षेत्र का उचित आंकलन पहुंच में विफलता के कारण, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति जारी करने में छः वर्षों की देरी के परिणामस्वरूप व्यवसायिक/पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मोलिकुलर बायोलोजी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में मानवीय संसाधन विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में देरी हुई।

आई. सी. एम. आर. ने, जनवरी 2009 के अपने उत्तर में कहा कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति देने से पहले कार्यक्षेत्र का उचित आंकलन कर लिया गया था।

(ii) पटना में आई.एम.आर.आई.एम.एस. की स्थापना में देरी

मलेरिया, लेशमानायसिस², जापानी एनसेफलिटिस और डेंगू जो कि पटना क्षेत्र की मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, के भयानक रूपों पर ज्यादा ध्यान देने के लिये आई. सी. एम.

² यह एक छोटे 2 से 3 मिलीमीटर लंबे वेक्टर (क्लैटोबोमिन सैंडफ्लाई) कीड़े के काटने से फैले प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है जो कि त्वचीय एवं अत्वचीय रोग का कारण बनता है।

आर. ने जनवरी 2001 में राजेन्द्र मैमोरियल रिसर्च चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आर.एम.आर.आई.एम.एस.), पटना में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण करने का निर्णय लिया। आई. सी. एम. आर. ने अगस्त 2001 में मंत्रालय को आर.एम.आर.आई.एम.एस., पटना के लिये रुपये 18 करोड़³ के अनुमोदन के लिये व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) को ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आई. सी. एम. आर. द्वारा प्रशासनिक देशी के कारण अभी तक अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ था जैसा कि नीचे विर्णित है:

- 2001-02 से 2006-07 के दौरान रुपये 27.50 करोड़ के आबंटन के बावजूद भी आई. सी. एम. आर. ने आर.एम.आर.आई.एम.एस. को निधियां नियुक्त नहीं की थी। फरवरी 2004 में, ई.एफ.सी. ने दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्य पूरा करने के लिये रुपये 41.34 करोड़ की लागत का एक संशोधित अनुमान अनुमोदित किया था। आई. सी. एम. आर. ने सात अन्य संस्थानों को रुपये 13.77 करोड़ का विपथन किया था।
- आई. सी. एम. आर. ने आर.एम.आर.आई.एम.एस. द्वारा मैकन जिसने बातचीत के बाद 3.42 प्रतिशत की परामर्श फीस की सबसे कम दरें बताई थी, को कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव पर जुलाई 2002 में कोई निर्णय लेने में असफल रहा। क्योंकि मैसर्स मैकन ने जुलाई 2002 में बताई गई अपनी दरों को पुनर्वैधीकरण करने से इंकार कर दिया, आर.एम.आर.आई.एम.एस. ने फरवरी 2005 में निविदाओं को पुनः मंगवाया। संस्थान ने आई. सी. एम. आर. को मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील कार्रपोरेशन लिमिटेड (एच.एस.सी.एल.) जिसने 4 प्रतिशत परामर्श शुल्क की सबसे कम दर बताई थी, को कार्य प्रदान करने का अनुमोदन देने का अनुरोध किया। आर.एम.आर.आई.एम.एस. ने निर्माण के लिये 2004-05 में किए गए प्रावधानों में से रुपये 5 करोड़ निर्युक्त करने का निवेदन किया। यद्यपि आई. सी. एम. आर. ने 4 प्रतिशत की परामर्श शुल्क पर एच.एस.सी.एल. को कार्य देने के अनुमोदन को जारी किया और मार्च 2006 में ही फर्म को रुपये 25 लाख जारी किए गए थे।
- मई 2006 में आर.एम.आर.आई.एम.एस. ने रुपये 45.58 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान अनुमोदन हेतु आई. सी. एम. आर. को भिजवाये थे। जिसे आई. सी. एम. आर. ने फरवरी 2007 में ड्राइंग की अभिकल्पना को अनुमोदित कर दी थी। परन्तु प्रारंभिक अनुमान को यह कहते हुए अनुमोदित नहीं किया कि अनुमान को सी.पी.डब्ल्यू.डी. मानकों के अनुरूप में बनाने की आवश्यकता है। मार्च 2007 में आई. सी. एम. आर. ने रुपये 28.35 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्रदान की परन्तु वर्ष 2006-07 के लिये अनुमोदित आबंटन रुपये 15 करोड़ में से आर.एम.आर.आई.एम.एस. को केवल रुपये 4 करोड़ ही जारी किए गए। क्योंकि एच.एस.सी.एल. स्वीकृति राशि पर सहमत नहीं था आर.एम.आर.आई.एम.एस. ने जून 2007 में रुपये 37.35 करोड़ का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति मांगी।

फिर भी आई. सी. एम. आर. ने जुलाई 2007 में आर.एम.आर.आई.एम.एस. को अनुमोदित योजना के अनुसार रुपये 28.35 करोड़ की अनुमोदित लागत तक सीमित प्रतिवद्धता में रहते हुए आगे बढ़ने को कहा।

जनवरी 2008 में, आई. सी. एम. आर. ने एच.एस.सी.एल. द्वारा बताई गई रुपये 32.24 करोड़ की निविदा लागत को अनुमोदित कर दिया था। परन्तु फिर से कार्य लागत को रुपये 28.35 करोड़ तक सीमित कर दिया था। मार्च 2008 में, आर.एम.आर.आई.एम.एस. पटना ने एक बार फिर रुपये 33.99 करोड़ की समेकित राशि, जिसमें रुपये 1.75 करोड़ अर्थात् नवीनीकरण की लागत जिसके लिए आई. सी.

³ रुपये 10 करोड़, रुपये 5 करोड़ परिसर सेवाएं और रुपये 3 करोड़ सलाहकारी फीस

एम. आर. ने रुपये 33.99 करोड़ की निविदा राशि मई 2008 में रुपये 28.35 करोड़ की सीमा के लिये अनुमोदित की थी, शामिल थे, के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति के लिये आई. सी. एम. आर. को सम्पर्क किया। बावजूद इसके रुपये 32.24 करोड़ और रुपये 33.99 करोड़ की निविदा लागत अनुमोदित की जिससे उच्च निविदा मूल्य के अनुमोदन से आई. सी. एम. आर. के कार्य की लागत को रुपये 28.35 करोड़ तक सीमित रखने के निर्णय उद्देश्य को विफल कर दिया था।

इस प्रकार, उपलब्धता के बावजूद निर्णय लेने में असामान्य देरी और निधियों को निर्युक्त न करने के परिणामस्वरूप पटना क्षेत्र की मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं पर केन्द्रित अनुसंधान कार्य का निहित उद्देश्य की प्राप्ति और आर.एम.आर.आई.एम.एस. की स्थापना में देरी हुई। इसके अतिरिक्त लागत में रुपये 22.24 करोड़ की वृद्धि और रुपये 18.70 लाख का परिहार्य व्यय।

आई. सी. एम. आर. ने जनवरी 2009 में कहा कि एजेंसी परअंतिम निर्णय लेने में देरी के कारण, कार्य समय पर शुरू नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, कार्य शुरू हो गया था और पूरे जोरों पर था।

उत्तर के तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिये कि आई. सी. एम. आर. ने कार्य प्रदान करने में चार वर्ष लिये थे। इसके अलावा, 2001-02 से 2006-07 के दौरान रुपये 27.50 करोड़ रुपये की निधियों के आंबटन के बावजूद आई. सी. एम. आर. ने आर.एम.आर.आई.एम.एस. पटना को कोई निधियां जारी नहीं की थी और अन्य संस्थानों को रुपये 13.77 करोड़ का विपथन किया था।

(iii) आई.सी.एम.आर. के लिये अतिरिक्त कार्यालय भवन का निर्माण

अपने मुख्यालय में जगह की भारी कमी को दूर करने के लिये, आई. सी. एम. आर. ने 1996 में वर्तमान कैन्टीन और उससे जुड़े गैराज खंड को गिराकर अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण का निर्णय लिया। जून 1997 में स्थानीय निकायों से ड्राइंगस का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्य जून 1998 में रुपये 1.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर सी.पी.डब्ल्यू.डी को सौंपा गया था। प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति जून 1998 में प्राप्त की गई थी और सितम्बर 1999 में आई. सी. एम. आर. ने रुपये 43.20 लाख जारी किए थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- आई. सी. एम. आर. ने भवन को केन्द्रीय वातानुकूलित और एक उप-स्टेशन और बेसमेंट का प्रावधान करने के लिये ड्राइंगस में परिवर्तन के लिये क्रमशः जुलाई 1998, नवम्बर 1999 और अप्रैल 2000 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को पहुंच की। सी.पी.डब्ल्यू.डी ने आई. सी. एम. आर. को सूचित किया कि ड्राइंगस में परिवर्तन का अनुमोदन स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त करना होगा। तब भी, सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद आई. सी. एम. आर. अपने कार्यालय परिसर में कैन्टीन और गैराज को खाली कराने में और सी.पी.डब्ल्यू.डी. को निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने के लिये जगह उपलब्ध कराने में असफल रहा। इसी बीच, क्योंकि सी.पी.डब्ल्यू.डी द्वारा आमंत्रित निविदाओं की वैधता जून 2001 में समाप्त हो गई थी, अतः सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने आई.सी.एम.आर. को सूचित किया कि निविदाये केवल जगह की उपलब्धता की पुष्टि होने पर ही दोबारा आमंत्रित की जाएगी।



आई.सी.एम.आर. कैन्टीन

- फरवरी 2004 में, आई. सी. एम. आर. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. से कार्य वापिस ले लिया और उसे रूपये 43.20 लाख वापिस करने को कहा, जो इसने अगस्त 1999 में पहली किश्त के रूप में जमा करवाये थे। अंत में आई. सी. एम. आर. के निवेदन पर, अप्रैल 2008 में सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग और अन्य माइकोवैक्टीरियल रोग (एन जे आई एल) संस्थान आगरा के निर्माण कार्य के लिये सी.पी.डब्ल्यू.डी. आगरा को रूपये 41 लाख हस्तांतरित किये थे।
- मई 2007 में, आई. सी. एम. आर. ने निविदायें आमंत्रित की और कार्य मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को 6 प्रतिशत परामर्श शुल्क पर प्रदान किया गया था। फिर भी कार्य अभी शुरू होना था।
- मार्च 2008 में, आई. सी. एम. आर. ने विचार किया कि आई. सी. एम. आर. मुख्यालय में नये भवन निर्माण से कई समस्याएं होंगी और इसे सैक्टर 39, में आई.सी.पी.ओ. कैम्पस नोएडा में बनाया जा सकता था, जहां इसे अभी 50 प्रतिशत फ्लोर क्षेत्र अनुपात घेरना था। जनवरी 2009 तक, अपने नये भवन के निर्माण पर आई. सी. एम. आर. का अंतिम निर्णय अभी लेना था और कार्य अभी शुरू होना था।

इस प्रकार, आई. सी. एम. आर. द्वारा कार्यक्षेत्र के अनुचित आंकलन और प्रारूपों में लगातार परिवर्तन के कारण, यहां तक कि 13 वर्षों की देरी के बाद भी परिषद यह निर्णय नहीं कर सका कि उसे अतिरिक्त कार्यालय भवन का निर्माण कहां करना है जिसके परिणामस्वरूप रूपये 43.20 लाख की निधियां अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त, आई. सी. एम. आर. कार्यालय जगह की कमी का लगातार सामना करता रहा।

आई. सी. एम. आर. ने जनवरी 2009 में कहा कि सी.पी.डब्ल्यू.डी की त्रुटिपूर्ण योजना के कारण भवन का निर्माण नहीं हो सका और एन.डी.एम.सी. से पावर के समाशोधन प्राप्त करने में सी.पी.डब्ल्यू.डी विफल रहा।

उत्तर के इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि आई. सी. एम. आर. ने स्वयं कई बार योजना में परिवर्तन किया और सी.पी.डब्ल्यू.डी को ड्राईगस संशोधित करने को कहा। फिर आई. सी. एम. आर. ने आगे बताया कि जैसा लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया, कि निधियों के अवरोधन को रोकने के लिये परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले सभी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

10.1.3.4 निधियों का अवरोधन

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार कार्यों में, आई.सी.एम.आर. ने या तो भूमि का अधिग्रहण नहीं किया या निर्माण क्रिया शुरू नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप रूपये 14.01 करोड़ एक से नौ वर्षों तक अवरूद्ध रहे जैसा नीचे चर्चा की गई है:

(i) ई.वी.आर.सी.मुम्बई

एन्टो-वायरस अनुसंधान केन्द्र (ई.वी.आर.सी.) मुम्बई स्थापना से ही 8183 वर्ग फीट के एक किराये के क्षेत्र में रूपये 1.22 लाख प्रति वर्ष किराये का भुगतान करके हैफकिन बायो-फार्मास्युरिकल कारपोरेशन लिमिटेड (हैफकिन संस्थान) के कैम्पस में कार्य कर रहा है,

- मार्च 1995 में, महाराष्ट्र सरकार ने ई.वी.आर.सी. को रूपये 1.63 लाख प्रतिवर्ष के प्रावधानिक किराये के पट्टे पर 1022 वर्ग मी. (लगभग 11000 वर्ग फीट) का एक प्लॉट हफकिन संस्था परिसर, परल, मुम्बई में इस शर्त के साथ आंबटित किया कि भूमि को अधिग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर उपयोग कर लिया जायेगा।
- जुलाई 1986 में, ई.वी.आर.सी. ने 20000 वर्ग फीट के अतिरिक्त आंबटन के लिये महाराष्ट्र सरकार की ओर रुख किया, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने नहीं माना।

- क्योंकि ई.वी.आर.सी. ने आबंटित भूमि उपयोग के लिये कोई कार्यवाही नहीं की, महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 1991 में, प्रावधानिक तौर पर आबंटन रद्द कर दिया। ई.वी.आर.सी. द्वारा भूमि आबंटन को पुनः प्रवर्तन के निवेदनों के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 1992 में अंतिम तौर पर आबंटन रद्द कर दिया।
- ई.वी.आर.सी. ने सितम्बर 1999 में, महाराष्ट्र सरकार को समीक्षा के लिये दोबार कहा और हैफकिन संस्थान के परिसर में भूमि के आबंटन के पुनः प्रवर्तन के लिये कहा। महाराष्ट्र सरकार अक्टूबर 2002 में 1826 वर्ग मी. भूमि रूपये 2.47 करोड़ के वर्तमान बाजार दर पर आबंटित करने के लिए सहमत हुई, जिसे ई.वी.आर.सी. ने फरवरी 2003 में जमा करा दिया।
- ई.वी.आर.सी. महाराष्ट्र सरकार की वांछनीय राशि जमा कराने के पांच वर्षों बाद तक जनवरी 2009 तक भी हैफकिन संस्थान/महाराष्ट्र सरकार से भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाई। भूमि का अधिग्रहण न प्राप्त होने के कारण अभिलेख में नहीं थे।
- आगे, ई.वी.आर.सी. ने अपने लेखों में वित्तीय वर्ष 2002-03 में भूमि एवं भवन शीर्षक के अंतर्गत रूपये 2.47 करोड़ दर्ज किये और भूमि का वैधानिक अधिग्रहण प्राप्त हुए बिना ही इसे पूंजीकृत कर दिया और इसे एक सम्पत्ति मान लिया गया और अतिरिक्त रूप से इस अवर्तनीय भूमि पर 2004-05 से ह्रास लगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार, ई.वी.आर.सी. ने वर्ष 1994 से 2008 के दौरान रूपये 17.08 लाख के वार्षिक किराये और 1985-1992 अवधि के दौरान रूपये 11.48 लाख का प्रावधानिक पट्टे किराये के भुगतान पर परिहार्य व्यय किया। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार को रूपये 2.47 करोड़ राशि का भुगतान अवरुद्ध था, क्योंकि आज तक भी भूमि का अधिग्रहण नहीं लिया गया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 में कहा कि उसने गलती से भूमि एवं भवन शीर्षक के अंतर्गत रूपये 2.47 करोड़ का व्यय दर्ज किया और इसको 2002-03 वर्ष के लेखों में पूंजीकृत किया, जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में ठीक कर दिया जायेगा। आई.सी.एम.आर. ने कहा कि उसने भूमि का अधिग्रहण करने के लिये अथक प्रयास किये गए।

(ii) पशु घर सुविधाएं

आई.सी.एम.आर. ने आई.सी.पी.ओ. में स्थित वर्तमान पशुघर सुविधाओं के विस्तार के लिये मार्च 2007 में रूपये 6.29 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति प्रदान की और एच.एस.सी.सी. नोएडा के माध्यम से उपरोक्त कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आई.सी.पी.ओ. को रूपये एक करोड़ प्रदान किए। इसी प्रकार, आई.सी.पी.ओ. ने प्रैससह लाइब्रेरी भवन के निर्माण के लिये आई.सी.एम.आर. ने रूपये 5.72 करोड़ की प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति प्रदान की और मार्च 2007 में आई.सी.पी.ओ. को रूपये 1.06 करोड़ प्रदान किए, जिसको आई.सी.पी.ओ. ने एच.एस.पी.सी. के पास जमा करा दिया। फिर भी, लेखापरीक्षा में देखा गया कि आई.सी.पी.ओ. द्वारा ड्राइंग्स के अनुमोदन और निधियों के विमोचन के बावजूद, पशुघर और प्रैस-सह लाइब्रेरी भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2009 तक भी अभी शुरू होना था, जिसके कारण रूपये 2.06 करोड़ अवरुद्ध रहे।

आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 में कहा कि ज्यादा जगह की आवश्यकता के कारण पहले प्रारूप में प्रस्तावित तीन मंजिल की जगह बेसमेंट के साथ पांच मंजिल के निर्माण का निर्णय लिया था। संशोधित प्रारूप पर नोएडा प्राधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये एच.एस.पी.सी. को सौंप दिया गया। आई.सी.एम.आर. के उत्तर को तथ्य के प्रकाश में विचार करना चाहिये कि इसने अपनी

आवश्यकता और कार्यक्षेत्र का समयपूर्वक मूल्यांकन नहीं किया, जिससे निर्माण में देरी और रूपये 2.06 करोड़ अवरुद्ध रहे।

(iii) सभागार का निर्माण

आई.सी.एम.आर. ने एच.एस.सी.सी. को मार्च 1999 में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एन.आई.एम.आर.) के सभागार और पशु घर इत्यादि के निर्माण के लिये परामर्श का कार्य प्रदान किया। एच.एस.सी.सी. के साथ संविदा हस्ताक्षरित किये बिना, आई.सी.एम.आर. ने एन.आई.एम.आर. को रूपये 2.50 करोड़ प्रदान किये, जिसे मार्च 1999 में एच.एस.सी.सी. के पास जमा करवा दिये। किसी संविदा के अभाव में, एच.एस.सी.सी. ने निर्माण क्रिया शुरू नहीं की। आई.सी.एम.आर. ने दोबारा एन.आई.एम.आर. को मार्च 2007 में रूपये 5 करोड़ प्रदान किये, जिसे इसने एच.एस.सी.सी. को प्रदान नहीं किया। क्योंकि एच.सी.सी.सी. के साथ संविदा पर अभी हस्ताक्षर होने थे। इसने जनवरी 2009 तक भी निर्माण शुरू नहीं किया। लेखापरीक्षा में इंगित करने के बाद, आई.सी.एम.आर. ने 5 दिसम्बर 2008 को एच.एस.सी.सी. के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किये।

इस प्रकार, उपरोक्त निर्माण क्रियाओं के लिये एच.एस.सी.सी. के साथ संविदाओं के हस्ताक्षर की आई.सी.एम.आर. की असफलता के कारण रूपये 7.50 करोड़ अवरुद्ध होने के अतिरिक्त एन.आई.एम.आर./एन.आई.एम.आर. को क्रेडिट कर दिया जायेगा।

(iv) वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पांडेचेरी और राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान, पुणे

वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, पांडेचेरी और राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान, पुणे ने 2005-08 की अवधि के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी और स्टेट पी.डब्ल्यू.डी के साथ 12 कार्यों के लिये रूपये 0.15 करोड़ और रूपये 1.83 करोड़ जमा किये। कार्य अभी अन्य सम्बंधित कार्यों, प्रस्तावों के संशोधन और दूसरी एजेंसियों की हस्तांतरण इत्यादि के न पूरे होने के कारण शुरू होना था।

आई.सी.एम.आर. ने तथ्य स्वीकार करते समय जनवरी 2009 में कहा था कि भविष्य में, आई.सी.एम.आर. में यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रणाली होगी, कि निधियों के अवरोधन के रोकने के लिये ई गर्वनेंस के माध्यम से दिल्ली कार्यन्वित होंगे। इस प्रकार रूपये 1.98 करोड़ की निधियां सी.पी.डब्ल्यू.डी और स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. के पास अवरुद्ध रही, जिसके परिणामस्वरूप निधियां निष्क्रिय रही और आई.सी.एम.आर. को ब्याज की हानि हुई।

सिफारिश

48. आई.सी.एम.आर. को सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यन्वित एजेंसियों के साथ जल्द ही हस्ताक्षर होंगे ताकि कार्य शुरू हो और निधियों का अवरोधन रोकने के लिये निर्धारित समय के भीतर पूरे हो जायें।

10.1.3.5 बेकार/परिहार्य व्यय

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मामलों में, आई.सी.एम.आर. ने निर्माण प्रक्रिया शुरू करने में देरी और विद्युत उप-स्टेशन तथा निर्माण न करने के कारण रुपये 2.19 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जिसका नीचे वर्णन किया गया है:-

(i) कार्यालय भवन का निर्माण न होना

आई.सी.एम.आर. स्थापना से ही किराये के भवन में काम कर रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिये, एन. आई. एम.आर. ने एम.आर.सी से निधियां नहीं आ रही थी। एन.आई.एम.आर. ने, 1995-97 के दौरान, निर्माण कार्य के लिये बाह्य सहायता लेने की सम्भावना जाहिर की। विस्तृत चर्चा के बाद, विश्व बैंक राष्ट्रीय मेलेरिया हटाओं कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी) के माध्यम से विश्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन केवल अनुसंधान खंड के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता के लिये सहमत हो गया।

यद्यपि जनवरी 2009 तक भी कार्यालय भवन का अभी तक भी निर्माण नहीं हुआ, जैसा नीचे वर्णित है:-

- विश्व बैंक ने अनुसंधान खंड के निर्माण के लिये रुपये 12 करोड़ की कुल लागत पर आर्किटेक्ट सह-कार्यकारी एजेंसी के रूप में मैसर्स घेरजी ईस्टर्न लिमिटेड, नई दिल्ली (परामर्शदाता) को नियुक्त किया। स्थानीय प्राधिकरणों से स्थान योजना/ड्राईंग्स का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, परामर्शदाता ने जुलाई 2002 में अनुमोदन के लिये डी.डी.ए. के ड्राईंग्स प्रस्तुत की। डी.डी.ए. ने जुलाई 2002 में, भवन निर्माण करने की संयुक्त शुल्क रुपये 69.85 लाख की मांग की। आई.सी.एम.आर. ने डी.डी.ए. को देरी माफ करने का निवेदन किया और भवन को पूरा करने के लिये सितम्बर 2004 तक की अवधि की आज्ञा मांगी। फिर भी डी.डी.ए. ने रुपये 61.57 लाख के संयुक्त शुल्क को संशोधित कर दिया और आई.सी.एम.आर. ने इसे मार्च और सितम्बर 2003 में दो किश्तों में जमा करा दिया। परन्तु, क्योंकि आई.सी.एम.आर. ने संयुक्त शुल्क के भुगतान में 14 महीने लगा दिए, डी.डी.ए. ने फरवरी 2004 में रुपये 0.39 लाख की पेनल्टी लगा दी। इसी बीच, विश्व बैंक द्वारा वित्त परियोजना मार्च 2003 में समाप्त हो गई और कार्य शुरू नहीं हो सका।
- विश्व बैंक द्वारा परियोजना वापिस लेने के बाद, एन.आई.एम.आर. ने जून 2003 में आई.सी.एम.आर. की ओर दृष्टिपात किया कि वह मैसर्स घेरजी ईस्टर्न लिमिटेड को उन्ही नियम एवं शर्तों पर कार्य कराने की आज्ञा दे, जिसे एन.ए.एम.पी. के अंतिम रूप से दिया था। आई.सी.एम.आर. इससे सहमत नहीं हुआ और उसने मैसर्स घेरजी ईस्टर्न लिमिटेड द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स प्रयोग करते हुए एच.एस.सी.सी. को कार्य प्रदान करने का निर्णय लिया इसी बीच मैसर्स घेरजी ने मई 2004 में आई.सी.एम.आर. को सूचित किया कि यदि कार्य कोई दूसरी एजेंसी को प्रदान कर दिया जाता है तो मैसर्स घेरजी संविदा समाप्त कर देगा और आई.सी.एम.आर. के किये गए कार्य के भुगतान के साथ निर्माण प्रबंधन सेवाओं का भी भुगतान करना होगा और ऐसा करने के लिये वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार आरक्षित था। इसलिए, सितम्बर 2004 में आई.सी.एम.आर. ने मैसर्स घेरजी को परामर्शदाता के रूप में एन.आई.एम.आर. के अनुसंधान खंड के निर्माण के लिए नियुक्त किया और दिसम्बर 2004 में एक करार हस्ताक्षरित किया।
- फरवरी 2005 में आई.सी.एम.आर. ने अनुमानों का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया और निर्माण कार्य मैसर्स घेरजी के माध्यम से जनवरी 2006 में रुपये 14.17 करोड़ के निविदा मूल्य पर मैसर्स राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया। कार्य जून 2007 में समाप्त होना था।

- आई.सी.एम.आर. ने मार्च 2007 तक रूपये 14 करोड़ प्रदान किए और जुलाई 2007 में अतिरिक्त कार्यों के लिये रूपये 3.01 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन, आई.सी.एम.आर. की कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बिना ही प्रदान कर दिया।
- बढ़ा हुआ समय मंजूर करने के बावजूद, दोबारा, ठेकेदार जनवरी 2009 तक कार्य पूरा करने में असफल रहा और एन.आई.एम.आर. ने किराये के भवनों से संचालन जारी रखा। तब भी एन.आई.एम.आर. की भवन समिति का फरवरी 2008 में यह विचार था कि संविदा के अनुसार देरी की क्षतिपूर्ति लगाई जानी चाहिए, एन.आई.एम.आर. ने कोई पेनेल्टी नहीं लगाई।

आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 में कहा कि प्रशासनिक देरी के कारण भूमि किराये के भुगतान में समय लगा। निर्माण में देरी और पेनेल्टी लगाने के सम्बंध में आई.सी.एम.आर. ने कहा कि मुद्दे को अगली एन.आई.एम.आर. भवन सलाह समिति की बैठक में उठाया जायेगा। फिर इसने कहा कि भवन दिसम्बर 2008 से अधिग्रहण की प्रक्रिया में था, जिसकी जनवरी 2009 तक समाप्त होने की आशा थी।

आई.सी.एम.आर. के उत्तर को तथ्य के प्रकाश में विचार करने की आवश्यकता है कि आई.सी.एम.आर. ने जुलाई 2002 तक भी भवन का निर्माण नहीं किया जिसके कारण डी.डी.ए. ने जुलाई 2002 में संयुक्त शुल्क की मांग की, जिसका आई.सी.एम.आर. द्वारा भुगतान किया गया। इसने संयुक्त शुल्क के भुगतान में देरी के कारण पेनेल्टी का भी भुगतान किया।

इस प्रकार, निर्माण शुरू करने में देरी के कारण एन.आई.एम.आर. ने मार्च 2008 तक निर्माण न करने का शुल्क और किराये के भुगतान पर रूपये 1.89 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। एन.आई.एम.आर. रूपये 12 करोड़ की विश्व बैंक सहायता से भी वंचित रहा और, किराये के भवन एक दूसरे से 6 से 22 कि.मी. की दूरी पर हैं, जिससे विचारणीय असुविधा संस्थान की कार्यकुशलता और निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

(ii) उप-स्टेशन का निर्माण न होना

आई.सी.एम.आर. ने अपने मुख्यालय के वर्तमान स्वीकृत 368 के डब्ल्यू विद्युत भार के अतिरिक्त 500 के वी ए के अतिरिक्त भार की पूर्ति के लिये 2000 में एन.डी.एम.सी. की ओर रूख किया। एन.डी.एम.सी. ने मई 2001 में आई.सी.एम.आर. को अतिरिक्त भार के लिये अपने विद्युत उप-स्टेशन, आवश्यक उच्च टेंशन/कम टेंशन स्विच गीयर संशोधनों के साथ, निर्माण करने की सलाह दी। दसवीं योजना में, उप-स्टेशन के निर्माण के लिये रूपये 50 लाख का प्रावधान होने के बावजूद, आई.सी.एम.आर. ने अगस्त 2008 तक उप-स्टेशन का निर्माण नहीं करवाया। इसी बीच, आई.सी.एम.आर. ने रूपये 0.92 करोड़ की कुल लागत पर मैसर्स एन.पी.सी.सी. के माध्यम से सितम्बर 2007 में छः पोर्टा केबिन (अस्थायी ढांचे) का निर्माण करवाया। अतिरिक्त भार के लिये उप-स्टेशन न लगने के कारण, आई.सी.एम.आर. ने जी.एफ.आर. के अंतर्गत



आई.सी.एम.आर. के डीजल जनरेटर

निर्धारित क्रय प्रक्रिया का उल्लंघन करके ठेकेदार के माध्यम से रूपये 9.84 लाख के मूल्य के 100 के वी ए और 50 के वी ए के दो जेनरेटर खरीदे और अगस्त 2006 से ठेकेदार के माध्यम से जनरेटरों के डीजल की आपूर्ति, रखरखाव, सर्विसिंग पर रूपये 29.56 लाख का परिहार्य व्यय किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एम.आर. ने अगस्त 2006 में मैसर्स एन.पी.सी.सी. को कार्य समाप्त होने से पहले ही वार्षिक

खरखाव सविदा (ए एम सी) को दे दिया। जबकि कार्य सितम्बर 2007 में पूरा हुआ और अगस्त 2006 से रूपसे 23.93 लाख ए.एम.सी शुल्क के रूप में और फिर दिसम्बर 2007 से नवम्बर 2008 की अवधि कि लिये, दिसम्बर 2007 में रूपसे 20.81 लाख अनियमित रूप से प्रदान किये।

इस प्रकार, आई.सी.एम.आर. ने विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही छः पोटा केबिन स्थापित करवाये और मार्च 2008 तक रूपसे 29.56⁴ लाख का परिहार्य व्यय किया।

आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 में उत्तर दिया कि डी.जी.सेट की स्थापना पोर्टो केबिनो को विद्युत आपूर्ति के लिये अनिवार्य था, क्योंकि वर्तमान स्वीकृत एन.डी.एम.सी. विद्युत कनेक्शनों में अतिरिक्त विद्युत भार उपलब्ध नहीं था। आई.सी.एम.आर. ने यह भी कहा कि खरखाव सविदा पर वास्तविक व्यय केवल रूपसे 12.79 लाख था और शेष रूपसे 11.14 लाख एन.पी.सी.सी. ने मार्च 2008 में वापिस दे दिए थे। उत्तर के तथ्य के प्रकाश में विचार करना चाहिये कि एन.डी.एम.सी. ने, मई 2001 में, आई.सी.एम.आर. को अपने विद्युत उप-स्टेशन का निर्माण करने का परामर्श दिया था। दसवीं योजना में रूपसे 50 लाख का प्रावधान होने के बावजूद इसने उप-स्टेशन का निर्माण नहीं किया और खरखाव पर और डीजल जनरेटर सेटो के प्रचालन पर व्यय जारी रखा। इसके अलावा, आई.सी.एम.आर. का विचार कि ए.एम.सी. दिसम्बर 2006 में दिया गया था, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पोटा केबिनो के लिये ए.एम.सी अगस्त 2006 में प्रदान किया गया था, यद्यपि पोटा केबिनो का कार्य अंतिम रूप से सितम्बर 2007 में पूरा हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब पिछले वर्ष के ए.एम.सी का मूल्य केवल रूपसे 12.79 लाख था, आई.सी.एम.आर.ने, एजेंसी के पास बचा शेष और अर्जित ब्याज का समायोजन किए बिना ही अगस्त 2006 से मार्च 2008 की अवधि के लिये एजेंसी को अदेय लाभ देते हुए, रूपसे 20.81 लाख दिसम्बर 2007 में निर्गमित कर दिये।

10.1.4 वित्तीय प्रबंधन

10.1.4.1 बजट और व्यय

(i) आई.सी.एम.आर. अपने कुल बजट के रूप में मंत्रालय से पूंजीगत कार्यों के लिये निधियां प्राप्त करता है। इस सम्बंध में, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आई.सी.एम.आर. दसवीं योजना अवधि के दौरान, कुल बजट आबंटन का ई.एफ.सी. अनुमोदन और पूंजीगत कार्यों के लिये बजट की प्रति अनुपूरक अभिलेखो को प्रस्तुत नहीं कर पाया। इकट्ठी की गई सूचनाओं से यह पाया गया कि रूपसे 960 करोड के दसवीं योजना के कुल अनुदान में से, रूपसे 260.75 करोड आई.सी.एम.आर. द्वारा मार्च 2007 तक पूंजीगत कार्यों के लिये आबंटित किये गए थे। वर्ष 2007-08 के लिये, मंत्रालय ने पूंजीगत कार्यों के लिये रूपसे 33.92 करोड आबंटित किये। इस प्रकार 2002-08 की अवधि के लिये पूंजीगत कार्यों में रूपसे 294.67 करोड की कुल उपलब्ध निधियों के विरुद्ध, आई.सी.एम.आर. ने रूपसे 345.19 करोड निर्गमित किये। रूपसे 50.51 करोड का अधिक निधियों के साधन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 में उत्तर दिया कि वह मंत्रालय से एकमुश्त अनुदान प्राप्त करती है और विभिन्न बजट शीर्षो के अंतर्गत आबंटन आई.सी.एम.आर. द्वारा महानिदेशक के अनुमोदन से किया जाता है। आई.सी.एम.आर. ने फिर कहा कि दसवीं योजना के लिये रूपसे 970 करोड के कुल बजट परिव्यय में से आई.सी.एम.आर. का वास्तविक व्यय रूपसे 1124 करोड था, जिसमें से पूंजीगत व्यय रूपसे 310.59 करोड था।

⁴ रूपसे 9.54 लाख (जेनरेटर की खरीद) + रूपसे 12.79 लाख (ए.एम.सी. 2006-07) + रूपसे 6.93 लाख (2007-08) मार्च 2008 तक

यद्यपि आई.सी.एम.आर. ने 2002-08 की अवधि कि दौरान पूंजीगत कार्यों पर किये गए वास्तविक व्यय के समाशोधन के कोई सहायक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। दसवीं योजना के ई.एफ.सी के अभाव में वास्तविक शीर्षवार बजट आबंटन लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त आई.सी.एम.आर. ने पूंजीगत कार्यों के लिये रूपये 50.52 करोड की अधिक निधियों के निर्गमन के साधन प्रस्तुत नहीं किये।

(ii) आई.सी.एम.आर. ने अपने संस्थान/केन्द्रों को वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान 44 से 87 प्रतिशत के बीच और 2002-08 के दौरान मार्च के महीने में 31 से 76 प्रतिशत पूंजी निधियों का निर्गमन किया। यह व्यय की तेजी को इंगित करता है, जो कि सामान्य वित्तीय नियमों के 56 (3) के उल्लंघन में था, और इसके परिणामस्वरूप निधियों का समयपूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका, जैसा आगे के पैराग्राफों में देखा गया।

आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 के अपने उत्तर में कहा कि अंतिम तिमाही में ज्यादा व्यय का कारण आई.सी.एम.आर. की अनुदान का बड़ा भाग सरकार द्वारा अंतिम तिमाही को निर्गमित करना था। आई.सी.एम.आर. के इस तथ्य को प्रकाश में विचार करना चाहिए कि वर्ष 2006-07 के अलावा मंत्रालय द्वारा अंतिम तिमाही में निर्गमन केवल 16 से 44 प्रतिशत के बीच था।

सिफारिश

49. आई.सी.एम.आर. को अपने संस्थानों को व्यय के बहाव की आवधिक समीक्षा करने के लिये एक प्रभावी तंत्र प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए।

10.1.4.2 अव्ययित अनुदान को न दिखाना

आई.सी.एम.आर. ने अपने संस्थानों को पूंजीगत अनुदान कार्यकारी एजेंसियों के पास जमा कराने के लिये निर्गमित किये। यद्यपि, आई.सी.एम.आर. ने ऐसे कोई अभिलेखा नहीं बनाये, जो इसके संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के पास जमा राशि और इसके संस्थानों के पास उपलब्ध राशि को दर्शाते हों। लेखापरीक्षा द्वारा 12 संस्थानों से प्राप्त मांगी सूचना के आधार पर, यह देखा गया कि 31 मार्च 2008 को इन संस्थानों के पास लगभग रूपये 82.92 करोड के पूंजी अनुदान पडे थे, जिन्हे **परिशिष्ट- IX** में वर्णित किया गया है। यद्यपि यह एक समाप्त होने वाली अनुदान है, आई.सी.एम.आर. ने न तो मंत्रालय को वापिस किया न ही इसे वार्षिक लेखों में तालिका 4 की चालू उत्तरदायित्वों में इसे वापिस किया दिखाया गया। इसके अलावा, आई.सी.एम.आर. मुख्यालय के कार्य को समाप्त करने पर एच.एस.सी.सी. द्वारा आई.सी.एम.आर. को रूपये 14.54 लाख की राशि वापिस करने के बाद भी वार्षिक लेखों में नहीं दिखाई गई। वर्ष 2007-08 के लिये टी.आर.सी. चैन्नई द्वारा जुलाई 2007 में आई.सी.एम.आर. को वापिस की गई रूपये 1.46 करोड की राशि न तो मंत्रालय को वापिस की गई न ही आई.सी.एम.आर. द्वारा वार्षिक लेखों में चालू उत्तरदायित्वों तालिका 4 में इसे वापिस किया गया, के रूप में दिखाया गया। इस प्रकार, आई.सी.एम.आर. ने अपने वार्षिक लेखों में रूपये 84.53 करोड का अव्ययित अनुदान नहीं दिखाया।

आई.सी.एम.आर. ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए जनवरी 2009 में कहा कि वह अपने संस्थानों द्वारा अग्रिमों के प्रगतिशील पूंजीकरण के बारे में सुनिश्चित करेगा और अव्ययित अनुदान का एक विश्वसनीय प्रतिबिंब आई.सी.एम.आर. के वार्षिक लेखों में किया जाएगा।

सिफारिश

50. आई.सी.एम.आर. को निधियों के प्रभावी उपयोग और बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये एक प्रभावी तंत्र प्रणाली सुनिश्चित करती चाहिये।

10.1.4.3 तिमाही बैंक विवरण न प्रस्तुत करना

आई.सी.एम.आर. ने एच.एस.सी.सी. नोएडा के साथ आर्किक्वैरल प्रारूप के लिये पूंजी और नवीनीकरण वार्षिक परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिये इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन इत्यादि के लिये एक एम.ओ.यू. सितम्बर 2005 में हस्ताक्षरित किया। एम.ओ.यू. के अनुसार, एच.एस.सी.सी. को निधियों का उपयोग और उपलब्ध शेषों के बैंक द्वारा प्रमाणितकृत दर्शाते हुए लेखों का तिमाही बैंक विवरण प्रस्तुत करना था। आई.सी.एम.आर. द्वारा एच.एस.सी.सी. जमाओं पर अर्जित ब्याज को आई.सी.एम.आर. को जमा करना था। 1999 से 2008 के दौरान, आई.सी.एम.आर. ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये एच.एस.सी.सी. के पास रुपये 76.77 करोड़ जमा किये। यद्यपि, एच.एस.सी.सी. को इसे प्रस्तुत करने का दबाव नहीं डाला।

लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित सूचनाओं के आधार पर, यह देखा गया कि एच.एस.सी.सी. ने आई.सी.एम.आर. द्वारा किए जमा राशियों पर रुपये 4.94 करोड़⁵ ब्याज अर्जित किया, जो कि आई.सी.एम.आर. के सूचित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, आई.सी.एम.आर., एच.एस.सी.सी. के आगे किए निर्गमनों पर ब्याज का समायोजन नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, यह एच.एस.सी.सी. को अदेय लाभ दर्शाता है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, आई.सी.एम.आर.ने जनवरी 2009 में कहा कि सभी पूंजी कार्य संविदाओं की एक विस्तृत समीक्षा पूंजी कार्यों के लिये जमा अग्रिमों पर अर्जित ब्याज और प्रगतिशील रिपोर्टिंग का दिखाना सुनिश्चित करने के लिये की जाएगी। अब, यह पूंजी कार्य संविदाओं में अग्रिम को कार्यकारी एजेंसी द्वारा एक फ्लेक्सी बैंक लेखा में रखने का प्रावधान कर रहा है।

आई.सी.एम.आर. ने राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान के एक केन्द्र क्षेत्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र, साउथ (आर.ओ.एच.सी) बैंगलोर के डिजाईन और निर्माण के लिये मैसर्स नेशनल भवन निर्माण कार्रपोरेशन (एन बी सी सी) लिमिटेड के साथ मार्च 2003 में एक करार जोकि कुल मूल्य की 4.9 प्रतिशत परामर्श शुल्क था, पर हस्ताक्षरित किया। करार के अनुसार एन बी सी सी को निर्गमित राशि को एक अलग बैंक में जमा करना था और इस पर अर्जित ब्याज आर.ओ.एच.सी./आई.सी.एम.आर. को जमा करना था। यद्यपि ऐसा आवश्यक था, एन बी सी सी ने अपने पास जमा रुपये 14.86 करोड़ की राशि का तिमाही व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया। आई.सी.एम.आर. ने भी तिमाही व्यय विवरणी की प्रस्तुति के लिये जोर नहीं दिया। विवरणी के अभाव में, आर.ओ.एच.सी. द्वारा अर्जित ब्याज लेखे में नहीं लिया जा सका।

आई.सी.एम.आर.ने जनवरी 2009 में कहा कि एन.बी.सी.सी. द्वारा राशि एक चालू लेखे में जमा करा दिया गया था और इस प्रकार कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ। इसने फिर कहा कि अब यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं कि अग्रिम ब्याज अर्जित होने वाले लेखों में जमा किये जाएं और आई.सी.एम.आर./संस्थान निर्माण फर्मों द्वारा जमा की गई राशि के उपयोग की संवीक्षा के लिए समय पूर्वक तिमाही बैंक विवरणियां प्राप्त कर रही हैं।

सिफारिश

51. आई.सी.एम.आर. को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्माण फर्मों द्वारा जमा राशियों के उपयोग की संवीक्षा के लिए तिमाही बैंक विवरणियां समयपूर्वक प्राप्त

⁵ बैंक द्वार प्रमाणिक राशि नहीं थी।

करती है, ताकि वह फर्मों को कार्यों के लिए भविष्य के निर्गमनों पर अर्जित ब्याज का समायोजन कर सके।

10.1.4.4 निधियों का अधिक निर्गमन

केन्द्रीय लोक कार्य विभाग मैन्यूल (सी.पी.डब्ल्यू.डी) के प्रावधानों के अनुसार, कार्य के कुल अनुमानित मूल्य की अधिकतम 33.3 प्रतिशत तक अग्रिम के रूप में कार्यकारी एजेंसियों को जमा के रूप में और शेष राशि कार्य पूरा होने के अनुसार ठेकेदार को निर्गमित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एम.आर.ने 2002-08 की अवधि के दौरान आई.सी.एम.आर. मुख्यालय के 21 कार्यों में से 15 के लिए विभिन्न एजेंसियों के पास कार्य के कुल अनुमानित मूल्य के 76 से 100 प्रतिशत तक अग्रिम जमा के रूप में निर्गमित किए थे, जैसा **परिशिष्ट-X** में वर्णित है। इसके कारण आई.सी.एम.आर. की निधियों का अवरोधन हुआ, जिसे अन्य कार्यों के लिए अच्छी तरह प्रयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, वह फर्मों जिन्होंने इस पर ब्याज अर्जित किया, की निष्क्रियता दर्शाता हैं, और आई.सी.एम.आर. को सूचित नहीं किया जिसे जैसा पैराग्राफ 10.1.4.3 में दिखाया गया।

आई.सी.एम.आर. को सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों की निष्क्रियता रोकने के लिए कार्यों के अनुमानित मूल्य के 33.3 प्रतिशत से ज्यादा अग्रिम कार्यकारी एजेंसियों को न दें और निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।

आई.सी.एम.आर.ने जनवरी 2009 में कहा कि भविष्य में पूंजी कार्यों के लिए अग्रिम सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैन्यूल में निर्धारित तरीके के अनुसार निर्गमित किए जाएंगे।

10.1.5 अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और संवीक्षा

(i) 2002-08 के दौरान, आई.सी.एम.आर.ने अपने संस्थानों/केन्द्रों को पूंजी, छुट-पुट, विशेष मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के पास जमा कराने के लिए रूपये 345.19 करोड निर्गमित किये। आई.सी.एम.आर. के मुख्यालय ने जमा कार्यों के रूप में विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों को भुगतान अग्रिमों के समायोजन को देखने के लिए कोई अभिलेख नहीं बनाया। 30 संस्थानों में से 18 संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सूचना से पाया गया कि 10 संस्थानों के मामले में कार्यकारी एजेंसियों ने 2002-08 के दौरान पूरे हुए 70 कार्यों के रूपये 21.88 करोड के अग्रिम के लिए समायोजन लेखे प्रस्तुत नहीं किए, जैसा **परिशिष्ट-XI** में वर्णित है। इस प्रकार, विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के प्रदत्त अग्रिमों के समायोजन की संवीक्षा के लिए तंत्र प्रणाली आई.सी.एम.आर. मुख्यालय के साथ-साथ संस्थानों के स्तर पर भी अपर्याप्त थी और इसे प्रभावी संवीक्षा और निधियों के बेहतर उपयोग के लिए मजबूत करने की आवश्यकता थी।

(ii) आई.सी.एम.आर.ने वैयक्तिक कार्यों के लिए भी कोई प्रणालीकृत अभिलेख नहीं बनाये थे, जिससे उनकी प्रगति देखी जा सके। इसके अभाव में, यह चल रहे कार्यों की कुल संख्या, लिए गए, पूरे होने वाले, वास्तव में पूरे हुए और वास्तविक समापन मूल्य से सम्बंधित सूचना देने में असफल रहा। कार्यों के रजिस्टर से समापन की निर्धारित तिथि, समापन की वास्तविक तिथि और अंतिम व्यय का पता नहीं चलता। आई.सी.एम.आर.में आवधिक रिपोर्टिंग की कोई प्रणाली नहीं, जिससे यह कार्य की प्रगति की संवीक्षा करने में समर्थ हो। संस्थानों ने आई.सी.एम.आर.मुख्यालय को समापन रिपोर्ट और इनवेस्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार, आई.सी.एम.आर.ने कार्यों के समयपूर्वक और निर्धारित मूल्य के भीतर समापन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र प्रणाली नहीं थी, जिससे कई मामलों में समय ओर मूल्य की वृद्धि हुई। और, आई.सी.एम.आर. के पास इनवेस्टरी और इसके द्वारा संस्थानों को निर्गमित निधियों से ली गई सम्पत्तियों की कोई सूचना नहीं थी। तथ्यों को स्वीकार करते समय, आई.सी.एम.आर. ने जनवरी 2009 में कहा कि

सी.पी.डब्ल्यू द्वारा अपनाए गए ई गर्वनेस मॉडल के माध्यम से संवीक्षा तंत्र प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

10.1.6 निष्कर्ष

2002-08 के दौरान, आई.सी.एम.आर. ने अपनी विभिन्न संस्थानों को पूंजी, छुट-पुट और विशेष कार्यो के लिए रूपये 345.19 करोड निर्गमित किए, जिसमें से लेखापरीक्षा ने रूपये 160.48 करोड के मूल्य के 20 पूंजी कार्यो का नमूना जांच किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एम.आर. ने मंत्रालय के अनुमोदन के बिना रूपये 22.82 करोड की हानि पर एक निजी गृह समिति को भूमि अनियमित रूप से हस्तांतरित की, इस प्रकार यह धोखे की सम्भावना दर्शाता है। आई.सी.एम.आर. ने आवश्यकता से अधिक भूमि क्रय की जिसके कारण भूमि के 3 प्लॉटों में रूपये 3.01 करोड के निर्माण न करने के शुल्क का भुगतान किया। आई.सी.एम.आर. द्वारा समयपूर्वक अनुमोदन और निधियों के निर्गमन में देरी के परिणामस्वरूप 13 वर्षो तक कार्य शुरू न होना और रूपये 30.94 करोड की लागत में वृद्धि के अतिरिक्त उद्देश्यो की प्राप्ति नहीं हुई। 9 कार्यो में पाये गए रूपये 21.82 करोड की निधियों के अवरोधन और बेकार व्यय कार्य शुरू करने और पेनलटी का भुगतान न करने के निर्णयों में देरी के परिणामस्वरूप था। आई.सी.एम.आर. के पास अपने संस्थानों द्वारा व्यय के बहाव की आवधिक समीक्षा के लिए कोई पर्याप्त बजट से सम्बंधित और वित्तीय नियंत्रक तंत्र प्रणाली नहीं थी। आई.सी.एम.आर. ने कार्यो की प्रगति देखने और अपने संस्थानों के दिए गए अग्रिमों के समायोजन के लिए और निर्धारित मूल्य के भीतर कार्यो के समयपूर्वक समापन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र प्रणाली नहीं है। इस प्रकार, भवनों के निर्माण और अन्य सम्बंधित मूलभूत सुविधाओं के लिए अपने विभिन्न संस्थानों को प्रदत्त निधियों की बड़ी राशि को देखते हुए आई.सी.एम.आर. की निधियों के समयपूर्वक उपयोग, कार्यो के समापन और उद्देश्यो की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्य प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली
तिथि 01 जून 2009

रुज जी विश्वानाथन
(राज जी. विश्वानाथन)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
तिथि 11 जून 2009

विनोद राय
(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1 (पैराग्राफ 1.1 को संदर्भ में लें)

वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों का संक्षिप्त परोफाइल

1. परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)

डी.ए.ई. का उद्देश्य विभिन्न कार्यों के लिये अणु की ऊर्जा को हारनेस करना है, जो कि आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुये देश के विकास और कल्याण कार्यक्रमों में योगदान देता है। डी.ए.ई. का मुख्य अधिदेश स्वदेशी यूरेनियम और थोरियम संसाधनों का प्रयोग करते हुये सुरक्षित और मितव्ययी नाभिकीय शक्ति को पैदा करना है। डी.ए.ई. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 6010.98 करोड़ रुपये था। डी.ए.ई. के क्रिया कलाप इसकी एजेन्सियों जैसे भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गाँधी आवविक अनुसंधान केन्द्र, भारी जल बोर्ड,

2. अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)

डी.ओ.एस. और इसकी संघटक ईकाईयाँ राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्रियाकलापों की योजना और क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों में सैटेलाइट्स का विकास, वाहनों का प्रक्षेपण, रॉकेटों की आवाज और उससे जुड़ी ग्राउंड प्रणालियाँ सम्मिलित है। यह अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रयोज्यताओं से संबंधित मामलों में व्यवहार करता है। 2007-08 के दौरान डी.ओ.एस. द्वारा किया गया व्यय 3278 करोड़ रुपये था। डी.ओ.एस. के क्रियाकलाप इसकी एजेन्सियों जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, सतीशा धवन अंतरिक्ष केन्द्र, तरल परोपलसन प्रणाली केन्द्र, राष्ट्रीय दूरगामी सैनसिंग एजेन्सी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इत्यादि द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.)

एम.ओ.ई.एफ. पर्यावरणीय एवं वनीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की योजना, उन्नति, समन्वय और देखरेख की नोडल एजेन्सी है। एम.ओ.ई.एफ. द्वारा ली गई मुख्य क्रियाकलाप में फ्लोरा, फोना, वनों और वन्यप्राणी का संरक्षण और सर्वेक्षण, प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण और निम्न क्षेत्रों को हरित करना और पुर्नजनित करना है। एम.ओ.ई.एफ. द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 1583.24 करोड़ रुपये था। एम.ओ.ई.एफ. के क्रिया कलाप इसकी एजेन्सियों जैसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय वन्यप्राणी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, भारतीय वनीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, केन्द्रीय वन्यप्राणी प्राधिकरण इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन तीन विभाग हैं

4.1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)

डी.एस.टी. देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। डी.एस.टी. की विस्तृत क्रियाकलापों में एक ओर उच्च और मूल भूत अनुसंधान को उन्नत करना और कटिंग एज प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ दूसरी ओर उचित कुशलता और प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से आम आदमी की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं की सेवा प्रदान करना है। डी.एस.टी. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 1514.93 करोड़ रुपये था। डी.एस.टी. क्रियाकलाप इसकी एजेन्सियों जैसे प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, रमन अनुसंधान संस्थान, बोस संस्थान, भारतीय विज्ञान उपज संघ, भारतीय ऐस्ट्रोफिजिक्स संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

4.2 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)

डी.एस.आई.आर. का प्राथमिक उद्देश्य उद्योगों द्वारा अनुसंधान और विकास को बढ़ाना और बड़ी मात्रा में छोटी/माध्यम प्रौद्योगिक ईकाइयों को उच्च वाणिज्यिक संभावक की वैश्विक प्रतियोगी प्रौद्योगिकियों के रूप में विकास के लिये सहायता करना है। यह प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिये वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिक स्थापनाओं में एक जरिया प्रदान करता है। डी.एस.आई.आर. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 1892.55 करोड़ रुपये था। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि डी.एस.आई.आर. द्वारा पूंजी प्रदत्त एक बड़ी स्वायत्त निकाय है, इसमें 38 प्रयोगशालाएँ जैसे राष्ट्रीय ऐरोस्पेस प्रयोगशालायें, राष्ट्रीय रसायनिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय फूड प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरणीय ईजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय ओशनोग्राफी संस्थान इत्यादि शामिल है।

4.3 बायोटेक्नोलोजी विभाग (डी.बी.टी.)

बायोटेक्नोलोजी विज्ञान मानवीयता के लाभ के लिये गहन संभाव्य एक फ्रंटलाइन क्षेत्र है डी.बी.टी. अनुसंधान के क्षेत्रों में, बायोटेक्नोलोजी को प्रसिद्ध करने के, उद्योगों को बढ़ाने में सेवार्यें प्रदान करता है। बायोइन्फोरमैटिक्स जो कि डी.बी.टी. का एक बड़ा मिशन है, वैज्ञानिक समुदाय के लिये राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश करता है। डी.बी.टी. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 636.62 करोड़ रुपये था। डी.बी.टी. के क्रियाकलाप उसकी एजेन्सियों जैसे राष्ट्रीय रोग प्रतिरोधक संस्थान, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

5. भू विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.)

एम.ओ.ई.एस. बढ़िया एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से मानसून का पूर्वानुमान करने में और अन्य मौसम/वातावरण मानको, समुद्र की स्थिति, भूकम्पों, सुनामियो और पृथ्वी से संबंधित दूसरे फीनोमीना के बारे में राष्ट्र को बेहतर संभव सेवाएँ प्रदान करने के लिये अध्यादेशित है। एम.ओ.ई.एस. विज्ञान और सामुद्रिक संसाधनों (लिविंग और नॉन लिविंग) की खोज और प्रयोग के लिये प्रौद्योगिकी में भी कार्यकलाप है और अन्तरकिटिक/आर्कटिक और दक्षिणी समुद्री अनुसंधान में एक नोडल भूमिका निभाता है। एम.ओ.ई.एस. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 562.84 करोड़ रुपये था। एम.ओ.ई.एस. की गतिविधियाँ उसकी एजेन्सियों जैसे भारतीय मौसम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय सामुद्रिक सूचना सेवार्यें केन्द्र, राष्ट्रीय अन्टीटिव संस्थान, राष्ट्रीय माध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र इत्यादि के माध्यम से की जाती है।

6. नवी एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)

एम.एन.आर.ई. का उद्देश्य वैकल्पिक ईंधनों जैसे हाईड्रोजन, बोयोईंधन और सिथेटिक ईंधनों के विकास और प्रयोग के माध्यम से तेल आयातों पर कम निर्भरता के द्वारा ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना है। एम.एन.आर.ई. फॉसिल ईंधन पर आधारित बिजली पैदा करने की अनुपूरक विधि से नवीकरण ऊर्जा (बौयो, हवा, हाइड्रो, सौर, जियोथर्मल और टाइडल) के माध्यम से साफ पॉवर के भाग को बढ़ाने का प्रयत्न करती है। इसका उद्देश्य पकाने, गर्म करने, मोटिव ऊर्जा और ग्रामीण, शहरी प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक क्षेत्रों में कैपटीव बिजली उत्पादन और 2050 तक वैश्विक औसत स्तर पर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत प्राप्त करने के अनुपूरकों का भी है। एम.एन.आर.ई. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 485.15 करोड़ रुपये था। एम.एन.आर.ई. की गतिविधियाँ उसकी एजेन्सियों जैसे सौर ऊर्जा केन्द्र, वायु ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र इत्यादि के माध्यम से की जाती है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.)

डी.आई.टी. भारत को एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी में सुपर पावर बनाने और सूचना क्रांति के युग में सबसे आगे रखने के लिये वचनबद्ध है। यह इलैक्ट्रॉनिक्स के लाभों को जिदंगी के हर क्षेत्र में लाने और भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग के एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में विकसित करने का भी प्रयास करती है। डी.आई.टी. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 1295.26 करोड़ रुपये था। डी.आई.टी. क्रियाकलाप उसकी एजेन्सियों जैसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मानकीकरण, जाँच और गुणवत्ता प्रमाण पत्र

निदेशालय, नियंत्रक प्रमाणिक प्राधिकरण, उन्नत संगवता विकास केन्द्र, एप्लाइड माइक्रो वेव इलैक्ट्रोनिक्स ईजीनियरिंग अनुसंधान समिति इत्यादि के माध्यम से किये जाते हैं।

8. भू भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.)

जी.एस.आई. खन्न मंत्रालय के अर्न्तगत एक अधिनस्थ कार्यालय है। जी.एस.आई. के उद्देश्य देश के और इसके सामुदिक क्षेत्रों में मिनरल और ऊर्जा संसाधनों को खोजने/पाने के लिये भौगोलिक, भू भौतिक और भू रसायनिक नक्शों को तैयार/अपडेट करना है। जी.एस.आई. भू. विज्ञान में अनुसंधान भी कराती है और भू प्रणाली और इसके संसाधनों के प्रबंधन को प्रभावित करने के लिये भौगोलिक जोखिमों से जान और माल के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से नवीन ज्ञान को लागू कराने में बढावा देती है। जी.एस.आई. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 308.91 करोड़ रुपये था।

9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.)

आई.सी.ए.आर., कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अर्न्तगत एक स्वायत्त संगठन है। आई.सी.ए.आर. सूचनाओं के एक संग्रह की तरह कार्य करता है और कृषि, उद्यान, संसाधन प्रबंधन, पशु विज्ञान, कृषि ईजीनियरिंग, मछली पालन, कृषि विस्तार इत्यादि पर सलाह प्रदान करता है। यह कृषि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में समन्वय और खेती समुदाय के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये संबंधित संगठनों के साथ राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव विकास करने के लिये अध्योदशित है। आई.सी.ए.आर. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 2209.88 करोड़ रुपये था। आई.सी.ए.आर. के क्रियाकलाप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान इत्यादि एजेन्सियों के माध्यम से किये जाते हैं।

10. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.)

आई.सी.एम.आर., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अर्न्तगत एक स्वायत्त संगठन है। आई.सी.एम.आर. की अनुसंधान प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं जैसे कि संप्रेषक रोगों के नियंत्रण एवं प्रबंधन, प्रजनन नियंत्रक, माता एवं बच्चे और पोषक अव्यवस्था पर नियंत्रण में संपात है। आई.सी.एम.आर. बड़ी असंप्रेषण बीमारियों जैसे कैंसर, कार्डियो वस्कुलर बीमारियों, अंधापन, मधुमेह और अन्य मेटाबोलिक और हेमेटोलोजिकल गाडबडियों पर भी अनुसंधान करता है। आई.सी.एम.आर. द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 311.65 करोड़ रुपये था। आई.सी.एम.आर. के क्रियाकलाप राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, साईटोजोजी एवं प्रीवेन्टिव ओनकोलोजी संस्थान, राष्ट्रीय एडस अनुसंधान संस्थान, क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान इत्यादि एजेन्सियों के माध्यम से किये जाते हैं।

11. टेलिमेडिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)

सी.-डॉट दूरसंचार विभाग के अर्न्तगत एक स्वायत्त निकाय है। सी.-डॉट के उद्देश्य दूर संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं पर कार्य करना और ग्रामीण एप्लीकेशन के लिये आवश्यकताओं सहित दूरसंचार/जुड़े नेटवर्कों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिये समाधान प्रदान करना है। सी.-डॉट आर. एण्ड डी. गतिविधियों के लिये बाजार अभिनिन्यास प्रदान करने का प्रयत्न करता है; स्वयं को विशिष्टता केन्द्र के रूप में बनाये रखने और उद्योग, समाधान प्रदान दूरसंचार कंपनियों और अन्य विकास संगठनों के साथ साझेदारी/संयुक्त सम्बन्ध स्थापित करता है। सी-डॉट द्वारा 2007-08 के दौरान किया गया व्यय 131.89 करोड़ रुपये था।

परिशिष्ट - I ए (पैराग्राफ 1.6.4 के संदर्भ में)

वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा से निकली विषयवार विशिष्ट लेखापरीक्षा जाँच

विषय	प्रतिवेदन संख्या सी.ए. 16-पैरा (विभाग)	2008 की प्रतिवेदन संख्या सी.ए. 3 पैरा (विभाग)	2008 की प्रतिवेदन संख्या पी.ए. 2 पैरा (विभाग)	2007 की प्रतिवेदन संख्या 2 पैरा (विभाग)	2007 की प्रतिवेदन संख्या पी.ए. 2 पैरा (विभाग)	2006 की प्रतिवेदन संख्या 2 एवं 3-पैरा (विभाग)	2005 की प्रतिवेदन संख्या 5 पैरा (विभाग)
अकुशल परियोजना प्रबंधन, उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफलता और विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण में कम सफलता	2.5, 2.6 (डी.ए.ई.) 3.1, 3.2 (डी.आई.टी.) 4.4, 4.5, 4.6 (डी.एस.आई.आर.) 5.3 (डी.एस.टी.) 6.1, 6.3 (एम.ओ.ई.एफ.)	2.1, 2.5 (डी.ए.ई.) 4.1 (डी.एस.आई.आर.) 4.3 (डी.एस.आई.आर.) 7.1, 7.3 (एम.ओ.ई.एस.) 8.1 (एम.एन.आर.ई) 9.1 9.4, 9.5 (आई.सी.ए.आर)	1 (डी.एस.आई.आर) 3 (आई.सी.ए.आर)	1.1 (आई.सी.ए.आर) 2.11 (डी.आई.टी)	1 (सी-डॉट) 2 (आई.सी.एम.आर.)		2.1 (आई.सी.ए.आर.) 3.5 (डी.ए.ई)
क्रय प्रणालियों में कमियाँ	8.1 (जी.एस.आई) 9.1 (आई.सी.ए.आर)	2.2 (डी.ए.ई) 2.3 (डी.ए.ई) 4.2 (डी.एस.आई.आर) 5.1 (डी.एस.टी)	2 (डी.ओ.एस)	5.1 (एम.ओ.ई.एस)	3 (डी.एस.आई.आर)	1.1 (डी.ए.ई) 11.1 11.2 (डी.एस.आई.आर)	3.4 (डी.ए.ई) 10.1, 10.2 (डी.एस.आई.आर)
कार्यों के निष्पादन और संपत्ति प्रबंधन में कमियाँ	2.2 (डी.ए.ई) 3.3 (डी.आई.टी) 4.2 (डी.एस.आई.आर) 7.1 (एम.ओ.ई.एस) 10.1 (आई.सी.एम.आर)	2.4 (डी.ए.ई) 3.1 (डी.आई.टी.) 7.2 (एम.ओ.ई.एस) 6.1 (एम.ओ.ई.एफ)	-	2 (डी.ओ.एस)	-	-	9.1 (आई.सी.एम.आर)
आवश्यक अनुमोदनों के बिना स्टॉफ को भुगतान	2.1 (डी.ए.ई) 5.2 (डी.एस.टी) 6.2 (एम.ओ.ई.एफ)	5.2 (डी.एस.टी.) 9.2 (आई.सी.ए.आर)					7.1 (डी.ओ.एस)
अन्य: अधिक/निष्फल/बेकार व्यय और लेखापरीक्षा के कहने पर देयताओं/वसूलियों का वसूल न होना	2.3, 2.4 (डी.ए.ई) 4.1, 4.2, 4.3 (डी.एस.आई.आर) 5.1 (डी.एस.टी) 7.2 (एम.ओ.ई.एस) 9.2 (आई.सी.ए.आर)	9.3 (आई.सी.ए.आर.)		6.1 (एम.ओ.ई.एफ) 13.1 (डी.एस.आई.आर)		3.1 (सी-डॉट)	3.1,3.2, 3.3 (डी.ए.ई) 4.1 (डी.आई.टी) 5.1, 5.2 (डी.एस.टी) 6.1 (डी.एस.आई.आर) 8.1 (आई.सी.ए.आर)

परिशिष्ट - I बी (पैराग्राफ 1.6.4 के संदर्भ में)

योजनाओं की सूची जिनकी टिप्पणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई।

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफ
1.	गामा - किरन एस्ट्रोफिजिक्स सेरिनकोव प्रयोग	डी.ए.ई.	2.5.2.1
2.	एस.यू.बी.-टी.ई.वी लाईट प्रयोग	डी.ए.ई.	2.5.2.2
3.	रेडियेशन उपस्कर का डिजाईन और विकास और टेस्ट सुविधा	डी.ए.ई.	2.6.2.2 (ए)
4.	कोबाल्ट हैंडलिंग सुविधा का आर्वधन	डी.ए.ई.	2.6.2.2 (ए)
5.	बी.आर.आई.टी. द्वारा बी.ए.आर.सी. कैम्पस में रिडियोकेमिकल प्रयोगशालाओं का आर्वधन	डी.ए.ई.	2.6.2.2 (ए)
6.	कोलकत्ता में डी.ए.ई. चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना	डी.ए.ई.	2.6.2.2 (बी) (i)
7.	रेडियेशन प्रौद्योगिकी के लिये एकीकृत सुविधा	डी.ए.ई.	2.6.2.2 (बी) (ii)
8.	ढाँचागत सुविधाओं का नवीनीकरण और आर्वधन	डी.ए.ई.	2.6.2.2 (बी) (iii)
9.	परमाणु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार	डी.ए.ई.	2.6.2.3 (बी)
10.	टाटा मेमोरियल केन्द्र में निजी प्रैक्टिस योजना	डी.ए.ई.	2.1
11.	दूरदर्शन से इंटरनेट पहुँच के लिए सेट टॉप बॉक्स का निकपण और लागू करना	डी.आई.टी.	3.1
12.	ग्रामीण संचार के लिए मल्टीप्लेक्सिंग आधारित ब्रॉड बैंड एक्सेस प्रणाली पर आरथोनल फ्रीक्वेंसि डिवाजन का विकास	डी.आई.टी.	3.2
13.	32 चैनल डिजीटल बॉयस लॉगर का विकास	डी.आई.टी.	4.1
14.	फेरो क्रोम/चार्ज क्रोम के निर्माण के लिये क्रोमाईट की स्मैल्टिंग कमी	डी.एस.आई.आर.	4.4.2.4 (बी) (i)
15.	निकल कैडमियम और निकल धातु हाईड्राईड बैटरियों के लिये उपयुक्त निकल हाईड्रोक्साईड को तैयार करना	डी.एस.आई.आर.	4.4.2.4 (बी) (ii)
16.	ऑयन-विनिमय/चिलेंटिंग रेसिन (पार्ट-II) का प्रयोग करते हुये बेयर से गेलियम निकालना	डी.एस.आई.आर.	4.4.2.4 (बी) (iii)
17.	लगभग 80 प्रतिशत राख के साथ कोल्ड सेटिंग फ्लाइ ऐश ईटों/उत्पादनों के निर्माण प्रौद्योगिकी का विकास/उच्चकोटिकरण	डी.एस.आई.आर.	4.4.2.4 (बी) (iv)
18.	विद्युत वाहनों के लिये उच्च ऊर्जा डेनसिटी निकल-धातु हाईड्राईड बैटरियों का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.1 (i)
19.	ताँबे की वसूली के साथ-साथ ऐसिडिक इलैक्ट्रोलाइटिक रीजनरेशन और अमानिकल क्यूपरिक क्लोराईड इचैन्टस	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.1 (ii)
20.	400 वॉट क्षमता वाले हाईड्रोजन जनरेटर का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.1 (iii)
21.	पीने के पानी में से आरसेनिक हटाने के लिये इलैक्ट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.1 (iv)
22.	इलैक्ट्रोकेमिकल ऑयोन विनिमय का प्रयोग करते हुये मेटल फिनिशिंग वैस्ट-पानी से क्रामियम को पुनः प्रयोग करना	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.1 (v)
23.	एल्यूमिनियम धातु के इलैक्ट्रोफाईनिंग के लिये एक प्रक्रिया का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.2 (i)
24.	पोलिमर आधारित सुपर कैपेसिटर के चालन का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.2 (ii)
25.	टंगस्टन एलोय स्वार्फ से टंगस्टन निकालना	डी.एस.आई.आर.	4.5.2.2. (iii)
26.	एरोस्पेस एण्लीकेशन के लिये नाईट्राईट सिरमिक्स का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (ए) (i)
27.	वेस्ट एफ्लूयेन्ट के ट्रीटमेंट के लिए सिरमिक मेम्बरेन प्रयोग करते हुये प्रोटोआईप (1000 एल क्षमता) का निरूपण एवं विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (ए) (ii)
28.	पोल्यूटेन्ट विशिष्ट केमो.सेंसर्ज सोलिड स्टेट सल्फर डाईऑक्साईड सेंसर्ज का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (ए) (iii)
29.	वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिये मेम्बरेन आधारित प्रणालियाँ	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (ए) (iv)

2008-09 की संख्या सी.ए. 16 (वैज्ञानिक विभाग)

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफ
30.	नये भवन निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (ए) (V)
31.	प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के विकास और अल्ट्रा-लो एक्सपेंशन ट्रांसपेरेंट ग्लास सिरमिक की पूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (बी) (i)
32.	सल्फर ग्लास फ्रिटस (एस.जी.एफ) बनाने के लिये और ऑयलसीडस और दालों (चिक पी और पिजन पी) की कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एन. पी. के ग्लास फर्टिलाइजर्स की संभावनाओं को खोजने के लिये भी मितव्ययी प्रौद्योगिकी का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (बी) (ii)
33.	काम्पेकट फ्लोरोसेंट बल्बों और सी.आर.टी. प्रदर्शित स्क्रीनों में प्रयोग के लिये रेयर अर्थ आधारित ग्लास और ग्लास सिरमिक फॉस्फोरस का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (सी)
34.	उच्च पावर लेजर के लिये उच्च नुकसान रहित सोल-जेल परतों का विकास	डी.एस.आई.आर.	4.6.2.6 (सी)
35.	पैरा आईसोमर के लिये उच्च स्लैक्टिविटी के साथ मोनोनाईट्रोएटोव्यूनस के निर्माण के लिये प्रौद्योगिकी का विकास	डी.एस.टी.	5.1
36.	ग्लोबल जियोस्फीयर/बायोस्फीयर बदलाव अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय केन्द्र	डी.एस.टी.	5.3.2.1
37.	क्वाटरनरी भौगोलिक एवं आर्क्योबोटैनिकल खोजों से संबंधित डिपोजिटस की रेडियोकार्बन डेटिंग एवं पेलियोएन्वायरमेंटल और पेलियो-क्लाइमेटिक अध्ययन के लिये सेडिमेंटस का रसायनिक विश्लेषण	डी.एस.टी.	5.3.2.1 (ए)
38.	अकरिशनरी ईवाल्यूशन लाहौल-स्पीति, लद्दाख और कराकोरम क्षेत्रों में पेलिनोलेजिकल जियोकेमिकल और मेग्नेटिक अध्ययन पेलियोक्लाइमेट एवं नियोटेकटानिक्स पर प्रभाव	डी.एस.टी.	5.3.2.1 (बी)
39.	राजमहल बेसिन में मैसोजिक के दौरान टेरेस्टेरियल मेगाफ्लोरल बदलाव	डी.एस.टी.	5.3.2.1 (सी)
40.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के नियोजीन माईक्राफ्लोरोसटिकस और उनकी स्ट्राटिग्राफिक महत्व	डी.एस.टी.	5.3.2.2
41.	राजस्थान झील सैडिमेंटस में वनस्पतिक इतिहास के पुनर्निर्माण और एल.जी.एम. के दौरान वातावरण बदलावों के पालन विश्लेषणत्मक अध्ययन	डी.एस.टी.	5.3.2.2
42.	भारतीय लिग्नाईट की सेडिमेंटरी ऑरगेनिक पदार्थ चरित्रिकरण और संभवित डी.एन.ए. स्क्वैसिंग और नई परियोजना शीर्षक 'महुअडनर बेडस को पलामाऊ, झारखण्ड की फ्लोरल विविधता एवं इकोलॉजी'	डी.एस.टी.	5.3.2.2
43.	हिमालय क्षेत्र के लिये ट्री-रिंग पर आधारित मिलेनियम-लॉग क्लाइमेटिक पुनर्निर्माण	डी.एस.टी.	5.3.2.2
44.	उत्तर-पश्चिमी पेन्सिल्वानिया भारत जैसे राजस्थान और गुजरात के टेराशियरी फ्लोरिस्टिकस	डी.एस.टी.	5.3.2.3
45.	पोलेन और ट्री-रिंग ऑकडा प्रयोग करते हुये पिछले कई हजार वर्षों के दौरान उत्तर पूर्व भारत में आये वातावरण बदलावों का विश्लेषण	डी.एस.टी.	5.3.2.6 (ए)
46.	दुंगर दरंग ग्लेशियर, जंस्कार, लद्दाख का ग्लेशियर इतिहास	डी.एस.टी.	5.3.2.6 (बी)
47.	स्वर्ग जयंती कुंज	एम.ओ.ई.एफ.	6.1

परिशिष्ट - II (पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान

क्रमांक	स्वायत्त निकाय का नाम	2007-08 में प्रदत्त अनुदान की राशि (रूपये करोड़ों में)
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2230.43
2.	औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1863.70
3.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	311.65
4.	चाय बोर्ड, कोलकता	144.17
5.	श्री चित्रा तिरुल्ल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनंतपुरम	78.9 8
6.	केन्द्रीय प्राणी विज्ञान प्राधिकरण, नई दिल्ली	17.00
7.	भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून	12.00
8.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	19.00
9.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई	1.46
	योग	4678.39

परिशिष्ट - III (पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवाशर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 के अर्न्तगत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को प्रदत्त अनुदान

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2007-08 में प्रदत्त अनुदान की राशि (रूपये करोड़ों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग		
1.	टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई	138.29
2.	साहा नाभिकीय भौतिक विज्ञान संस्थान, कोलकत्ता	49.30
3.	भौतिक विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	33.83
4.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई	31.97
5.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	188.28
6.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	18.40
7.	प्लाजमा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	125.60
8.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चैन्नई	16.83
योग		602.50
जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
9.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली	36.62
10.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र पुणे	29.82
11.	डीएनए अंगुलिदाप एवं निदान केन्द्र, हैदराबाद	15.06
12.	राष्ट्रीय पादप जननेन्दिय अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली	13.60
13.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र गुडगाँव	17.10
14.	जैविक संसाधन तथा सत्त विकास संस्थान, इम्फाल	3.00
15.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	9.68
योग		124.88
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
16.	उन्नत संगणक विकास केन्द्र, पुणे	78.00
17.	प्रयोगिक माइक्रोवेव इलैक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान समिति, मुम्बई	28.00
18.	शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क, नई दिल्ली	Nil
19.	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर वर्धन परिषद, नई दिल्ली	Nil
20.	भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली	1.52
21.	इलैक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी हेतु सामग्री केन्द्र, पुणे	5.60
22.	इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग-प्रत्यातित कम्प्यूटर कोर्स, नई दिल्ली	2.20
योग		115.32
वन तथा पर्यावरण मंत्रालय		
23.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली	47.96
24.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	8.43
25.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	78.24
26.	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर	6.50
27.	गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अलमोडा	8.49

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2007-08 में प्रदत्त अनुदान की राशि (रूपये करोड़ों में)
योग		149.62
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
28.	रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	25.23
29.	बोस संस्थान, कोलकत्ता	26.23
30.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	23.00
31.	भारतीय विज्ञान संवर्धन संगठन/संघ कोलकत्ता	44.25
32.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलौर	39.08
33.	भारतीय भू-चुम्बकीय संस्थान, मुम्बई	22.55
34.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	8.86
35.	भारतीय राष्ट्रीय अभियोगिकी अकादमी, नई दिल्ली	2.00
36.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ कोलकत्ता	2.27
37.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान, लखनऊ	6.30
38.	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	14.11
39.	एस.एन. बोस राष्ट्रीय प्राथमिक विज्ञान केन्द्र, कोलकत्ता	14.37
40.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलौर	4.51
41.	जे.एन. उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बैंगलौर	35.00
42.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	2.98
43.	प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली	4.09
44.	विज्ञान प्रसार, नोएडा	8.00
45.	आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	9.93
46.	अंतराष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं नवीन सामग्री उन्नत अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	45.00
47.	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशालाएं प्रसाधन बोर्ड, नई दिल्ली	Nil
48.	लिविड क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र, बैंगलौर	4.00
49.	उन्नत अनुसंधान संवर्धन के लिए भारत फ्रांस केन्द्र, नई दिल्ली	8.50
50.	भारत यू.एस. विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम, नई दिल्ली	3.45
योग		353.71
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
51.	परामर्श-विकास केन्द्र, नई दिल्ली	2.00
योग		2.00
अंतरिक्ष विभाग		
52.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण, हैदराबाद	30.00
53.	भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	51.87
54.	राष्ट्रीय वातावरकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गदनकी	7.95
55.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलाँग	5.00
56.	स्मी-कंडक्टर प्रयोगशाला, एस.ए.एस. नगर	39.50
योग		134.32
भू-विज्ञान मंत्रालय		
57.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री जानकारी सेवार्थ केन्द्र, हैदराबाद	74.98

2008-09 की संख्या सी.ए. 16 (वैज्ञानिक विभाग)

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग स्वायत्त निकाय का नाम	2007-08 में प्रदत्त अनुदान की राशि (रूपये करोड़ों में)
58.	राष्ट्रीय एंटीकॉर्कटिका एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र गोवा	56.79
59.	राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	131.68
60.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विकास संस्थान, पुणे	14.50
योग		277.95
नवीं एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
61.	सरदार स्वर्ण सिंह-राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	3.67
62.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र चैन्नई	10.75
योग		14.42
कुल योग		1774.72

परिशिष्ट IV (पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)
बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

मंत्रालय/विभाग	अनुदान से संबंधित अवधि	मार्च 2007 के अन्त बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (रुपये लाखों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	4	3.12
	1999-2000	7	16.56
	2000-01	7	17.24
	2001-02	5	4.85
	2002-03	1	0.80
	2003-04	12	9.06
	2004-05	26	223.25
	2005-06	48	95.05
	2006-07	195	814.87
योग		313	1194.81
अंतरिक्ष विभाग	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05
	1986-87	6	1.35
	1987-88	4	4.88
	1989-90	2	0.07
	1990-91	1	5.24
	1991-92	1	1.24
	1993-94	2	1.28
	1998-99	1	0.20
	1999-2000	2	1.30
	2000-01	7	64.19
	2001-02	18	451.06
	2002-03	21	176.75
	2003-04	45	294.21
2004-05	65	562.23	
2005-06	101	536.57	
2006-07	121	984.32	
योग		411	3087.13
नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2003-04	2	1000.96
	2004-05	3	209.91
	2005-06	95	1069.28
	2006-07	96	3920.00

2008-09 की संख्या सी.ए. 16 (वैज्ञानिक विभाग)

मंत्रालय/विभाग	अनुदान से संबंधित अवधि	मार्च 2007 के अन्त बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (रूपये लाखों में)
योग		196	6200.15
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1981-82	15	5.29
	1982-83	21	41.00
	1983-84	90	58.50
	1984-85	143	229.80
	1985-86	121	495.40
	1986-87	74	533.77
	1987-88	278	6531.00
	1988-89	359	2543.18
	1989-90	545	192.00
	1990-91	70	123.30
	1991-92	81	1439.00
	1992-93	216	736.00
	1993-94	64	74.18
	1994-95	131	85.00
	1995-96	10	21.00
	1996-97	418	13658.77
	1997-98	592	8824.68
	1998-99	300	14.00
	1999-2000	492	2356.64
	2000-01	518	3739.07
2001-02	556	4069.84	
2002-03	556	857.67	
2003-04	770	4247.44	
2004-05	563	766.69	
2005-06	810	10698.87	
2006-07	1050	39037.04	
योग		8843	101379.63
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1993-94	5	0.70
	1994-95	4	1.60
	1995-96	5	1.35
	1996-97	5	1.15
	1997-98	10	3.80
	1998-99	5	2.40
	1999.2000	3	0.45
	2000-01	3	1.20
	2001-02	3	1.40
	2002-03	3	1.90
	2004-05	21	7.32
2006-07	42	30.41	
योग		109	53.68
भारतीय भू-सर्वेक्षण	2002-03	1	0.20
	2003-04	3	0.50
	2004-05	1	0.20
	2005-06	1	0.10

मंत्रालय/विभाग	अनुदान से संबंधित अवधि	मार्च 2007 के अन्त बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (रूपये लाखों में)
	2006-07	4	0.50
योग		10	1.50
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2001-02	2	11.00
	2002-03	69	6147.00
	2003-04	61	3246.00
	2004-05	75	13904.00
	2005-06	138	20095.00
	2006-07	165	43724.00
योग		510	87127.00
भू विज्ञान मंत्रालय	1983-84	08	13.16
	1984-85	22	22.66
	1985-86	32	32.61
	1986-87	22	25.78
	1987-88	40	52.83
	1988-89	45	58.00
	1989-90	61	60.39
	1990-91	17	227.46
	1991-92	13	114.60
	1992-93	08	3.00
	1993-94	16	40.20
	1994-95	07	36.50
	1995-96	22	46.74
	1996-97	51	105.06
	1997-98	57	276.81
	1998-99	41	432.28
	1999-2000	34	435.69
	2000-01	50	422.71
	2001-02	39	2821.40
	2002-03	26	2533.69
2003-04	112	2219.62	
2004-05	74	7051.41	
2005-06	107	9442.08	
2006-07	75	13989.60	
योग		979	40464.28
कुल योग		11371	239508.18

2008-09 की संख्या सी.ए. 16 (वैज्ञानिक विभाग)

परिशिष्ट-V (पैराग्राफ 1.10 के संदर्भ में)

विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(रूपये लाख में)										
क सं.	उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	सरकारी पूँजी	ब्लॉक संपत्तियाँ (शुद्ध)	अब तक ह्रास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	मीन पूँजी पर कुल वापसी की प्रतिशत	टिप्पणियाँ
नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय										
1.	भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड	2007-08	49000.00	3916.52	975.03	4796.42	960.00	960.00	2.06	कर के पश्चात्
अणविक ऊर्जा विभाग										
2.	नाभिकीय ईंधन काम्पलेक्स, हैदराबाद	2006-07	48643.18	30971.34	19406.72	3111.95	6103.01	9214.96	19.56	ऑकड प्रोविजनल है
3.	भारी पानी संयंत्र मुंबई	2004-05	-	-	-	-	-	-	-	प्रोफार्मा लेखों का प्राप्ति अभी अनुमोदित होना है।

परिशिष्ट-VI (पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

वर्ष 2007-08 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(रूपये लाख म)

अपलिखित हानियाँ और न वसूल होने वाली देयतायें जिस कारण

मंत्रालय/विभाग का नाम	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स गराशिया अदायगी	
	ममलों की सं.	राशि	ममलों की सं.	राशि	ममलों की सं.	राशि	ममलों की सं.	राशि	ममलों की सं.	राशि
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	-	-	-	-	3	0.71	-	-	-
अणविक ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	3	5.09	-	-	-	-
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	5	1.88	-	-	-	-
भारतीय अयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	-	-	-	-	1	181.32	-	-	-	-
भू-सर्वेक्षण	-	-	-	-	3	0.11	-	-	-	-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	2	0.56	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	2	0.56	18	189.44	-	-	-	-

परिशिष्ट -VII (पैराग्राफ 1.13 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से दिसम्बर 2008 तक की एक्शन टेकन नोट की वांछित संक्षिप्त स्थिति मार्च 2008 तक

क . सं.	प्रतिवेदन की संख्या	पैराग्राफ संख्या/अध्याय	जिससे संबंधित	शीर्षक	ए.टी.एन को प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
1.	2004 की 5	10.1	टैलीमेटिक्स का विकास केन्द्र	तत्वों की अनावश्यक खरीद	49
2.	2006 की 18 (पी.ए.)	स्टेडअलोन	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	चीता रिजर्व में चीतों काप संरक्षण एवं सुरक्षा	24
3.	2006 की 9(पी.ए.)	5	अंतरिक्ष विभाग	कररहित प्राप्तियाँ	20
4.	2007 की 2 (टी.ए.)	6.1	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	बिजली उपभोग पर अधिक व्यय	15
5.	2007 की 13 (पी.ए.)	3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	डी.एस.टी. में अंतरिक नियंत्रण	15
6.	2009 की सी.ए. 3	3.1	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	कार्यालय स्थान किराये पर लेने पर 1.21 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय	6
7.	2008 की सी.ए. 3	5.1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	निष्फल व्यय	6
8.	2008 की सी.ए. 3	5.2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सेवा का अनियमित बिस्तार	6
9.	2008 की सी.ए. 3	6.1	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	स्कॉलर टॉसिट हॉस्टल के निर्माण का असंगित निर्णय	6
10.	2008 की सी.ए. 3	7.1	भू विज्ञान मंत्रालय	लेखों और कामिर्क प्रबंधन का अधुनिकीकरण का उददेश्य का पूरा न होना	6

क सं.	प्रतिवेदन की संख्या	पैराग्राफ संख्या/अध्याय	जिससे संबंधित	शीर्षक	ए.टी.एन को प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
11.	2008 की सी.ए. 3	7.2	भू विज्ञान मंत्रालय	ब्याज पर परिहार्य व्यय	6
12.	2008 की सी.ए. 3	7.3	भू विज्ञान मंत्रालय	राष्ट्रीय सामुद्रिक प्रौद्योगिकी संस्थान में ओतरिक परियोजनाओं पर निष्फल व्यय	6
13.	2008 की सी.ए. 3	8.1	नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	सौर ऊर्जा केन्द्र की गतिविधियाँ	6
14.	2008 की सी.ए. 3	9.2	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	द्वीप विशेष भत्ते का अनियमित भुगतान	6
15.	2008 की सी.ए. 3	9.5	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	क्युरैन्टाईन भवन को चालू न किया जाना	6

परिशिष्ट-VIII (पैराग्राफ 2.6.2.2 के संदर्भ में)

नवी योजना की बी.आर.आई.टी. परियोजनाओं का विवरण, जिन्हें दसवीं योजना तक ले जाया गया

परियोजना का नाम	मूल मूल्य/समापन की तिथि	वास्तविक व्यय/समापन की तिथि	समय और लागत बढ़ने के कारण/बी.आर.आई.टी. एवं डी.ए.ई. का उत्तर
(i) रेडिएशन उपस्कर का निरूपण एवं विकास और जाँच सुविधा	8.50 करोड़ मार्च 2006		
(ए) ऋद्धर, 'त्त प्रौद्योगिकी उपस्कर का निरूपण एवं विस्तार	मार्च 2002	मई 2006	चार नए उत्पादों के में से, बी.आर.आई.टी. केवल 30 बलड इरेडिएटर का विकास कर सका और 30 बलड इरेडिएटर को फ़ैबिकेशन को पेश कर सका। बी.आर.आई.टी. ने मई 2008 में कहा कि वह बी.आर.आई.टी. के माध्यम से स्वदेश में ही यूनितों की उपलब्धता के प्रचार के सभी संभव प्रयास कर रहा था। डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में कहा कि ऐसी उम्मीद की जाती थी कि प्रौद्योगिकी के स्वीकार्य के साथ भविष्य में बी.आई.टी. की बिक्री धीरे-धीरे बढ़ेगी।
(बी) एक जाँच सुविधा का निरूपण और निर्माण	2001	जनवरी 2006	2.30 करोड़ रुपये की सुविधा का मुख्य तौर पर कम उपयोग किया गया क्योंकि जुलाई 2008 तक 31 महीनों की अवधि में इसका केवल 9 बार प्रयोग किया गया। बी.आर.आई.टी. ने जुलाई 2008 में कहा कि आने वाले वर्षों में सुविधा की उपयोगिता बढ़ेगी। डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में कहा कि यह सुविधा राष्ट्रीय एवम् अंतरराष्ट्रीय मानक के लिए एक आवश्यक जरूरत थी और केवल वाणिज्यिक या एक राजस्व एकत्र करने के साधन की दृष्टि से ही विचार नहीं किया जा सकता। आगे, डी.ए.ई. ने कहा कि वर्तमान में यह डी.ए.ई. की आवश्यकताओं को पूरा कर रही थी और अब तक 26 जाँचे की जा चुकी है। सच यह है कि अनुचित योजना के कारण, इस महत्वपूर्ण सुविधा की उपलब्धता में दृष्टि की देशी की गई और डी.ए.ई. ने जाँच सुविधा की उपयोगिता के लिये डी.ए.ई. यूनितों के अलावा दूसरे यूनितों को अकर्षित करने में कोई पहल नहीं की
कोबाल्ट हैंडलिंग सुविधा का आर्वधन	17 करोड़ रुपये/ मार्च 2001	17.99 करोड़ रुपये/ मार्च 2006	कोबाल्ट 60 निर्यात से 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का आशातीत राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। ए.ई.आर.बी. के प्लान्ट के संचालन के लिए सुरक्षा समीक्षा समिति की सहमति केवल मई 2008 के बाद प्राप्त की गई। बी.आर.आई.टी. ने मई /जुलाई 2008 में देशी का जिम्मेदार अकिटैक्चरल और सिविल इंजिनियरिंग डिवीजन द्वारा निरूपण कार्य न लेने की असमर्थता पर ठहराया। बी.आई.आर.टी. ने फिर माना कि कोबाल्ट की माँग अभी तक आशातीत स्तर तक नहीं बढ़ी। डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में कहा कि इस प्रकार के रेडियेशन प्रकिया प्लॉटस को स्थापित करने के लिये निजी उद्यमियों के साथ 22 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित ढड्डुःइ गये हैं, जिनमें से सात लग चुके हैं। इसने आगे कहा कि कोबाल्ट 60 की माँग बढ़ेगी और बी.आई.आर.टी. कोबाल्ट 60 को प्रोसेस करने की स्थिति में होगा और निर्यात के लिये सुरक्षित साधन बनाएगा।

परियोजना का नाम	मूल मूल्य/समापन की तिथि	वास्तविक व्यय/समापन की तिथि	समय और लागत बढ़ने के कारण/बी.आर.आई.टी. एवं डी.ए.ई. का उत्तर
			देरी के बावजूद, राजस्व उत्पादन जोकि निर्यात से प्राप्त होना था, प्राप्त नहीं हो पाया।
बी.ए.आर.सी. कैम्पस में रेडियोरसायनिक प्रयोगशालाओं का आर्वधन	4.60 करोड़ रुपये को 6.23 करोड़ रुपये में संशोधित/ मार्च 2002	5.77 करोड़ रुपये (मार्च 2003 तक)/ दिसम्बर 2007	<p>(i) परियोजना 5 वर्षों से भी ज्यादा समय के बाद समाप्त हुई थी। बी.आई.आर.टी. ने प्लॉट लगाने के लिये कुशल तकनीकी व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या न उपलब्ध होने के कारण समय बढ़ जाने का कारण बताया और कहा की जांच और वैद्यता चल रही थी और उत्पादन किया जा रहा था। डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में कहा कि परियोजना की समाप्ति में देरी का कारण उसी क्षेत्र में रेडियोआईसोटोप की नियमित प्रक्रिया में बिना कोई रुकावट के काम करने की जरूरत थी, क्योंकि इन उत्पादों तपनी बी.आर.आई.टी. द्वारा अस्पतालों को पूर्ति की जानी थी। इसके अतिरिक्त, सुविधा अभी लगाई जानी थी और विस्तृत तौर पर प्रयोग की जानी थी। डी.ए.ई. का उत्तर सुविधा की उपयोगिता के विवरण पर और परियोजना के लिये जाने के परिणामस्वरूप संचालन कार्मिक पर लागत कम किये जाने से स्तर तक मौन था।</p> <p>(ii) बी.ए.आर.सी./बी.आर.आई.टी. ने 1998 में परियोजित किया कि 2010 तक रेडियोआईसोटोप की आवश्यकता कई गुना बढ़ेगी। यद्यपि, पिछले 30 वर्षों में आईसोटोप एम ओ 99, आई 131 और पी.32 के उत्पादन में दुसरे चार आइसोटोप के उत्पादन में बढ़त बहुत कम थी और आई.आर. 192 (रेडियोग्राफी के लिये एच.एस.ए. और ब्रककीथेरिपी) सी.ओ.160 एच.एस.ए. > 300 सी.आई./जी.और आर.ई. 188 अभी तक शुरू नहीं हुए थे। बी.आर. आई.टी. ने जुलाई 2008 में माना कि विजाग में नया उच्च फ्लेक्स रियेक्टर अभी तक नहीं बनाया गया, सभी उद्देश्य जो कि रियेक्टर पर निर्भर थे, प्राप्त नहीं हुये है। डी.ए.ई. ने फरवरी 2009 में कहा कि चिकित्सा उत्पादों की आवश्यकता माँग पर अधारित थी और बीआर.आई.टी. इस समय लक्षित मात्राओं की प्रक्रिया की स्थिति में था।</p>

परिशिष्ट-IX (पैराग्राफ 10.1.4.2 के संदर्भ में)

31.03.2008 को आई.सी.एम.आर. के संस्थानों में पड़े हुये अग्रिम
(2002 से 2008 के दौरान प्रदत्त)

(लाख रुपये में)

क . सं.	संस्थान	प्रारंभिक शेष	जमा (अग्रिम)	कार्यकारी एजेन्सियों के पास अग्रिम	संस्थानों के पास पड़े हुये अग्रिम
1.	पैथोलोजी संस्थान, नई दिल्ली	300	13.64	169.55	144.09
2.	क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र , चैन्नई	519.23	946.63	946.63	519.23
3.	रेगिस्तान दवा अनुसंधान केन्द्र , जोधपुर	6.71	1100.00	6.31	1100.4
4.	राष्ट्रीय हैजा और एन्ट्रीक रोग संस्थान, कोलकत्ता	0	765.20	758.94	6.26
5.	राष्ट्रीय वाइरॉलोजी संस्थान, पुणे	0	641.20	560.37	80.83
6.	राष्ट्रीय पोषक संस्थान, हैदराबाद	0	513.78	468.51	45.27
7.	राष्ट्रीय इम्युनोहेमेटोलोजी संस्थान, मुंबई	15.68	19.29	25.67	9.30
8.	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र , जबलपुर	600.97	902.83	906.17	597.63
9.	राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु विज्ञान केन्द्र , हैदराबाद	0	567.50	543.7	23.80
10.	माइक्रॉयिल कन्टेनमेंट कॉम्प्लेक्स, पुणे	4.03	2451.41	2272.09	183.35
11.	राष्ट्रीय पुनर्जनित स्वास्थ्य में अनुसंधान संस्थान, मुंबई	141.03	5606.13	168.26	5578.90
12.	एन्ट्रो-वायरस अनुसंधान केन्द्र , मुंबई	0	110.00	107.42	2.58
	योग	1587.65	13637.61	6933.62	8291.64

परिशिष्ट -X (पैराग्राफ 10.1.4.4 के संदर्भ में)

आई.सी.एम.आर. द्वारा एजेन्सियों को अधिक प्रदत्त

(लाख रुपये में)

क . सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	अनुमानित लागत	अग्रिम प्रदत्त	प्रतिशत
1	आई.सी.एम.आर. मु. की मरम्मत एवं नवीनीकरण	एच.एस.सी.सी.	67.77	60.00	88.53
2	ढाँचागत मरम्मत, पोर्टा केबिन को लगात	एन.पी.सी.सी.	114.42	86.92	75.97
3	एच.एस.सी.सी. के माध्यम से डी.जी. कार्यालय का मोडल्यूर फनीचर	एच.एस.सी.सी.	1.20	1.20	100
4	डी.जी. कार्यालय फ्लोरिंग	एच.एस.सी.सी.	7.44	7.44	100
5	विशेष मरम्मत/बोरवैल की नवीनीकरण औ विकास	एच.एस.सी.सी.	83.48	68.63	82.21
6	मुख्य भवन और एनैक्सी की बाहरी छद्म की विशेष मरम्मत और नवीनीकरण	एन.पी.सी.सी.	129.49	65.00	50.20
7	लाइब्रेरी का नवीनीकरण	एन.पी.सी.सी.	12.67	12.67	100
8	कम्प्यूटर रूम, चीफ (आर.एम.एन.) के कमरे का नवीनीकरण	एन.पी.सी.सी.	11.13	11.13	100
9	रेन वाटर हारवेस्टिंग और सीवर बिछाना	एन.पी.सी.सी.	22.64	22.64	100
10	वर्तमान बोर वेल का विकास	एन.पी.सी.सी.	7.33	6.60	90
11	कान्फ्रेंस हाल का नवीनीकरण	एन.पी.सी.सी.	159.05	159.05	100
12	गृह/भवन के बीच जुड़े कोरिडोर का निर्माण	एन.पी.सी.सी.	8.25	8.25	100
13	कमरा न. 204 को नवीकृत करना	एन.पी.सी.सी.	1.10	1.10	100
14	अतिथि गृह में अतिरिक्त पोर्ट केबिन	एन.पी.सी.सी.	18.42	18.42	100
15	रिवर्स ओस्मोसिस प्लांट की पूर्ति, जाँच और चालू करना	एन.पी.सी.सी.	11.44	11.44	100

परिशिष्ट-XI (पैराग्राफ 10.1.5 के संदर्भ में)

31मार्च 2008 को आई.सी.एम.आर. के संस्थानों द्वारा प्रदत्त असमायोजित अग्रिम

क सं.	संस्थान का नाम	पूर्ण हुये कार्यों की संख्या	अभी तक समायोजित नहीं की गई राशि
1.	क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चैन्नई	4	92.62
2.	मइक्रोबियल कन्टेनमेंट काम्प्लेक्स, पुणे	4	335.34
3.	राष्ट्रीय वाइरोलोजी संस्थान, पुणे	7	67.64
4.	राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग और अन्य माईकोबैक्टीरियल रोग संस्थान, अगरा	18	415.14
5.	जनजातिय के लिए चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	7	614.64
6.	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, अण्डोमान और निकोबार द्वीप समूह	1	4.74
7.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	14	227.24
8.	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, अण्डोमान और निकोबार द्वीप समूह	7	92.72
9.	राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद	6	335.38
10.	राष्ट्रीय पुनर्जनित स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, मुंबई	2	2.87
	योग	70	2188.33